



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2016-17



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) नई दिल्ली

Cement Corporation of India Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)
New Delhi

Celebration of 53rd Foundation Day







53rd Annual Report 2016-17

Contents	Page No
Board of Directors	3
Chairman's Speech	8
Director's Report	10
Secretarial Audit Report	28
Report on Corporate Governance	31
Managemant Discussion & Analysis	38
Annual Accounts 2016-17	44
Cash Flow Statement	81
Auditor's Report and Management's Replies	83
C&AG's Comments	94
Our Employees — Our Greatest Assets	96
Salient Features of our Units	99

Cement Corporation of India Limited (A Govt. of India Enterprise) New Delhi

Audit Committee

Shri Mahender Gupta (Chairman) Shri A.M. Manichan (Member) Shri B.V. N. Prasad (Member)

Remuneration Committee

Shri Mahender Gupta (Chairman) Shri A.M. Manichan (Member) Shri B.V. N. Prasad (Member)

Statutory Auditors Principal Auditor

M/s. Kapoor Bhushan & Company Chartered Accountants DP-55, Maurya Enclave, Pitampura Delhi-110034

Registered Office

Cement Corporation of India Ltd.
Core 5, Scope Complex
7, Lodhi Road
New Delhi-110003
CIN No. U74899DL1965GOI004322

Bankers

State Bank of India

ICICI Bank

Corporation Bank

Punjab National Bank

Dena Bank

Central Bank of India

Branch Auditors

M/s N Samba Shiv & Co. Chartered Accountants, Adilabad-504001

M/s. P.P. Bansal & Co. Chartered Accountants, Rohtak-124001

M/s. Jhanwar & Co. Chartered Accountants, Raipur-492004

M/s. Gopal & Rajan Chartered Accountants, Cuddapah-516001 M/s. DCG & Co. Chartered Accountants, New Delhi-110002

M/s. Satyanaryana & Co. Chartered Accountants, Secunderabad-500003

M/s. P Gaggar & Associates Chartered Accountants, Guwahati-781001

M/s. S.K. Tanwani & Co. Chartered Accountants, Raipur-492001

Cost Auditors

M/s. Jugal K. Puri and Associates Cost Accountants K-19 (G.F.), South Extension Part-II New Delhi-110049 M/s S.P. Kumar & Associates
Cost Accountants
6-40, Plot No. 101, Suprabhat Township
Venture 2, Kachavani, Singram,
Hyderabad-500088

M/s S. Dhal & Co.
Cost Accountants
Plot No. 458, 1st Floor
Madhusudan, Nayagar Nayapally
Bhubneshwar-751012





BOARD OF DIRECTORS



Shri Manoj Misra Chairman & Managing Director



Smt. Ritu Pandey Director (w.e.f. 27.02.17)



Shri A.M. Manichan Director



Shri Pravin Kumar Director (16.09.16 to 27.02.17)



Shri Mahender Gupta Independent Director (w.e.f. 29.06.16)



Shri B.V.N. Prasad Director (HR)



Shri S. Sakthimani Director (Finance)/CFO



Shri Ajay Kumar Sharma Company Secretary

HEAD OF DEPARTMENT (CORPORATE OFFICE)



Dr. R.S. Swarankar-IPS Chief Vigilance Officer (w.e.f. 31.03.17)



Shri Saju.S. Dominic GM (HR)/Admn.



Ms. Saraswati Devi Addl. GM (Opns.)



Shri A.K. Srivastava Addl. GM (MM)



Shri Alok Shukla Addl. GM (Mktg.)



Shri Manoj Kumar Patra Addl. GM (Fin.)



Shri Chaman Jaggi DGM (HR)



Shri Chandu Sharma Sr. Manager (M&CS)

GENERAL MANAGERS - OPERATING PLANTS



Shri V.K. Pandey GM-Tandur



Shri S.K. Sahu GM- Bokajan




Shri Vivek Kumar GM-Rajban







TURNOVER




NET PROFIT



CEMENT PRODUCTION



MANPOWER







AWARDS GALORE

- 1. Recipient of prestigious "The CEO with HR Orientation" Award at the forum of World HRD Congress 25th Silver Jubilee Year 2017, held on 15th February, 2017 at Mumbai.
- 2 A XIV North East Metelliterus mines safety week 2016-17 was celebrated and following prizes have been awarded to our Mines on the Final Day Function on 09.04.17 for the year 2016-17 at Shillong (Bokajan Unit):
 - 1. "Explosive Handling"
 - 2. "Conditions of Machineries"

1st Prize 3rd Prize



- B Second prize have been awarded to our Mines of the Final Day Function of 7th MEMC week 2016-17 on 30.04.2017 at Shillong (Bokajan Unit):
 - 1. "Waste Dump management & Reclamination"





- 3. Second prizes have been awarded to our Mines of Tandur cement fectory by DGMS (Tandur Unit):
 - 1. "Environmental Health and Skill Management"

2nd Prize

Speech of the Chairman at the 53rd Annual General Meeting



Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure and privilege to welcome you all on behalf of the Board of Directors to the 53rd Annual General Meeting of your Company, Cement Corporation of India Ltd. (CCI). Your presence in this meeting is a testimony of your support and interest in the Company's endeavour for which I am thankful to everyone. The Company's Accounts for the year ended 31st March, 2017 together with Directors' Report and the Auditors' Report have already been circulated. With your permission, I would like to take them as read.

Performance Highlights

The sales turnover during the year 2016-17 inclusive of excise duty was ₹ 372.54 crores as against ₹436.23 crores in the previous year. The year under review ended with net profit of ₹ 42.33 crores as against net profit of ₹ 53.51 crores during the previous year. The cement production during the year is 7.91 lakh MT of cement as against 9.13 lakh MT during the previous year.

Quality Management

Your Company has quality management system in place and the operating plants at Tandur, Rajban and Bokajan have received ISO 9001 certification. Regular trainings are being imparted to employees to inculcate a culture of quality orientation across the Company.

Human Resource Development

Your company has given utmost importance to the skill





development of all level of employees. During the year 2016-17, total 2987 mandays of in-house training was imparted to the employees to enhance their skill. Your company has also nominated employees for external training on various subjects during the year. Across section of employees were also nominated for several seminars and conferences on in their functional areas of working at different locations.

Senior officers of the company at all the operating units were exposed to training on the concept and implementation of Risk management techniques. Besides above, your company has also conducted competency mapping of supervisory level employees at the operating units so as to bridge the skill gap.

Corporate Social Responsibility

The CSR Policy was approved by the Board in its 332nd Board Meeting held on 7th December, 2016. The policy has been implemented in the Corporation. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives at its plants level.

Corporate Governance

The Company's philosophy on Corporate Governance is to conduct its business in a manner, which is ethical and transparent with all stakeholders in the Company, including shareholders, lenders, creditors and employees. Good governance is a continuing exercise and the Company reiterates its commitment to pursue the same in all aspects of its operations in the overall interest of all its

stakeholders. A separate section under Corporate Governance has also been annexed with the Directors' Report.

Acknowledgement

Your continued support and conûdence inspired us in all our endeavours for excellence and on behalf of Board of Directors of your Company, I wish to convey our sincere thanks to you and Government of India particularly to the Department of Heavy Industry, Department of Public Enterprises, for their guidance and support in all our pursuits.

We would not have reached the position with renewed focus and enhanced performance without the support received from all our shareholders and members of the Board.

I also extend my gratitude to our esteemed customers both in Government sector and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

I acknowledge overwhelmed support of Government of India, State Governments, CAG and all other Authorities and Agencies, Bankers, Statutory Auditors, Principal Director & Member, Audit Board-II.

Last but not the least, I would like to place on record my sincere appreciation for the commitment, involvement and dedication exhibited by the employees in the overall development and growth of the Corporation.

Thanking you,

Jai Hind.

Sd/-(MANOJ MISRA) CHAIRMAN & MANGING DIRECTOR

PLACE: NEW DELHI

DATE: 20TH SEPTEMBER, 2017

BOARD REPORT

To the Members,

On behalf of the Board of Directors of your company, I am delighted to present the 53rd Annual Report of your Company along with the audited accounts for the year ended 31st March, 2017, the Auditor's Report and the Report of the Comptroller & Auditor General of India.

1. FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance for the year under review along with previous year's figures is given hereunder:

CORPORATIONAS A WHOLE

(₹ in crore)

		•	,
SI. No.	Particulars	For the year 2016-17	For the year 2015-16
1	Net Sales	337.44	393.02
2	Other Income (including exceptional income)	106.91	63.11
3	PBDIT	51.23	63.64
4	Less: Interest	2.25	2.23
5	Profit before Depreciation	48.98	61.41
6	Less: Depreciation 6.6		7.90
7	Profit after depreciation and Interest	42.33	53.51
8	Less: Current Income Tax	0.00	0.00
9	Less: Previous year adjustment of Income Tax	0.00	0.00
10	Less: Deferred Tax 0.00		0.00
11	Net Profit after Tax 42.33		53.51
12	Balance Transferred to Balance sheet	42.33	53.51

- 1.1 The year under review ended with a net profit of ₹ 42.33 crores as against net profit of ₹ 53.51 crores during the previous year. The cement production during the year is 7.91 lakh MT of cement as against 9.13 lakh MT during the previous year. Decrease as compared to previous year is mainly due to reduction in production and sales realization.
- 1.2 One Time Settlement were carried out with M/s ONGC and M/s Goa Shipyard Limited during 2016-17 of ₹64.63 crores has been written back and shown as Exceptional income.

2. DIVIDEND

As per the provisions of the Companies Act, 2013, no dividend will be declared for the financial year 2016-17.

3. REVIEW OF BUSINESS OPERATIONS AND FUTURE PROSPECTS

Your Directors wish to present the details of Business operations done during the year under review:

Operations

Performance of Units

The capacity utilization of Cement (%), Clinker Production (MT), Cement Production (MT) and Dispatch of Cement (MT) of the operating unit individually and collectively are stated as under:

A. Production (operating plants)

	ВОКА	JAN	RAJBA	N	TAND	UR	FOR OPE PLAI ONL	RATING NTS
Year	15-16	16-17	15-16	16-17	15-16	16-17	15-16	16-17
CAPACITY UTILISATION OF CEMENT (%)	52.03	40.20	77.14	67.90	61.86	54.20	63.13	55.60
CLINKER PRODUCTION (MT)	80070	80240	153030	150135	632210	525920	865310	756295
CEMENT PRODUCTION (MT)	103015	79545	191300	168500	618555	542486	912870	790531
DESPATCH(MT)	106088	77972	189209	170685	619021	549522	914318	798179

Status of Sale of Non-Operating Units:-

As per the order of Ministry of Labour & Employment, GOI, the following Non -Operating units i.e. Mandhar, Kurkunta, Nayagaon, Akaltara, CharkhiDadri and Delhi Grinding unit has been closed on 31.10.2008. The Adilabad Unit has also stand closed vide order dated 20.02.2017 of Hon'ble High Court of Andhra Pradesh and Telangana.

As per the directive of NITI Aayog, the disinvestment process has been initiated for the following units.

- Mandhar
- 2. Kurkunta
- 3. Nayagaon
- CharkhiDadri
- 5. Bathinda Grinding Unit





Bokajan Expansion Project

As per Sanctioned Scheme, the installed capacity of Bokajan Unit is to be enhanced to 1200 tpd of clinker, which inter alia envisages enhancement in the cement grinding capacity to 750 tpd at Bokajan and Setting up of Silchar Grinding Unit with 50 tph capacity.

The Work Order for capacity Expansion of Bokajan Cement Factory has been awarded to M/s Promac Engineering Industries Ltd. Banglore on turnkey basis at a total cost of ₹142.40 crore.

The work order for setting up of Silchar Grinding Unit of 50 TPH has also been awarded to M/s Promac Engineering Industries Ltd Bangalore on turnkey basis at a total cost of ₹ 39.68 cr. No progress have been made in the project implementation.

The work of laying of BG line at Bokajan has been taken up by Railways on depositary basis for catering to the transportation requirements of the plant.

Technological Up-Gradation at Tandur

As envisaged in the Sanctioned Scheme, technological up-gradation scheme at Tandur has been taken up for implementation. Twenty two schemes have been completed. Balance schemes are under various stages of implementation.



View of Tandur Plant

Ministry of New and Renewable Energy vide letter No. 30/11/2014-15/NSM dated 17thFebruary, 2016 allotted 6 MW grid connected solar PV plant with VGF support @ ₹ 1 crore/MW for CCI Tandur through M/s SECI under CPSE scheme. In this regard MOU was signed between CCI & NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (NVVN) on 26.12.2016 for setting up of 6 NW Solar Power Plant.

Upgradation of Railway siding of Tandur Plant is under progress.

B. PROFITABILITY

The company has earned a net profit of ₹42.33 Crores in the year 2016-17 as against net profit of ₹53.51crores during the previous year. The Cement Production during the year is 7.91 lakh MT of cement as against 9.13 lakh MT during the previous year

C. SALES

The sales turnover during the year 2016-17 inclusive of excise duty was ₹ 372.54 crores as against ₹ 436.23 crores in the previous year.

D. INDUSTRY HIGHLIGHTS AND OUTLOOK

The cement capacity in India is estimated to be at 420 Million Tonnes as of March 2017 with production growing at 5-6 per cent per year. The country's per capita consumption stands at around 225 kg.


Cement production volume in 2016-17 witnessed a year-on-year decline for the first time in 15 years as demand was hit in the later part of the year. Cement production was reduced by 1.23% to 279.98 million tonnes during Financial Year 2016-17 from 283.46 million tonnes during Financial Year 2015-16.

Despite cement demand in 2016-17 being the weakest in 10 years, average prices have increased 5% as they are more of a function of input cost increases.

E. MARKETING AND MARKET ENVIRONMENT

The total cement Sale during the year was 7.98 lakh MT against 9.16 lakh MT in the previous year showing a negative growth of 12.9% in terms of total sale mainly due to demand hit during later part of the year.

The additional efforts made in January onwards like enhancement of discounts for dealers and gradual increase of market demand coupled with higher sales in Govt sector and other institutional customers saw a push in sales during February and March'17 which helped in partly offsetting the sales losses of the previous period.



At Bokajan Unit production related issues during IInd quarter and demand hit during IIIrd quarter as well as road blockade of Manipur affected the sales during that period. However increased marketing activities led to a surge in sales volume during January – March'17 surpassing the previous year's sales figure of the same period.

The company is planning to start the production of PPC at Tandur from the next year to increase the profitability and boost sales. The new set of marketing guidelines in the form of revised Marketing Manual and Standard Operating Procedures has been introduced which shall help in improving of sales and marketing activities besides enhancement of brand image and network development.

F. QUALITY

Quality aspects are given most importance in all the three operating units of CCI. Regular quality monitoring and control activities from raw material stage to product stage are being done at well equipped laboratories by well qualified and trained personnel. Besides, cement samples are tested for complete physical & chemical parameters in reputed govt. laboratories such as NTH, NCB etc.

4. CAPITAL STRUCTURE

The Corporation has not received any amount as equity from Govt. of India during the year under review and company' share capital at the year-end stood at ₹811.41 crores.

5. REMUNERATION POLICY

In CCI, pay and other benefits for executives are based on the Presidential Directives issued by the Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, Government of India vide letter No. F.No.1(6)2009-PE.XII dated 30th April, 2009. The last pay revision effective from 01/01/2007 was done in accordance with Ministry's OM No.2(70)/08-DPE(WC)-GL-XVI/08 dated 26th November, 2008, No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 9th February 2009 & No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 2nd April, 2009 The PRP is based on the Performance / profitability of the Company as well as individual performance rating which is aligned to the organization's objectives.

6. IMPLEMENTATION OF ERP

 Tally ERP9 consisting of the modules such as Financial, MM, Marketing has been implemented in all three operating units and Corporate office w.e.f. 01.04.2017. The implementation of Payroll module is being done with some customization

- work is underway. Also, production module has been implemented in Rajban and Tandur unit.
- Tally ERP9 has been enabled by vendor for generating GST invoices at all the places where invoice is generated.
- GST upgradation in Tally software in on-line environment is underway with the help of vendor.
- All the concerned staff dealing with Tally have been provided training.

7. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

Your Company lays utmost importance on the human resources as employees are the most valued asset of any organization. Manning your company there are 665 employees possessing a variety of skills, qualifications and competence. Your Corporation is committed to develop human resources and provide them with greater opportunities linked to their contribution to the organization's objectives. The Corporation has been making all efforts to ensure development of human competencies and welfare of its most important and valuable asset i.e. its employees.

The Industrial Relations remained peaceful throughout the year in all the units of the Corporation. Fruitful discussions and interactions are being conducted with the trade unions and employees at various forums which have significantly contributed towards governing redressal, resolving differences and improving industrial relations resulting into no mandays lost during the year.

8. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

Human Resource Development has made efforts and given thrust towards development and optimum utilization of human resources to put up a healthy work culture and to achieve higher goal and productivity as well as to meet the challenges of the future. In order to have an extensive study of manpower restructuring, the company had appointed Ms Administrative Staff College of India (ASCI) Hyderabad for conducting the study of manpower in the Corporation. The Final report in this regard has been submitted by the ASCI to the Management and the same has been sent to the Government for approval. After receiving the approval, suitable manpower restructuring will be taken up.

9. TRAINING AND DEVELOPMENT:

As part of Human Resource development, your company has given utmost importance to the skill development of



सी सी आई CCi

all level of employees. During the year 2016-17, total 2987 mandays of in-house training was imparted to the employees to enhance their skill. Your company has also nominated employees for external training on various subjects during the year. A cross section of employees were also nominated for several seminars and conferences on in their functional areas of working at different locations. Senior officers of the company at all the operating units were exposed to training on the concept and implementation of Risk management techniques.



GST Training at Rajban

Besides above, your company has also conducted competency mapping of supervisory level employees at the operating units so as to bridge the skill gap.

10. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM:

Effective internal machinery for grievances redressal has been evolved and established in Cement Corporation of India Ltd., for its employees. CCI is maintaining grievance handling system very effectively and employees are given an opportunity at every stage to raise grievances relating to wage matters, working conditions leave, work assignments and welfare amenities etc. Majority of grievances are redressed informally in view of the participative nature of environment existing in the units. The system is comprehensive, simple and flexible and has proved effective in promoting harmonious relationship between employees and management.

11. WELFARE OF WOMEN:

Your Company is fully sensitive and conscious of its social responsibility for welfare of women. All statutory and other benefits are being extended to the women employees working at various Units/Offices of the Corporation.

In order to promote the welfare of the women, the units of CCI are having Ladies Club where various social and recreation activities are being carried out for the women.

The vocational programmes on computer literacy, mother & child health care etc. are being undertaken at these various clubs. The Corporation provides infrastructural and other financial assistance from time to time to undertake such activities for welfare of women. So far as Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 is concerned, the committee established to inquire any such issues, has not received any complaint during 2016-17.

12. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

The Corporation continued its efforts for progressive use of official language in line with the Official Language Policy of the Govt. The Official Language Implementation Committee meeting takes place regularly and the Corporation also taken active part in the activities of Official Language Implementation Committee. Hindi Week / Fortnight is being celebrated to encourage and motivate the employees for more and more use of Hindi in their day-to-day official work. Daily one liner made in Hindi to propagate the use of Hindi.

13. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. Since the net worth of the Corporation is still negative and accumulated losses of the Company as on 31.3.2017 is ₹ 806.90 crores. Company did not spend amount on specific CSR Activities, However, the various welfare activities are being carried out around the operating units of the company. In the current year, the Company envisages to spend towards CSR activities in and around the operating units of CCI.



Medical Camp in Kando village Camp by CCI Rajban

14. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The information pertaining to conservation of energy, technology absorption, Foreign exchange Earnings and outgo as required under Section 134 (3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is furnished in Annexure and is attached to this report.

15. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

16. DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

The Board in its 329th Meeting held on 14th July, 2016 re-constituted Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee of Board. Based on the guidelines, a revised CSR Policy was submitted before CSR Committee of the Board. Further on recommendations of CSR Committee, The CSR Policy was approved by the Board in the 332nd Board Meeting held on 7th December, 2016. The policy has been implemented in the Corporation.

17. ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF THE VIGILANCE DEPARTMENT.

- 1. The vigilance Department of Corporation is headed by Chief Vigilance Officer(CVO). The Vigilance has different roles to play viz proactive preventive, detective and punitive. As a part of Preventive vigilance, various rules, procedures and practices which afford scope for malpractices were examined. Further, speedy disposal of complaints and disciplinary proceedings was ensured including consultation with CVC and DHI. Regular/Surprise checks are conducted in sensitive areas,. During the year 2016, twenty four complaints were disposed off. List of officers of doubtful integrity' and agreed list' prepared and follow-up action taken thereof. The rotation/transfer of officials working on sensitive posts are being done as per CVC guidelines and CCI rules.
- 2. The system of maintaining online data of vigilance status of Board Level and below Board Level officials as

per DOPT directions has been made operational in CCI.

3. Half Yearly Review of Vigilance activities is undertaken by the Board of Directors of CCI covering all the activities, including complaints received/disposed off, major/minor penalty action taken, brief regarding important cases, training and manpower in vigilance as well as the areas of concern. Complaints received from CVC, DHI and other sources are examined in terms of Government of India guidelines and disciplinary action initiated against the erring officials found guilty during disciplinary proceedings. Timely action was taken to safeguard the interest of the Corporation in legal cases emanating from Vigilance cases. Annual Property Returns are being obtained from employees.



Vigilance Awareness week at Tandur Unit

- 4. All prescribed Monthly, Quarterly and Annual Returns pertaining to Vigilance activities are being sent to CVC, DHI, etc. in time.
- 5. CVO, CCI and C&MD, CCI attended CVC's Annual Sectoral Review Meeting with Secretaries/Chief Executives and CVO's of the Ministries Departments Organizations held on 06.10.2016 at Kolkata.
- 6. Vigilance Awareness Week was celebrated from 31st October (Monday), 2016 to 5th November, 2016 in CCI's Corporate Office, Units, Regions, etc. As a part of celebration of VAW in CCI, Corporate Vigilance Department brought out a "Special News Letter" containing various system improvements suggested by Vigilance as a result of preventive checks conducted by them in different areas. Ahandout on Preventive Vigilance/Whistle Blower Mechanism/other Anti-corruption measures was prepared by the Corporate Vigilance and distributed at Corporate Office/Units/Marketing Offices and in Gram Sabhas.





18. E-PROCUREMENT / INTEGRITY PACT

The e-procurement has been implemented in the Organization. An Agreement has been signed with M/s MSTC, New Delhi for using their portal for e-procurement services.

A format of vendors registration has been uploaded on CCI website with a publication in well circulated newspapers inviting the registration of vendors.

Accordingly, the vendors are registered both at units as well as at Corporate Office, as and when they apply.

The Integrity Pact implementation is under process.

19. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The Company has adequate internal financial controls system for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the Company's policies, safeguarding of its assets and prevention of frauds accurate and prompt financial reporting, for compliances and improve the effectiveness of risk management towards good corporate governance.

Internal auditors are appointed by Audit Committee duly approved by Board of Directors of the company. The reports containing significant audit findings are periodically submitted to management and Audit Committee of the company. Based on report of Internal Auditor corrective action in respective areas are undertaken and thereby strengthen the control.

The company has adequate internal control measures in the form of various codes, manuals and procedures issued by the management covering all important activities i.e. Marketing Manual, Purchase and Works manual, Material, Stores, Accounts and Personal Manual etc. The marketing manual has been updated, however management has taken steps to update all other manuals time to time for better check and control.

20. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

No govt. loans, guarantees or investments are made under section 186 of the Companies Act, 2013 during the year 2016-17.

21. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND THE PRACTICING COMPANY SECRETARY INTHEIR REPORTS:

Management's reply to the Statutory Audit Report and Secretarial Audit Report are part of Directors' Report.

22. PARTICULARS OF CONTRACTS OF ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES:

There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

23. COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES:

CCI is a CPSE where policy relating to appointment, remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government of India.

24. ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is attached to this Report.

25. NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company has conducted seven (7) Board Meetings during the financial year under review.

26. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report is attached with this report and forms part of Annual Report of the Company.

27. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 the Board hereby submit its responsibility Statement:—

- in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and

Statement of profit and loss of the company for that period;

- (c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Internal financial control means the policies and procedures adopted by the Company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information.
- (f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

28. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

29. DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposits during the year under review.

30. DIRECTORS

The following directors were appointed/ resigned during the year 2016-17.

- Shri Mahender Gupta, Independent Director joined the Board w.e.f. 29.06.2016.
- Shri Vishwajit Sahay ceased to be Director of the Company w.e.f. 16.09.2016. The company places on record, its appreciation for his guidance and

- contribution during his association with the Company.
- Shri Pravin Kumar, Director, Department of Heavy Industry joined as part time official Director (Govt. nominee) the Board w.e.f. 16.09.2016.
- Shri Pravin Kumar ceased to be part time official Director (Govt. nominee) of the Company w.e.f 27.02.2017. The company places on record, its appreciation for his guidance and contribution during his association with the Company.
- Smt. Ritu Pande, Director, Department of Heavy Industry joined the Board as part time official Director (Govt. nominee) w.e.f. 27.02.2017.

31. DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

Shri Mahender Gupta joined the Board as Independent Director w.e.f. 29.06.2016 and has given Declaration of Independence under Section 149 (7) of the Companies Act, 2013.

32. LINKS TO COMPANY WEBSITE

Annual Reports as well as various policies of the Company are posted on the Company's website www.cciltd.in

33. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has always been endeavored in implementation of Right to Information (RTI) Act, 2005 in letter and spirit. The Company has designated Public Information Officers (PIO) Officers and Appellate Authorities and Transparency Officer under Section 5 and Section 19(1) of the RTI Act. The provisions under the Act are being complied with by all the Plants and Units of the Company.

An exclusive RTI Corner has been developed with link being available on website of the Company. Details of Authorities, PIO, First Appellate Authority & Transparency Officer have also been made available on the website of the Company.

34. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

From time to time we are receiving export enquiries from different parties. Due to locational disadvantage for our plants, which are far away from sea ports, out inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on



सी सी आई CCi

export front, to avail the opportunity, as and when arises. However, entire production of cement is being sold in the domestic market.

35. AUDITORS:

STATUTORY AUDITORS

M/s. Kapoor Bhushan & Co., Chartered Accountant Delhi were appointed as Principal Statutory Auditors for the year 2016-17 and M/s. S.K. Tanwani & Co., M/s. Jhanwar & Co, M/s. Gopal & Rajan, M/s. P Gaggar & Associates, M/s Satyanarayan & Co., M/s P P Bansal & Co., M/s DCG & Co., M/s. N. Sambashiv & Co. were appointed as Branch Auditors. The report of the statutory auditors and reply thereto, and comments of the Comptroller & Auditor General of India are annexed to this report.

COST AUDITORS

M/s. Jugal K Puri & Associates, Cost Accountants, Delhi were appointed as Lead Cost Auditor of the Corporation and also Cost Auditor of Rajban, M/s S. Dhal & Co., Cost Accountant for Bokajan and M/s S. P. Kumar & Associates, Cost Accountants for Tandur Unit for the year 2016-17.

SECRETARIAL AUDITORS

In terms of the provision of Section 204 of the Act read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board has appointed M/s. Amit Aggarwal & Associates, Company Secretaries, New Delhi as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit of your Company for the financial year ended 31st March, 2017. The report of the Secretarial Auditors is attached as Annexure. In respect of the comments made by the Secretarial Auditors in their report, your Directors have clarified as under:

"The Composition of Board of Directors/ Audit committee could not be duly constituted as per the provisions of the Companies Act, 2013 and as per DPE guidelines due to lack of required Independent Director on the Board. Request to fill the vacancies were sent to Administrative Ministry. However the Administrative Ministry has appointed one Part-time non-official director (Independent Director) on the Board of CCI w.e.f. 29.06.2016."

36. DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following Directors:

- Shri Mahender Gupta (Independent Director), Chairman.
- b. Shri A.M. Manichan, Member.
- c. Shri. B.V.N. Prasad, Member

The Company has Whistle Blower Policy as approved by Board of Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairperson of the Audit Committee, who are competent authority under the Whistle Blower Policy of the company on reporting issues concerning the interests of employees and the Company. The Whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.cciltd.in.

37. ACKNOWLEDGEMENTS

Board acknowledges the support and guidance your Corporation received from Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt. of India and also the support and cooperation of the Ministry of Railways, DGS&D, PESB, , BIFR, Financial Institutions, Bankers and other Central and State Government Departments. We extend our gratitude to our esteemed customers both in Govt. and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

The Directors are thankful to M/s Kapoor Bhushan & Co., Chartered Accountants, Comptroller & Auditor General of India and Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board-II. The Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedication of employees of the Corporation.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-(MANOJ MISRA) CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Date: 12th September, 2017

Place: New Delhi

CSR ACTIVITIES

1. Abrief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy:

CCI's CSR & Sustainability Policy is envisaged as "A commitment to meet its social obligations by playing an active role to improve the quality of life of the communities and stakeholders on a sustainable basis, preferably in the project areas where it is operating".

CCI integrates and align its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act, 2013 and Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Govt. of India. The CSR & Sustainability activities will be imbibed by the employees at all levels and it should permeate into all activities, processes, operations and transactions of CCI.

Web-link address to the CSR Policy is: http://cciltd.in/page.php?id=194

2. The Composition of the CSR Committee.

The Corporate Social Responsibility committee at the Board level consists of the following directors:

- a) Shri Mahender Gupta, Chairman
- b) Shri A. M. Manichan (Govt. Nominee)
- c) Shri B.V.N.Prasad, Director(HR)
- 3. Average net profits of the company for the last three financial years: ₹3660 lakhs
- 4. Prescribed CSR expenditure (2% of the amount as in item 3 above): ₹73 lakhs
- 5. Details of CSR spent during the financial year:
 - (a) Total amount to be spent for the financial year:
 - (b) Amount unspent, if any: ₹<u>73 lakhs</u>
 - (c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

(₹ in Lakh)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
S. No	CSR project or activity identified	Projects or programs (1) Local area or other	Amount outlay (budget) project	Amount spent	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(S. Sakthimani) Dir. (Fin.)/CFO (Manoj Misra) C&MD





Particulars are required under Companies (Disclosure of particulars in the report of the Board of Directors) Rules 1988.

A. Conservation of Energy (2016-17)

BOKAJAN

- Power Consumption is being monitored on daily basis.
- Idle Running of Equipments has been controlled and minimized.
- ➤ High Wattage old Luminaries are being replaced with LED bulbs & fixtures

RAJBAN

- > Compressor for raw mill F.K. pump 22102, the existing motor of 214 H.P. has been replaced with 200 H.P.
- Compression House Blending Aeration compressor 200/250 H.P. motor has been replaced with 150 H.P. motor
- Cement Mill Exhaust Fan motor of 10 H.P. has been replaced with energy efficient 10 H.P. motor.
- Installation of L.E.D. lights at colony, Guest house, Admin. Building, Main gate, Time office, M & S Deptt. MM Deptt. Production Deptt. Auto Section and up to Mech. Workshop have been completed.
- Plant Road lights lamps have been replaced with LED lights.
- For providing solar lights at CCI Rajban colony & Nadi Colony feasibility has been assessed by M/s Relyan Power, Delhi Report is awaited.

TANDUR

- Replacement of 40 watt TL fittings with 20 watt LED tubes. 400 nos& conventional MV/SV street light with 40 W LED fittings – 100 nos.
- 2. Installation & commissioning of cooler ESP in place of MCDC.
- 3. Various energy conservation projects have been undertaken such as:-
 - Insulation of various ducts and ESP
 - > Installing multi channel burner in place of conventional burner.
 - Installation of High efficiency fans
 - > Replacement of top stage twin cyclone by high efficiency low pressure cyclone
 - Dynamic separator in coal mill
- (A) All the three Operating units are ISO 9001 certified. Tandur unit is SA 8000 certified also.
- B. Total Energy consumption and energy consumption per unit of production

1.	<u>Electricity</u>	(2016-2017)	(2015-2016)	
		(Operating Units only)	(Operating Units only)	

(a) Purchased

(i) Units (in lakhs)	1081.49	1148.02
(ii) Total Amount (in lakhs)	6417*	6640
(iii) Rate per Unit	5.93	5.78

Own Generation (b)

(i) Through Diesel Generations Unit (KWH)	126932	96253
(ii) Unit/liter of diesel oil (KWH/liter)	2.56	2.24
(iii) Cost per Unit (₹/KWH)	18.66	20.08
Coal		

2.

i)	Qty. Consumed (tonne)	170208	196331
ii)	Total cost (₹ in lakhs)	9170	10038
iii)	Average rate (₹/MT)	5387.65	5112.78

3. **Consumption per unit of Production**

i)	Electricity (KWH/Tonne of Packed Cement incl. township)	136.81	125.76
ii)	Booked coal (Kg/Kg of clinker/Production)	0.2251	0.23
iii)	Coal quality (UHV) (K.Cal/kg. of coal)	4462.47	4366

^{*}Excluding arrear in power bill of ₹12.31 Crore of Bokajan Unit.

Technology absorption (C)

- 1. Research and development (R&D)
 - Specific Areas in which R&D was carried out by the company Quality control/improvement activities as mentioned in point no. 2 are undertaken.
 - (ii) Benefits derived as a result of the R&D. Proper maintenance of quality of cement.
 - Further plan of action.
- Technology Absorption, Adoption & innovation: As no technology was imported in the year, the information on 2. absorption, adoption and innovation is Nil.

Expenditure on R&D (2016-17)

nditu	ıre on R&D (2016-17)		(₹in crores)
a)	Capital	-	
b)	Revenue	-	0.00
c)	Total	-	0.00
d)	Total R&D Exp. as a % of total turnover	-	0.00

C. **Foreign Exchange Earning and Outgo:**

From time to time we are receiving export enquiries from different parties. Due to locational disadvantage for our plants, which are far away from sea ports, out inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. However, entire production of cement is being sold in the domestic market.





FORM NO. MGT-9 EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on 31 March, 2017

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

1. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

- i) CIN:- U74899DL1965GOI004322
- ii) Registration Date:- 18/01/1965
- iii) Name of the Company: CEMENT CORPORATION OF INDIALIMITED
- iv) Category/ Sub-Category of the Company:- MANUFACTURING SECTOR
- v) Address of the Registered office and contacts details:-CORE-5, SCOPE COMPLEX, 7 LODHI ROAD NEW DELHI-110003
- vi) Whether listed company Yes / No:- No
- vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, If any:- N.A.

2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

	SI . No.	Name and Description of the main products/ services	NIC Code of the Product/ services	% to total turnover of the company
	1	Cement	2394	100%
ĺ	2	Clinker	2394	

3. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. NO	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING / SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
	NIL				

4. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category – wise Share Holding

Category of Shareholders				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year	
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A) Promoters									
(1) Indian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(a) Individual/ HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(b) Central Govt Equity Shares Preference Shares		45,59,749 35,54,325	45,59,749 35,54,325	100% 100%		45,59,749 35,54,325	45,59,749 35,54,325		NIL
(c) State Govt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(d) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(e) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	
(f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub- total(A) (1):-	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	
(2) Foreign									
a) NRIs- Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Bank/FI	0	0	0	0					
e) Any other	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub- total (A) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total shareholding of Promoter (A)=(A)(1)+ (A)(2)	0		0	0	0	0	0	0	
A. Public share holding									
1.Institutions									
a) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Central Govt. /State	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) Insurance Companies	0	0	0	0	0	0	0	0	
f) FIIs	0	0	0	0	0	0	0	0	
g) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
h) Others (specify	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stressed Asset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total (B) (1):- 2. Non- Institutions	0	0	0	0	0	0	0	0	





a) Bodies Corp. (Indian & Overseas)	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Individuals									
(i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) others (Specify)									
Trusts	0	0	0	0	0	0	0	0	
NRI & Foreign Corporate Bodies	0	0	0	0	0	0	0	0	
c-ii) Clearing Members	0	0	0	0	0	0	0	0	
HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total (B) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Shares held by Custodian for GDR&ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grand Total (A+B+C)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	NIL

(ii) Shareholding of Promoters

SI No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Sharehold the year	Shareholding at the end of the year		
		No. of shares	% of total shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of Pledged/ encumb- ered to total shares	% change Shareholding during the year
1.	Central Govt.	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL
	Total	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

SI. NO.			Shareholding at the Beginning of the year		tive Shareholding he year	
		No. Of Shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company	
	At the beginning of the year		NO CHANGE			
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reason for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):					
	At the end of the year					

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

SI. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Top 10 Shareholders	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):				NIL
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

SI No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulated during to	tive Shareholding he year
	For Each of the Directors and KMP	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment /transfer/bonus/sweat equity etc):				NIL
	At the End of the year				





5. INDEBTNESS

Indebtness of the Company including interest outstanding/accrues but not due for payment

(₹in Lakhs)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtness
Indebtness at the beginning of the financial i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	_ _ _	18790 18548 —	_ _ _	18790 18548 —
Total (i+ii+iii)		37338		37338
Change in Indebtness during the financial year · Addition · Reduction	_	7738	l	7738
Net Change	_	7738	-	7738
Indebtness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	_ _ _	17215 12385 —	_ _ _	17215 12385 —
Total (i+ii+iii)		29600		29600

6. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole – time Directors and/or Manager:

(₹in Lakhs)

SI No.	Particulars of Remuneration	NAME OF MD/	WTD/Manager		
		Sh. Manoj Misra	Sh. B.V.N. Prasad	Sh. S. Sakthimani	Total Amount
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17 (1) of the Income tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17 (2) Income –tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	28.96 — —	26.39 — —	22.84 — —	78.19 — —
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Others , please specify (i) Contribution to PF (ii) Medical Reimbursement	2.51 1.19	2.35 0.24	2.03 0.10	6.89 1.53
	Total (A) Ceiling as per the Act	32.66	28.98	24.97	86.61

B. Remuneration to other directors:

(₹in Lakhs)

SI No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount
		Shri Mahender Gupta (w.e.f. 29.06.16)		-	
	 3. Independent Directors Fee for attending board committee meetings Commission Others, please specify 	0.72			0.72
	Total (1)	0.72	-	-	0.72
	 4. Other Non-Executive Directors(BIFR Nominee) Fee for attending board committee meetings Commission Others, please specify 				
	Total (2)	0.00	-	-	0.00
	Total (b)=(1+2)	0.72			0.72
	Total Managerial Remuneration				
	Overall Ceiling as per the Act				

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

(₹ in Lakhs)

S.N.	Particulars of Remuneration	Ke	ey Managerial Person	nel
		CEO/ C&MD	COMPANY SECRETARY	Dir(Fin.) /CFO
		Sh. Manoj Misra	Sh. Ajay Kumar Sharma	Sh. S. Sakthimani (w.e.f. 26.04.2016)
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions	28.96	11.97	22.84
2.	Stock Option		-	-
3.	Sweat Equity		-	-
4.	Commission - As % of profit - Others, specify		-	-
5.	Others, please specify			
	(i) Contribution to PF(ii) Medical Reimbursement	2.51 1.19	1.16 1.09	2.03 0.10
	Total	32.66	14.22	24.97





7. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Туре	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/Punishment /Compounding fees imposed	Authority[RD/ NCLT/COURT]	Appeal made, if any (give details)		
A. COMPANY							
Penalty							
Compounding							
B. DIRECTOR	S						
Penalty							
Punishment			N	li l			
Compounding							
C. OTHER OFF	FICERS IN DEFAULT						
Penalty							
Compounding							

CS

Amit Agrawal & Associates

Company Secretaries

Office: H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA Ph.:+91 - 11 - 22024525, 43019279, Mob.:+91 - 9811272307

E-mail: amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

То

The Members of Cement Corporation of India Limited, Core-5, Scope Complex 7-Lodhi Road, New Delhi - 110003

Sir/Madam

Our report in form no. MR-3 of even date is to be read along with this letter.

- Maintenance of sceretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
- We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.

- 4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
- 5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
- 6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Amit Agrawal & Associates (Company Secretaries)

Sd/-(CS Amit Agrawal) Practicing Company Secretary Membership No. 5311 CP No. 3647

Place: Delhi Date: 04.07.2017





CS

Amit Agrawal & Associates Company Secretaries

Office: H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA Ph.: +91 - 11 - 22024525, 43019279, Mob.: + 91 - 9811272307

E-mail: amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

Form No. MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To.

The Members, Cement Corporation of India Limited Core -5, Scope Complex

7-Lodhi Road

New Delhi-110003

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable Statutory provisions and the adherence to good corporate practices by M/s. Cement Corporation of India Limited (hereinafter called the Company) having its registered office at Core -5, Scope Complex. 7, Lodhi Road, New Delhi-110003 Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the M/s. Cement Corporation of India Limited books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during, the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the company has, during the Audit period covering the financial year ended on 31st March, 2017 complied with the Statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by M/s. Cement Corporation of India Limited for the financial year ended on 31st March, 2017 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under:

- (ii) The Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (iii) Other laws applicable specifically to the Company namely:
- a) Payment of Wages Act and Minimum wages Acts
- b) Payment of Gratuity Act:
- c) Equal Remuneration Act 1976;
- d) National & Festival Holidays Act;
- e) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970:
- f) Maternity Benefit Act 1961;
- g) Employees Provident Fund Act 1952;
- h) Employee State Insurance Act:
- i) Air (Prevention and Control of Pollution) Act;
- j) Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974;
- k) Environment (Protection) Act 1986:
- Indian Stamp Act to the extent applicable to the issue of Securities under the Companies Act, 2013:

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to our below observation.

a. As per the DPE guidelines the Audit Committee shall have minimum three Directors as members and two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. But the company have only one Independent Director;

However, during the period under review, provisions of the following regulations were not applicable to

the Company. Hence, comments are not required to be made in respect of these clauses:

- The Rules, Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEB1 Act') as no issue of bond has been made during the year under scrutiny.
- II. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and Rules made there under as no issue of bond has been made during the year;
- III. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- iv. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
- v The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009
- vi. The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
- vii. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) regulations, 2009;
- viii The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998.

I further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Director except Independent Directors given in observation below:

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda

Place: Delhi Date: 04.07.2017 were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

Our Observations:

a. As per the DPE guidelines the Audit Committee shall have minimum three Directors as members and Two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. But the company have only one Independent Director;

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that the compliance by the company of applicable financial laws like direct and indirect tax laws and maintenance of financial records and books of accounts has not been reviewed in this Audit since the same have been subject to review by statutory financial audit by other designated professional.

We further report that during the audit period, the company has provide details of specific events/actions having a major bearing on the company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. referred to above).

For Amit Agrawal & Associates (Company Secretaries)

Sd/-(CS Amit Agrawal) Practicing Company Secretary Membership No. 5311 CP No. 3647

In respect of the comments made by the Secretarial Auditors in their report, your Directors have clarified as under:

"The composition of the Board of Directors/ Audit Committee could not be duly constituted as per provisions of the Companies Act, 2013 and as per DPE Guidelines due to lack of required Independent Directors/Woman Director on the Board. Requests to fill the vacancies were

sent to Administrative Ministry. However, the Administrative Ministry has appointed one Part-time non-official (Independent Director) on the Board of CCI w.e.f. 29.06.2016.





REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance:

The Board firmly believes that good Corporate Governance is fundamental in ensuring that the company is well managed in the interest of all of its stakeholders. The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is that Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based on its stated belief and the guidelines that Government of India issues from time to time should go a long way to enhance the value for all stakeholders i.e. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies/Departments and the society at large.

The Corporation believes that its operations and actions must serve the underlying goal of enhancing the interests of its stakeholders over a sustained period of time, in a socially responsible way.

The Company is committed to conforming to the highest standards of Corporate Governance.

2. Board of Directors:

i. Constitution of the Board:

Cement Corporation of India Limited is a Government company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the company, the power to appoint directors rests with the President of India. The strength of the Board shall not be less than 3 Directors and not more than 12. The number of independent directors shall not be less than one third of the actual strength of the Board.

ii. Composition of Board:

As on 31st March 2017, the Board of CCI comprised of six (6) Directors out of which three are functional directors including the Chairman & Managing Director and two Part-time official Directors, who are nominees of the Administrative Ministry, Government of India and one Independent Director.

The name and categories of Directors, their attendance in Board Meeting held during the year and at the last Annual General Meeting as well as the number of Directorship and Committee (Audit Committee) positions are given in Table 1.

Table 1: Categories of Directors and the Directorship and Committee positions held by them

SI. No.	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure of Directors	No. of Board Meeting Attended	Attendance in AGM (held on 27.09.2016)	No. of Directorship held as on 31.03.2017	No. of Committee membership held in other companies as on 31.03.2017
Func	Functional Directors:					
1.	Shri Manoj Misra, Chairman & Managing Director	7	7	Yes	NIL	NIL
2.	Shri B. V. N. Prasad, Director (Human Resources)	7	7	Yes	NIL	NIL
3.	Shri S. Sakthimani Director (Finance)	7	7	Yes	NIL	NIL

Government Nominee Directors:						
4.	Shri Vishvajit Sahay (upto 16.09.2016)	3	3	N.A	N.A	NIL
5.	Shri A. M. Manichan	7	6	Yes	4	NIL
6.	Shri. Pravin Kumar (w.e.f.16.09.2016 and upto 27.02.2017)	4	3	N.A	NIL	NIL
7.	Smt. Ritu Pande (w.e.f 27.02.2017)	1	1	N.A	4	NIL
Independent Director						
8.	Shri. Mahender Gupta (w.e.f 29.06.2016)	6	5	Yes	NIL	NIL

The company held seven Board Meetings i.e. on 26.04.2016, 14.07.2016, 05.08.2016, 23.09.2016, 07.12.2016, 23.01.2017 and 22.02.2017 during the year under report and time gap between two Board Meetings was not more than three months.

iii. Scheduling and selection of agenda items for Board/Committee meetings:

- The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/Committee. Detailed agenda notes, management reports, and other explanatory statements are circulated in advance among the members to facilitate meaningful, informed, and focused decisions during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation in due compliance with applicable provisions whether enunciated in the Act or its Articles.
- Wherever it is not practical to attach any document to the agenda notes due to its confidential nature, or in special and exceptional circumstances, additional or supplemental items, such papers are placed on the table in the meeting.
- The agenda papers are circulated after obtaining the approval of the functional director/CMD.
- Presentations are made in the Board/Committees meetings on matters related to Finance, Operations, Human Resources, etc. to enable members to take informed decisions.
- The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also free to recommend any issue that it may consider important for inclusion in the agenda. Senior management officials are called to provide additional inputs to the items being discussed by the Board, as and when necessary.

Recording of minutes of the Board/Committee meetings: iv.

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meeting are duly recorded in the Minutes Book. The minutes of each Board meeting are circulated among Board members in the next Board meeting for their confirmation. The minutes of committee of the Board are also placed before the Board for its information.

Follow-up mechanism:

An action-taken report on the important decisions of the Board/Committee members is presented in subsequent meetings. This acts as an effective follow-up, review and report process.

vi. Compliance:

It is our endeavor to ensure that all applicable provisions of law, rules, and guidelines are adhered to while preparing the agenda notes. The Company ensures compliance of all the applicable provisions of the Companies Act and various other statutory requirements under different laws. The requisite information is regularly provided to the Board as detailed below:-





- Capital budgets, Annual Plan, MOU
- Minutes of the meetings of the Audit Committee and other Committees of the Board.
- Show cause, demand, prosecution notices, and penalty notices, if any, which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences.
- Major investments, formation of subsidiaries, joint ventures, and strategic Alliances.
- Disclosure of interest by Directors about directorships and committee positions occupied by them in other companies/firms, etc.
- Award of large contracts.
- Other items in accordance with the law and DPE Guidelines.
- Quarterly Compliance certificate of statutory provisions.
- Other matters desired by the Board from time to time.

vii. Non-Executive Directors' compensation and disclosures:

The Company did not pay sitting fee to Government Nominee Directors. However, the independent Directors were paid sitting fees at the rate of ₹ 6000/- (₹ Six thousand only) per meeting and out of pocket expenses for attending the meeting of Board of Directors and Committees thereof respectively during the financial year 2016-17.

viii. Directorship and Membership in Committee of Board of Directors of other Companies held

SI. No.	Name of Directors	Category	Directorship in other companies / Disclosures (2016-17)				
Func	Functional Directors:						
1.	Shri Manoj Misra,Chairman & Managing Director	Chairman cum Managing Director	NIL				
2.	Shri B. V. N. Prasad, Director (Human Resources)	Director (HR)	NIL				
3.	Shri S. Sakthimani (Director (Finance)	Director (Fin)	NIL				
Gove	Government Nominee Directors						
4.	Shri Vishvajit Sahay (upto 16.09.2016)	Govt. Nominee Director	 Heavy Engineering Corporation Limited H.M.T. Limited. H.M.T. (International) Limited. HMT Machine Tools Limited Engineering Projects (India) Limited Tumakuru Machine Tool Park 				
5.	Shri A.M. Manichan	Govt. Nominee Director	 Instrumentation Limited Scooter India Ltd. Hindustan Cables Ltd The Braithwaite Burn And Jessop Construction Company Limited 				
6.	Shri. Pravin Kumar (w.e.f 16.09.2016 and upto 27.02.2017)	Govt. Nominee Director	NIL				
7.	Smt. Ritu Pande (w.e.f 27.02.2017)	Govt. Nominee Director	 Instrumentation Limited Rajasthan Electronics And Instruments Ltd TungabhadraSteel Products Limited BHEL Electrical Machines Limited 				
Indep	Independent Director						
8.	Shri. Mahender Gupta (w.e.f. 29.06.2016)	Independent Director	Continental Hygiene Concepts (Partner)				

ix. Training of Board Members

CCI takes initiatives to train its Board members about CCI's profile, business, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of CCI are imparted to part-time Directors on the Board of CCI {(official) and (non-official)}, as the case may be} by the management of CCI from time to time.

x. Code of Conduct

The company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations. It is confirmed that the Board members and Sr. Management Personnel have affirmed compliance with Code of Conduct during the year 2016-17.

xi. Policies for Risk Assessment & Minimization

The risk management system is an integrated part and aligned with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

3. Audit Committee

As per the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013, the Company is having an Audit Committee consisting of the following Directors:-

- 1) Shri. Mahender Gupta (Independent Director) as Chairman
- 2) Shri B.V.N. Prasad, Director (HR) as Member
- 3) Shri A.M. Manichan (Govt. nominee) as Member

The above Audit Committee was reconstituted on 14.07.2016 consisting of Shri. Mahender Gupta as Chairman, Shri A.M. Manichan and Shri . B.V.N. Prasad as Members.

The Audit Committee has the powers, role and terms of reference in accordance with the Companies Act, 2013 and the Guidelines on Corporate Governance as issued by Department of Public Enterprises.

During the year 2016-17, four Audit Committee Meetings were held on 14.07.2016, 23.09.2016, 07.12.2016 and 23.01.2017 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended	
1. Shri. Mahender Gupta**	4	4	
2. Shri B.V.N. Prasad	4	4	
3. Shri A.M. Manichan	4	3	

^{*} Independent Director Shri Mahender Gupta was appointed on the Board of Directors of CCI as on 29.06.2016.

4. Remuneration Committee

Being a Government Company, Remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government and as per the terms and conditions of their appointment / contract. However, Department of Public Enterprises has directed that each CPSE shall constitute a Remuneration Committee headed by a Part-time Non-official Director which will decide the Annual Bonus/Variable pay policy for its distribution across the Employees.



^{**} Audit Committee was reconstituted on 14.07.2016 consisting of Shri. Mahender Gupta as Chairman, Shri A.M. Manichan and Shri . B.V.N. Prasad as Members.



The Remuneration Committee was reconstituted on 14.07.2016 as follows:

- 1) Shri Mahender Gupta (Independent Director) as Chairman
- 2) Shri A.M. Manichan (Govt. nominee Director) as Member
- 3) Shri B. V. N. Prasad (Director, HR) as Member

Detail of Remuneration paid to Functional Directors:

Details of remuneration paid to functional Directors of the Company for the year 2016-17 are given below:-

(₹ In lakhs)

SI. No.	Name	Salary including DA & HRA	Other Benefits	Performance incentives	Value of Perquisites	Medical Reimburse ment	Contribution to PF & Other Funds	Total
1.	Shri Manoj Misra	23.76	5.20	0.00	0.00	1.19	2.51	32.66
2.	Shri B.V.N. Prasad	22.35	4.04	0.00	0.00	0.24	2.35	28.98
3.	Shri S. Sakthimani	19.32	3.52	0.00	0.00	0.10	2.03	24.97
	Total	65.43	12.76	0.00	0.00	1.53	6.89	86.61

5. Stakeholders Relationship Committee

Cement Corporation of India Limited is an Unlisted Government Company and the entire share capital is held by Hon'ble President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

6. Meeting of Independent Directors

Since there is the only one independent director on the board of the Company, the meeting of Independent Directors could not be held.

7. Subsidiary Companies

The Company has no Subsidiary Company.

8. Annual General Meeting

Details of Annual General Meetings for the last three years are given hereunder:-

AGM	50 th AGM	51st AGM	52 nd AGM
Date & Time	16 th September, 2014	30 th September, 2015	27 th September, 2016
	at 12.45 PM	at 12.30 PM	at 12.15 PM
Location	Scope Complex,Lodhi	Scope Complex, Lodhi	Scope Complex,Lodhi
	Road, New Delhi-110003	Road,New Delhi-110003	Road, New Delhi-110003
Special Resolution(s) passed	No	No	No

9. Disclosures

I. Related Party Transactions:

The Company has not entered into any significant related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 188 of the Companies Act, 2013) having potential interest with the Company at large.

II. Compliance of Laws:

The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE) in May 2010.

The Company has not been imposed penalty by any statutory authority owing to non-compliance under laws, during the last three years.

There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.

III. Accounting Treatment:

The company followed the accounting standards as prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India subject to the comments & observations as given by the Statutory Auditors in its Report for the financial Statement prepared for the financial year ended as on 31st March, 2017.

IV. President Directives:

The company has not received any Presidential directives during the financial year 2016-17 and last three years.

10. Vigilance

CCI, being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance, CCI has a Vigilance Department, headed by CVO.

11. Means of communication

Annual financial performance is posted on the Company's website. www.cciltd.in The Company also hosts official news on significant corporate decisions and activities on the website of CCI from time to time.

12. Whistle Blower Policy:

The company has established a mechanism for employees to report concern about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of policy. The employees have direct access to the CMD & Chairperson, Audit Committee who are the competent Authority under the Whistle Blower Policy of the company. The whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.cciltd.in

13. Compliance Certificate:

Certificate from Ws Amit Agrawal & Associates, Company Secretaries in Whole Time Practice confirming the compliance subject to their remarks and observation thereon with the Conditions of Corporate Governance as stipulated under the guidelines issued by Department of Public Enterprises forms part of the Annual Report for the financial year 2016-17 which is **Annexed** herewith.

for and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi

Date: 12thSeptember, 2017

Sd/-(Manoj Misra) (Chairman & Managing Director)





CS

Amit Agrawal & Associates Company Secretaries

Office: H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA

Ph.: +91 - 11 - 22024525, 43019279, Mob.: + 91 - 9811272307

E-mail: amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of
Cement Corporation of India Limited,
New Delhi - 110003

- We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Cement Corporation of India Limited, having its registered office at Core -5, Scope Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003, for the financial year ended on 31.03.2017, as stipulated in guidelines issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt of India, May,2010 (as amended from time to time).
- The compliance of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementations thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the company.
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the company has complied with the

- conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned DPE guidelines except the following:
- There was one Independent Director on the Board of Company duing the finacial year 2016-17.
- b. As per the DPE guidlines, the Audit Committee shall have minimum three Directors as members and Two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. But the company has only one Independent Director.
- 4. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company not the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For Amit Agrawal & Associates (Company Secretaries)

Sd/-FCS Amit Agrawal (Proprietor) CP No. 3647

Place: Delhi Date: 04.07.2017

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Overview and Outlook

India continued to be a bright spot with annual GDP growth rate of 7.1%, primarily with improved performance of agricultural sector backed by good monsoons and Government's public spending programs, wherein, Global economy continued to be sluggish during F/Y 16-17, thereby reducing world economic growth to 3.1% from 3.4% of last year. The foreign exchange reserves stood at USD 370 million at Mar 17' end. India's GDP growth rate is expected to be stable during F/Y 17-18 also. Investors are bullish and markets are buoyant with stock index attaining new peaks. India's global ranking has also improved in competitiveness and innovation index.

The various initiatives and reforms of the present government have built the platformfor quantumleap ahead. The Union budget has brightened prospects for the national economy and result in macroeconomic growth , boost investor confidence and provide fillip to the rural economy. This shall accelerate investment in infrastructure development and housing sector. If 2017 witnesses a normal monsoon, GDP growth is likely to rebound in second half of the F/Y 17-18. Many state governments have also launched ambitious low cost housing plans to meet the dream of "Housing for All" by 2022. The year also witnessed major economic reforms through demonetization which shall usher in greater transparency in financial transactions and a transition towards a cash less economy.

Indian cement industry is the second largest after the china. The cement industry in India registered the lowest volume growth during the last 15 years, While the year started on a positive note for first six months, the second half witnessed sluggish cement demand from the housing segment which accounts for about two thirds of the overall cement consumption. Atotal of 12 MTPA capacity addition took place during F/Y 16-17, with total cement industry capacity increasing to 420 Million Tonnes. The industry average capacity utilisation dropped from 67% of F/Y 15-16 to 65% during the current financial year. While cement plants in northern, central and eastern regions were able to produce at better capacity utilization, excess capacity in south dragged down industry's average capacity utilisation. Cement prices have not shown any perceptible improvement over the last year and fuel price escalation resulted in higher operating costs.

Going forward the cement demand is expected to respond gradually, with the government sponsored affordable housing schemes, housing loan interest rates reduction, continuing infrastructure spending and revival in rural housing demand. However overall the cement industry shall continue to be challenged by excess capacity during F/Y 17-18 also leading to intense competition. The Company is also looking at launching the eco -friendly Portland Pozzolona Cement from its Tandur, Telangana unit.

2. Financial Review and Analysis

Cement Corporation of India continued to be a profitable CPSU, despite a challenging scenario, though the net profit of the Corporation slipped to ₹42.33 crores from the net profit of ₹53.51 crores for F/Y 15-16. The cement production during the year stood at 7.91 lac MT against 9.13 lac MT for the last Financial year with capacity utilization of 55%.

3. Risks and Concerns

The risk management has to take into account business environment, operational controls and compliance procedures. The major risks are assessed through a systemic procedure of risk identification and classification. The risk assessment is not limited to limited to threat analysis but also identifies potential opportunities. The company has identified the following risks for your organization:

a. Primary Raw Material and Energy Cost.

Limestone is the primary raw material required for cement production. All the three operating units of CCI are having their captive mines for limestone shall etc. However coal availability at economic prices affects the energy cost as cement is an energy intensive industry. The fuel prices have continued to rise during the year driven by global demand scenario. We are also in the process of using a mix of pet coke to ease the pressure of coal price increases.

CCI is also the process of installing energy saving equipments to reduce power consumptions. The other measures undertaken for energy conservation include replacements of energy inefficient motors with energy efficient ones, installation of demand





controllers for effective control of maximum demand and arresting leakages in pre-heater tower to maintain oxygen percentage at optimal level. Conventional lights are being replaced by energy efficient LED lights and solar plants are also in the pipeline to reduce energy cost and reduce carbon footprint of the organization.

- b. Low Demand and Overcapacity: The cement industry continues to be plagued with overcapacity particularly in Southern markets. This is likely to maintain pressure on cement prices thereby impacting bottom lines.
- c. Competition: With the entry of new players in the cement market and capacity expansion by the existing players, competition in Indian cement market which is the world's second largest continues to be a reality. The increased competition may create pressures on margins and market shares. CCI continues to enhance its brand equity through enhanced marketing activities and also endeavours to maintain high standards of quality, delivery schedules and customer satisfaction.
- d. Project Execution: Your Company has undertaken expansion of Bokajan unit in the cement deficit North Eastern Region of the country. This expansion project is exposed to the risk of time overruns. Any time over run may affect revenue and lost profits for the delayed period.
- e. Human Resources: With continuous superannuation of employees, company's value to deliver value and enhance profitability in a competitive environment, depends on its ability to attract, retain and nurture talent. Conversely attrition and non-availability of suitable talent can affect performance of CCI. We are continuously benchmarking the past HR practices across the industry and making necessary improvements to attract and retain best talent.
- f. Regulatory and Compliance: With the ever evolving regulatory framework in the country, the risk of non-compliance and penalties looms large and carries reputational risks also. The company is regularly reviewing the

changes being brought about in the regulatory framework and necessary action is taken accordingly.

4. Internal Control system

The internal audit team monitors the effectiveness of the internal control systems and reports to the Audit Committee. The recommendations of the internal audit team on improvements in the operating procedures and control systems are also presented to the Audit Committee and the business use these as tools for strengthening the operating procedures.

5. CSR Policy

The company has a Corporate Social Responsibility & Sustainability policy as approved by the Board of Directors.

6. Other disclosures

Chapter-7 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Enterprises (CPSEs) provides that as a part of Directors' Report or as an addition thereto, a Management Discussion and Analysis Report should form part of the Annual Report which includes discussion on various matters within the limits set by the company's competitive position. As regards segment wise and product wise performance, the company deals only in one segment i.e. cement. The topics such as Human Resources, Industrial Relation front and Environmental Protection and conservation, Technological conservation, Foreign Exchange conservation etc. have already been covered in Directors' Report.

Conclusion

The growth prospects of the cement industry are linked to the growth of the economy. The outlook in the short-term remains challenging. However, the long-term driver for cement industry remains intact. Importantly, the government's focus on infrastructure development and housing augur well for the industry.

Cautionary Statement

Statements in this "Management Discussions & Analysis" describing Company's objectives, projections and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable security laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied depending upon economic conditions, Govt. policies and other factors.

What We Earned and How we Spent

(₹ in lakhs)

PARTICULA	RS	2016-17	2015-16	2014-15
1. What we earned				
Sales and despatch	es & clinker transfer	3,36,30	3,92,89	4,02,92
Misc. Income includ	ling exceptional Income	1,08,05	63,24	58,46
Accretion/(Decretion and finished goods	n) to Semi-finished goods	(3,13)	(5,78)	(11,51)
TOTAL		4,41,22	4,50,35	4,49,87
2. How we Spent				
Raw Materials		41,85	50,37	47,79
Stores & packing M	aterials	15,71	18,65	20,37
Emp. Remuneration	& Benefits	76,90	63,65	65,62
Power		77,16	66,83	74,26
Coal & fuel		91,87	1,00,54	1,04,36
Repairs & Maintena	nce	18,31	18,79	18,23
Selling Expenses		33,50	34,36	41,28
Interest		2,25	2,23	2,97
Depreciation		6,65	7,90	6,36
Other Expenses		34,69	33,52	28,55
SUB-TOTAL		3,98,89	3,96,84	4,09,79
Profit/(Loss)		42,33	53,51	40,08
TOTAL		4,41,22	4,50,35	4,49,87

Contribution to Exchequer

PARTICULARS	2016-17	2015-16	2014-15
Excise Duty	33,96	31,90	34,28
Sales Tax	48,44	55,39	49,54
Royalty & Cess	11,53	11,47	9,88
TOTAL	93,93	98,76	93,70





Sources & Application of Funds

	<u>2016-</u>	<u>17</u>	<u>2015-1</u>	<u>6</u>	2014-	15
PARTICULARS	Sources	Uses	Sources	Uses	Sources	Uses
A. Internal Generation :						
Additions to Reserves & Surplus Depreciation	42,33 6,65	0 0	53,51 7,90	0 0	40,08 6,36	0 83
TOTAL	48,98	0	61,41	0	46,44	83
B. Long term sources & uses						
Share Capital	0	0	0	0	0	0
Long term loans	0	15,75	0	0	0	0
Investments	0	0	0	0	0	0
Additions to Fixed Assets	0	12,76	0	4,01	0	7,81
TOTAL	0 _	28,51	0	4,01	0	7,81
C. Short Term Sources & uses						
Increase/(Decrease) in working capital	0	20,25	0	56,03	0	37,71
Deferred Revenue Expn. written off	0	22	0	1,37	0	9
TOTAL	0	20,47	0	57,40		37,80
Summary						
Internal Generation	48,98	0	61,41	0	46,44	83
Long term sources & uses	0	28,51	0	4,01	0	7,81
Short term sources & uses	0	20,47	0	57,40	0	37,80
TOTAL	48,98	48,98	61,41	61,41	46,44	46,44

Value Added Statement

PARTICULARS	2016-17	2015-16	2014-15
Value of Production, Sales & Services	3,33,17	3,87,11	3,91,41
Less : Direct Materials consumed	1,44,01	1,63,06	1,67,91
Value Added	1,89,16	2,24,05	2,23,50
Other Misc. Income incldg. Exceptional Income	1,08,05	63,24	58,46
Distributed as follows :			
Employees :			
Salaries, Wages and other benefits	76,90	63,65	65,62
Suppliers of Materials & Services:			
Stores & Spares	14,69	15,38	13,54
Power	77,16	66,83	74,26
Repairs & Maintenance	9,04	9,91	9,30
Other production expenses	9,13	8,32	8,03
Selling Expenses	33,50	34,36	41,28
Others	25,56	25,20	20,52
TOTAL	1,69,08	1,60,00	1,66,93
Suppliers of Capital:			
Interest on Govt. Loans	0	0	0
Interest on Other Loans	2,25	2,23	2,97
TOTAL	2,25	2,23	2,97
Retained in Business:			
Depreciation for Replacement of Assets	6,65	7,90	6,36
Profit/(Loss)	42,33	53,51	40,08
TOTAL	48,98	61,41	46,44
Average Number of Employees	6,65	7,47	8,13
Value Added per Employee (₹ in lakhs)	28,45	29,99	27,49





Ten Year Digest

PARTICULARS	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
STATEMENT OF PROFIT & LOSS										
Sales & despatches and Accretion/ (Decretion) to stock	33317	38711	39141	31360	30218	35613	30286	33426	32356	29209
Other Income incldg. Exceptional Income	10805	6324	5846	7737	4694	4070	5893	3462	4402	2325
Raw Materials consumed	4185	5037	4779	4116	5137	4899	3969	3630	3412	2883
Stores & packing material consumed	1571	1865	2037	1880	1534	1690	1703	1640	1670	1368
Employees Remuneration & Benefits	7690	6365	6562	6096	5650	6045	4997	4597	5724	3689
Interest	225	223	297	295	446	911	3683	3752	3738	3465
Depreciation	665	790	636	906	811	744	774	899	1107	1150
Other Manufacturing Expenses	25553	25404	26668	24184	20523	23451	18340	17095	15852	14890
Profit (+)/Loss (-)	4233	5351	4008	1620	811	1943	2713	5275	5255	4089
BALANCE SHEET										
Paidup Share Capital*	81141	81141	81141	81141	81141	81140	81140	81140	81140	81140
Reserves & Surplus	(80690)	(84923)	(90274)	(93736)	(95356)	(96167)	(98110)	(100823)	(106098)	(111353)
Loans	29600	37338	37338	37338	37338	37338	37172	46875	44083	44519
Net Fixed Assets	11449	11919	12169	12741	12911	9863	10224	10734	11474	10982
Current Assets	43316	44525	40394	38412	40710	42486	39269	49033	41763	37285
Current Liabilities & Provisions	33481	30552	32026	33813	37033	35737	33137	36059	37404	38116
Capital W.I.P.	6706	5625	5766	5512	4713	3973	2051	1577	1329	2224
Other Assets (Including DRE)	2061	2039	1902	1891	1821	1726	1795	1907	1963	1931
Capital Employed	21284	25890	20535	17338	16588	16612	16356	27533	19499	13179
No. of Employees (Nos.)	665	747	813	907	906	907	988	1078	1159	1460

^{*} Includes Equity Shares of ₹ 45,598 Lakhs and Reedemable Pref. Share of ₹ 35,543 Lakhs.

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2017

(₹ in lakhs) **PARTICULARS** NOTE FIGURES AS AT THE FIGURES AS AT THE **END OF PREVIOUS** NO **END OF CURRENT** REPORTING PERIOD REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017 31st MARCH 2016 **EQUITY AND LIABILITIES** (1) SHAREHOLDER'S FUNDS a) Share Capital 8.11.41 8.11.41 1 b) Reserves & Surplus 2 (8.06.90)(8,49,23)SHARE APPLICATION MONEY PENDING 0 **ALLOTMENT** 451 (3782)**NON CURRENT LIABILITIES** a) Long Term Borrowing 3 1,72,15 1,87,90 b) Other Long Term Liabilities 4 2,66,88 3.28.34 c) Long Term Provisions 5 80.43 75,79 5,19,46 5,92,03 **CURRENT LIABILTIES** a) Short Term Borrowings 6 0 0 b) Trade Payables 7 15,59 11,58 c) Other Current Liabilities 8 63.76 49.82 Short Term Provisions 9 32,00 25,47 1,11,35 86,87 **TOTAL** 6,35,32 6,41,08 **II. ASSETS NONCURRENT ASSETS** a) Fixed Assets i) Tangible Assets 10 1,14,49 1,19,19 ii) Capital work in Progress 11 67,06 56,25 iii) Intangible Assets-Under Development 11A 0 0 b) Non-Current Investments 12 2.28 2.28 c) Long term loans and Advances 13 27,52 32,61 d) Other non-current Assets 14 41 88 e) Unamortised expenses 15 18,33 18.11 **TOTAL NONCURRENT ASSETS** 2,30,09 2,29,32 **CURRENT ASSETS** a) Current Investments 16 b) Inventories 17 1,33,52 1.34.95 Trade Receivables 18 12,25 11,39 c)

Significant Accounting Policies, (Notes No. 32) and the accompanying notes no. 1 to 31 forming part of the Financial Statements Sd/- Sd/-

19

20

21

2,16,95

34,15

8,36

4,05,23

6,35,32

Manish Mehta Head of Finance

TOTAL

S. Sakthimani Director (Fin)/CFO

Manoj Misra Chairman & Managing Director

2,31,44

24,28

9,70

4,11,76

6,41,08

As per our report of even date attached For Kapoor Bhushan & Co. Chartered Accountants FRN No. NO-001676N Sd/-(CA P.B. KAPOOR)

Place: New Delhi Dated: 30/06/2017

Cash and Bank Balances

Other Current Assets

TOTAL CURRENT ASSETS

Short Term loans and Advances

Partner Membership No. 010858





STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

. (₹in lakhs)

				(₹in lakhs)
	PARTICULARS	NOTE NO	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016
I	REVENUE Revenue from operations a) Sale of Products (Includes Sale of Clinker ₹ Nil (Previous year ₹ Nil Lakhs) Less:- Excise Duty		3,72,54 36,24 3,36,30	436,23 43,34 3,92,89
П	b) Other Operating Revenues Net from operation Other Income	22	1,14 3,37,44 42,28	13 3,93,02 63,11
Ш	Total Revenues		3,79,72	4,56,13
	EXPENSES Cost of Materials Consumed Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-progress and Stock in Trade Employees Benefits Expenses Other Expenses Finance Cost Depreciation and Amortisation	23 24 25 26 27	41,86 3,13 76,90 2,71,24 2,25 6,64	50,38 5,78 63,65 2,72,69 2,23 7,89
IV	Total Expenses		4,02,02	4,02,62
V	Profit /(Loss) before Exceptional and Extraordinary Items		(22,30)	<u>——</u> 53,51
	Exceptional Items Profit /(Loss) before Extraordinary Items Extraordinary items Profit /(Loss) before tax Tax Expense of Continuing operations Profit/(Loss) for the year from continuing Operations	28(A) 28(C)	64,63 42,33 0 42,33 0 16,60	0 53,51 0 53,51 0 61,38
XII	Profit/(Loss) from discontinuing operations	28(D)	25,73	(7,87)
	I Tax Expense of discontinuing operations / Profit/(Loss) from discontinuing operation After Tax	าร	0 25,73	0 (7,87)
	Profit / (Loss) for the year I Earning Per Share (₹)		42,33 (49)	53,51 1,17

Significant Accounting Policies, (Note No. 32) and the accompanying notes no. 1 to 31 forming part of the Financial Statements

Sd/-Manish Mehta Head of Finance Sd/-S. Sakthimani Director (Fin)/CFO Sd/-Manoj Misra Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached For Kapoor Bhushan & Co. Chartered Accountants FRN No. NO-001676N

> Sd/-(CA P.B. KAPOOR) Partner Membership No. 010858

Place: New Delhi Dated: 30/06/2017

NOTE NO. 1 SHARE CAPITAL

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Authorised 5000000 Equity Shares (Previous Year 5000000) of ₹ 1000/- each	5,00,00	5,00,00
4000000 0.01% non-cumulative Redeemable Pref. Share of ₹ 1000/- each (Previous Year 4000000)	4,00,00	4,00,00
Issued, Subscribed & Fully Paid up 4559749 Equity Shares of ₹ 1000/- each Fully Paid Up (Previous year 4559749 Shares) 3554325 0.01% Non-cumulative	4,55,98	4,55,98
Redeemable Pref. Share of ₹ 1000/- each (Previous year 3554325 Shares)	3,55,43	3,55,43
Total	8,11,41	8,11,41

Reconciliation of number of equity shares outstanding at the beginning and at the end of the year

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Number of Shares outstanding as at the beginning of the year	4,55,97,49	4,55,97,49
Add: Number of shares Alloted during the year	0	0
Number of Shares outstanding as at the end of the year	4,55,97,49	4,55,97,49

Reconciliation of number of preference shares outstanding at the beginning and at the end of the year

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Number of Shares outstanding as at the beginning of the year	3,55,43,25	3,55,43,25
Add: Number of shares Alloted during the year		0
Number of Shares outstanding as at the end of the year	3,55,43,25	3,55,43,25
Details of shareholder holding more than 5% share in the Corporation		
Name/Class of share holder - Govt of India -Equity Shares	100%	100%
-Preference Shares	100%	100%





NOTE NO. 2 RESERVES AND SURPLUS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Surplus/(Deficit) in statement of Profit and loss As per Last Balance Sheet Less:- Profit During the Year Add: Depreciation relating to fixed Assets	(8,49,23) 42,33 0	(9,02,74) 53,51 0
Closing Balance	(8,06,90)	(8,49,23)

NOTE NO. 3 LONG TERM BORROWINGS

(₹ in lakhs)

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Unsecured* Govt. Loans Inter Corporate Borrowings	1,50,90 21,25	1,50,90 37,00
Total	1,72,15	1,87,90
		

Details of Default in respect of Loans & Borrowings

S.No	PARTICULARS	Loan	Default	2016-17		2015-16		
		Amount	Period	Principal	Interest	Principal	Interest	
1.	M/s. Goa Shipyard Ltd.	21,25	1995	21,25	0	30,00	47,94	
2.	M/s. ONGC Ltd.	0	1991	0	0	7,00	13,69	
3.	Govt. Of India	1,50,90	From 1975	1,50,90	0	1,50,90	0	
4.	Govt. of India	0	From 2011	0	1,23,85	0	1,23,85	
	Total	1,72,15		1,72,15	1,23,85	1,87,90	1,85,48	

^{*}As per Sanctioned Scheme payment of above Principal Amount of Plan Loan & Borrowings to be made out of sale proceeds of Non-Operating Units

NOTE NO. 4 OTHER LONG TERM LIABILITIES

(₹ in lakhs)

	(,)
FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
81	81
26,73	27,15
20,53	18,94
6,34	4,25
6,57	9,19
22,68	24,73
5,07	5,07
1,23,85	1,23,85
0	61,63
54,30	52,72
2,66,88	3,28,34
	81 26,73 20,53 6,34 6,57 22,68 5,07 1,23,85 0 54,30

NOTE NO. 5 LONG TERM PROVISIONS

(₹ in lakhs)

FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
34,64	30,85
11	11
17,32	15,70
28,36	29,13
80,43	75,79
	END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017 34,64 11 17,32 28,36

NOTE NO. 6 SHORT TERM BORROWINGS

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
From Banks Others	0	0
Total	0	0





NOTE NO. 7 TRADE PAYABLES

Total

		<i>(</i> ₹ in lakhs)
PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Trade Payable		_
MSMEs	0	0
Deposits	3	0
Others	15,56	11,58

15,59

NOTE NO. 8 OTHER CURRENT LIABILITIES

(₹ in lakhs)

11,58

		('
PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Advance from customers	9,84	7,36
Security and Earnest Money Deposits received	8,99	9,26
Sales tax payable	5,73	5,63
Power dues	21,70	6,01
Dues to Employees	4,61	4,64
Royalty payable	2,88	3,35
Others payable	10,01	13,57
Total	63,76	49,82

NOTE NO. 9 SHORT TERM PROVISIONS

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31 st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Gratuity	11,59	9,49
Earned Leave Liabilities	4,80	4,59
Other Provisions	15,50	11,17
Bonus	11	22
		2382802393888399388
Total	32,00	25,47

NOTE NO. 10 FIXED ASSETS

Tangible Assets

(₹ in Lakhs)

GROSS BLOCK									DEPRECIATION NET BL			BLOCK
PARTICULARS	As at 1st April, 2016	Add-/ Adjust ments	Deduct ions/ Sates	Trf.in/ out	Asat 31 stMarch, 2017	Asat 1st April, 2016	Forthe Year	Adj/ dis posal	Trf.in/ out	Asat 31st March, 2017	Asat 31stNarch, 2017	Asat 31 stMarch, 2016
Works												
Land Freehold	1293	1	0	0	1294	146	0	0	0	146	1148	1147
Land Leasehold	481	0	0	0	481	158	0	0	0	158	323	323
Roads & Culverts	654	0	0	0	654	621	0	0	0	621	33	33
Plant Buildings	8884	0	0	0	8884	8008	132	0	0	8140	744	876
Non-Plant Buildings	1054	0	0	0	1054	661	22	0	0	683	371	393
Water Supply,	1119	0	0	0	1119	968	2	0	0	970	149	151
Drainage & Sewerage												
Railway Siding	2095	0	0	0	2095	1583	25	0	0	1608	487	512
Electrical Installation	1980	0	0	0	1980	1889	1	0	0	1890	90	91
Plant & Machinery	46715	174	0	0	46889	39453	412	0	0	39865	7024	7262
Aerial Ropeway	706	0	0	0	706	672	0	0	0	672	34	34
Railway Rolling Stock	423	0	0	0	423	406	0	0	0	406	17	17
Quarry Equipments	2519	0	0	0	2519	2381	0	0	0	2381	138	138
Vehicles	441	0	(13)	0	428	392	4	0	(12)	384	44	49
Furniture &Fixtures	264	0	0	0	264	253	2	0	0	255	9	11
Office Equipments	471	16	0	0	487	422	24	0	0	446	41	49
Misc. Equipments	913	4	0	0	917	778	14	0	0	792	125	135
P&M Costing upto ₹5000/-	52	1	0	0	53	52	1	0	0	53	0	0
TOTAL WORKS	70064	196	(13)	0	70247	58843	639	0	(12)	59470	10777	11221

GROSS BLOCK								DEPRECIATION			NET BLOCK	
PARTICULARS	As at 1st April, 2016	Add-/ Adjust ments	Deduct ions/ Sales	Trf.in/ out	Asat 31 stWarch, 2017	Asat 1st April, 2016	Forthe Year	Adj/ dis posal	Trf.in/ out	Asat 31st March, 2017	Asat 31stMarch, 2017	Asat 31 stMarch, 2016
TOWN SHIP												
Land Freehold	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	19
Land Leasehold	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	29	29
Roads & Culverts	39	0	0	0	39	36	0	0	0	36	3	3
Residential & Welfare												
Buildings	1754	0	0	0	1754	1124	24	0	0	1148	606	630
Water Supply, Drainage												
& Sewerage	158	0	0	0	158	152	0	0	0	152	6	6
Electrical Installation	41	0	0	0	41	40	0	0	0	40	1	1
Vehicles	122	0	0	0	122	116	2	0	0	118	4	6
Furniture & Fixtures	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
Office Equipments	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0
Misc. Equipments	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
Total Township	2205	0	0	0	2205	1507	26	0	0	1533	672	698
Total Works & Township	72269	196	(13)	0	72452	60350	665	0	(12)	61003	11449	11919
Previous Year	71754	540	(25)	0	72269	59585	790	0	(25)	60350	11919	12169





NOTE NO. 10 FIXED ASSETS (Contd...)

Depreciation charged to :-

Statement of Profit & Loss Quarry (Note -23)

CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
6,64	7,89
1	1
6,65	7,90

NOTE NO. 11 CAPITAL WORKS IN PROGRESS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH, 2016	ADDITIONS DURING THE YEAR	ADJUSTMENTS	CAPITALISED DURING THE YEAR	FIGURES ASAT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
Mechanical Consultancy	1,20	0	0	0	1,20
Civil Engineering Works	20,78	9,20	0	0	29,98
Plant & Machinery	31,17	2,64	1	1,02	32,78
Incl. Awaiting Erection					
Erection Expenses of Plan	it 1	0	0	0	1
& Machinery					
Incidental Expenditure	1,36	0	0	0	1,36
Pending Allocation (Refer	Annex.)				
Capital Stores	12	0	0	0	12
Others	1,64	0	0	0	1,64
TOTAL	56,28	11,84	1	1,02	67,09
Provision -WIP					
Civil Engg, Works	3	0	0	0	3
TOTAL	56,25	11,84	1	1,02	67,06

NOTE NO.11(A) CAPITAL WORKS IN PROGRESS (Intangible Assets)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH, 2016	ADDITIONS DURING THE YEAR	ADJUSTMENTS	CAPITALISED DURING THE YEAR	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017
Software Development	2	0	0	0	2
TOTAL	2	0	0	0	2
Less : Provision Software Development	2	0	0	0	2
TOTAL	0	0	0	0	0

ANNEXURE OF NOTE-11 INCIDENTAL EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION PERIOD

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Employees Remuneration and Benefits		
Salaries, Wages & Allowances	0	0
Total remuneration		0
Misc. Expenses	0	0
Legal Expenses	0	5
Security Expenses	11	10
Not Expenditure during the year		
Net Expenditure during the year	11	15
Bal. Tfd. to NYO Expansion	11	15
Addition during the year	0	0
Summary of IEDC Account		
Opening Balance of IEDC	1,36	1,36
Addition during the year	0	0
Less:- Capitalised during the year	0	0
Adjustment during the year	0	0
Closing balance of IEDC TFD. to capital WIP	1,36	1,36





NOTE NO.12 NON-CURRENT INVESTMENTS

				(₹ in Lakh	ns)
	PARTICULARS	Market Value as at 31-03-2017	Book Value as at 31-03-2017	Market Value As at 31-03-2016	Book Value as at 31-03-2016
	g Term Investments ted Shares (Fully Paid) At Cost				
(i)	31 Equity Shares of ₹10/-each of Andhra Cement Co Ltd. Market value@ ₹9.00 per share on NSE (Previous year ₹8.20 per Share)	@	@	@	@
(ii)	280 Equity Shares (Including 180 Bonus Shares) of ₹10/- each of ACC Ltd. Converted from 28 shares of ₹100 each, New shares certificates are awaited Market Value @ ₹1446.05 Per share on NSE (Previous Year ₹1380.30 per Share)	4	@	4	@
Unq	uoted Shares (Fully Paid) At Cost				
(i)	1 Equity Share of ₹10/- each of Assam Bengal Cement Co Ltd.*		@	-	@
(ii)	79 Equity Shares of ₹10/- each of Jaipur Udyog Ltd.	-	@	-	@
(iii)	40 Equity Shares of ₹5/- each of Sone Valley Cement Co. Ltd		@	-	@
(iv)	5531520 Equity Shares of ₹10/- each of AP Gas Power Corporation Ltd. (Incl 2315520 Bonus Shares) (1610680	3,22		3,22	
	Shares sold including 134000 Bonus Shares) Balance Held 3920840 Shares of ₹10/- each (Including 2181520 Bonus Shares)	94	2,28	94	2,28
TOT	AL NON-CURRENT INVESTMENTS		2,28		2,28
Agg	regate of Quoted Investments				
Cost	-	@	<u>-</u>	@	
Mark	ket Value	4	-	4	-
Agg	regate of Unquoted Investments				
Cost		2,28		2,28	
TOT	AL NON CURRENT INVESTMENTS		2,28		
@ A	mount less than ₹1,00,000/-				

Amount less than 7 1,00,000/-

^{*} Yet to be transferred in the name of the Corporation

NOTE NO. 13 LONG TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ in Lakhs) **PARTICULARS** FIGURES ASAT THE FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016 **END OF CURRENT REPORTING PERIOD** 31st MARCH 2017 **Capital Advances** Secured, Considered Good 61 61 Unsecured, Considered Good 3,79 7,16 Doubtful 13 13 Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances 13 13 7,77 **Sub Total** 4,40 **Deposits** - Central Excise Secured, Considered Good 0 0 Unsecured, Considered Good 2,35 1,88 Doubtful 28 28 Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances 28 28 **Sub Total** 2,35 1,88 **Other Deposits** Secured, Considered Good 0 0 Unsecured, Considered Good 12,34 11,99 25 25 Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances 25 25 **Sub Total** 12.34 11,99 **Contractors & Suppliers** Secured, Considered Good 0 0 Unsecured, Considered Good 48 38 2,51 2,51 Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances 2,51 2,51 **Sub Total** 48 38 **Balance with Govt. Deptt.** Secured, Considered Good 0 0 Unsecured, Considered Good 2,22 4,61 Doubtful 1,74 1,74 Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances 1,74 1,74 Sub Total 2,22 4,61 **Insurance & Claims Others** 0 Secured, Considered Good 0 Unsecured, Considered Good 40 43 Doubtful 1,80 1,80 Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances 1,80 1,80 **Sub Total** 40 43





NOTE NO. 13 LONG TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)

NOTE NO. 13 LONG TERM LOANS A	ND ADVANCES	
		(₹ in Lakhs)
PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES ASAT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Loans & Advances to Employees		
- Secured, Considered Good	1	1
- Unsecured, Considered Good	0	0
- Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	1	1
Claims Recoverable Railways		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	0	8
- Doubtful	4,02	3,88
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	4,02	3,88
Sub Total	0	8
ED Relief Recoverable		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	1,08	1,08
- Doubtful	93	93
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	93	93
Sub Total	1,08	108
Recoverable from Employees		
- Secured, Considered Good	0	0
 Unsecured, Considered Good 	6	6
- Doubtful	8	8
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	8	8
Sub Total	6	6
Recoverable from Outside Parties		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	4,18	4,32
- Doubtful	7,65	7,65
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	7,65	7,65
Sub Total	4,18	4,32
Shortage Losses pending Investigation		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	0	0
- Doubtful	5,90	5,90
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	5,90	5,90
Sub Total	0	0
Grand Total	27,52	32,61

NOTE NO. 14 OTHER NON CURRENT ASSETS

		((=)
PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Long Term Trade Receivable		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	0	0
- Doubtful	15,01	15,02
Less: Allowance for bad and Doubtful Debts	15,01	15,02
Sub Total	0	0
Interest Accrued and Due on Loans & Advances		
(Unsecured, Considered Good)	41	88
Sub Total	41	88
Total	41	88

NOTE NO. 15 UNAMORTISED EXPENSES

(₹ in Lakhs)

		(₹ III Editilo)
PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Quarry Development Expenditure		
Opening Balance	18,11	16,74
Additions	1,98	3,96
	20,09	20,70
Less: Adjusted/Capitalized	1,76	2,59
Total	18,33	18,11

NOTE NO. 16 CURRENT INVESTMENTS

(₹ in Lakhs)

		((=)
PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Current Investments:		
A) Non Trade Investments	0	0
Total	0	0
		
1) Quoted Investments	0	0
2) Unquoted Investments	0	0
Total	0	0





NOTE NO. 17 INVENTORIES (As Verified, Valued and Certified by the Management)

(₹ in Lakhs)			
PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016	
a) Stores and Spares			
-In Stock -In Transit	67,33 9	68,65 11	
Total	67,42	68,76	
b) Work in Progress -In Stock -In Transit	27,93	27,49 0	
Total	27,93	27,49	
c) Finished Goods -In Stock -In Transit	8,97 2,09	11,74 1,68	
Total	11,06	13,42	
d) Raw Materials -In Stock -In Transit	10,13	10,89 1	
Total	10,20	10,90	
e) Loose Tools -In Stock -In Transit	1 0	1	
Total	1	1	
f) Packing Materials -In Stock -In Transit	49	78 0	
Total	49	78	
g) Coal -In Stock -In Transit	13,61 0	7,64 1,94	
Total	13,61	9,58	
h) Scrap -In Stock -In Transit	2,91 0	4,12 0	
Total	2,91	4,12	
Total Inventory	1,33,63	1,35,06	
Less: Unrealisable Inventory	11	11	
Grand Total	1,33,52	1,34,95	

NOTE NO. 18 TRADE RECEIVABLES

			(₹ in Lakhs)
	PARTICULARS	FIGURES ASAT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
A)	Trade Receivables Outstanding for a period		
	exceeding six months:-		
	-Sucured, Considered Good	0	0
	-Unsecured, Considered Good	67	1,71
	-Doubtful	0	0
	Less: Allowances for bad and doubtful debts	0	0
	Total (A)	67	1,71
B)	Others Trade Recivables:		
	-Sucured, Considered Good	1,35	2,99
	-Unsecured, Considered Good	10,23	6,69
	-Doubtful	0	0
	Less: Allowances for bad and doubtful debts	0	0
	Total (B)	11,58	9,68
	Total (A+B)	12,25	11,39

NOTE NO. 19 CASH AND BANK BLANCES

		(₹ III Lakiis)
PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Cash and Cash Equivalents		
Cash in hand	1	2
Cheques / DD in hand	1,58	3,58
Bank Deposits*	1,91,71	2,12,45
Balance with Banks - Current Accounts	13,59	7,41
Total Other Bank Balances Bank Balances held as margin money in form of FDR's Against Guarantees/Latter of credit	2,06,89	2,23,46
Guarantees	7,06	7,98
Letter of Credit	3,00	0
Grand Total	2,16,95	2,31,44

^{*}Note: Bank deposits includes deposits of ₹13942.01 lakhs (Previous Year ₹1303.94Lakhs) whose maturity period is more than 12 months.





NOTE NO. 20 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

		(₹ in Lakhs,
PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Balance with Govt. DepttSecured, Considered Good -Unsecured, Considered Good -Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0 1,64 0 0	0 3,95 0 0
Sub Total	1,64	3,95
Contractors & Suppliers -Secured, Considered Good -Unsecured, Considered Good -Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0 7,47 0 0	0 3,45 0 0
Sub Total	7,47	3,45
Claims Recoverable Railways -Secured, Considered Good -Unsecured, Considered Good -Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0 0 0 0	0 7 0 0
Sub Total	0	7
Deposit Others -Secured, Considered Good -Unsecured, Considered Good -Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0 4,02 0 0	0 3,82 0 0
Sub Total	4,02	3,82
Insurance & Claims Others -Secured, Considered Good -Unsecured, Considered Good -Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0 1,02 0 0	0 9 0 0
Sub Total	1,02	9
Loans & Advances to Employees -Secured, Considered Good -Unsecured, Considered Good -Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	15 1 0 0	15 5 0 0
Sub Total	16	20
ED/Vat Relief Recoverable -Secured, Considered Good -Unsecured, Considered Good -Doubtful Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0 1,92 0 0	0 2,38 0 0
Sub Total	1,92	2,38

NOTE NO. 20 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)

(₹ in Lakhs)

		1
PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES ASAT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
Recoverable from Employees		
-Secured, Considered Good	30	40
-Unsecured, Considered Good	10	20
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	40	60
Recoverable from Outside Party		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	17,52	9,72
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
Sub Total	17,52	9,72
Grand Total	34,15	24,28

NOTE NO. 21 OTHER CURRENT ASSETS

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES ASAT THE	FIGURES AS AT THE
	END OF CURRENT	END OF PREVIOUS
	REPORTING PERIOD	REPORTING PERIOD
	31st MARCH 2017	31st MARCH 2016
Interest Accrued on term deposit	836	9,70
		
Total	836	9,70
		

NOTE NO. 22 OTHER INCOME

PARTICULARS	FIGURES FORTHE	FIGURES FOR THE
	CURRENT REPORTING PERIOD FROM	PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM
	1st APRIL 2016 TO	1st APRIL 2015 TO
	31st MARCH 2017	31st MARCH 2016
Income from :		
Rent from Property	16,01	18,14
Interest on loans and Advances-Employees.	9	7
Receipts form Township	49	45
Prior Period Income (Net) (Note No. 28 B)	6	0
Excess Provision written back	2,98	12,40
Bank Interest	17,33	19,02
Misc. Income	5,31	13,01
Profit on sale of DiscardedAssets	1	2
Total	42,28	63,11





NOTE NO. 23 COST OF RAW MATERIALS CONSUMED

		(₹ in Lakhs
PARTICULARS	FIGURES FORTHE	FIGURES FOR THE
	CURRENT REPORTING PERIOD FROM	PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM
	1st APRIL 2016 TO	1st APRIL 2015 TO
	31st MARCH 2017	31st MARCH 2016
Opening Balance	10,89	9,78
Acquisition during the year		
Limestone Raising, Quarrying & Transportation @	31,57	35,89
(Refer Detalis below)		
Other Raw Materials Purchased	9,53	15,60
		
Sub total	51,99	61,27
Less Closing Stock	10,13	10,89
Total Raw Materials Consumed	41,86	50,38
@ Limostone Baising Querrying 9		
@ Limestone Raising, Quarrying &		
Transportation		
Limestone Raising & Payments to Contractors	6,56	910
Employees Remuneration & Benefits		
Salaries, Wages & Bonus	4,78	4,67
Gratuity Paid	40	1,05
Benefits to Employees	0	0
Contribution to Provident Fund	35	23
Contribution to Pension Fund	10	8
Leave Encashment	13	29
Medical Expenses	25	9
Provision for Gratuity	0	0
Provision for Earned Leave	0	3
Stores Consumed	601	6,44
Gross Amount	2,49	4,27
Less: Amount Included under Repairs	1,28	2,99
Power	121	——— 1,28
Fuel	58	69 30
Rates & Taxes	30 46	39 36
		26 226
Payment to Controctors	2,97	236
Royalty & Cess	12,17	14,48
Quarry Development Expenditure written Off	1,76	2,59
Travelling Expenses	2	2
Other Expenses	22	37
Depreciation	1 ——— 18,49	1 ——— 21,17
Panaira-Machinery	74	1,07
Repairs-Machinery - Building	4	0
- Others	50	79
- Others	1,28	——— 1,86
		1,00
Sub Total	33,55	39,85
Less: Quarry Development Expenditure	1,98	3,96
Total	31,57	35,89

NOTE NO. 24 CHANGE IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

(₹ in Lakhs)

				(₹ III Lakiis)
PARTICULARS	FIGURES F			ES FOR THE
		CURRENT REPORTING PERIOD FROM		REPORTING RIOD FROM
	1st APRIL 2		1st APRIL 2015 TO	
	31st MARC			IARCH 2016
Semi-Finished Goods				
- Closing Stock	27,93		27,49	
- Opening Stock	27,49		30,62	
- pg	,	44	,	(3,13)
Finished Goods				(-, -,
- Closing Stock	8,97		11,74	
- Opening Stock	11,74		14,40	
, ,		(2,77)		(2,66)
Finished Goods in Transit		,		, ,
- Closing Stock	2,09		1,68	
- Opening Stock	1,68		2,22	
- pg	-,	41	-,- -	(54)
Scrap Stock				(0.)
- Closing Stock	2,91		4,12	
- Opening Stock	4,12		3,57	
- pg	-,	(1,21)	2,21	55
Total Accretion/(Decretion)		(3,13)		(5,78)
				

NOTE NO. 25 EMPLOYEES BENEFITS EXPENSES

		((= a)
PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016
Salaries, Wages & Bonus	46,04	45,93
Gratuity Paid	6,64	4,99
Benefits to Employees	9	8
Provision for Earned Leave	1,96	78
Contribution to Provident Fund	3,24	2,68
Contribution to Pension Fund	75	80
Medical Expenses	2,93	3,06
Leave Encashment	4,50	2,49
Provision for Gratuity	8,31	34
Staff Welfare Expenses	2,44	2,50
Total	76,90	63,65





NOTE NO. 26 OTHER EXPENSES

			(₹ in Lakhs
PARTICULARS	FIGURES FORTHE	FIGU	JRES FOR THE
	CURRENT REPORTING PERIOD FROM		IS REPORTING PERIOD FROM
	1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	1st.	APRIL 2015 TO at MARCH 2016
Power	77,16	66,83	
Coal	91,70	1,00,38	
Fuel Oil	17	16	
Rent	27	18	
Excise Duty	1,24	1,62	
Rates & Taxes	4,04	4,65	
Insurance	21	20	
Sub-Total	1,74,79		1,74,02
Repairs & Maintenance			1,1 1,0
Plant & Machinery	15,04	14,53	
Buildings	1,10	2,10	
Others	2,17	2,16	
Total	18,31		18,79
Other Production Expenses	9,13		8,32
Tools & Tackles Written Off	1		1
Travelling Expenses	1,43		99
Selling Expenses	.,		
Freight on Cement	28,46	29,18	
Handling Charges	3,09	3,62	
Secondary Transporation	0	0	
Godown Charges	1,58	1,02	
Sales Promotion & Publicity	32	48	
Other Selling Expenses	5	6	
Total Selling Expense	33,50		34,36
Vehicles Running Expenses	34		72
Auditors' Remuneration			
Audit Fee	6	4	
Reimbursement of Expenses	0	0	
In Other Capacity	1	1	
Total Auditors Remunerations	7	<u> </u>	5
Cost Audit Fee	1	1	
Cost Audit Expenses	0	0	
Total Cost Audit Expenses	1		1
Subscriptions to CRI & Others	10		9
Losses on Disposal of Fixed Assets	C		0
Communication Charges	34		33
Printing & Stationary	36		26
Hire Charges on Data Processing	8		6
Legal and Professional Fees	1,22		89
Security Expenses	4,62		4,68
Training of Workers & Supervisors	10		10
Miscellaneous Expenses*	3,03		3,76
Payment to Contract Labour	6,24		4,88
Expenses on closed project	11		15

NOTE NO. 26 OTHER EXPENSES (contd...) Provision for Doubtful Debts & Advances 14 2 1,60 151 Prior Period expencses (Net) Refer Note No. 28(B)] Corporate Social Responsibilies 0 4 **Sub-Total** 2,55,53 2,54,04 **Stores and Spare Parts** 14,69 15,38 **Gross Amount** Less: Incld. Under Repairs & Maint. 8,88 9,27 Net Stores & Spares Consumed 5,42 6,50 Packing Materials 10,29 12,15 **Total** 2,71,24 2,72,69 *Includes Entertainment Expenses 0 0

1

NOTE NO. 27 FINANCE COST

Director Sitting Fees

(₹ in Lakhs)

0

		((111 = a11110)
PARTICULARS	FIGURES FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016
Interest on -Deposits From Stockists -Others	14 2,11	13 2,10
Total	2,25	2,23

NOTE NO. 28 EXCEPTIONAL, EXTRA ORDINARY ITEMS & ADJUSMENTS RELATING TO PAST YEARS

Note No. 28 (A) Exceptional Items

PARTICULARS	FIGURES FORTHE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016
Income		
Waiver of Interest etc.	64,63	0
Total Exceptional Income	64,63	0
<u>Expenses</u>		
Total Exceptional Expences	0	0
Net Exceptional Items Income/ (Expenses)	64,63	0





NOTE: No. 28 (B) PRIOR PERIOD ITEMS

(₹ in Lakhs)

		(\langle III Eartife
PARTICULARS	FIGURES FORTHE CURRENT REPORTING	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING
	PERIOD FROM	PERIOD FROM
	1st APRIL 2016 TO	1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016
	31st MARCH 2017	3181WARCH 2016
Income		
Employees Remuneration & Benefits	0	0
Stores & Spares	6	4
Rates and Taxes	0	0
Interest	0	0
Total Prior Period - Income	6	4
Expenses		
Raw Materials	0	34
Stores & Packing Materials	66	38
Employees' Remuneration & Benefits	25	4
Royalty	0	67
Power & Fuel	19	0
Sales Tax	37	0
Others	19	12
Total Prior Period Expenses	1,66	1,55
Net Prior Period Income / (Expenses)	(1,60)	(1,51)

NOTE: No. 28 (C) EXTRA-ORDINARY ITEMS

		(\(\frac{111}{111}\)
PARTICULARS	FIGURES FORTHE CURRENT REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2016 TO 31st MARCH 2017	FIGURES FOR THE PREVIOUS REPORTING PERIOD FROM 1st APRIL 2015 TO 31st MARCH 2016
Income		
Total Extra Ordinary Income	0	0
Expenses		
Total Extra-Ordinary Expenses	0	0
Net Extra-Ordinary Income/(Expenses)	0	0

NOTE: NO. 28 (D)

STATEMENT OF REVENUE & EXPENSES OF CONTINUING AND DISCONTINUING OPERATION FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017

PA	RTICULARS	Continuir	ng Operation	Discontinuing Operation		<u>Total</u>	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
A.	Revenue:-						
Turi	nover (Net)	3,36,30	3,92,89	0	0	3,36,30	3,92,89
	er Operating Revenue	1,14	13	0	0	1,14	13
	retion/(Decretion) to ni-Finished Goods and						
	shed Goods	(3,13)	(5,78)	0	0	(3,13)	(578)
							
Tota	alIncome	3,34,31	3,87,24	0	0	3,34,31	3,87,24
							
B.	Expenses:-						
Ope	erating Expenses	3,70,34	3,80,64	26,30	13,97	3,96,64	3,94,61
	airment Loss	0	0	0	0	0	0
							
Tota	al Expenses	3,70,34	3,80,64	26,30	13,97	3,96,64	3,94,61
C.	Profit/(Loss) before interest & tax from	(36,03)	6,60	(26,30)	(13,97)	(62,33)	(7,37)
	Operating Activities						
	Interest Expenses	1,13	1,10	1,12	1,13	2,25	2,23
D.	Profit/ (Loss) Before Tax	(37,16)	5,50	(27,42)	(15,10)	(64,58)	(9,60)
_							
E.	Income Tax	0	0	0	0	0	0
F.	Profit/(Loss) from Oper-	(37,16)	5,50	(27,42)	(15,10)	(64,58)	(9,60)
١.	ating Activities after Tex	(37,10)	3,30	(21,72)	(13, 10)	(04,30)	(3,00)
G.	Other Income	34,57	55,89	7,71	7,22	42,28	63,11
	Eventionalitems Income/	40.40	0	45 44	0	C4 C2	0
H.	Exceptional items-Income/ (Expenditure)	19,19	0	45,44	0	64,63	0
l.	Extra Ordinary items-Income	0	0	0	0	0	0
	/(Expenditure)						
	N. B. W. W.	4					
J.	Net Profit/(Loss) from Operating Activities	16,60	61,39	25,73	(7,88)	42,33	53,51
	operating Activities						





NOTE NO. 29 CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS-(TO EXTENT NOT PROVIDED FOR)

PARTICULARS	FIGURES AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD 31st MARCH 2017	FIGURES AS AT THE END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD 31st MARCH 2016
A) Contingent Liabillities		
a) Claims against the company not acknowledged as debts		
1) Income Tax Demand u/s 271(1) (c) for AY 2007-08	29,61	29,61
2) Sales Tax demand of Tandur & Bokajan unit.	19,95	29,94
 Railways Land Licence Fees in respect of Rajban (April 2010 to March 2015) 	0	13,09
4) Norton Polymers Ltd Arbitration Matter	5,87	5,87
5) Tarrif Minimum Charges in respect of Akaltara & Mandhar	3,64,49	3,64,49
6) Power Wheeling charges etc. in respect to Tandur	52,66	37,15
7) Others-Miscelleneous Cases	94,80	90,12
b) Other money for which company is contingently liable	0	0
Total (A)	5,67,38	5,70,27
B) Commitments		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on the capital accounts and not provided for	1,57,39	1,58,64
b) Other Commitments (specific nature)	0	0
Total (B)	1,57,39	1,58,64
Total (A+B)	7,24,77	7,28,91

a) An effect for cases lying in various courts for compensation/Promotion/claims of employees for service matters etc. has not been given in the books of Accounts as the amount thereof is unascertainable.

NOTE NO. 30 NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2017

- 1. The claims/counter claims lodged by the Corporation for ₹ 7663.19 Lakhs (Previous year ₹ 7664.86 lakhs) which are under arbitrationl/pending in Courts etc. and the outcome will be known only on award/decree etc, hence effect are not given in the Accounts.
- 2. (i) The Sales Tax liability on account of non-receipt of 'C', 'D' and F/B-1! forms etc. till the Balance Sheet date for ₹220.35 Lakhs (Previous year ₹418.05 lakhs) which are expected to be received before final assessment is completed *and/or* appeals are finalized, hence provision not made.
 - (ii) In terms of orders of the Assessing Officers (Income Tax Deptt.) for the Assessment Years 2006-07 & 2007-08, the Assessing Officers assessed income of ₹885,00,87,850/- and ₹87,98,64,000/- respectively and adjusted the same with brought forward losses of the company. In view of the same, the assessed losses of the company have been reduced by ₹972,99,51,850/- The company has filed appeal on before Appellate Authorities. ITATin vide order dtd. 23-12-2016 and set-aside both the assessment. In view of above the assessment officer will re-assess the matter for the both the Assessment year.
- 3. Title deeds for land measuring ,1.06 acres (Mandhar), 0.146 hectares (Nayagaon), 495.75 acres (Akaltara), 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit) and lease deeds for 155.83 acres (Nayagoan) and 58.81 acres (Adilabad), are yet to be executed. DHI has given the direction for dis-investment of Non-operating Units.
 - DDA allotted lease hold land measuring 20.20 acres for DGU. The allotment of this land was cancelled by the DDA against which company has filed an appeal before the Hon'ble Delhi High Court.
 - Hon'ble Delhi high Court on 22.03.2017 vide. C.M. No. 12314/2015 passed an order that the Writ Petition is infructuous and dismissed.
 - DDA sue moto vide letter dated 11.04.2017 transferred CCI land measuring 14.20. acress to SDMC. CCI is pursuing DDA for allotment of alternate land/compensation in replacement of 14.20 acres. The physical possession of whole land measuring 20.20 acres is still with the CCI as on date. Land details are under reconciliation.
- 4. Mining lease deemed to have been granted for all the Govt. company for the period of 50 years as per Mineral (Mining by Govt. Co.) Rules 2015 dated 03.12.2015, accordingly mining leases of CCl's are deemed to have been granted and still valid.
- 5. The acquisition of Government lands, outside the CCI, Adilabad Township and used as road from Pump house to National Highway No. 7 admeasuring 32 guntas for which alienation orders are awaited from Revenue Department provision if any for this consideration not made in the accounts.
- 6. Liability for un-paid Excise Duty amounting to ₹ 51.28 lakhs (Previous year ₹ 85.80 lakhs) has been provided for in respect of 10290.852 MT (Previous year 15753.980 MT) of closing stock of naked cement lying in Silos as on 31 st March, 2017. Liability for cess amounting to ₹ 0.04 lakhs (Previous year ₹ 0.12 lakhs) has also been provided for on cement stock of 10290.852 MT (Previous year 15753.980 MT) as on 31 st March 2017. However, the said treatment does not vitiate true and fair view of Profit & Loss Statement of the Corporation.
- 7. The shares of various Companies (face value of ₹.37.79 lakhs), held by late Shri R.K.Dalmia and kept as security with erstwhile Dalmia Dadri Cement Limited against loan of ₹ 214.00 lakhs taken by him, have been taken possession of shares in earlier years. Although these shares were valued at ₹2.80 lakhs (at realisable value) but were considered doubtful and accordingly provided for in earlier years.
- 8. The office Building at Scope Complex, New Delhi, the cost thereof of ₹ 266.58 lakhs excluding Electrical Installation of ₹ 5.70 lakhs, is being amortised provisionally by way of depreciation. Considering as a deemed owner, however the execution of lease deed in favour of Corporation is pending.
- A reference was made to Board of Industrial & Financial Reconstruction under section 15(1) of Sick Industrial Co. (SP) Act, 1985 vide letter No. SEC/84/96/513 dt. 25.04.96. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCHIV SOL dt. 8.8.96. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 has approved





the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which *interalia* envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological upgradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at six units and employees have been separated under VSS. Employee union of Adilabad unit had filed writ petition before the Hon'ble AP High Court order to maintained status quo vide order dtd. 20.04.2007. Sequal to dismissal of writ petition filed by employee's union by the Hon'ble High Court vide order dtd. 07.02.2017, Adilablad unit stand closed. Accordingly, colosure notice has been issued on dtd. 20.02.2017.

- (i) Reliefs and concessions in respect of Creditors, State Governments, Other Govt. Departments and Agencies etc. will be considered appropriately as and when such payments are made and such concessions/ reliefs become certain without any contingency attached to it or approval for the same is received, as the case may be.
 - (ii) Plan Loan from Government of India (interest free) amounting to ₹150.90 crores (Previous year ₹150.90 crores) will be repaid from the sale proceeds of seven non operating units as per the sanctioned scheme dated 3rd May 2006 of Hon'ble BIFR.Further,interest accrued amount of ₹123.85 crores on Non Plan Loan provided by Govt.of India has been freezed with effect from 01.04.2011. The interest will be paid out of sale proceeds of Non-operating Units.
- 11. Production at the following units has been discontinued from the dates mentioned against each unit:

i)	Mar	ndhar (Chhatisqarh)	06/06/1996		
ii)	Cha	ırkhi Dadri (Haryana)	14/08/1996		
iii)	Aka	ltara (Chhatisgarh)	09/12/1996		
iv)	Nay	agaon & Nayagaon Expansion (Madhya Pradesh)	30/06/1997		
v)	Kur	kunta (Karnataka)	01/11/1998		
vi)	Adil	abad (Telangana)	05/11/1998		
vii)	A)	Delhi Grinding Unit	08/02/1999		
	B)	Bhatinda Grinding Unit (Punjab)	Not commissioned		

The Draft Rehabilitation Scheme (DRS) prepared by IFCI (OA) was approved by Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 and sanctioned scheme circulated on 03.05.2006, envisaged settlement of secured and unsecured creditors and closure I sale of above 7 non-operating units. The market value of the assets in respect of the above 7 units as mentioned in the said scheme is higher than book value of Assets. Similarly, the market value of the Assets in respect of units Bokajan, Rajban & Tandur are expected to be much more than the Book Value of the Assets. Hence, there is no indication of a potential impairment loss. Therefore, no provision for impairment loss has been considered in the Accounts.

- 12. The special auditor appointed by SBI Caps, Merchant Bankers, as per the terms of the MOU/ Sale agreement in respect of Yerraguntala Unit had submitted their report. Pending reconciliation and confirmation with *M*/s. India Cement Ltd., necessary liabilities as found accruing, on date of the sale has already been considered in the accounts.
- 13. On process of implementation of Rehablitation of scheme, non-cumulative preference share of ₹355.43 crore was issued on 22.03.2007 for seven year, further extension for re-issue of preference share has been sought from the Ministry as per Cabinet/BIFRs direction.
- 14. Deferred Tax Assets/Liabilities are not recognized in the absence of virtual certainty of realisation of the deferred tax assets within the allowable period under the Income Tax Act.
- 15. For classification of current and non current balances under current liabilities, the stipulations contained in the Sanctioned Scheme have been kept in view besides its nature.
- 16. Keeping in view the nature of business & Geographical status of the Corporation, the segment reporting under AS-17 is not applicable.
- 17. Unadjusted/Unclaimed amount of advances for ₹260.28 Lakhs (Previous year₹717.04 Lakhs which is lying in

books of Accounts more than decades have written back in the current year and shown in Miscellanceons Receipt (Note-22) in the Accounts.

- 18. i) Inter Corporte Borrowing of M/s. Goa Shipyard Limited, principal amount of ₹30.00 crores settlement in 24 equal monthly installments w.e.f. September 2016 in one time settlement and an amount of ₹47.94 crores on accounts of interest has written back, as agreed. The same has been shown in "Exception Income "Note no. 28A.
 - ii) Inter Corporate Borrowing of M/s. ONGC Ltd. principal amount of ₹ 7.00 crores has been settled in ₹ 4.00 crores in one time settlement in March 2017 and amount of ₹ 3.00 crores principal of ₹13.69 crores interest total ₹ 16.69 crores has been written back, as agreed the same has been shown in "Exception Income "Note no. 28A.
- 19. Details of provision as per Accounting Standard 29, Refer Note 5 & 9.

(₹ in Crores)

Units	Opening Balance		Adjustment/ Paid during the year		Addition during the year		Closing Balance	
Year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
Gratuity	40.34	42.29	4.04	2.29	9.93	0.34	46.23	40.34
Bonus	0.22	0.00	0.19	0.00	0.08	0.22	0.11	0.22
Capital work in progress	0.11	0.24	0.00	0.13	0.00	0.00	0.11	0.11
E. L. liability	20.29	19.79	1.23	0.31	3.06	0.81	22.12	20.29
Others	40.30	39.39	18.55	99.35	22.11	100.26	43.86	40.30

20. Details of interest due / paid to MICRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

S.No	Description	Current Year	Previous Year
1.	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year	81	81
2.	The interest due thereon remaining unpaid to supplier at the end of accounting year	311	297
3.	The amount of interest paid in terms of Section 16, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year	0	0
4.	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	0	0
5.	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	14	14
6.	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Act.	311	297





21. Employee's Benefits as per Accounting Standard 15

The Corporation has adopted Accounting Standard 15 - Employees Benefits as per details given below:

i) Provident Fund

The Corporation pays fixed contribution of P.F. at pre-determined rates to a separate Trust which invests the funds in permitted securities. The Trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to the members of the Trust. Loss of the P.F. Trust, if any, is borne by the Corporation.

ii) Gratuity

The Corporation has a defined gratuity plan. Every employee is entitled to get gratuity as per provisions of the Gratuity Act. The liability of gratuity is recognized on the basis of actuarial valuation.

iii) Leave Encashment

Leave encashment is payable to the eligible employees who have accumulated EL, HPL etc. The liability towards leave encashment is recognized on the basis of actuarial valuation.

iv) Other Defined Retirement Benefit

The Corporation has a Scheme for settlement at home town for employees and dependants at the time of Superannuation. This is recognized in the Statement of Profit & Loss on the basis of acturial valuation.

The summarize position of various defined benefits recognized in the Statement of Profit & Loss and Balance Sheet are as under:-

A. Expenses recognized in Statement of Profit & Loss

(₹in lakhs)

		Gratuity		Leave encahsment				Other d retirement	
		31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016		
a)	Current service cost	151.87	142.92	116.05	84.15	0.92	0.96		
b)	Interest cost	313.63	329.22	161.19	157.11	2.18	2.30		
c)	Net actuarial (gain)/ loss recognized in the period	201.03	(54.03)	308.77	119.51	(0.67)	(2.80)		
d)	Expenses recognized in the statement of profit & loss	1305.29	418.11	586.02	360.77	2.42	0.47		

B. Amounts recognized in Balance Sheet

(₹in lakhs)

		Grati	Gratuity Leave enca		cahsment	Other d retirement	
		31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016
a)	Present value of obligation as at the end of the period	4509.66	3920.44	2197.84	2014.92	24.82	27.24
b)	Funded status/ Difference	(4509.66)	(3920.44)	(2197.84)	(2014.92)	(24.82)	(27.24)
c)	Net asset/ (liability) recognized in balance sheet	(4509.66)	(3920.44)	(2197.84)	(2014.92)	(24.82)	(27.24)

C. Change in present value obligation

(₹in lakhs)

		Gratuity		Gratuity Leave encahsmen		Leave encahsment				Other d retirement	
		31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016				
a)	Present value of obligation as at the beginning of the period	3920.44	4115.32	2014.92	1963.85	27.24	28.81				
b)	Interest cost	313.63	329.22	161.19	157.11	2.18	2.30				
c)	Current service cost	151.87	142.91	116.05	84.15	0.92	0.96				
d)	Benefits paid	(716.07)	(612.98)	(403.10)	(309.70)	(4.84)	(2.02)				
e)	Actuarial (gain)/ loss on obligation	201.03	(54.03)	308.77	119.51	(0.67)	(2.80)				
f)	Present value of obligation as at the end of the period	4509.66	3920.44	2197.84	2014.92	24.82	27.24				

D. Amount for the current period

(₹in lakhs)

		Gratuity		Leave en	Leave encahsment		efined benefits
		31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016
,	Present value of obligation as at the end of the period	4509.66	3920.44	2197.84	2014.92	24.82	27.24
b)	Surplus/(Deficit)	(4509.66)	(3920.44)	(2197.84)	(2014.92)	(24.82)	(27.24)

E. Actuarial Assumptions

S.No.	Description	As at 31.3.2017
i)	Retirement Age	60 years
ii)	Age	Withdrawal rate: % Upto 30 years - 00.00 From 31 to 44 - 1% Above 44 - 1%
iii)	Discounting rate	7.50 %
iv)	Future salary increase	6%
v)	Expected return on plan assets	-

- 22. Balances shown under advances, trade payable and trade creditors etc. are subject to confirmation/ reconciliation. These include certain old balances pending scrutiny and adjustment. Necessary effect would be given on completion of the same.
- 23. The Expenditure incurred towards various activities under Corporate Social Responsibility (CSR) are shown in Note No. 26 in the Accounts, and summarized statement as per Companies Act 2013 is given below:-





(₹in lakhs)

S.N.	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Average net profit of corporation for last three years	3660	2146
b)	Presribed CSR Expenditure (2% of the above under companies Act. 2013)	73	43
c)	Total amount spent during the year as given below :-	0	4
d)	Amount unspent (b-c)	73	39

(₹in lakhs)

S. N.	Description		In Cash		Yet to be paid in cash		Total	
					Previous			
		Year	Year	Year	Year	Year	Year	
i)	Construction/acquisition of any assets	0	0	0	0	0	0	
	On purposes other than above							
	(i) Two toilets – Under Swach Bharat Mission	0	4	0	0	0	4	
	(ii) Health (Medical) Camp	0	0	0	0	0	0	

24. "In accordance with Accounting Standard-18 " Related Party Disclosures " of the Companies (Accounting Standard) Rules 2006, it is certified by the Management that no related party transactions have been made during the year". The details of key Personnel Manager are given below:-

(₹in lakhs)

S.N.	Name & Key Person	Designation	Current Year	Previous Year
1.	Sh. Manoj Mishra	C &MD	32.66	28.68
2.	Sh. S. C. Aggarwal	Ex-Director (Fin) upto 5.5.15	0.00	5.17
3.	Sh. B.V. N. Prasad	Director (HR)	28.98	5.49
4.	Sh. S. Sakthimani	Director (Fin)	24.97	1.64
5.	Sh. Ajay Kumar Sharma	Co. Secretary	14.22	12.17
6.	Sh. AB Deyashi	Ex-CFO	0.00	19.96

In addition, C & MD and full time Director are also allowed to use of company vehicle for non duty journey upto 1000 kms. Per month on payment of ? 2000/- per month.

25. The Earning per Share (EPS) of the company as per Accounting Standard-20 issued by the Institute of Chartered Accountants of India is as under:-

S.No	Particulars	31st March 2017	31st March 2016
1	Number of equity share outstanding during the year	4559749	4559749
2	Face Value of Equity Share	1000	1000
3	Net Profit after tax for the year (₹in Lakhs)	4233	5351
4	Less:- Amount of dividends on non-cumulative Preference shares (₹ in Lakhs)	4	4
5	Net Profit after tax attributable to equity shareholders (3-4)* (₹ in Lakhs)	4229	5347
6	Basic and diluted earnings per share in rupees	(49)	117

^{*}Excluding extraordinary /Exceptional items ₹6463 lakhs (Previous Year Nil).

26. In pursuance of direction of MCA vide Gazette notification dtd. 30.03.2017 the details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period 08.11.2016 to 30.12.2016 is as below:

(Amount in ₹)

S.No.	Particulars	SBN	Other denomination Notes	Total
1	Closing cash in hand as on 08.11.2016	103500.00	57364.00	160864.00
2	Add: Permitted Receipts	0.00	1743574.00	1743574.00
3.	Less: Permitted Payments	500.00	1675861.00	1676361.00
4.	Amount Deposited in Bank	103000.00	16000.00	119000.00
5.	Closing cash in hand as on 30.12.2016	0.00	109077.00	109077.00

27. Figures of the previous years have been split up and regrouped wherever necessary so as to correspond to the current year figures.

Sd/-Manish Mehta Head of Finance Sd/-S. Sakthimani Director (Fin)/CFO Sd/-Manoj Misra Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached For Kapoor Bhushan & Co.

Chartered Accountants FRN No. NO-001676N Sd/-(CA P.B. KAPOOR) Partner

Place: New Delhi Dated: 30/06/2017

Membership No. 010858





NOTE NO. 31 QUANTATIVE DETAILS

					(₹in lakhs)
	PARTICULARS	CURF	RENT YEAR	PREVIC	US YEAR
1.	Actual Production				
1.1	Portland cement Ordinary	705196	M. Tonnes	799055	M. Tonnes
	Pozzolana	85335	M. Tonnes	113815	M. Tonnes
	TOTAL	790531	M. Tonnes	912870	M. Tonnes
2.	Clinker (A pre cement stage, material & not an additional product)	756295	M. Tonnes	865310	M. Tonnes
2.1	Clinker Purchased	0	M. Tonnes	0	M. Tonnes
3.	Cement Despatches	798179	M. Tonnes	914318	M. Tonnes
		Quantity M. Tonnes	Value (₹ <i>in lakhs</i>)	Quantity M. Tonnes	Value (₹ in lakhs)
4.	Opening Stock	101100	(XIII Idillio)	WI. 10111100	((mianio)
	Stock at Factory Cement OPC	1,91,11	6,56	2,15,71	8,02
	Cement PPC	34,38	1,25	24,26	1,00
	Stock at Dumps	09.04	2.02	1 11 00	4.60
	Cement OPC Cement PPC	98,94 0	3,93 0	1,11,00 14,21	4,60 76
	In Transit OPC	33,85	1,49	43,61	2,00
	In Transit PPC	4,08	19	4,32	22
	Set/ Damaged Cement Cement OPC	59,93	0	60,32	2
	Cement PPC	30,16	Ō	30,16	0
	TOTAL	4,52,45	13,42	5,03,59	16,62
	Clinker	13,59,28	21,11	13,68,44	26,68
	Clinker (Purchase)	0	0	0	0
	TOTAL	13,59,28	21,11	13,68,44	26,68
5 .	Net Sales Incl. self consumption / transfer	74 47 00	0.00.00	00.00.07	0.00.00
	(A) Cement OPC (B) Cement PPC	71,17,38 8,68,73	3,36,30 0	80,29,97 11,38,84	3,92,89 0
	(C) Self Consumption OPC	83	ŏ	46	0
	(D) Self Consumption PPC (E) Export of cement	37 0	0	0 0	0
	(E) Export of Cement				
	TOTAL	79,87,31	3,36,30	91,69,27	3,92,89
	(F) Clinker	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0
6. a					
	Stock at Factory Cement in Stock OPC	1,26,78	4,73	1,91,11	6,56
	PPC	22,23	86	34,38	1,25
	Stock at Dumps Cement OPC	42,73	3,36	98,94	3,93
	PPC	0	0	0	0
	In Transit OPC	87,19	2,07	33,85	1,49
	In Transit PPC Set / Damaged cement OPC	48 60,38	2 2	4,08 59,93	19 0
	Set / Damaged cement PPC	30,16	0	30,16	Ō
	Total	3,69,95	11,06	4,52,45	13,42
			100100000000000000000000000000000000000		

NOTE NO. 31 QUANTATIVE DETAILS (Contd...)

(₹ in lakhs)

_	PARTICULARS	CURRI	ENT YEAR	PREVIC	OUS YEAR
	 b) Closing Stock-Clinker Clinker in Stock Clinker (Purchase) c) Cement - Used for Testing Stock transfer to unit OPC Shortages during transit OPC 	13,32,09 0 0 0 0	21,54 0 0 0 0	13,59,28 0 0 0	21,11 0 0 0
	Shortages during transit PPC Shortages in Gowodon (HA)	50 0	0 0	2,49 8,08	0 0
	Total	50	0	10,57	0
7. 8.	Clinker - Used for cement grinding Raw Materials Consumed	75,90,14	2,17,42	86,62,26	2,33,56
0.	Limestone Laterite Iron ore Gypsum Shale Fly Ash Burnt Clay Others	1,11,19,04 1,14,84 1,65,35 1,42,04 2,17,70 1,52,11 2,61,97	31,26 49 4,17 3,51 78 1,24 41	1,29,36,38 93,97 2,14,26 2,12,73 4,70,82 2,24,86 33,51	35,42 32 6,15 5,50 1,67 1,16 16
	Total Raw Material Consumed		41,86		50,38
9. 10.	Value of Imports calculated on CIF basis in respect of i) Raw Materials ii) Components & Spare parts iii) Capital Goods Value of all imported Raw materials, Spare Parts & Components consumed during the Year and value of all indigenous Rawmaterials spare parts and components similary consumed and the percentage of each to total consumtion.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	- Imported	0 1,00	14 62,66	0 1,00	0 65,14
	- Indigenous Total	1,00	62,80	1,00	65,14
	Amount Remitted in Foreign Currency Earnning in Foreign Exchange	0 0	0 0	0 0	0 0

Sd/-Manish Mehta Head of Finance

Sd/-S. Sakthimani Director (Fin)/CFO

Sd/-Manoj Misra Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached For Kapoor Bhushan & Co. **Chartered Accountants** FRN No. NO-001676N Sd/-(CAP.B. KAPOOR) Partner

Place: New Delhi Dated: 30/06/2017



Membership No. 010858



NOTE NO. 32 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Accounting.

The accounts are prepared on historical cost convention adopting the accrual method of accounting except for the following items which are accounted for on cash basis.

- i) Liquidated damages/penalties/claims other than Railway & Insurance made are accounted for on realization and included in miscellaneous Income.
- ii) Profit / loss, if any, on surplus / slow moving / non-moving items etc. of stores and spares, is accounted for only in the year of their disposal.

2. Revenue Recognition.

Sales are stated inclusive of Excise Duty and excluding Vat,/ Sales Tax. Excise duty is shown separately.

3. Land & Amortization.

- i) Land given free by the state Government is valued at nominal cost or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition.
- ii) Land free hold under mining lease at quarry and land lease hold with less than 99 years lease is amortized within a period of ten years from the date of commercial production of the respective unit.

4. Investments.

- i) Long term investments are stated at cost. Permanent decline in the value of such investments is recognized and provided for.
- ii) Current investments are stated at lower of cost and quoted / fair value. Unquoted current investments are stated at cost.

5. Borrowing Costs.

Borrowing Costs that are attributable to acquisition or construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the costs of such assets. Aqualifying asset is one that takes necessarily substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to revenue.

6. Inventories.

a) Valuation

- i) Stores, spare parts and raw-materials except as indicated in (ii) below are stated at weighted average cost. The obsolete/unserviceable stores and spares when determined, are treated as scrap and valued at net realizable value.
- ii) Clinker and other semi-finished goods are stated at lower of unit's weighted average cost or net realizable value on the basis of work backformula. However, in case of negative valuation, it is stated at Nil value.
- iii) Finished goods at factories/projects/in dumps or in transit to dumps are stated at lower of units weighted average cost or realizable value. Freight included in selling expenses upto dump is included in value of finished goods lying at various dumps.
- iv) The total quantity of various scrap items as at the close of each financial year is valued as per rates available as per latest sale orders for respective items. However, where no such rates are available because of scrap having been generated for the first time or not disposed off earlier, reserve price fixed for disposal of such scrap items is adopted for the purpose of valuation.

b) Loose Tools & Tackles.

Tools and tackles are written off over a period of three years.

7. Depreciation.

- i) The financial statements have prepared under historical cost on accrual basis in compliance with applicable accounting standards specified under section 133 of the companies Act. 2013 read with Rule 7 of the companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provision of the companies Act. 2013.
- ii) Depreciation is provided on assets after they are completed and become available for use.
- iii) Depreciation on assets added during the year is charged prorata from the date they are capitalized and upto the date these are discarded, /Sold / demolished/ destroyed.
- iv) Any individual asset whose written down value is ₹ 5000/- or less at the beginning of the year is fully depreciated during the year without retaining the residual value as it is considered insignificant.
- v) Any individual asset costing upto ₹5000/- purchased during the year is taken to gross block and depreciated fully in the same year.

8. Deferred Revenue Expenditure.

- i) Expenditure on Prospecting and Boring is treated as Deferred Revenue Expenditure and charged off in three to five years after Units go into commercial production.
- ii) Expenditure incurred on removal of over-burden etc. at the mines which is utilized for capital works like laying roads, stockyard, crusher ramp etc. is capitalized. The rest of the expenditure incurred on removal of over-burden etc. is treated initially as 'Deferred Revenue Expenditure' and is charged off over the period for which the limestone exposed out of quarry development is available for exploitation.
- iii) The cost of internal partitions and other fixtures in rented buildings are directly charged off in the year of installation, but if the cost is more than rupees one lakh, the same is treated as Deferred Revenue Expenditure and is charged off in three to five years.
- iv) After start of commercial production of a Unit, initial full charge of high-chrome grinding media is treated as Deferred Revenue Expenditure and written off over a period of three years. However, make up charges are charged to Statement of Profit & Loss.
- v) In case there is no un-utilized grant/subsidy for Voluntary Retirement Scheme (VRS), then terminal benefits which are attributable to VRS payment equivalent to one and a half months wages for each completed year of service or wages for the balance period of service, whichever is less and notice period pay are deferred and charged off during the remaining period of service of the individuals or in a maximum period of 5 years, whichever is less. However, any expenditure incurred on VRS/VSS on or after1/4/2003 will be recognized as an expense when it is incurred and charged off wholly in that year itself.

9. Prior Period/Extra-ordinary Adjustments.

Expenditure / Receipts relating to the particular year, coming to notice after closure of the Accounts i.e. after the cut off date are booked under the relevant head of expenditure / receipt of the next year, if the amount involved is not more than ₹10,000/-. In case, the amount is more than ₹10,000/- the provisions contained in the Accounting Standard-5 of the Institute of Chartered Accountants of India are applied for determination of its accountal under natural head of accounts of current year / prior period / extra ordinary Expenditure / Receipts.

10. Accountal of Foreign Exchange Transaction.

Foreign loan liabilities are translated at the closing market exchange rates. Gains or losses on settlement of transactions (a) during project period are credited/ debited to the relevant cost of equipment those relating to spares and service are credited/ debited to IEDC, (b) after project has gone into commercial production, the gains/ losses are credited/ debited to the relevant cost of equipment but those relating to spares and services





are charged off to Statement of Profit & Loss. Depreciation on such adjustment to fixed assets is adjusted prospectively.

11. Government Grants/ Subsidies.

- i) Government Grants/ Subsidies related to specific fixed assets are deducted from the gross value of the concerned assets in arriving at their book value. Where the grants related to specific fixed assets equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the asset is valued at nominal value or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition/ installation.
- ii) Grants for Voluntary Retirement Scheme, Transport Subsidy and other Revenue Grants are deducted from the related expenditure.
- iii) Government Grants received under Central Investment Subsidy Scheme included in Central Government Incentive for Industries in backward areas and other similar grants received from the State Governments, where no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as Capital Reserve.
- iv) Capital/Revenue Grants/Subsidies, other than those specified above, are accounted for as per Accounting Standard-12 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

12. Claims of the Corporation.

- i) Insurance claims are brought to account on the basis of Surveyor's Report and / or on the basis of claims lodged where on account payments have been received. In case, however, where surveyor's Report for events of loss occurred upto 31st March is not received before closing of the Accounts, the disclosure to that effect is made in the form of Notes to the Accounts.
- ii) Railway claims are brought to account on lodging of the claims.

13. Deposit Works.

In respect of Deposit Works in progress, the same are treated as Corporation's Capital-work-in-Progress and Incidental Expenditure during Construction Period is proportionately added to the Deposit Work when the ownership is transferred and capitalized.

14. Staff Benefits.

- i) Provision for gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972 and Company's own Gratuity Scheme is made in respect of all employees in service as on 1st January of each year in accordance with the acturial valuation.
- ii) Provision for earned leave / half pay leave etc. which is encashable on retirement or death of an employee is made in respect of employees in service as on 1st January of each year in accordance with the acturial valuation.
- iii) Liability for bonus is provided as per the provisions of Payment of Bonus Act, 1965 on Unitwise basis and not Corporation as a whole. The liability for bonus for the Corporate Office is provided at a rate which is average of the rates at which the bonus is provided for the other Units.

15. Premium on Redemption of Debentures.

Premium payable on redemption of debentures is charged to Statement of Profit & Loss/IEDC Account in such equal instalments as the duration of debentures commencing from the year in which debentures are allotted.

16. Pre-paid Expenses.

Expenditure of ₹10,000/- or less in each case incurred in advance of the following year(s) are charged off as expenses of the current year.

17. Accounting for Bad & Doubtful Debts/ Loans / Advances etc.

i) Provision is made for doubtful debts/loans and advances when the same is considered doubtful of recovery

but chances of recovery subsist.

ii) Amounts are written off, when the efforts for recoveries have failed either due to legal process or where it is considered litigation will not be fruitful and recovery is not possible.

18. Inter unit/ Zones / Corporate Office transfers.

- i) Finished goods transferred by the Units are initially valued at Despatch Plan rates and the quantity sold is then settled by the Zones at the actual net realizable value.
- ii) Inter Unit/ Zones / Corporate Office transfers of Fixed assets etc. are accounted for at book value.
- iii) Inter Unit Transfer of clinker is accounted for at its realizable rates (by work back method from cement) and its losses in transit are absorbed in cost by the receiving Unit.
- iv) Inter Unit/ Zones/ Corporate Office balances are reconciled regularly and balance confirmations obtained.

19. Classification of Expenditure.

- i) Expenditure incurred on Repairs & Maintenance of fixed assets, including cost of stores & spares except as shown as in (ii) below, are charged to Statement Profit & Loss.
- ii) Expenditure incurred on repairs and maintenance of fixed assets including cost of stores & spares that increase the future benefits from the existing assets beyond its previously assessed standard of performance is capitalized e.g. an increase in capacity.
- iii) Salaries and Wages

Salaries and wages incurred on Repairs and Maintenance of Plant & Machinery, Buildings etc. are charged directly to Salaries and Wages Account.

iv) Other Sundry Expenses

Expenditure on parks, plantation of trees and purchase of tents and tarpaulins etc. are charged off as revenue expenditure.

20. Indirect Expenses on Expansion Projects/ New Projects Adjacent to the Existing Plant.

The common expenses on administration, supervision etc. incurred by the existing plants are not charged to the Expansion Project/ New Projects adjacent to the existing plants.

21. Allocation of Corporate Office Expenditure.

Net Revenue Expenditure / Income of the Corporate Office is allocated to all the units and projects under construction on estimates based on the probable benefits or relatable to the different Units or projects as decided by the management to their best assessment and judgment.

Sd/-Manish Mehta Head of Finance Sd/-S. Sakthimani Director (Fin)/CFO Sd/-Manoj Misra Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached For Kapoor Bhushan & Co. Chartered Accountants FRN No. NO-001676N

> Sd/-(CA P.B. KAPOOR) Partner Membership No. 010858

Place: New Delhi Dated: 30/06/2017





Cash Flow Statement for the Year ended 31st March 2017

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	_	DADTIOLII ADO	•	•	.		(\ III Lakiis)	
CASH FROM OPERATING ACTIVITIES Net Profit before tax as per statement of P&L add:-Add/Justment for Depreciation and amortisation (net) 5,32 6,53 1,33 1,37 6,65 7,90 Profit on disposal of Fixed Assets (1) (2) 0 0 (1) (2) Profit on doubtful debts/loans and advances 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 17,76 2,59 1,78 1,78 2,25 2,23 0,18 2,29 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0 0 0 1,76 2,59 0 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0 0 0 0 0,17 0,18 0,18 0 0 0 0 0,17 0,18 0,18 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0		PARTICULARS						
Net Profit before tax as per statement of P&L Add-Adjustment for Depreciation and amortisation (net)			2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Add:-Adjustment for Depreciation and amortisation (net) Profit on disposal of Fixed Assets (1) (2) 0 0 0 (1) (2) Provision for doubtful debts/loans and advances Finance Cost 1,13 1,10 1,12 1,13 2,25 2,23 DRE Adjusted 1,76 2,59 0 0 0 1,76 2,59 Less: Interest Income & Miscellaneous receipts Other Excess Provision Written Back (2,47) (12,16) (51) (24) (2,98) (12,40) Exceptional Income Miscellaneous receipts Other Excess Provision Written Back (2,47) (12,16) (51) (24) (2,98) (12,40) Exceptional Income (64,63) 0 0 0 (64,63) 0 O (64,63) 0 O (64,63) 0 O (64,63) O O (64,6	I.	CASH FROM OPERATING ACTIVITIES						
Depreciation and amortisation (net) 5,32 6,53 1,33 1,37 6,65 7,90		Net Profit before tax as per statement of P&L	16,60	61,38	25,73	(7,87)	42,33	53,51
Profit on disposal of Fixed Assets		Add:-Adjustment for						
Provision for doubful debts/loans and adwances 14		Depreciation and amortisation (net)	5,32	6,53	1,33	1,37	6,65	7,90
Finance Cost 1,13 1,10 1,12 1,13 2,25 2,23 DRE Adjusted 1,76 2,59 0 0 1,76 2,59 Cass: Interest Income & Miscellaneous receipts (32,09) (43,71) (7,20) (6,98) (39,29) (50,68) (12,40) Cass: C		Profit on disposal of Fixed Assets	(1)	(2)	0	0	(1)	(2)
DRE Adjusted 1,76 2,59 0 0 1,76 2,59 Less:- Interest Income & Miscellaneous receipts (32,09) (43,71) (7,20) (6,98) (39,29) (50,69) Other Excess Provision Written Back (2,47) (12,16) (51) (24) (2,98) (12,40) Exceptional Income (64,63) 0 0 0 (64,63) 0 O O (64,63) O O O O (64,63) O O O O O O O O O		Provision for doubtful debts/loans and advances	14	0	0	0	14	0
Less: Interest Income & Miscellaneous receipts (32,09)		Finance Cost	1,13	1,10	1,12	1,13	2,25	2,23
Interest Income & Miscellaneous receipts (32,09) (43,71) (7,20) (6,98) (39,29) (50,69)		DRE Adjusted	1,76	2,59	0	0	1,76	2,59
Other Excess Provision Written Back (2,47) (12,16) (51) (51) (24) (2,98) (12,40) Exceptional Income (64,63) 0 0 0 (64,63) 0 Operating Profit Before Working Capital : Adjustment For Increass/Increase in Operating Assets: Inventories 15,71 20,47 (12,59) (53,78) 3,12 Changes in working Capital : Adjustment For Increass/Increase in Operating Assets: Inventories 1,43 1,01 0 19 1,43 1,20 Trade receivable (86) (3,78) 0 0 (86) (3,78) Short and Long term Loans & Advances 0								
Exceptional Income (64,63) 0 0 0 (64,63) 0				(43,71)	(7,20)	(6,98)	(39,29)	(50,69)
Capital Change:- (74,25) 15,71 20,47 (12,59) (53,78) 3,12		Other Excess Provision Written Back	(2,47)	(12,16)	(51)	(24)	(2,98)	(12,40)
Capital Changes: Changes in working Capital: Adjustment For (increase)/ideocrease in operating Assets: Inventories Trade receivable Short and Long term Loans & Advances Adjustment For (increase)/ideocrease in operating Assets: Inventories Trade receivable Short and Long term Loans & Advances Other Current Assets O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Exceptional Income	(64,63)	0	0	0	(64,63)	0
Capital Changes: Changes in working Capital: Adjustment For (increase)/ideocrease in operating Assets: Inventories Trade receivable Short and Long term Loans & Advances Adjustment For (increase)/ideocrease in operating Assets: Inventories Trade receivable Short and Long term Loans & Advances Other Current Assets O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
Changes in working Capital: Adjustment For (Increase)/decrease in operating Assets: Inventories 1,43 1,01 0 19 1,43 1,20 1,740 1,450 1								
Adjustment For (Innewase)Intercesse in operating Assets: Inventories			(74,25)	15,71	20,47	(12,59)	(53,78)	3,12
Inventories		<u> </u>						
Trade receivable Short and Long term Loans & Advances (4,90) (3,25) (2) 79 (4,92) (2,46) Other Current Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-						
Short and Long term Loans & Advances Other Current Assets Other Current Assets Other Non Current Assets Other Increase) Horerasse in operating Link littles Trade Payable Other Long and Current Liabilities Its,86 (15,87) (1,74) 1,46 14,12 (14,41) Short and Long Term Provision Its,88 1137 12 56 12,00 11,93 DRE (Addition) Other Long and Current Liabilities Other Long and Current Liabilities Its,86 (15,87) (1,74) 1,46 14,12 (14,41) Short and Long Term Provision Its,88 1137 12 56 12,00 11,93 (3,96) Other Long and Current Liabilities Its,86 (15,87) (1,74) 1,46 14,12 (14,41) Other Cash Flow From Provision Its,86 (15,87) (1,74) 1,46 14,12 (14,41) Other Cash Flow From Provision Its,86 (15,87) (1,74) 1,46 14,12 (14,41) Other Cash Flow From Provision Other Net Cash Flow From Provision Other Secured States Other Net Cash After Investing Activities Other Net Cash From Financing Activities Other Net Cash Flow From Provision Other Secured States Other Net Cash Flow From Provision Other Secured States Other Net Cash From Financing Activities Other Net Cash From Financing Activities Other Net Cash Flow From Provision Other Secured States Other Net Cash Flow From Provision Other Secured States Other Net Cash From Financing Activities Other Secured States Other Net Cash Flow From Provision Other Secured States Other Net Cash Flow From Provision Other Secured States Other Net Cash From Financing Activities Other Secured States Other Net Cash Flow From Provision Other Secured States Other Secured States Other Secured States Other Secure							-	
Other Current Assets Other Non Current Assets Other Long Adjustment For (Increases) decrease in operating Liabilities Trade Payable Other Long and Current Liabilities I15,86 Other Long and Current Provision I1,88 I137 I12 I136 Other Long Term Provision I1,88 I137 I12 I14 I156 I1586 I16,87) I1744 I1,46 I14,12 I193 I193 I193 I199 I19,59) I19,59) I19,59) I19,59) I19,59) I19,59) I19,60 I19,6					-	_		
Other Non Current Assets Adjustment For (Increase) ideocrease in operating Liabilities Trade Payable Other Long and Current Liabilities Short and Long Term Provision DRE (Addition) Net Cash From Operating Activities Purchase of Fixed Assets Purchase of Fixed Assets Intrest and other receipts Work in Progress (10,81) Net cash After Investing Activities Share Capital Funds transferred to non-operating units Loan Repayment to Govt of India Secured & Unsecured Loans Interest and other Receipts O		-		,			(4,92)	
Adjustment For (Increasse) the operating Link Itiliaes Trade Payable Cother Long and Current Liabilities 15,86 (15,87) (1,74) 1,46 14,12 (14,41)			-		_			-
Trade Payable Other Long and Current Liabilities Other Long and Current Liabilities Short and Long Term Provision DRE (Addition) Net Cash From Operating Activities Purchase of Fixed Assets Purchase of Fixed Assets Intrest and other receipts Receipt on sale of Fixed Assets Intrest and Sale of Fixed Assets Intrest and Other Intrest Interest Intrest Intrest Interest			0	0	0	0	0	0
Other Long and Current Liabilities 15,86 (15,87) (1,74) 1,46 14,12 (14,41) Short and Long Term Provision 11,88 1137 12 56 12,00 11,93 DRE (Addition) (1,98) (3,96) 0 0 (1,98) (3,96) Net Cash From Operating Activities (48,90) (83) 18,92 (9,59) (29,98) (10,42) II. Cash Flow From Investing Activities (1,96) (3,01) 0 (2,39) (1,96) (5,40) Intrest and other receipts 33,90 42,38 7,20 7,00 41,10 49,38 Receipt on sale of Fixed Asets 1 2 0 0 1 2 Work in Progress (10,81) 1,41 0 0 (10,81) 1,41 Net cash After Investing Activities (27,76) 39,97 26,12 (4,98) (1,64) 34,99 III. Cash from Financing Activities 0 0 0 0 0 0 0 Funds transfer				(2.22)				(0.00)
Short and Long Term Provision 11,88 1137 12 56 12,00 11,93 (3,96)		-	-		_	_	-	
Net Cash From Operating Activities (48,90) (83) 18,92 (9,59) (29,98) (10,42)								
Net Cash From Operating Activities (48,90) (83) 18,92 (9,59) (29,98) (10,42)								
II. Cash Flow From Investing Activities Purchase of Fixed Assets (1,96) (3,01) 0 (2,39) (1,96) (5,40) (5,40) Intrest and other receipts 33,90 42,38 7,20 7,00 41,10 49,38 Receipt on sale of Fixed Asets 1 2 0 0 0 1 2 Work in Progress (10,81) 1,41 0 0 0 (10,81) 1,41		DRE (Addition)	(1,98)	(3,96)	U	0	(1,98)	(3,96)
II. Cash Flow From Investing Activities Purchase of Fixed Assets (1,96) (3,01) 0 (2,39) (1,96) (5,40) (1,96) (5,40) (1,96)		Not Cook From Operating Activities	(40.00)	(0.2)	40.00	(0.50)	(20.00)	(40, 40)
Purchase of Fixed Assets (1,96) (3,01) 0 (2,39) (1,96) (5,40) Intrest and other receipts 33,90 42,38 7,20 7,00 41,10 49,38 Receipt on sale of Fixed Asets 1 2 0 0 0 1 2 Work in Progress (10,81) 1,41 0 0 0 (10,81) 1,41			(48,90)	(83)	18,92	(9,59)	(29,98)	(10,42)
Intrest and other receipts 33,90 42,38 7,20 7,00 41,10 49,38 Receipt on sale of Fixed Asets 1 2 0 0 0 1 2 2 Work in Progress (10,81) 1,41 0 0 0 (10,81) 1,41 1,41 Net cash After Investing Activities (27,76) 39,97 26,12 (4,98) (1,64) 34,99			(4.06)	(2.01)	0	(2.20)	(4.06)	(F. 40)
Receipt on sale of Fixed Asets 1								
Work in Progress (10,81) 1,41 0 0 (10,81) 1,41 Net cash After Investing Activities (27,76) 39,97 26,12 (4,98) (1,64) 34,99 III. Cash from Financing Activities 0		•						
Net cash After Investing Activities (27,76) 39,97 26,12 (4,98) (1,64) 34,99			•	_	•	· ·	•	_
Cash from Financing Activities Share Capital O O O O O O O O O		Work in Flogress	(10,01)				(10,01)	
Cash from Financing Activities Share Capital O O O O O O O O O		Net cash After Investing Activities	(27.76)	39 97	26.12	(4 98)	(1 64)	34 99
Share Capital 0 <	ш		(21,10)	00,07	20,12	(1,00)	(1,04)	0 1,00
Funds transferred to non-operating units Loan Repayment to Govt of India O Secured & Unsecured Loans Interest and other Receipts O Interest Paid Net Cash from Financing Activities Net Increase(+)/ Decrease(-) in Cash & cash Equivalents 26,19 (4,88) (26,19) 4,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0
Loan Repayment to Govt of India 0								
Secured & Unsecured Loans (12,75) 0 0 0 (12,75) 0 Interest and other Receipts 0 0 0 0 0 0 0 Interest Paid (10) (4) 0 0 (10) (4) Net Cash from Financing Activities Net Increase(+)/ Decrease(-) in Cash & Cash Equivalents (14,42) 35,05 (7) (10) (14,49) 34,95		•						
Interest and other Receipts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0			_				•	
Interest Paid (10) (4) 0 0 (10) (4) Net Cash from Financing Activities Net Increase(+)/ Decrease(-) in Cash & cash Equivalents (14,42) 35,05 (7) (10) (14,49) 34,95								-
Net Cash from Financing Activities Net Increase(+)/ Decrease(-) in Cash & cash Equivalents (14,42) 35,05 (7) (10) (14,49) 34,95			_		_		_	_
Net Increase(+)/ Decrease(-) in Cash —			(.0)	(')		J	(.0)	(')
& cash Equivalents (14,42) 35,05 (7) (10) (14,49) 34,95								
			(14.42)	35.05	(7)	(10)	(14.49)	34.95
		Cash And cash Equivalents (Opening)	2,31,34	1,96,29	10	20	2,31,44	1,96,49
Cash And cash Equivalents (Closing) 2,16,92 2,31,34 3 10 2,16,95 2,31,44								

Reconciliation of Cash and Bank Balances:

		(₹ in Lakhs)
	Current Year	Previous Year
Cash in Hand	1	2
Cheque in Hand	1,58	3,58
Bank Deposits	1,91,71	2,12,45
Current Accounts	13,59	7,41
Bank Balance held under - Guarantees	7,06	7,98
- Letter of Credits	3,00	0
Total	2,16,95	2,31,44
		

- 1. Additional working capital, as when needed, is proposed to be met out of own cash resources.
- 2. Bank deposits includes deposits of ₹ 13942.01 Lakhs (Previous year ₹ 1303.94 Lakhs) whose maturity period is more than 12 months.

Sd/-Manish Mehta Head of Finance

Place: New Delhi

Dated: 30/06/2017

Sd/-S. Sakthimani Director (Fin)/CFO Sd/-Manoj Misra Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
For Kapoor Bhushan & Co.
Chartered Accountants
FRN No. NO-001676N
Sd/(CA P.B. KAPOOR)
Partner
Membership No. 010858

Details of Investment & Expenditure on Social Overheads

(₹ in Lakhs)

		(ζ ΙΙΙ Εάκτιο)
PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CAPITAL INVESTMENT		
Township	20,41	20,41
Vehicles, Furniture & Misc. Equipment	1,64	1,64

TOTAL-CAPITAL INVESTMENT	22,05	22,05
	8888888888888888888	188888888888888888888888888888888888888
EXPENDITURE ON SOCIAL OVERHEADS		
Upkeep & Maintenance of Township	38	76
Depreciation	26	26
Subsidised Canteen	59	59
Subsidised Education	69	97
Subsidised Social & Clutural Activities	9	18
Other Expenses	30	28
	***************************************	BERKERSBERKERSBER
TOTAL	2,31	3,04
DEDUCTION: RECEIPTS FROM TOWNSHIP	49	45
	38383838383838883838883	8388383838383838383
TOTAL NET EXPENDITURE ON SOCIAL OVERHEAD	1,82	2,59
	383838383838883838883	



सी सी आई CCi

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Revised)

TO THE MEMBERS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED, NEW DELHI.

To,
The Members,
Cement Corporation of India Ltd
New Delhi

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED ("the Company") CIN No -U74899DL1965 Gol004322 which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2017, and Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated eleven units (Mandhar, Tandur, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon, Nayagaon Expansion and Delhi Grinding unit, Kurukunta, Adilabad, Bokajan & Silchar Grinding Unit) audited by the branch auditors appointed by the Comptroller and Auditor General Of India and Rajban (Himachal Pradesh), Bhatinda Grinding Unit and Corporate Office audited by us. This revised Independent Auditor's has been issued on compliance of observations made by the Comptroller and Auditor General of India.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy

and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

BASIS FOR QUALIFIED OPINION:-

- a. Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, the allotment of land measuring 20.20 acres on leasehold basis for 99 years in respect of Delhi Grinding Unit has been cancelled by Delhi Development Authority. Sequal of dismissal of writ petition, DDA sue moto transferred the land measuring 14.20acres to SDMC on dated 11-04-2017. Physical possession of land still with the company. [Refer Point No.3 of Note-30].
- Non Determination and non-provision of the liability arising out of alienation order is still awaited from revenue department in respect of government land

outside CCI'S Adilabad Township and used as road from pump house to national highway. [Refer Point No.5 of Note 30].

- c. The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation [Refer Point No. 12 of Note 30]
- d. The balance of certain trade receivable Loan and advances. Trade Payables, Deposits to and from parties and other liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No. 22 of Note 30].
 - the company has seven factories and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to point No.11 of Note 30. In view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required become market value expected is normally more than the book value of the Assets. [Refer Point No.11 of Note 30].
- f. The company had issued 3554325 Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹1000/- each for a value of ₹355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for reissue of preference share has been sought from Ministry as per cabinet / BIFR direction. [Refer Point No.13 of Note 30].
- g. No effect has been given in accounts for claims / counter claims lodged by the company for ₹76.63 crores against various parties which are under Arbitration/pending in Courts etc. As the matters are pending before court, the same can not be assessed at this stage. [Refer Point No. 1 of Note 30].
- h. In Note No. 29, the Company has included an Amount of ₹ 364.49 crores under Contingent Liabilities as claims against the Company not acknowledged as debts on Account of tariff minimum charges payable to M. P. Electricity board in respect of Akaltara and Mandhar units. The matter is pending before court and outcome of this

can not quantified at this stage.

OPINION

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2017, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

EMPHASIS OF MATTER

We draw attention to following matters referred to in the Notes to the financial statements:

- a) The financial statements of the company have been prepared on going concern basis despite:
 - It being declared a sick company within the meaning of clause (O) of Section 31 of sick industrial companies (special provision) act 1985.
 - Company has paid up capital and reserves more than accumulated losses.
 - III. BIFR sanctioned scheme pursuant to its order dated 3rd May 2006 for sale of seven factories of the Company including two units under Nayagaon expansion.

The company's ability to remain going concern is largely contingent on the successful implementation of revival scheme as envisaged in the BIFR package [Refer Point no. 9 of Note 30). The financial statements do not include any adjustment relating to recoverability and classification of recorded assets and liabilities that may be necessary if the company is unable to continue as going concern.

- b) Assessments for the AY 2006-07 & 2007-08 have been completed U/s 143(3) read with section 147 of the Income tax Act'1961 resulting into certain disallowances. As a result, assessed brought forward losses of the Company have been reduced by ₹ 973.00 crores against which the company had filed appeals which are pending before Appellate Authorities. Appellate Authorities vide order dated 23-12-2016 set—aside the orders and remand back to Assessing officer for reassessment for the both the financial years. [Refer Point No.2(ii) of Note 30].
- c) Draft Rehabilitation Scheme (DRS) approved by BIFR vide order dated 03.05.2006 was to be implemented into 2 (two) phases of which first phase





- totally funded by GOI and it was completed. Second phase was to be completed by 2007-08 out of Sale proceeds of 7 (Seven) non-operating units, as on date no significant progress seems to have taken place in this direction. However, sale of these non-operating units are under progress as per direction given by NITI Aayog (Refer point no. 11 of Note 30)
- d) In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company does not spend an amount during the year 2016-17 towards Corporate Social Responsibility, hence total amount of ₹73 lakhs is unspent based on average net profit of last 3 years. (Refer Point No. 23 of Note 30)

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

- 1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation give to us, we give in the 'Annexure A', a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order.
- 2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, in the Annexure I and Annexure II on the directions and sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
- 3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
- c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

- d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- e) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.
- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".
- g) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note No 29 to the financial statements.
 - The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii. There has not been any amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and Rules made there under.
 - iv. The company had provided requisite disclosure in its financial statements as to holdings as well as dealing in specified Bank Notes during the period from 8th Nov'2016 to 30th Dec'2016. These are in accordance with the books of accounts maintained by company

For KAPOOR BHUSHAN & Co. Chartered Accountants FRN: 001676N

> Sd/-(CA P.B.KAPOOR) Partner M.No 010858

PLACE: DELHI DATE 2nd August, 2017

Annexure to the Auditors' Report

[Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the members of CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD on the accounts for the year ended 31st March, 2017]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and Explanations given to us during the course of our audit, we report that:

- I. In respect of its fixed assets:
- (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the fixed assets.
- (b) As explained to us, fixed assets (except at some units) have been physically verified by the management during the year in accordance with the phased programme of verification adopted by the management which, in our opinion, provides for physical verification of all the fixed assets at reasonable intervals. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.
- (c) Title deeds of immovable properties are held in name of the Company excepts some of the units as mentioned in the branch audit reports. Some Title deeds of land of the Company are yet to be executed. [Refer Point No.3 of Note 30]
- II. In respect of its inventory:
- (a) As explained to us, the inventories of finished goods, semi-finished goods, and A&B category of stores, spare parts and raw materials were physically verified at the end of the year by the Management. As regard inventory of C category of spare parts, the management has a system of physical verification so that all items are physically verified at least once in the block of three years. Accordingly, a part of such inventory was physically verified during the year. There are no inventories lying with third parties.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has maintained proper records of its inventories and no material discrepancies were noticed on physical

- verification of stocks as compared to book records.
- III. In respect of loans, secured or unsecured, granted to the parties covered in register maintained under section 189 of the Companies Act 2013.
 - According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans to companies, firms, limited liability partnership or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013; and therefore paragraph 3(iii) of the Order is not applicable.
- IV. In respect of loans, investments, guarantees, and security, provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with.
- ٧. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has not accepted deposits and does not have any unclaimed deposits. Therefore, the provisions of clause 3(v) of the order are not applicable to the Company.
- VI. We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Rules made by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that prima facie the prescribed cost records have been made and maintained. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determining whether they are accurate or complete.
- VII. In respect of statutory dues:
 - According to the records of the Company and (a) information and explanations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, employees state insurance (ESI), Investor Education and Protection Fund, Income-tax, Tax deducted at sources, Tax collected at source, Professional Tax, Sales Tax, value added tax (VAT), service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it, with the appropriate authorities. In the following undisputed cases, the payment is in arrear as at Balance Sheet date for a period of more than six months from the date they became payable:





Nature of Statute	Nature of dues	Amount (₹ In Lakhs)
Local Sales Tax	Sales Tax	2043.41
Corporation Tax	NALA Tax	70.05
Corporation Tax	Property Tax	769.20
Service Tax	Service Tax	2.29
Excise & Customs	Excise Duty	11.20
Corporation Tax	Royalty	960.45
Corporation Tax	Entry Tax	5.53
Income tax	Interest on Late payment of Income tax	0.22
Central Sales tax	CST	9.40
Local sales Tax	Surcharge / Additional tax	13.26
Industries (Development and Regulation) Act, 1951	Cess on Cement	18.03

(b) According to the information and explanations given to us, there were no undisputed amounts payable in respect of Income-tax, Custom Duty, Excise Duty, sales tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears /were outstanding as at 31 March, 2017 for a period of more than six months from the date they became payable except in the following cases:

Particulars	Nature Of Dues	Where Pending	Amount (₹ in Lakh)
Sales Tax	Sales Tax	APST Tribunal / Financial Commissioner/ Appropriate Authority	1557.96
ESI Contribution	ESI Contribution on contract labour	Hon'ble BIFR and Regional Director-ESIC	72.84
Income tax penalty	Penalty U/s 271(1) (c) of the Income tax Act'1961	Commissioner of Income Tax (Appeals)	2961.98

Property Tax	Property Tax	Local Panchayat	165.24
Service Tax	GTA Service	Commissioner (Appeal) Central Excise & Service Tax	38.73
Excise & Customs	Excise Duty	Appellate Authority	551.64

VIII. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has defaulted in the repayment of principal amount of loans and interest thereon in respect of dues, as per details given here as under:

Particulars	Amount in Lakhs	Period of Default
Inter Corporate Borrowings	2125.00	More than 14 years
Govt. of India including Interest	27475.00	From 2011

During the year company has settled loan in respect of M/s ONGC and M/s Goa Shopyard Limited (Refer point No. 18(i) & (ii) of Note 30)

- IX. Based on our audit procedures and according to the information given by the management, the Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or taken any term loan during the year.
- X. According to the information and explanations given to us, we report that no fraud by the Company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- XI. The provision of Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to Government Companies .According, the provisions of clause 3(xi) of the order are not applicable to the Corporation.
- XII. The Company is not a Nidhi Company and Nidhi Rules, 2014 not applicable to it as such the provision of Clause 3(xii) of the Order are not applicable on the Company.

- XIII. According to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 have been disclosed in financial statement as required under Accounting standard (AS) 18, Related Party Disclosures specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent applicable to the state Controlled entities.
- **XIV.** The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or

- fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, provision of Clause 3 (xiv) of the order are not applicable.
- XV. The Company has not entered into any noncash transactions with its directors or persons connected with him. Accordingly, provision of Clause 3 (xv) of the order are not applicable.
- XVI. The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For KAPOOR BHUSHAN & Co. Chartered Accountants FRN: 001676N

> Sd/-(CA P.B.KAPOOR) Partner M.No 010858

PLACE: DELHI DATE 2nd August, 2017



सी सी आई CCi

Annexure 'B'

Report on Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD** ("the Company") as of March 31, 2017 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal

financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation;
- provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the corporation are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the corporation; and
- provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For KAPOOR BHUSHAN & Co. Chartered Accountants FRN: 001676N

> Sd/-(CA P.B.KAPOOR) Partner M.No 010858

PLACE: DELHI

DATE 2nd August, 2017





Annexure-I

Compliance Report for Directions under section 143(5) of Companies Act, 2013 for the year ended 31st March, 2017

1	Whether the company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and lease hold land for which title/ lease deeds arenot available?	The Company has clear title deeds excepts the land which are reported in the financial statement at point no 3 of note no 30. According to information and explanation given to us, reasonable steps have been taken by the Company for getting the titles of these land in its favour.
2	Whether there are any cases of waiver/ write off of debtors/ loans/ interest etc., if yes, the reasons there for and amount involved.	During the year company settled outstanding loans and got waiver of interest/ principal amounting to ₹64.63 crores.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assetsreceived as gift/ grant (s) from the Govt. or other authorities.	The Company is not having any inventories lying with third parties. According to Information and explanations given to us, there are no gifts/ grants received from Government or other Authorities during the year.

Annexure -II

Sub-Directions under section 143(5) of Companies Act 2013 for the year 2016-17

On the basis of the Books of accounts of the Company, the reply to the following questions and/or information are given below::-

1. Employee Benefits

Information/inputs furnished to Actuary, viz number of employees, average salary, retirement age and assumptions made by the Actuary regarding discount rate, future cost increase, mortality rate, etc for arriving at the provision for liability of retirement benefits, viz gratuity, leave encashment, post-retirement benefits has been duly verified for the Corporation from the actuarial valuation and found in order.

2. BIFR Scheme

The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 8.8.96. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/S IFCI(OA) and approved by Govt. Of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which interalia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological up-gradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at six units and employees has been separated under VSS . Employees union of Adilabad unit had files writ petition before Hon'ble High Court of Andhra Pradesh and ordered to maintained status quo . Sequel to dismissal of writ petition by Hon'ble High Court of Andhra Pradesh , the Adiladad unit stand closed.

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT PURSUANT TO PROVISION OF THE COMPANIES ACT, 2013

Management's replies to the observations stipulated in the Revised Auditor Report dated 02-08-2017 are given here under:

S.No	Qualifications	Management Reply
1.	 a. Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, the allotment of land measuring 20.20 acres on leasehold basis for 99 years in respect of Delhi Grinding Unit has been cancelled by Delhi Development Authority. Sequel of dismissal of writt petition, DDA sue moto transferred the land measuring 14.20 acres to SDMC on dated 11.04.17. Physical possession of land still with the company. Refer Point No.3 of Note-30]. 	The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30, which is a forming part of the Annual Accounts.
	b. Non Determination and non-provision of the liability arising out of alienation order is still awaited from revenue department in respect of government land outside CCI'S Adilabad Township and used as road from pump house to national highway. [Refer Point No.5 of Note 30].	The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30, which is a forming part of the Annual Accounts.
	c. The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation [Refer Point No. 12 of Note 30]	The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30, which is a forming part of the Annual Accounts.
	d. The balance of certain trade receivable, Loan and advances. Trade Payables, Deposits to and from parties and other liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No.22 of Note 30].	The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30, which is a forming part of the Annual Accounts.
2.	BASIS FOR QUALIFIED OPINION - e	
	e. The company has seven factories and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to point No.11 of Note 30. In view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required become market value expected is normally more than the book value of the Assets. [Refer Point No.11 of Note 30].	The position regarding impairment of Assets of Non-operating units has been adequately explained in point no. 11 of Note 30 of the Annual Accounts.
3.	BASIS FOR QUALIFIED OPINION – f	
	f. The company had issued 3554325 Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹ 1000/- each for a value of ₹ 355.43 crores to Govt. of India on 22 nd March 2007 for 7 (seven) years.	The matter regarding re-issue of preference shares has been taken with DHI, which has also been





S.No	Qualifications	Management Reply
	As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re-issue of preference share has been sought from Ministry as per cabinet/BIFR direction.[Refer Point No.13 of Note 30].	adequately explained in point no. 13 of Note-30 of Annual Accounts
4.	BASIS FOR QUALIFIED OPINION – g,h	
	g. No effect has been given in accounts for claims / counter claims lodged by the company for ₹ 76.63 crores against various parties which are under Arbitration/pending in Courts etc. As the matters are pending before court, the same can not be assessed at this stage. [Refer Point No.1 of Note 30].	Matter relate with claims / counter claims of the Corporation which is under sub-judice and can not be assessed at this stage, the same has been disclosed in Note 29 and Note 30 of Annual Accounts
	h. In Note No. 29, the Company has included an Amount of ₹ 364.49 crores under Contingent Liabilities as claims against the Company not acknowledged as debts on Account of tariff minimum charges payable to M. P. Electricity board in respect of Akaltara and Mandhar units. The matter is pending before court and outcome of this can not quantified at this stage.	Matter relate with claims of the Corporation which is under sub-judice and can not be assessed at this stage, the same has been disclosed in Note 29 and Note 30 of Annual Accounts
	EMPHASIS OF MATTER	
	b) Assessments for the AY 2006-07 & 2007-08 have been completed U/s 143(3) read with section 147 of the Income tax Act'1961 resulting into certain disallowances. As a result, assessed brought forward losses of the Company have been reduced by ₹973.00 crores against which the company has filed appeals which are pending before Appellate Authorities. Appellate Authorities vide order dated 23,12.2016 set-aside the orders and remand back to Assessing Officer for reassessment for both the financial years. [Refer Point No.2(ii) of Note 30].	The position has been adequately disclosed in the relevant point no. 2 (ii) of Note 30 forming part of the Financial Statement.
	c) Draft Rehabilitation Scheme (DRS) approved by BIFR vide order dated 03.05.2006 was to be implemented into 2 (two) phases of which first phase totally funded by GOI has been funded are completed. Second phase was to be completed by 2007-08 out of Sale proceeds of 7 (Seven) non-operating units, as on date no significant progress seems to have taken place in this direction. However, Sale of these non-operating units are under progress as per direction given by NITI Aayog (Refer point no. 11 of Note 30)	As per direction of DIPAM/NITI Aayog sale of non-operating units are under progress. The assets valuer's, legal Advisor and Tachnical Advisor have been appointed.
	d) In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company does not spend an amount during the year 2016-17 towards Corporate Social Responsibility, hence total amount of ₹73.0 lacs is unspent based on average net profit of last 3 years. (Refer point no 23 of Note 30).	CCI is BIFR referred company, however short fall in CSR activity u/s 135 of Companies Act. 2013 is being explained in Board Report as compliance of the Act.



संख्या / No.: [MAB] CAD] |-2 | 20 दिन | भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II, नई दिल्ली INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTME OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD - II, NEW DELHI

दिनांक / DATE 01 09 2017

सेवा में,

अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया कोर-5 स्कोप काम्प्लेक्स 7 लोधी रोड, नई दिल्ली

विषय- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अधीन 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अधीन 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया, के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

भवदीया,

नि मुटी (नन्दना मुंशी)
महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-।।
नई दिल्ली

संलग्नकः- यथोपरि





COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH,2017

The preparation of financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 02 August, 2017.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2017. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on the behalf of the Comptroller & Auditor General of India

W. Mush-

(Nandana Munshi)
Director General of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-II
New Delhi

Place: New Delhi Date: 1.09.2017

Our Employees-Our Greatest Assets

HUMAN RESOURCES

"Human Resources" are of vital importance and significance to an enterprise and constitute a primary segment of the total resources held. A peculiar aspect of "Human Resources" is that while these have infinite potential yet whatever is realised out of this resources is generally akin to the tip of the iceberg the remaining whole lot lying submerged untapped. Deliberate efforts have therefore, to be made to augment the gap between 'Actual' and 'potential' "Human resources" may also be branded as "Mother Resources" through the medium of which other scare resources viz. Machines, material, money are organised, co-ordinated, directed and controlled. Maximum realisation of the Potentialities of this "Mother Resources" is of crucial importance for the success of an enterprise. The in-house management and leadership styles the participative, collaborative and supportive climate, the motivational environment, care concern and fellow feelings for each other, the freedom and flexibility to operate within given frame-work of organisational goals and objectives productivity oriented performance yard sticks and continued management's positive awareness for training & development effort to keep the threat of human obsolescence at bay are some of the essential inputs for tapping this resource of human assets. Besides, the human resources, the highly perishable by mere efflux of time unless they are effectively and meaningfully put to use continually.

A good insight into existing human potential can be well perceived through the profile of the human power distributed professionwise and agewise 29.32 % of the total employees strength of CCI represent technically and professional qualified, degree/diploma holders. As such 30.52 % of total strength of the organisation are in the age group of 26-50 year. However, average age of our employees comes to 51 years. The broad distribution of CCI's human force is as under:

Professional Profile

SI.	PARTICULARS	No. of employees			
No.		As on	As on		
		31.3.2017	31.3.2016		
1.	PHDs	2	2		
2.	Post Graduate Engineers	2	2		
3.	Graduate Engineers	69	35		
4.	MBAs	28	27		
5.	Professional Diploma holders	18	23		
6.	Post Graduate	30	34		
7.	CA/ICWA/SAS/ACS	10	8		
8.	Engineer Diploma Holders	66	70		
9.	Graduates	98	127		
10.	ITI Certifecate Holders	127	139		
11.	Others	215	280		
	TOTAL	665	747		





The age wise and category-wise distribution of employees as on 31.3.2017 is given below:

	YEARS								
CATEGORY	<30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 55	58- 60	Total	Avg. Age
Executives	9	18	4	7	16	34	74	162	51
Supervisors	29	8	3	0	8	46	110	204	52
Non Supervisors	22	24	14	4	37	79	119	299	51
TOTAL	60	50	21	11	61	159	303	665	51
Percentage	9%	7%	3%	2%	9%	24%	46%	100%	51

In the absence of clear cut, well defined and universally accepted model for evaluation of the economic worth of human assets of a company an attempt has been made to assess the same, by working out the present value of the anticipated future earnings of the employees taking into account the present pay scales and the promotional policies being followed. The computation has been based on the guidelines and principles enunciated in the economic models developed by Lev and Schwartz. (1971) Eric Flamholtz (1974) and Taggi and Lau (1974) with appropriate modifications found necessary.

The total value of human assets of the company evaluated on the lines indicated above is as follows:

CATEGORY	As at 31	.3.2017	As at 31.3.2016		As at 31.3.2015	
	Value in Lakhs (₹)	No. of Employees	Value in Lakhs (₹)	No. of Employees	Value in Lakhs (₹)	No. of Employees
Executives	2,43,25	1,62	1,17,57	1,75	1,04,93	1,59
Supervisors	99,04	2,04	1,02,65	2,09	55,46	1,10
Non Supervisors	49,76	2,99	1,11,23	3,63	1,82,63	5,44
TOTAL	3,92,05	6,65	3,31,45	7,47	3,43,02	8,13

ACTIVITIES & PERFORMANCE PER EMPLOYEE

The performance & other indices of the corporation for the year 2016-17, 2015-2016, 2014-2015 measured in terms of per employee are as follows:-

SI.	PARTICULARS	Unit	2016-17	2015-16	2014-15
1.	Production	MT	11,89	12,20	11,72
2.	Sales turn over	₹	5,60,21,35	5,83,97,59	5,52,93,97
3.	Profit/(Loss)	₹	63,65,02	71,63,32	49,29,89
4.	Payments of Employees	₹	1,15,64,79	85,20.75	80,71,34
5.	Interest on sums borrowed	₹	3,38,35	2,98.53	3,65,31
6.	Provisions for replacement of assets	5 ₹	9,99,58	10,57.56	7,82,29
7.	Social over heads	₹	2,73,68	3,46.72	2,69,37
8.	Value added	₹	2,84,45,11	2,99,93,31	2,74,90,77
9.	Contribution to exchequer	₹	1,41,24,81	1,32,20,88	1,15,25,21
10.	Capital employed	₹	3,20,06,01	3,46,58,63	2,52,60,76

The Annual Statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs and OBCs as on 01/01/2017 and number of appointments made during the preceding calendar year, as furnished to the Government, is given below:

				CEME	NT CORP	ORATIO	ON OF	NDIA LIN	IITED					
	REPRESENTAT	TIONOF	SCs/STs/	OBCs.			No.	of appoir	ntments	made o	during th	ie calender y	ear	
	(AS ON 0	1,01/20	17)		Ву [Direct I	Recruit	ment	By F	Promot	ion	By Deputa	ation / Ab	sorption
Groups	Total No. of Employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Group A-TOT	163	21	3	18	15	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Group B-TOT	204	30	14	31	27	1	4	6	29	4	0	0	0	0
Group C-TOT	226	40	29	34	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
GROUP D-TOT	122	15	28	20	30	7	0	8	0	0	0	0	0	0
TOTAL	715	106	74	103	75	11	4	14	31	4	0	0	0	0

NAME OF THE UNIT CCI LIMITED																		
IVAIVIL OI III	NAIVIE OF THE UNIT																	
Manpower	strength	of Phy	ysically	Challa	nged em	ployees	s as on	01/01/2	017									
Group-wise	manpowe	er str	ength	of Phys	ically Ch	nallange	d emplo	yees as	on 01	/01/2	017							
Groups	Groups NUMBER OF EMPLOYEES DIRECT RECRUITMENT (DURING THE CALENDER YEAR) PROMOTION																	
	(AS ON	01./0	1/2017)		IO. OF VACANCIES NO. OF VACANCIES NO. OF VACANCIES NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED) RESERVED MADE (APPO												
	Total	VH	НН	ОН	VH	НН	ОН	Total	VH	НН	ОН	VH	НН	ОН	Total	VH	НН	ОН
Group A	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group B	204	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group C	226	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group D	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	715	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Note: VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)

ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment)



iii) OH stands for orthopacdically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)



Salient features of our Units

MANDHAR (Distt. Raipur, Chhattisgarh)

This is the first unit of the Corporation, which went into production in July, 1970 adopting the wet process and this was expanded to produce slag cement from November, 1978. The slag requirement is drawn from Bhilai Steel Plant.

	2016-17	2015-16	2014-15
Installed capacity (in lakh tonnes)	3.80	3.80	3.80
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	3,25	(1,40)	(1,55)

The production remained suspended due to unit being unviable.

KURKUNTA (Distt. Gulbarga, Karnataka)

This is the second wet process unit which went into production from October, 1972.

	2016-17	2015-16	2014-15
Installed capacity (in lakh tonnes)	1,98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	3,67	(1,13)	(1,44)

BOKAJAN (Distt. Karbi Anglong, Assam)

This unit is located in diffcult area in Karbi Anglong Distt. of Assam, set up more from a socio economic point of view of serving the neighbouring areas with cement, rather than only from normal economic consideration. Limestone for this unit is transported, by ropeway 18 Kms long, passing through difficult terrain. The unit went into production from 1st April, 1977.

	2016-17	2015-16	2014-15
Installed capacity (in lakh tonnes)	1,98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	0.80	1.03	0.82
Value of Production (₹ in lakhs)	37,52	44,39	37,55
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(19,75)	35	(4,61)

RAJBAN (Distt. Sirmur, Himachal Pradesh)

This is yet another unit located in a hilly and difficult area. In addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both inward movement of materials and outward movement of finished products by road transport for a considerable lead, as the Unit does not have nearby rail head. The entire production of this factory has to be distributed by road. From the quarry situated in the hills, limestone is transpoted by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production from April, 1980.

	2016-17	2015-16	2014-15
Installed capacity (in lakh tonnes)	2.48	2.48	2.48
Production (in lakh tonnes)	1.69	1.91	1.70
Value of Production (₹ in lakhs)	90,97	88,83	82,72
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	10,22	11,88	(4,42)

NAYAGAON (Distt. Mandsaur, Madhya Pradesh)

This unit with an annual installed capacity of 4 lakh tonnes went into commercial production from 1st March, 1982.

	2016-17	2015-16	2014-15
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	3,36	(1,18)	(1,46)

Expansion project by another 10 lakh tonnes was undertaken on the concept of split location i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi have gone in to commercial production from 1.5.90.

NAYAGAON Expn. Including DGU & BGU

	2016-17	2015-16	2014-15
Installed capacity (in lakh tonnes)	5.00	5.00	5.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	3,00	25	(1,71)

AKALTARA (Distt. Bilaspur, Chhattisgarh)

This unit went into commercial production from 1st April, 1981.

	2016-17	2015-16	2014-15
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	7,89	2,13	(1,37)

The production remained suspended due to unit being unviable.

CHARKHI DADRI (Distt. Bhiwani, Haryana)

This was a sick unit taken over by the Government of India and vested with CCI in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation.

	2016-17	2015-16	2014-15
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.74	1.74	1.74
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	3,60	(142)	(1,70)

The production remained suspended due to unit being unviable.

ADILABAD (Distt. Adilabad, Telengana)

This unit went into commercial Production from Apri, 1984

	2016-17	2015-16	2014-15
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	98	(5,12)	(4,87)

TANDUR (Distt. K. V. Ranga Reddy, Telengana)

This unit went into commercial production from 1st July, 1987

	2016-17	2015-16	2014-15
Installed capacity (in lakh tonnes)	10.00	10.00	10.00
Production (in lakh tonnes)	5.42	6.19	7.00
Value of Production (₹ in lakhs)	2,04,68	2,53,88	2,70,83
Profit/(Loss) (₹in lakhs)	26,11	49,15	63,21



ਦੀ ਦੀ ਗਾई CCi

53वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2016-17

विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष का भाषण	102
निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	104
सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	125
निगमित शासन पर रिपोर्ट	129
प्रबन्धन के साथ चर्चा और विश्लेषण	137
वार्षिक लेखे 2016—17	140
कैश फ्लो विवरणी	181
निष्पक्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं प्रबंधन के उत्तर	184
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं समीक्षा	196
यूनिटों की प्रमुख विशेषताएं	198

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) नई दिल्ली

53वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण

प्रिय शेयरधारकों.

मुझे निदेशक मण्डल और अपनी ओर से आपकी कंपनी, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की 53वीं वार्षिक आम सभा के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है। इस बैठक में आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कंपनी के प्रयासों में आप रूचि रखते हैं और अपेक्षित सहायता प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ—साथ 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं को पहले ही परिचालित किया जा चुका है। आपकी अनुमति से मैं यह मानता हूं कि इन्हें पढ़ लिया गया है।

निष्पादन संबंधी विशेषताएं

- पिछले वर्ष में ₹ 436.23 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 372.54 करोड़ का बिक्री कारोबार किया गया ।
- पिछले वर्ष में ₹ 53.51 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 42.33 करोड़ का निबल लाभ प्राप्त किया गया। पिछले वर्ष में 9.13 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.91 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन किया गया।

गुणवत्ता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और तांदूर, राजबन और बोकाजन में प्रचालनरत प्लांटों के लिए आईएसओ 9001 प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है। पूरी कंपनी में गुणवत्ता अभिमुखीकरण की संस्कृति विकसित करने के लिए कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी ने सभी स्तरों के कर्मचारियों के कौशल विकास पर सर्वाधिक महत्व दिया है। वर्ष 2016–17 के दौरान कर्मचरियों के कौशल विकास के लिए 2987 कार्यघंटों का इन-हाउस प्रशिक्षण दिया गया। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर बाह्य प्रशिक्षण के लिए भी अपने कर्मचारियों को

नामित किया है। कर्मचारियों के कुछ वर्गों को विभिन्न स्थानों पर उनके कार्य के प्रकार्यात्मक क्षेत्रों से संबंधित कई सेमिनारों और सम्मेलनों के लिए भी नामित किया गया।

सभी प्रचालनरत यूनिटों में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन तकनीकों की संकल्पना और कार्यान्वयन का प्रशिक्षण दिया गया। उपर्युक्त के अलावा आपकी कंपनी ने सभी प्रचालनरत यूनिटों में पर्यवेक्षकीय स्तर के कर्मचारियों की सक्षमता मैपिंग भी संचालित की है ताकि कौशल अंतर को दूर किया जा

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

सीएसआर पॉलिसी को बोर्ड की 332वीं मीटिंग जो कि 7 दिसम्बर 2016 को हुई थी उसमें सहमती दी गई। यह पॉलिसी सीएसआर सिद्धान्तों के अनुसार निगम में पुर्णतः लागू हो चुकी है। अपनी निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के अनुरूप कंपनी ने विभिन्न प्लांट स्थलों पर वहां की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यकलाप शुरू किए हैं।

निगमित शासन

निगमित शासन पर कंपनी का सिद्धांत (दर्शन) अपने व्यवसाय को इस तरीके से करने पर आधारित है, जो अंशधारकों, उधारदाताओं, क्रेडिटरों तथा कर्मचारियों सहित कंपनी में सभी शेयरधारकों के लिए नीति परक सैद्धांतिक और पारदर्शी है। सुशासन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा कंपनी अपने सभी अंशधारकों के समग्र हित में अपने प्रचालनों के सभी पहलूओं में इसे बनाये रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। निगमित शासन शीर्षक के अंतर्गत निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एक पृथक भाग संलग्न किया गया है।

आभार प्रदर्शन

आपके सतत् सहयोग और विश्वास ने हमें उत्कृभटता के लिए किए जा रहे हमारे सभी प्रयासों को और आगे बढाने के लिए प्रेरित किया है और मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से भारत सरकार विशेष रूप से भारी उद्योग विभाग, लोक उद्यम विभाग के प्रति हमारे सभी प्रयासों में उनके मार्गदर्शन तथा सहयोग हेतु हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ।

हम अपने सभी पणधारकों और निदेशक मंडल के सदस्यों के सक्रिय सहयोग के बिना नए फोकस के साथ निष्पादन में सुधार करने की इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए होते।



इस अवसर पर मैं सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के अपने सभी सम्माननीय ग्राहकों के प्रति भी सीसीआई के उत्पादों को लगातार सराहनीय समर्थन देने के लिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

में भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक और अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों एवं अभिकरणों, बैंकरों, सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रधान निदेशक तथा सदस्य ऑडिट बोर्ड—II के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं।

अंत में, मैं कॉर्पोरेशन के समग्र विकास एवं वृद्धि के लिए इसकें कर्मचारियों द्वारा की गई भागीदारी एवं समर्पण की भावना प्रदर्शित करने के लिए उनकी सराहना करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

ची ची आई CCi

धन्यवाद, जय हिन्द

> ह0 (मनोज मिश्रा) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20 सितम्बर 2017

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में सभी सदस्य गण

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा विवरण और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम 1.

गत वर्ष के आंकडों के साथ-साथ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार रहा

कॉर्पीरेशन समग्र रूप में :

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2016–17) के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2015–16) के लिए
1	निवल बिक्री	337.44	393.02
2	अन्य आय (स्वीकृत योजना के अनुसार असाधारण आय सहित)	106.91	63.11
3	पीबीडीआईटी	51.23	63.64
4	घटाएं : ब्याज	2.25	2.23
5	मूल्यहास से पहले लाभ	48.98	61.41
6	घटाएं : मूल्यह्रास	6.65	7.90
7	मूल्यह्रास और ब्याज से पहले लाभ	42.33	53.51
8	घटाएं : चालू आय कर	0.00	0.00
9	घटाएं : गत वर्ष के आय कर का समायोजन	0.00	0.00
10	घटाएं : आस्थगित कर	0.00	0.00
11	कर पश्चात निबल लाभ	42.33	53.51
12	तुलन पत्र में स्थानांतरित बकाया राशि	42.33	53.51

- पिछले वर्ष के ₹ 53.51 करोड़ के निबल लाभ की तूलना में कंपनी ने समीक्षााधीन वर्ष के दौरान ₹ 42.33 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। सीमेंट का उत्पादन पिछले वर्ष के 9.13 लाख एमटी की तुलना में इस वर्ष 7.91 लाख एमटी रहा। पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में कमी मुख्य रूप से उत्पादन घटने और बिक्री की वसूली न हो पाने के कारण हुई है।
- मैसर्स ओएनजीसी और मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ वित्तीय वर्ष 2016−17 के दौरान ₹ 64.63 करोड की राशि 1.2 का एकबारगी समाधान किया गया है, जिसे वापिस ले लिया गया और असाधारण आय के रूप में दर्शाया गया है।

2. लाभांश



कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का निबल मूल्य नकारात्मक होने के कारण वित्तीय वर्ष के 2016–17 के लिए आपकी कंपनी द्वारा कोई लाभांश की घोषणा नहीं की जाएगी।

3. व्यापार प्रचालन की समीक्षा और भावी संभावनाएं

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के व्यापार प्रचालन संबंधी विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करना चाहता है:

प्रचालन

यूनिटों का निष्पादन

प्रचालनरत यूनिटों की अलग—अलग और सामूहिक रूप से सीमेंट की सदुपयोग क्षमता (%) क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन में) सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन में) और सीमेंट का प्रेषण (मीट्रिक टन में) नीचे दर्शाया गया है:

क. उत्पादन (प्रचालनरत यूनिटें)

	बोकाजन		राजबन		तांदूर		केवल प्रचालनरत संयंत्रों के लिए	
वर्ष	15—16	16–17	15—16	16-17	15-16	16-17	15—16	16-17
सीमेंट की उपयोग क्षमता (%)	52.03	40.20	77.14	67.90	61.86	54.20	63.13	55.60
क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन)	80070	80240	153030	150135	632210	525920	865310	756295
सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन)	103015	79545	191300	168500	618555	542486	912870	790531
प्रेषण (मीट्रिक टन)	106088	77972	189209	170685	619021	549522	914318	798179

गैर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री की स्थिति :

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार कॉर्पोरेशन की निम्नलिखित गैर प्रचालनरत यूनिटों अर्थात मंढार, कुर्कुटा, नयागांव, अकलतारा, चरखी दादरी, और दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट को दिनांक 31.10.2008 से बंद कर दिया गया है। आदिलाबाद यूनिट को भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 20.02.2017 से बन्द कर दिया गया है। नीति आयोग के निदेशानुसार, सीसीआई की निम्नलिखित गैर प्रचालनरत यूनिटों के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई हैं:—

- 1. मंढार
- 2. कुर्कुटा
- 3. नयागांव
- 4. चरखी दादरी
- 5. भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट

बोकाजन विस्तार परियोजना

स्वीकृत की गई योजना के अनुसार बोकाजन यूनिट की स्थापित क्षमता को 1200 टीपीडी क्लिंकर उत्पादन क्षमता तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ बोकाजन यूनिट में सीमेंट ग्राईंडिंग क्षमता को 750 टीपीडी तक बढ़ाने और 50 टीपीएच क्षमता के साथ सिलचर ग्राईंडिंग यूनिट की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

बोकाजन सीमेंट फैक्टरी के क्षमता विस्तार के लिए ₹ 142.40 करोड़ की कुल लागत से टर्नकी आधार पर मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बैंगलोर को कार्यादेश दिया गया है।

50 टीपीएच क्षमता वाली सिलचर ग्राईंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए ₹ 39.68 करोड़ की कुल लागत से टर्नकी आधार पर मैसर्स प्रोमेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, बैंगलोर को कार्य आदेश दिया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक कोई प्रगति नहीं की गई है।



बोकाजन यूनिट में प्लांट की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीजी लाईन बिछाने का कार्य डिपोजीटरी आधार पर रेलवे द्वारा शुरू किया गया है।

तांद्र युनिट में प्रौद्योगिकीय अपग्रेडेशन का कार्य

स्वीकृत की गई योजना के अनुसार तांदूर यूनिट में प्रौद्योगिकीय अपग्रेडेशन योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। इसके तहत 22 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। बकाया योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने दिनांक 17 फरवरी 2016 के पत्र संख्या 30 / 11 / 2014–15 / एनएसएम के जरिए सीपीएसई योजना के अंतर्गत मैसर्स एसईसीआई के माध्यम से सीसीआई की तांदूर यूनिट के लिए 1 करोड रुपए प्रति मेगावाट की दर से वीजीएफ सहायता के साथ 6 मेगावाट क्षमता वाला ग्रिड संबद्ध सोलर पीवी प्लांट आवंटित किया है। इस संबंध में दिनांक 26.12.2016 को 6 मेगावाट क्षमता वाला सौर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए सीसीआई और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

तांदूर प्लांट में रेलवे साइडिंग के अपग्रेडेशन का कार्य प्रगति पर है।

ख. लाभप्रदता

कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान ₹ 53.51 करोड़ के निबल लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 42.33 करोड़ का निबल लाभ अर्जित किया है । पिछले वर्ष के दौरान सीमेंट का उत्पादन 9.13 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष के दौरान 7.91 लाख मीट्रिक टन रहा है।

बिक्री ग.

कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान ₹ 436.23 करोड़ के बिक्री टर्नओबर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आबकारी कर सहित ₹ 372.54 करोड़ के बिक्री टर्नओवर का लक्ष्य अर्जित किया है।

उद्योग संबंधी विशेषताएं और दृष्टिकोण

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार प्रतिवर्ष 5—6 प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि के साथ भारत की सीमेंट उत्पादन क्षमता 420 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। देश में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत लगभग 225 किलोग्राम रही है।

वर्ष 2016-17 में सीमेंट उत्पादन की मात्रा में पिछले 15 वर्षों के दौरान पहली बार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कमी देखी गई, क्योंकि वर्ष के उत्तरार्ध में मांग घट गई थी। सीमेंट का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 283.46 मिलियन टन की तुलना में 1.23 प्रतिशत की कमी के साथ घटकर 279.89 मिलियन टन हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में सीमेंट की मांग पिछले 10 वर्षों में सबसे कम होने के वावजूद भी सीमेंट के औसत दामों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया में इनपुट लागत बढ़ने से ऐसा होता है।

विपणन और विपणन परिवेश


सीमेंट की बिक्री पिछले वर्ष के दौरान 9.16 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष के दौरान घटकर 7.98 लाख मीट्रिक टन हो गई है, इस प्रकार कुल बिक्री के संदर्भ में इसमें 12.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि मुख्यतया वर्ष के उत्तरार्ध में मांग घटने के कारण हुआ है।

जनवरी से आगे किए गए अतिरिक्त उपयों जैसे कि डीलरों के लिए डिस्काउंट में वृद्धि और सरकारी क्षेत्र के साथ–साथ अन्य संस्थागत उपभोक्ताओं के मामले में अधिक बिक्री के साथ बाजार मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप फरवरी और मार्च 2017 में बिक्री बढ़ी, जो पिछली अवधि में हुई बिक्री हानियों को आंशिक रूप से कम करने में सहायक सिद्ध हुआ।



CCi

सीसीआई की कुल मासिक बिक्री (मीट्रिक टन)



बोकाजन यूनिट में दूसरी तिमाही के दौरान उत्पादन से संबंधित मुद्दों और तीसरी तिमाही के दौरान मांग घटने के साथ—साथ मणिपुर में सड़क बंद होने के कारण उस अवधि के दौरान बिक्री प्रभावित हुई, तथापि विपणन संबंधी अधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप जनवरी—मार्च 2017 के दौरान बिक्री में आशातीत वृद्धि हुई, जो कि उसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष के बिक्री आंकड़े की तुलना में अधिक रहे।

कंपनी अपनी लाभप्रदता बढ़ाने और बिक्री के लक्ष्य को अधिक करने के लिए अगले वर्ष से तांदूर यूनिट में पीपीसी का उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है। संशोधित विपणन मैनुअल और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के रूप में विपणन संबंधी दिशानिर्देशों का एक नया सेट लागू किया गया है, जो ब्रांड इमेज में सुधार तथा नेटवर्क विकास और विस्तार के अलावा बिक्री तथा विपणन संबंधी गतिविधियों को सुधारने में सहायक सिद्ध होगा।

च. गुणवत्ता

सीसीआई की सभी तीनों प्रचालनरत यूनिटों में गुणवत्ता संबंधी पहलुओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। भली — भांति अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा सुस्थापित प्रयोगशालाओं में कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद चरण पर नियमित रूप से गुणवत्ता निगरानी और नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप किए जा रहे हैं। इसके अलावा सीमेंट के नमूनों का उनकी सभी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का परीक्षण निर्धारित मानदंडों के अनुरूप प्रतिष्ठित सरकारी प्रयोगशालाओं जैसे कि एनटीएच, एनसीबी आदि में किया जाता है।

4. पूंजीगत संरचना

कॉर्पोरेशन को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार से इक्विटी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष के अंत में आपकी कंपनी की पूंजी ₹ 811.41 करोड़ बनी रही अर्थात इसकी पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

5. मेहनताना नीति

सीसीआई में कार्यपालकों के वेतन और अन्य लाभ भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2009 की फाईल संख्या 1 (6) 2009—पीई XII के अपने पत्र के जिरए जारी किए गए राष्ट्रपित जी के निदेशों पर आधारित हैं। 01.01.2007 से लागू पिछला वेतन संशोधन इस मंत्रालय के दिनांक 26 नवंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08—डीपीई(डब्ल्यूसी)—जीएल—XVI/08ए दिनांक 09 फरवरी 2009 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08—डीपीई(डब्ल्यूसी)—जीएल—IV/09ए और दिनांक 02 अप्रैल 2009 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08—डीपीई(डब्ल्यूसी)—जीएल—IV/09ए के आधार पर लागू किया गया था। पीआरपी कंपनी के निष्पादन/लाभप्रदता के साथ—साथ व्यक्ति विशेष के निष्पादन की रेटिंग पर आधारित होती है, जो संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप होती है।

ईआरपी का कार्यान्वयन 6.

- सभी तीनों प्रचालनरत यूनिटों और निगमित कार्यालय में दिनांक 01.04.2017 से वित्तीय, सामग्री प्रबंधन (एमएम) और विपणन जैसे मॉड्यूलों के साथ टैली ईआरपी 9 का कार्यान्वयन किया गया है। कुछ कस्टमाइजेशन कार्य के साथ वेतन नामावली मॉड्यूल का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा राजवन और तांदूर यूनिट में उत्पादन मॉड्यूल का भी कार्यान्वयन किया गया है।
- ऐसे सभी स्थानों, जहां बीजक तैयार किए जाते हैं, में जीएसटी बीजक तैयार करने के लिए वेंडर द्वारा टैली ईआरपी9 का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।
- ऑनलाइन वातावरण में टैली सॉफ्टवेयर में जीएसटी अपग्रेडेशन का कार्य वेंडर की सहायता से किया जा रहा है।
- टैली से जुड़े सभी संबंधित स्टाफ को इसका प्रशिक्षण दिया गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी मानव संसाधन को अत्यधिक महत्व देती है क्योंकि कर्मचारी ही किसी भी संगठन की सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति होते हैं। आपकी कंपनी में विभिन्न प्रकार के कौशल तथा क्षमता वाले 665 कर्मचारी शामिल हैं। मानव संसाधनों के विकास हेतु आपका कॉर्पोरेशन प्रतिबद्ध है और उन्हें संगठन के उद्देश्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। आपका कॉर्पोरेशन मानवीय क्षमताओं का समुचित विकास सुनिश्चित करने तथा इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान परिसम्पत्ति माने जाने वाले कर्मचारियों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करता है।

कॉर्पोरेशन की सभी यूनिटों में पूरे वर्ष भर औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण बने रहे। विभिन्न मंचों पर ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के साथ उपयोगी विचार विमर्श और चर्चा की जा रही है। जिसने संचालन, शिकायत और मतभेदों के समाधान तथा औद्योगिक संबंधों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान एक भी कार्य दिवस का नुकसान नहीं हुआ।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में प्रयास किए गए हैं और एक स्वास्थ्यकर कार्य संस्करित के निर्माण तथा अधिक लक्ष्य और उत्पादकता हासिल करने के साथ–साथ भावी चुनौतियों को दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास और मानव संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग पर जोर दिया गया है। मानव क्षमता के पुनर्गठन और विस्तार हेतु कंपनी ने मैसर्स एडिमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) हैदराबाद को कॉर्पोरेशन में मानव क्षमता का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया है। इस संबंध में एएससीआई द्वारा प्रबंधन को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और इसे अनुमोदन के लिए सरकार को भेजा गया है। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद उपयुक्त ढंग से जनशक्ति के पुनर्गठन का कार्य शुरू किया जाएगा ।

प्रशिक्षण एवं विकास

मानव संसाधन विकास के एक भाग के रूप में आपकी कंपनी ने प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों के कौशल विकास को पूरा महत्व दिया है। 2016–17 के दौरान, कर्मचारियों को उनके कौशल संवर्धन हेतु कुल 2987 दिनों की इन–हाउस ट्रेनिंग दी गई। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर बाहरी प्रशिक्षण हेतू भी कर्मचारियों को मनोनीत किया है। कर्मचारियों के एक विशेष समूहको विभिन्न स्थानों पर उनके प्रकार्यात्मक कार्यक्षेत्र से जुड़े विभिन्न सेमीनार तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मनोनीत किया गया। आपकी कंपनी की सभी प्रचालनात्मक यूनिटों के वरिष्ठ अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन तकनीकों के क्रियान्वयन तथा अवधारणा से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने प्रचालनरत यूनिटों में पर्यवेक्षक स्तर के कर्मचारियों की दक्षता मैचिंग भी संचालित की ताकि कौशल की कमी को पूरा किया जा सके।

शिकायत निवारण प्रक्रिया 10.

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में शिकायत निवारण प्रणाली का बहुत ही प्रभावी ढंग से रखरखाव किया जा रहा है और प्रत्येक कर्मचारी को मजदूरी से संबंधित मामलों, कार्य की स्थितियों, छुट्टी, सौंपे गए कार्यों और कल्याण संबंधी सुविधाओं के बारे



में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए प्रत्येक चरण पर अवसर दिया जाता है। ज्यादातर शिकायतों का निराकरण यूनिटों में मौजूद प्रतिभागी प्रकश्ति वाले वातावरण को ध्यान में रखते हुए अनौपचारिक रूप से किया जाता है। शिकायत निवारण प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है तथा कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी एवं कारगर सिद्ध हुई है।

ची ची आई CCi

11. महिला कर्मचारियों का कल्यांणः

आपकी कंपनी महिला कल्यांण के लिए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह से सजग है। कॉर्पोरेशन की विभिन्न यूनिटों / कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सभी सांविधिक और अन्य लाभ बराबर दिए जाते हैं।

महिला कल्यांण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से सीसीआई की सभी यूनिटों में महिला क्लबों की स्थापना की गई है, जहां महिलाओं के लिए बहुत से सामाजिक और मंनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन विभिन्न क्लबों में कम्प्यूटर साक्षरता, महिला और बाल स्वास्थ्य देख—रेख आदि जैसे विषयों पर व्यावसायिक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन महिला कल्यांण के लिए ऐसी गतिविधियों के आयोजन के लिए समय समय पर अवसंचनात्मक और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जहां तक कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का संबंध है, तो इस बारे में 2016—17 के दौरान हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

12. राजभाषा कार्यान्वयनः

कॉर्पोरेशन ने संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखे हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है और कॉर्पोरेशन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों में भी नियमित रूप से एवं सिक्रय भागीदारी करता है। अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिन्दी सप्ताह / पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कॉर्पोरेशन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दैनिक आधार पर आज का हिंदी वाक्य लिखा गया।

13. निगमित शासन का अनुपालन

आपकी कंपनी ने अपने सीएसआर सिद्धांत के एक अंश के रूप में अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को सदैव निभाया है जिसके अनुसार व्यवसाय और समाज दौनों विकास के लिए भागीदार बन सकते हैं। चूंकि कॉर्पोरेशन का निबल मूल्य नकारात्मक है और कंपनी की संचित हानियां 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 806.90 करोड़ हैं, इसलिए कंपनी ने सीएसआर संबंधी विशिष्ट गतिविधियों पर कोई राशि व्यय नहीं की है। तथापि, कंपनी की प्रचालनरत यूनिटों के आसपास बहुत सी जनकल्याण गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने इसकी प्रचालनरत यूनिटों के आसपास सीएसआर संबंधी गतिविधियों पर धनराशि व्यय करने की परिकल्पना की है।

14. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय संबंधी विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पिठत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(एम) के अंतर्गत यथावश्यक ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय संबंधी विवरण अनुबंध में दिए गए हैं और यह अनुबंध इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

15. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

जोखिम प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेशन के निगमित और प्रचालनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यापार प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाता है और इसके लिए अलग से समय निर्धारित करके कोई कार्य नहीं किया जाता है।

16. कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयास नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 16 जुलाई 2016 को आयोजित की गई 329वीं बैठक में बोर्ड की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

और स्थायित्व समिति का पुनर्गठन किया। दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की सीएसआर समिति के समक्ष एक संशोधित सीएसआर नीति प्रस्तुत की गई। इसके अलावा सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 07 दिसंबर 2016 को आयोजित की गई निदेशक मंडल की 332वीं बैठक में सीएसआर नीति अनुमोदित की गई। कॉर्पोरेशन में इस नीति को कार्यान्वित किया गया है।

17. सतर्कता विभाग की गतिविधियां और उपलब्धियां

- 1. कॉर्पोरेशन के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है। सतर्कता विभाग को अलग—अलग अर्थात सक्रिय, निवारक, अण्वेषक और दंडात्मक भूमिकाएं सौंपी गई हैं। निवारक सतर्कता के भाग के रूप में विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और पद्धितयों, जिनमें दुरुपयोग अथवा भ्रष्टाचार की संभावना पाई गई, की जांच की गई। इसके अलावा सीवीसी और डीएचआई के साथ परामर्श सित शिकायतों का त्विरत गित से निपटान और अनुशासिनक कार्यवाही सुनिश्चित की गई। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से / औचक जांच की गई। वर्ष 2016 के दौरान 24 शिकायतों का निराकरण किया गया। संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की और सहमित सूची तैयार की गई है तथा इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों की अदला—बदली (रोटेशन) / स्थानांतरण सीवीसी के दिशानिर्देशों और सीसीआई के नियमों के अनुसार किया जा रहा है।
- डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड स्तर के अधिकारियों और बोर्ड स्तर से नीचे वाले अधिकारियों की सतर्कता स्थिति से संबंधित ऑनलाइन डेटा रख-रखाव प्रणाली सीसीआई में लागू की गई है।
- 3. सीसीआई के निदेशक मंडल द्वारा सतर्कता संबंधी कार्यकलापों की अर्धवार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है। इस उद्देश्य से एक विस्तश्त कार्यसूची तैयार की जाती है, जिसमें प्राप्त/निपटाई गई शिकायतों, छोटी/बड़ी शास्तियों, उनके संबंधी में की गई कार्रवाई, महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित सार, सतर्कता के साथ—साथ अन्य चिंताजनक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और जनशक्ति सिहत सभी कार्यकलापों को शामिल किया जाता है। सीवीसी, डीएचआई और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है तथा अनुशासिनक कार्यवाही के दौरान दोषी पाये गए चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासिनक कार्रवाई शुरू की जाती है। सतर्कता संबंधी मामलों से उत्पन्न कानूनी मामलों में कॉर्पोरेशन के हितों की रक्षा के लिए समय पर कार्रवाई की गई। कर्मचारियों से वार्षिक संपत्ति विवरणी प्राप्त की जा रही हैं।
- 4. सतर्कता कार्यकलापों से संबंधित सभी विहित मासिक, तिमाही और वार्षिक विवरणियां सीवीसी, डीएचआई आदि को समय पर भेजी जा रही हैं।
- 5. कोलकाता में दिनांक 06.10.2016 को मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के सचिवों / मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और सीवीओ के साथ आयोजित की गई सीवीसी की वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में सीवीओ, सीसीआई और सीएमडी, सीसीआई ने भाग लिया।
- 6. सीसीआई के निगमित कार्यालय, यूनिटों, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में 31 अक्टूबर 2016 (सोमवार) से 05 नवंबर 2016 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। सीसीआई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में निगमित सतर्कता विभाग ने एक 'विशेष समाचार पत्र'' प्रकाशित किया, जिसमें सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा संचालित की गई निवारक जांचों के परिणामस्वरूप सुझाए गए विभिन्न प्रणालीगत सुधारों की जानकारी दी गई। निगमित सतर्कता विभाग द्वारा निवारक सतर्कता / व्हिसल ब्लोअर व्यवस्था / अन्य भ्रष्टाचार निरोधी उपायों पर आधारित एक हैंड आउट तैयार किया गया तथा निगमित कार्यालय / यूनिटों / विपणन कार्यालयों और ग्राम सभाओं में उसका वितरण किया गया।

18. ई-क्रय/सत्यनिष्टा समझौता

सी सी आई C C i संगठन में ई-क्रय प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है। ई-क्रय सेवाओं के लिए उनके पोर्टल का इस्तेमाल करने हेतु मैसर्स एमएसटीसी, नई दिल्ली के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। वेंडरों के पंजीकरण हेतु उन्हें आमंत्रित करने के लिए सुपरिचालित समाचारपत्रों में निविदा प्रकाशित कर सीसीआई की वेबसाईट पर वेंडर पंजीकरण के लिए एक प्रपत्र अपलोड किया गया है।

तदनुसार वेंडरों को यूनिटों और निगमित कार्यालय, दोनों स्तरों पर पंजीकश्त किया जा रहा है।

सत्यनिष्ठा समझौते का कार्यान्वयन चल रहा है।

19. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में इसकी नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, परिशुद्ध और त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग, बेहतर निगमित शासन की दिशा में जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार करने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने सिहत अपने व्यापार के सुचारू एवं दक्ष ढंग से संचालन के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है।

कंपनी के निदेशकमंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ प्रबंधन और कंपनी की लेखापरीक्षा समिति को आविधक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और नियंत्रण को तदनुसार सुदश्ढ़ किया जाता है।

कंपनी में सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों को शामिल करते हुए प्रबंधन द्वारा जारी की गई विभिन्न आचार संहिताओं, नियम पुस्तकों और प्रक्रियाओं अर्थात विपणन संबंधी नियम पुस्तक, क्रय और कार्य संबंधी नियम पुस्तक, सामग्री, भंडार, लेखा और कार्मिक नियम पुस्तक आदि के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय किए गए हैं। विपणन संबंधी नियम पुस्तक को अद्यतन किया गया है, तथापि प्रबंधन ने बेहतर जांच और नियंत्रण के प्रयोजन से अन्य सभी नियम पुस्तकों को भी समय—समय पर अद्यतन करने के लिए कदम उठाए हैं।

20. ऋणों, गारंटियों अथवा निवेश के विवरण

आपकी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत कोई सरकारी ऋण, गारंटियां अथवा निवेश नहीं किया गया है।

21. लेखापरीक्षकों और पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा अपनी रिर्पोटों में अर्हताओं, अवलोकनों अथवा प्रतिकूल अभ्युक्तियों या अस्वीकारोक्तियों पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बारे में प्रबंधन का उत्तर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

22. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं / व्यवस्थाओं के विवरण

आपकी कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा अथवा व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं।

23. कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति, मेहनताने के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में कंपनी की नीति

सीसीआई भारत सरकार की एक कंपनी अर्थात सीपीएसई होने के नाते इसके निदेशक की नियुक्ति, मेहनताने और अन्य देय भत्तों के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्णय किया जाता है।

24. वार्षिक विवरणी (रिटर्न)

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पठित अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के अनुक्रम में वार्षिक विवरणी का सारांश इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।



25. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित की गई निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की सात (7) बैठकों का आयोजन किया है ।

26. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के फार्म वाले भाग और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

27. निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसार आपका निदेशक मंडल एतद्द्वारा अपनी जिम्मेदारियों के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता है :--

- (क) वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों को अपनाया गया है:
- (ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उन्हें लगातार लागू किया गया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित एवं स्वायत्त हैं तािक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के लाभ अथवा हािन की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- (ग) निदेशकों द्वारा कंपनी की परिसंपित्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है; और
- (घ) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे एक निरंतर जारी प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- (ड.) निदेशकों द्वारा आंतिरक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निर्धारित की गई थी जिसका कंपनी को अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाया गया और यह कि ऐसे आंतिरक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और कंपनी द्वारा प्रभावी ढ़ंग से प्रचालित किए जा रहे थे। आंतिरक वित्तीय नियंत्रणों से कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी पिरसंपित्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्डों की पिरशुद्धता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सिहत अपने व्यापार का क्रिमक रूप से और दक्षता पूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियां और प्रक्रियाएं अभिप्रेत है।
- (च) निदेशकों द्वारा सभी लागू सांविधिक विधियों, विनियमों और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गईं थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से प्रचालित की जा रही थीं।

28. सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट कंपनियां

आपकी कंपनी के पास कोई सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट कंपनियां नहीं हैं।

29. जमा राशियां

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न तो कोई जमा राशियां स्वीकार की हैं और न ही उनका नवीनीकरण किया है ।

30. निदेशक मंडल

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित निदेशक नियुक्त हुए / उनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया :

- श्री महेंद्र गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी के निदेशक मंडल में दिनांक 29.06.2016 से स्वतंत्र निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री विश्वजीत सहाय अपना कार्यकाल पूरा होने के कारण दिनांक 16.09.2016 से कंपनी के निदेशक के पद से हट गए।
 कंपनी उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी के साथ उनके संबंध, मार्गदर्शन तथा योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करती है।
- श्री प्रवीण कुमार, निदेशक, भारी उद्योग विभाग ने कंपनी के निदेशक मंडल में दिनांक 16.09.2016 से अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती) का पदभार ग्रहण किया।



- श्री प्रवीण कुमार, अपना कार्यकाल पूरा होने के कारण दिनांक 27.02.2017 से कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक के पद से हट गए। कंपनी उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी के साथ उनके संबंध, मार्गदर्शन तथा योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करती है।
- श्रीमती रितु पांडे, निदेशक, भारी उद्योग विभाग ने कंपनी के निदेशक मंडल में दिनांक 27.02.2017 से अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती) का पदभार ग्रहण किया।

31. स्वतंत्र निदेशकों के बारे में घोषणा

श्री महेंद्र गुप्ता ने दिनांक 29.06.2016 से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक का पदभार ग्रहण किया और उन्होंने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (7) के अंतर्गत स्वतंत्रता की घोषणा की है।

32. कंपनी की वेबसाईट का लिंक

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही साथ विभिन्न नीतियां कंपनी की वेबसाईट www.cciltd.in पर उपलब्ध हैं।

33. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रयास करती रही है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 5 और धारा 19 (1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी तथा पारदर्शिता अधिकारी पदनामित किए हैं। कंपनी के सभी प्लांटों और यूनिटों द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

कंपनी की वेबसाईट पर लिंक उपलब्ध कराने सहित एक विशिष्ट आरटीआई कॉर्नर विकसित किया गया है। अपीलीय प्राधिकारियों, पीआईओ, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी के विवरण भी कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

34. विदेशी विनिमय से अर्जन और बहिर्गमन

हमसे समय—समय पर विभिन्न पक्षकारों द्वारा निर्यात के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे प्लांटों की भौगोलिक स्थिति अलाभकर होने, जो समुद्री बंदरगाहों से काफी दूर हैं, इसके कारण प्लांट से निकटतम समुद्री बंदरगाहों तक अंतर्देशीय मालभाड़ा काफी अधिक हो जाता है। इस वजह से हमारा एफओबी मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाता है। जब कभी भी मौका मिलता है, तो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए निर्यात के क्षेत्र में निकटतम निगरानी की जा रही है। तथापि पूरे उत्पादित सीमेंट की बिक्री घरेलू बाजारों में ही की जा रही है।

35. लेखापरीक्षकः

सांविधिकलेखापरीक्षक

वर्ष 2016—17 के लिए मेसर्स कपूर भूषण एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, दिल्ली को प्रधान सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया और मैसर्स एस के तनवानी एंड कंपनी, मैसर्स झांवर एंड कंपनी, मैसर्स गोपाल एंड रंजन, मैसर्स पी गग्गर एंड एसोसिएट्स, मैसर्स सत्यनारायण एंड कंपनी, मैसर्स पी. पी. बंसल एंड कंपनी, मैसर्स डीसीजी एंड कंपनी, मैसर्स एन संबाशिव एंड कंपनी शाखा लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उनके उत्तर तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गयी है।

लागत लेखापरीक्षक

वर्ष 2016—17 के लिए मैसर्स जुगल के पुरी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, दिल्ली को कॉर्पोरेशन के प्रमुख लागत लेखापरीक्षक के रूप में और राजबन यूनिट के लिए लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, मैसर्स एस ढाल एंड कंपनी, लागत लेखाकार को बोकाजन यूनिट के लिए लागत लेखापरीक्षक, मैसर्स एस. पी. कुमार एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को तांदूर यूनिट के लिए लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया।



सचिवालयी लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिको की नियुक्ति और मेहनताना) नियमावली, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए सचिवलयी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है । सचिवलयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अनुबंध के रूप में संलग्न है । सचिवलयी लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में अपने निदेशक मंडल ने निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है :

''निदेशक मंडल में आवश्यक स्वतंत्र निदेशक के अभाव में डीपीई के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल / लेंखापरीक्षा समिति का विधिवत गठन नहीं किया जा सका। तथापि प्रशासनिक मंत्रालय को खाली स्थानों से भरने से संबंधित अनुरोध भेजा गया था। प्रशासनिक मंत्रालय ने 29.06.2016 से सीसीआई के निदेशक मंडल में एक पार्ट टाइम गैर शासकीय (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया है"।

लेखापरीक्षा समिति के स्वरूप के बारे में प्रकटन और सतर्कता तंत्र की जानकारी उपलब्ध कराना 36. लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

- श्री महेंद्र गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक), अध्यक्ष
- ख. श्री ए एम, मनीचन, सदस्य
- श्री बी. वी. एन. प्रसाद, सदस्य

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्हिसिल ब्लोवर नीति लागू की गई है। कंपनी ने अपने कर्मचरियों और निदेशकों जो अपनी चिंताओं को उजागर करते हैं, को शोषण का शिकार होने से बचाने के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। कंपनी में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करने की भी सुविधा प्रदान की है, जो कर्मचारियों और कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों के बारे में रिपोर्ट करने पर कंपनी की व्हिसिल ब्लोवर नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी हैं । व्हिसिल ब्लोवर नीति को कंपनी की अधिकृत (सरकारी) वेबसाइटः www.cciltd.in पर भी होस्ट किया गया है ।

आभार प्रदर्शन

निदेशक मंडल भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ-साथ रेल मंत्रालय, डीजी एस एण्ड डी, पीईएसबी, बीआईएफआर, वित्तीय संस्थानों, बैंकरों और केन्द्रीय और राज्य सरकार के अन्य विभागों से कॉर्पोरेशन को प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता है। हम सीसीआई के उत्पादों पर लगातार विश्वास प्रकट करने और सहयोग प्रदान करने के लिए सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों के सम्मानित ग्राहकों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल मेसर्स कपूर भूषण एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक तथा प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निदेशक मंडल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के समर्पण हेतु हृदय से उनकी प्रशंसा करना चाहता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



तारीख: 12 सितंबर 2017

स्थान : नई दिल्ली

(मनोज मिश्र) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सीएसआर संबंधी कार्यकलाप

1. शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलापों, परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की समीक्षा और सीएसआर नीति के वेब—लिंक के संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी:

सीसीआई की सीएसआर और स्थायित्व नीति की परिकल्पना "प्राथमिक रूप से ऐसे परियोजना क्षेत्रों, जहां कपनी का प्रचालन चल रहा है, में स्थाई आधार पर समुदायों और पणधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा कर अपनी सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता" निम्नलिखित रूप में की गई है।

सीसीआई अपनी सीएसआर और स्थायित्व नीतियों और कार्यकलापों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और सार्वजिनक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सुझाए गए कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों, योजनाओं और रणनीतियों के अनुरूप एकीकृत और संरेखित करता है। सीएसआर और स्थायित्व नीति सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा लागू की जाएगी और इसे सीसीआई के सभी कार्यकलापों, प्रक्रियाओं और लेनदेनों में परिलक्षित होना चाहिए।

सीएसआर नीति का वेब-लिंक पता : http://cciltd.in/page.php?id=194 है।

2. सीएसआर समिति का स्वरूप निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल के स्तर वाली निगमित सामाजिक जिम्मेदारी समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल है:

- क. श्री महेन्द्र गुप्ता अध्यक्ष
- ख. श्री ए एम, मनीचन (सरकारी नामिती)
- ग. श्री बी.वी.एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन)
- 3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निबल लाभ ः ₹ 3660 लाख रहा।
- 4. विहित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद संख्या 3 में उल्लिखित राशि का 2%) : ₹ 73 लाख
- 5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय के विवरण :
 - (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि : शून्य
 - (ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई है : ₹ 73 लाख
 - (ग) वित्तीय वर्ष के दौरान राशि को खर्च किए जाने के ढ़ंग के विवरण नीचे दिए गए हैं :

(₹ लाखों में)

((1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	क. सं.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	परियोजना अथवा कार्यकलाप (1) स्थानीय अथवा अन्य	परियोजना परिव्यय की राशि (बजट)	खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ह0 (शे. शक्तिमणी) निदेशक (वित्त) / सीएफओ ह0 (मनोज मिश्रा) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण

ऊर्जा संरक्षण (2016–17) 可.

बोकाजन युनिट

- विद्युत खपत की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है
- उपस्करों को अनावश्यक रूप से चलते रहने की घटनाओं को नियंत्रित और न्यूनतम किया गया है।
- अधिक वोल्टेज वाली पुरानी प्रकाशीय वस्तुओं को नए एलईडी बल्ब और फिक्चर्स लगाकर बदला जा रहा है।

राजबन यूनिट

- रॉ मील एफ के पम्प 22102 के लिए कंप्रेसर के 214 हॉर्स पावर वाले मौजूदा मोटर को हटाकर 200 हॉर्स पावर वाला मोटर लगाया गया है।
- कंप्रेसन हाउस ब्लेंडिंग अरेसन कंप्रेसर 200/250 हॉर्स पावर वाले मोटर को 150 हॉर्स पावर वाले मोटर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- 10 हॉर्स पावर वाले सीमेंट मील एक्जाउस्ट फैन मोटर को 10 हॉर्स पावर वाले ऊर्जा कुशल मोटर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- कॉलोनी, अतिथिगश्ह, प्रशासनिक भवन, मुख्य द्वार, समय कार्यालय, एम एंड एस विभाग, एम एम विभाग , उत्पादन विभाग, ऑटो सेक्शन और अभियांत्रिकीय कार्यशाला तक एलईडी लाईटों की स्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- प्लांट में रोड लाईट लैंपों को एलईडी लाईट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- मैसर्स रिलियान पावर, दिल्ली ने सीसीआई राजवन कलोनी और नाडी कालोनी में सोलर लाइट लगाने हेतु सर्वेक्सन किया है। जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

तांदूर यूनिट

- 40 वाट वाली टीएल फिटिंग के स्थान पर 20 वाट वाली एलईडी ट्यूब लगाई गई। 400 पारंपरिक एमवी / एसवी स्ट्रीट लाईट के स्थान पर 40 वाट वाली 100 एलईडी फीटिंग लगाई गई।
- एमसीडीसी के स्थान पर कूलर ईएसपी की स्थापना और कमीशनिंग 2.
- ऊर्जा संरक्षण संबंधी बहुत सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि : 3.
 - विभिन्न डक्ट और ईएसपी का इंसुलेशन
 - पारंपरिक बर्नर के स्थान पर मल्टी चैनल बर्नर की स्थापना
 - अत्यधिक ऊर्जा कुशल पंखों की स्थापना
 - टॉप स्टेज टि्वन साइक्लोन को उच्च दक्षता वाले कम दाब युक्त साइक्लोन द्वारा प्रतिस्थापित करना
 - कोल मील में गतिशील सेपेरेटर
 - (क) सभी तीनों प्रचालनरत यूनिटों आईएसओ 9001 अधिप्रमाणित हैं। तांदूर यूनिट के लिए एसए 8000 प्रमाणपत्र भी मिला है।
 - (ख) कुल ऊर्जा खपत और प्रति यूनिट उत्पादन के अनुसार ऊर्जा खपतः

विद्युत 1.

(2016-17)

(2015-16)

(प्रचालनरत यूनिट मात्र) (प्रचालनरत यूनिट मात्र)

क) खरीद

i) यूनिट (लाख में) 1081.49

1148.02

कुल राशि (र लाख में) ii)

6417*

6640



	iii)	दर प्रति यूनिट	5.93	5.78
	ख)	स्वयं का उत्पादन		
	i)	डीजल जनरेटर यूनिट के माध्यम से;केडब्ल्यूएचद्ध	126932	96253
	ii)	डीजल आयल के प्रति लीटर यूनिट	2.56	2.24
		(केडब्ल्यूएच प्रति लीटर)		
	iii)	प्रति यूनिट लागत (₹ प्रति केडब्ल्यूएच)	18.66	20.08
2 .	क	ोयला		
	पद्ध	खपत की गई मात्रा (टन में)	170208	196331
	पपॡ	द्व कुल लागत (₹ लाख में)	9170	10038
	पपप	द्ध औसत दर (₹ प्रति मीट्रिक टन)	5387.65	5112.78
3.	प्रा	ते यूनिट उत्पादन पर खपत		
	i)	विद्युत ;टाउनशिप सहित पैक किए	136.81	125.76
		गए सीमेंट के प्रति टन केडब्ल्यूएच)		
	ii)	बुक किया गया कोयला(प्रति किलोग्राम	0.2251	0.23
		क्लिंकर उत्पादन)		
	iii)	कोयले की गुणवत्ता (यूएचवी)	4462.47	4366
		(कि. सेल्सियस प्रति किलोग्राम कोल)		
				_0: 1/2 .

* बोकाजन यूनिट का ₹ 12.31 करोड़ के बिजली बिल का एरियर इसमें शामिल नहीं है।

ग. प्रौद्योगिकी आमेलन

1. अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी)

- i) ऐसे विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य किए गए— प्वाइंट नं 2 उल्लिखित गुणवत्ता नियंत्रण / सुधार कार्य किए गए हैं।
- ii) अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ : सीमेंट की उचित गुणवत्ता बनाए रखना ।
- iii) भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना।
- 2. प्रौद्योगिकी आमेलन अंगीकरण एवं नवाचार : चूंकि वर्ष के दौरान कोई भी प्रौद्योगिकी आयात नहीं हुई, आमेलन अंगीकरण और नवाचार संबंधी सूचना शून्य है।

अनुर	ांधान एवं विकास पर किया गया व्यय (2016—17)	(₹करोड़ में)
(ক)	पूंजीगत	
(ख)	राजस्व	0.00
(ग)	कुल	0.00
(ঘ)	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर किया गया कुल व्यय	0.00

ग. विदेशी विनियमन से अर्जन और बर्हिगमन

यद्यपि हमें समय—समय पर विभिन्न पक्षकारों से निर्यात संबंधी रूझान प्राप्त होते रहे हैं, परंतु हमारे प्लांट जो समुद्री बंदरगाहों से काफी दूर हैं, की अवस्थिति संबंधी समस्या के कारण प्लांटों से निकटतम समुद्री बंदरगाह के बीच अंतर्देशीय मालभाड़ा बहुत अधिक हो जाता है। इस कारण से हमारे एफओबी मूल्य की गणना प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाती है। अवसर प्राप्त होने पर निर्यात के क्षेत्र में निकटतम निगरानी की जा रही है। हालांकि सीमेंट का जितना भी उत्पादन हो रहा है उसकी बिक्री घरेलू बाजार में की जा रही है।



फॉर्म संख्या एमजीटी— 9 वार्षिक विवरणी का सारांश 31 मार्च 2017को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में,

1. पंजीकरण और अन्य विवरणः

- i) **सीआईएन**: यू74899डीएल 1965जीओआई004322
- ii) पंजीकरण की तारीख: 18.01.1965
- iii) कंपनी का नाम:- सीमेंट कॉर्पीरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- iv) कंपनी की श्रेणी / उप श्रेणी :- विनिर्माण क्षेत्र
- v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण :— कोर —5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड नई दिल्ली— 110003
- vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है- हां / नहीं :- नहीं
- vii) रजिस्टार और अंतरण एजेंट, यदि कोई है का नाम, पता तथा संपर्क विवरण :- शून्य

कंपनी के प्रमुख व्यापारिक कार्यकलाप

कंपनी के ऐसे सभी कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा, जो कंपनी के कुल कारोबार में 10 % या उससे अधिक का योगदान देते हैं:.

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	सीमेंट	2394	100 %
2	विलंकर	2394	

3. धारक, सहायक और एसोसिएट कंपनियों के विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन / जीएलएन	धारक / सहायक / एसोसिएट कंपनी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
	शून्य				



4. शेयरधारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी के ब्यौरे)

(i) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों		प्रारंभ में घा	रित			के अंत में घा	रित शेयरों		वर्ष के दौरान
की श्रेणी	शेयरों	की संख्या			की र	ांख्या			%में परिवर्तन
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क) प्रमोटर									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्ति विशेष / एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ख) केंद्र सरकार के इक्विटी शेयर	ı	45,59,749	45,59,749	100%	_	45,59,749	45,59,749	100%	शून्य
प्राथमिकता शेयर	_	35,54,325	35,54,325	100%	_	35,54,325	35,54,325	100%	
(ग) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	
(घ) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ड) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	
(च) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड. (क) (1)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	
(2) विदेशी									
(क) एनआरआई— व्यक्ति विशेष	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ख) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ग) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	
(घ) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड. (क) (2) :	0	0	0	0	0	0	0	0	
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क) (1)+(क) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
क. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग) केंद्र/राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	
घ) उद्यम पूंजी	0	0	0	0	0	0	0	0	
ड.) बीमा कंपनियां	0	0	0	0	0	0	0	0	
ड.) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	
च) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	
छ) अन्य विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0	0	0	0	0	



प्रत्यास्थ परिसंपत्तियां	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड. (ख) (1)ः	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. गैर संस्थागत निकाय									
क) निगमित निकाय (भारतीय और विदेशी)	0	0	0	0	0	0	0	0	
ख) व्यक्ति विशेष									
(i) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपए तक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ii) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपए से अधिक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) न्यास	0	0	0	0	0	0	0	0	
एनआरआई और विदेशी निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग-ii) समाशोधन सदस्य	0	0	0	0	0	0	0	0	
एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड. (ख) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख) (1)+(ख) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
क. जीडीआर और एडीआर के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	
सकल योग (क+ख+ग)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	शून्य

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान %में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए/ कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का कुल शेयरों की तुलना में %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखें गए/ कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का कुल शेयरों की तुलना में %	वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
1.	केंद्र सरकार	81,14,074	100 %	_	81,14,074	100%	_	शून्य
	जोड़	81,14,074	100 %	_	81,14,074	100%	_	शून्य



(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ	में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता				
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %			
	वर्ष के प्रारंभ में							
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी, वृद्धि / कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	कोई परिवर्तन नहीं						
·	वर्ष के अंत में							

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से अन्य) की शेयरधारिता का पैटर्नः

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ	ा में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता		
	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयर धारक	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	
	वर्ष के प्रारंभ में					
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता					
	में तारीखवार वृद्धि / कमी, वृद्धि / कमी					
	के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं			খূ	न्य	
	(उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/					
	बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)					
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की					
	तारीख को, यदि पृथक्करण उसी वर्ष के					
	दौरान हुआ है)					

(v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ	न में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता		
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	
	वर्ष के प्रारंभ में	संख्या	रायरा का %	तस्या	रायरा का %	
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी, वृद्धि / कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)			शून्य		
	वर्ष के अंत में					

5. कर्जदारी

बकाया / संचित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं राशियों पर ब्याज सहित कंपनी की कर्जदारी

(रु. लाख में)

	जमा राशियों सहित सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि	_	18,790	_	18,790
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	_	18,548	_	18,548
iii) संचित परंतु देय नहीं ब्याज	_	_	_	_
जोड़ (i+ii+iii)		37,338		37,338
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
• वृद्धि	_	_	_	_
• कमी	-	77,38	ı	77,38
निबल परिवर्तन		77,38	_	77,38
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि	_	17,215	_	17,215
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	_	12,385	_	12,385
iii) संचित परंतु देय नहीं ब्याज	_	_	_	_
जोड़ (i+ii+iii)	_	29,600	_	29,600

- 6. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना
- क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का मेहनताना

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	· ·	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक का नाम			
		श्री मनोज मिश्रा	श्री बी.वी. एन. प्रसाद	श्री शे. शक्तिमणी		
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	28.96 — —	26.39 — —	22.84 — —	78.19 — —	
2.	स्टॉक विकल्प		शून्य			
3.	स्वेट इक्विटी		शून्य			
4.	कमीशन — लाभ के % के रूप में					
	– अन्य, विनिर्दिष्ट करें		शून्य			



5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें				
	(i) भविष्य निधि में अंशदान	2.51	2.35	2.03	6.89
	(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1.19	0.24	0.10	1.53
	जोड़ (क)	32.66	28.98	24.97	86.61
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा				

सी सी आर्ड C C i

ख. अन्य निदेशकों का मेहनतानाः

(रु. लाख में)

क्र.सं.	मेहनताने का विवरण	निदेशक का ना	म		कुल राशि
		श्री महेन्द्र गुप्ता (29.06.16 से)	ı	I	
	 उ. स्वतंत्र निदेशक बोर्ड किमटी बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क कमीशन अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें 	0.72	ı	I	0.72
	 अन्य गैर कार्यपालक निदेशक (बीआईएफआर नामिती) बोर्ड कमिटी बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क कमीशन अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें 	ı	ı	1	ı
	जोड़ (2)	_	_	-	_
	जोड़ (ख)=(1+2)	0.72	_	_	0.72
	कुल प्रबंधकीय मेहनताना	_	_	_	_
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीमा				

ग. प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधकों से इतर अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक				
₹1.		सीईओ / सीएमडी	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) / सीएफओ		
		श्री मनोज मिश्रा	श्री अजय कुमार शर्मा	श्री शे. शक्तिमणी (26.04.16 से)		
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	28.96	11.97	22.84		

	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ			
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन — लाभ के % के रूप में — अन्य, विनिर्दिष्ट कर	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें			
	(iii) भविष्य निधि में अंशदान (iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2.51 1.19	1.16 1.09	2.03 0.10
	जोड़	32.66	14.22	24.97

अपराधों के लिए सजा/दंड/समझौता :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित की गई सजा/ दिए गए दंड/समझौता शुल्क के विवरण	प्राधिकार आरडी / एनसीएल /न्यायालय,	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
क. कंपनी					
दण्ड					
समझौता					
ख. निदेशक					
सजा				षाञा	
दंड				शून्य	
समझौता					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
सजा					
समझौता					



अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज

सी एस

कार्यालय: एच– 63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली– 110092, भारत

फ़ोन : +91-11-22024525, 43019279, मोबाइल : +91-981272307

ई मेल : amitagcs@gmail.com. amit2kas@yahoo.com



सेवा में, सदस्यगण, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, कोर–5, स्कोप काम्प्लेक्स, 7– लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 महोदय/महोदया, फॉर्म संख्या–

एम आर – 3 में उसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

- 1. कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि सचिवालयी अभिलेख (रिकॉर्ड) का अनुरक्षण करे। हमारे लेखापरीक्षक के आधार पर इन सचिवालयी अभिलेखों पर अपनी राय जाहिर करना हमारी जिमेदारी है।
- 2. हमने, लेखापरीक्षण की पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवालयी अभिलेखों की अंतर्वस्तु (कंटेंट्स) के सही —सही होने हेतु तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त था I परीक्षण के आधार पर यह सत्यापित किया गया है कि सचिवालयी अभिलेखों के सही सही तथ्य प्रतिबिंबित हो। हमे विश्वास है कि प्रक्रियाओं और पद्धतियों जिनका हम पालन करते है वे हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार पर आधारित होते है।
- 3. हमने कंपनी की वितीय अभिलेखों और खातों का शोधन और विनियोजन को सत्यापित नहीं किया है।
- 4. जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के घटित होने से सम्बंधित प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- 5. निगम के प्रावधानों तथा लागू होने वाले कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण टेस्ट के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करना था।
- 6. सचिवालयी लेखा परीक्षण की रिपोर्ट कंपनी की सक्षमता (वायबिलिटी) का आश्वासन नहीं देती है और यह प्रभावकारिता और प्रभावशीलता को भी नहीं सूचित करती है जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का कार्यसंचालन किया।

दिनांक: 04.07.2017 स्थान: दिल्ली ह0 (सी.एस. अमित अग्रवाल) प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव सदस्य संख्या – 5311 प्रैक्टिस सर्टिफिकेट संख्या – 3647

सी एस

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज

कार्यालय: एच- 63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092, भारत फ़ोन : +91-11-22024525, 43019279, मोबाइल : +91-981272307

ई मेल : amitagcs@gmail.com. amit2kas@yahoo.com

फार्म संख्या एमआर-3 सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और मेहनताना) नियमावली 2014 के नियम संख्या 9 के अनुक्रम में)

सेवा में सदस्यगण

हमने मैसर्स सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; जिसे यहां से आगे कंपनी कहा गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर 5, स्कोप काम्प्लेक्स, ७ लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 में है, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई, जिसके जरिए मुझे निगमित संव्यवहार / सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

मैसर्स सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खाताबही, कागजात, कार्यवृत्त बही, भरे गए फार्मों और विवरणियों तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के आधार पर और साथ ही कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालयी लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमें दी गई सूचना के आधार पर हम एतदद्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे दृष्टिकोण में कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष अर्थात हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध किए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र उस सीमा और ढंग से मौजूद है, जो यहां नीचे की गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन है :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स सीमेंट कॉर्पीरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खाताबही, कागजातों, कार्यवृत्त बही, कंपनी द्वारा भरे गए फार्म और विवरणियों तथा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम
- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक (ii)
- कंपनी के लिए विशेष रूप से यथालागू अन्य लागू विधियां (iii)
 - मजदूरी भुगतान अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम;
 - ग्रैच्यूटी भुगतान अधिनियम;
 - समान मेहनताना अधिनियम 1976; ग)
 - राष्ट्रीय और त्यौहारिक अवकाश अधिनियम; घ)
 - संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970; ड)
 - ਚ) मातृत्व लाभ अधिनियम 1961;
 - कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952;
 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियमः ज)
 - वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम; झ)



- ञ) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
- ट) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;
- ठ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रतिभूतियां जारी करने के लिए यथालागू सीमा तक भारतीय स्टाम्प अधिनियम समीक्षाधीन अविध के दौरान कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और ऊपर बताए गए मानकों का अनुपालन किया है, जो हमारे निम्नलिखित अवलोकनों के अध्यधीन हैं।
- क. डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सदस्य के रूप में कम से कम तीन निदेशक शामिल होने चाहिए और लेखापरीक्षा समिति के दो—तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए; परन्तु कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है;

तथापि समीक्षाधीन अविध के दौरान निम्नलिखित विनियमों के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं थे। अतः इन खंडों के संबंध में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है:

- मारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत यथाविहित नियम, विनियम और दिशानिर्देश क्योंकि समीक्षाधीन अविध के दौरान कोई भी बॉड जारी नहीं किए गए;
- ii. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम क्योंकि समीक्षाधीन अविध के दौरान कोई भी बॉड जारी नहीं किए गए;
- iii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अधिकांश शेयरों का अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
- iv. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992;
- v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटन संबंधी आवश्यकता) विनियम, 2009;
- vi. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कंपनी स्टॉक विकल्प योजना और कंपनी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;
- vii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डी–लिस्टिंग) विनियम, 2009;
- viii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाईबैक) विनियम, 1998।

इसके अलावा हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है, जिसमें नीचे दिए गए अवलोकन के अनुसार स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों, गैर कार्यकारी निदेशकों का उचित संतुलन है।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकें अनुसूचित करने के लिए पर्याप्त समय रहते नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट उन्हें कम से कम 7 दिन पहले भेजे गए और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर कोई भी स्पष्टीकरण और उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है, जिससे कि बैठक में सार्थकता के साथ भागीदारी की जा सके।

जब सभी सदस्यों के बीच किसी भी बात को लेकर मतैक्य की स्थिति नहीं बनती है, तो अधिकांश निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और मतांतरों को एकत्र कर उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

हमारे अवलोकन

क. डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सदस्य के रूप में कम से कम तीन निदेशक शामिल होने चाहिए



और लेखापरीक्षा समिति के दो–तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए; परन्तु कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है;

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चय करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि इस लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा यथालागू वित्तीय विधियों (कानूनों) जैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून और वित्तीय रिकॉर्ड और लेखाबही का रखरखाव के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह किसी अन्य पदनामित पेशेवर द्वारा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा के जरिए समीक्षा के अध्यधीन है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उन विशेष घटनाओं / कार्रवाईयों के विवरण उपलब्ध कराए हैं, जिनका उपर्युक्त संदर्भित नियमों, विनियमों, विधियों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुक्रम में कंपनी के कार्यों पर प्रमुख प्रभाव पड सकता है।

दिनांक: 04.07.2017 स्थान: दिल्ली

ह೧ (सी.एस. अमित अग्रवाल) प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव सदस्य संख्या - 5311 प्रैक्टिस सर्टिफिकेट संख्या - 3647

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में आपके निदेशकों ने निम्नानुसार स्पष्ट किया है :

''कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की कमी के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल / लेखापरीक्षा समिति का विधिवत रूप से गठन नहीं किया जा सका। खाली पदों को भरने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध भेजे गए। तथापि प्रशासनिक मंत्रालय ने 29.06.2016 से सीसीआई के निदेशक मंडल में एक अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति कर दी है।



निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. शासन की संहिता पर कंपनी का दर्शन/सिद्धांतः

निदेशक मंडल दृढ़तापूर्वक विश्वास करता है कि बेहतर निगमित शासन यह सुनिश्चित करने के लिए एक आधारभूत घटक है कि कंपनी अपने सभी पणधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तम तरीके से कार्य संचालित कर रही है और सुव्यवस्थित है। निगमित शासन के संबंध में कंपनी का सिद्धांत / दर्शन है कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) वित्तीय समझदारी, उपभोक्ता की संतुष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही और शेयरधारकों के प्रति वचनबद्धता में विश्वास करता है। सीसीआई भारत सरकार द्वारा समय—समय जारी किए गए निर्देशों और अपने उपर्युक्त विश्वास के माध्यम से कार्य करता है और इसे व्यापक रूप में जो समाज और सरकारी एजेंसियों / विभागों, राज्य सरकारों, भारत सरकार, ऋणदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, निकाय से जुड़े हैं, उन सभी का मूल्य संवर्धन करने के लिए एक लंबा सफर तय करना चाहिए।

निगम विश्वास करता है कि इसके परिचालन और कार्यों को एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से, अपने सभी पणधारकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ाने के लिए उल्लिखित लक्ष्यों का लंबे समय तक संवर्धन करना चाहिए।

कंपनी निगमित शासन के उच्चस्तरीय मानकों की पुष्टि करने के प्रति वचनबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल

i. निदेश मंडल का आकार :

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 2(45) के तहत जैसा पिशाषित किया गया है, उसके अनुसार सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के संस्था अन्तर्नियम के अनुच्छेद (संगम अनुच्छेद) के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या 3 से कम तथा 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में निदेशक मंडल के सदस्यों की वास्तविक संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए।

ii. निदेशक मंडल का स्वरूपः

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार सीसीआई के निदेशक मंडल में 6(छ:) निदेशक हैं जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सहित तीन कार्यकारी निदेशक और दो अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं जो भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय के नामिती निदेशक और एक स्वतंत्र निदेशक हैं।

निदेशकों के नाम और श्रेणी, इस वर्ष आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति और पिछलीं वार्षिक आम सभा में निदेशकों की संख्या के साथ—साथ अन्य कंपनियों में निदेशक का पद धारित करने तथा समिति (लेखापरीक्षा समिति) में उनकी हैसियत आदि के विवरण **सारणी 1** में दिए गए हैं।



सारणी 1: निदेशकों की श्रेणी और विभिन्न समितियों में उनके पद (स्थिति)

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	एजीएम में 27.09.2016 (को आयोजित) में उपस्थिति	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार डायरेक्टर शिप की संख्या	31.03.2017 की स्थिति के अनु— सार अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता की संख्या	
कार्य	कारी निदेशकः						
1.	श्री मनोज मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	7	7	हां	शून्य	शून्य	
2.	श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन)	7	7	हां	शून्य	शून्य	
3.	श्री शे. शक्तिमणी निदेशक (वित्त)	7	7	हां	शून्य	शून्य	
सरक	ारी नामिति निदेशकः						
4.	श्री विश्वजीत सहाय (16.09.16 तक)	3	3	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	
5.	श्री ए. एम. मणिचन	7	6	हां	4	शून्य	
6.	श्री परवीन कुमार (16.09.16 से 27.02.17 तक)	4	3	लागू नहीं	शून्य	शून्य	
7.	श्रीमती रितू पाण्डे (27.02.17 से)	1	1	लागू नहीं	4	शून्य	
स्वतं	स्वतंत्र निदेशक						
8.	श्री महेन्द्र गुप्ता (29.06.16 से)	6	5	हां	शून्य	शून्य	

कंपनी द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की सात बैठकें क्रमशः 26.04.2016, 14.07.2016, 05.08.2016, 23.09.2016, 07.12.2016, 23.01.2017 और 22.02.2017 को आयोजित की गईं तथा दो बैठकों के बीच तीन महीने से अधिक का अंतराल नहीं था।

- iii. निदेशक मंडल / समिति की सभाओं के लिए कार्यसूची तैयार करना और चयन :
- निदेशक मंडल / सिमिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करके उपयुक्त नोटिस देने के बाद सभाएं आयोजित की जाती हैं। बैठक के दौरान अर्थपूर्ण, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने में प्रबंध की सुविधा के लिए विस्तृत कार्यसूची नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण सदस्यों के बीच अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। तात्कालिक महत्व के मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता होने पर लघुकालिक नोटिस पर भी सभाएं आयोजित की जाती हैं या अधिनियम अथवा इसके अनुच्छेदों में दिए गए यथालागू प्रावधानों के अनुसार उनके बीच परिचालन द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं।
- सी सी आई C C i

 जहां कहीं भी इनकी गोपनीय प्रवृत्ति के कारण जब कभी किसी दस्तावेज को कार्यसूची नोट्स के साथ जोड़ना व्यवहारिक नहीं होता है, तो विशेष और अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में अतिरिक्त या संपूरक विषय से संबंधित ऐसे दस्तावेज सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।

- कार्यसूची के दस्तावेज प्रकार्यात्मक निदेशक / सीएमडी के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात परिचालित किए जाते हैं।
- सदस्यों द्वारा सूचित निर्णय लेने की दृष्टि से उन्हें सक्षम बनाने के लिए बोर्ड / सिमिति की बैठकों में वित्तीय पिरचालन, मानव संसाधन आदि से संबंधित सामग्री पर प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं।
- बोर्ड के सदस्य कंपनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच रखते हैं। बोर्ड ऐसे किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है जो वे कार्यसूची में समावेशन के लिए आवश्यक समझें। जब कभी आवश्यक होता है, बोर्ड द्वारा जिन मदों पर बातचीत की जा रही है, उन पर वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों को अतिरिक्त जानकारी (इनपुट) प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

iv. निदेशक मंडल/समिति की सभाओं में कार्यवृत्त को अभिलेखबद्ध करना :

प्रत्येक बोर्ड / सिमिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त, कार्यवृत्त किताब में विधिवत रिकॉर्ड किए जाते हैं। निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त अगली बोर्ड बैठक में बोर्ड के सदस्यों के बीच उनकी पुष्टि के लिए परिचालित किए जाते हैं। बोर्ड की सिमित की बैठक के कार्यवृत्त भी निदेशक मंडल की सूचना के लिए उनके समझ रखे जाते हैं।

v. अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यवस्था/तंत्र :

बोर्ड / समिति के सदस्यों के महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट आगामी सभाओं में प्रस्तुत की जाती है। यह एक प्रभावशील अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा / पुनर्विचार और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है।

vi. अनुपालनः

हमारा प्रयत्न यह सुनिश्चित करना है कि जब कार्यसूची नोट्स तैयार किए जायें तो विधि के सभी यथालागू प्रावधानों, नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए। कंपनी, कंपनी अधिनियम के सभी यथालागू प्रावधानों तथा अलग—अलग विधियों के अंतर्गत अन्य विविध सांविधिक आवश्यकताओं / अपेक्षाओं का अनुसरण सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित अपेक्षित सूचनाएं बोर्ड को लगातार प्रदान की जाती हैं:

- पूंजीगत बजट, वार्षिक योजना, समझौता ज्ञापन (एमओयू)
- लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त
- कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन नोटिस और हर्जाना नोटिस, यदि कोई हैं, जो वास्तविक दृष्टि से आवश्यक है
- घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं
- प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधन
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों और कार्यों आदि में उनके द्वारा उपयोग किए गए सिमिति के पदों और डायरेक्टरिशप के बारे में प्रकटन
- बडी संविदाओं का अधिनिर्णय
- विधि और डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य विषय
- सांविधिक प्रावधानों का तिमाही अनुपालन प्रमाणपत्र
- समय समय पर निदेशक मंडल द्वारा अपेक्षित अन्य मामले

vii. गैर कार्यकारी निदेशकों के प्रकटन और क्षतिपूर्ति :

कंपनी ने सरकारी नामिती निदेशकों को सीटिंग फीस का भुगतान नहीं किया। हालांकि वित्तीय वर्ष 2016—17 के दौरान निदेशक मंडल और समिति की सभाओं में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को प्रति बैठक ₹ 6000 / — (छह हजार रुपए मात्र) की दर से तथा अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया गया।



viii. अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल/समिति में अध्यक्षता और सदस्यता के विवरण

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	श्रेणी	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप/प्रकटन
			(2016–17)
कार्यकार	री निदेशकः		
1.	श्री मनोज मिश्रा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	शून्य
2.	श्री बी. वी. एन. प्रसाद निदेशक (मानव संसाधन)	निदेशक (मानव संसाधन)	शून्य
3.	श्री शे. शक्तिमणी निदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	शून्य
सरकारी	नामिती निदेशक :		
4.	श्री विश्वजीत सहाय (16.09.2016 तक)	सरकारी नामिती निदेशक	(1) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, (2) एचएमटी लिमिटेड (3) एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड (4) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (5) ई.पी.आई. लिमिटेड (6) तुमाकुरू मशीन टूल्स पार्क
5.	श्री ए. एम. मणिचन	सरकारी नामिती निदेशक	 (1) इनस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड (2) स्कूटर इंडिया लिमिटेड (3) हिन्दुस्तान केबलस लिमिटेड (4) द ब्रेथवेइट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
6.	श्री परवीन कुमार (16.09.16 से 27.02.17 तक)	सरकारी नामिती निदेशक	शून्य
7.	श्रीमती रितू पाण्डे (27.02.17 से)	सरकारी नामिती निदेशक	(1) इनस्टूमेन्टेशन लिमिटेड(2) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्टूमेंटस लि.(3) तुंगबदरा स्टील प्रोडेक्ट लिमिटेड(4) बीएचईएल इलेक्ट्रीकल मशीनस लिमिटेड
विशेष नि	नदेशक		
8.	श्री महेन्द्र गुप्ता (29.06.16 से)	स्वतंत्र निदेशक	(1) कॉन्टिनेंटल हाइजीन अवधारणाओं (पार्टनर)

ix. निदेशक मंडल सदस्यों का प्रशिक्षण

सीसीआई अपने निदेशक मंडल के सदस्यों को सीसीआई के प्रोफाइल, व्यवसाय आदि के बारे में प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है। सीसीआई की कार्यशैली से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दे और महत्वपूर्ण विकास सीसीआई के निदेशक मंडल (सरकारी) और (गैर सरकारी) अंशकालिक निदेशकों को समय—समय पर सीसीआई प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

x. आचार संहिता

कंपनी व्यावसायिक नीतिशास्त्र के सर्वोच्च मानकों के अनुसार अपने व्यवसाय को करने के प्रति और सभी अनुप्रयोग विधियों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात की पुष्टि की जाती है कि वर्ष 2016–17 के दौरान निदेशक



मंडल के सदस्यों और शीर्षस्थ प्रबंधन स्तर के अधिकारियों ने आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

xi. जोखिम प्रबंधन और उसे न्यूनतम करने के लिए नीतियां

जोखिम प्रबंधन प्रणाली निगमित और प्रचालनात्मक उद्देश्यों के साथ एकीकृत और संबद्ध है। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में किया जाता है, न कि निर्धारित समय में एक भिन्न कार्य के रूप में।

3. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी में एक लेखापरीक्षा समिति होती है जिसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

- 1. श्री महेन्द्र गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक), अध्यक्ष के रूप में
- 2. श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) सदस्य के रूप में
- 3. श्री ए एम मणिचन, (सरकारी नामिती), सदस्य के रूप में

उपर्युक्त लेखापरीक्षा समिति जो कि 14.07.2016 को पुर्नगठित की गई थी। जिसमें श्री महेन्द्र गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक) अध्यक्ष, श्री ए एम मणिचन, (सरकारी नामिती), सदस्य, श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) सदस्य, के रूप में नामित किए गए।

लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम के विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शक्तियां, भूमिका और विचारार्थ विषय सौंपे गए हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की दिनांक 14.07.2016, 23.09.2016, 07.12.2016 तथा 23.01.2017 को चार बैठकें आयोजित की गईं और निम्नलिखित सदस्यों द्वारा उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज की गई:

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री मेहन्द्र गुप्ता**	4	4
श्री बी. वी. एन प्रसाद	4	4
श्री ए एम मणिचन	4	3

^{*} श्री महेन्द्र गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक सी.सी.आई. बोर्ड मण्डल में 29.06.2016 से नियुक्ति हुई।

** उपर्युक्त लेखापरीक्षा समिति जो कि 14.07.2016 को पुर्नगठित की गई थी। जिसमें श्री महेन्द्र गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक) अध्यक्ष, श्री ए एम मणिचन, (सरकारी नामिती), सदस्य, श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) सदस्य, के रूप में नामित किए गए।

मेहनताना समिति

सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान जैसे मेहनताना और भत्ते, उनकी नियुक्त / संविदा की निबंधन और शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि सार्वजनिक उद्यम विभाग यह निर्देश दे चुका है कि प्रत्येक सीपीएसई एक मेहनताना समिति का गठन करेगा जिसकी अध्यक्षता एक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक द्वारा की जाएगी जो सभी कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय भुगतान नीति तय करेगी।

मेहनताना समिति का 14.07.2016 को पुर्नगठन किया गया जो इस प्रकार है

- 1. श्री महेन्द्र गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक), अध्यक्ष के रूप में
- 2. श्री ए एम मणिचन, (सरकारी नामिती), सदस्य के रूप में
- 3. श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) सदस्य के रूप में



प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण

वर्ष 2016—17 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण निम्नलिखित है:— (₹ लाख में)

क्र	नाम	वेतन और	अन्य	निष्पादन	परिलब्धियों	चिकित्सा	पीएफ और	कुल
सं.		भत्ता	लाभ	प्रोत्साहन	का मूल्य	प्रतिपूर्ति	अन्य निधियों	
							में अंशदान	
1.	श्री मनोज मिश्रा	23.76	5.20	0.00	0.00	1.19	2.51	32.66
2.	श्री बी वी एन प्रसाद	22.35	4.04	0.00	0.00	0.24	2.35	28.98
3.	श्री शे. शक्तिमणी	19.32	3.52	0.00	0.00	0.10	2.03	24.97
	कु ल	65.43	12.76	0.00	0.00	1.53	6.89	86.61

5. शेयरधारक और निवेशक शिकायत समिति

सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गैर—सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और पूरी शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति द्वारा धारित की जाती है। अतः ऐसी किसी भी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

7. सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

वार्षिक आम सभा

पिछले तीन सालों की वार्षिक आम सभाओं का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

वार्षिक आम सभा	50वीं वार्षिक आम सभा	51वीं वार्षिक आम सभा	52वीं वार्षिक आम सभा
तारीख और समय	16 सितम्बर, 2014 को	30 सितम्बर, 2015 को	27 सितम्बर, 2016 को
	दोपहर 12.45 बजे	दोपहर 12.30 बजे	दोपहर 12.15 बजे
स्थान	स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड,	स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड,	स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड,
	नई दिल्ली — 110003	नई दिल्ली — 110003	नई दिल्ली — 110003
यदि कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

9. प्रकटन

I. संबंधित पार्टी लेन देन :

कंपनी निदेशकों या उनके ऐसे संबंधियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुक्रम में अलग—अलग निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन) के साथ पार्टी से संबंधित किसी लेन—देन में शामिल नहीं हुई है, जो कंपनी के साथ बड़े स्तर पर संभावित हित रखते हैं।

II. दिशनिर्देशों का अनुपालन :

मई 2010 में निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए कंपनी ने कदम उठाए हैं।



कंपनी पर पिछले तीन सालों के दौरान विधि के तहत गैर अनुपालन वाले किसी निकाय प्राधिकार द्वारा जुर्माना नहीं लगाया गया है।

संविदागत अपेक्षाओं के अनुरूप नियुक्ति की शर्तों के अनुसार नियत खर्चों के अतिरिक्त निदेशक मंडल के लिए कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं किया गया है।

iii. लेखांकन उपचार :

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के लिए इसकी रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणी और पर्यवेक्षण के अध्यधीन कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विहित लेखांकन मानकों का अनुसरण किया है।

iv. राष्ट्रपति निर्देश:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 और पिछले तीन सालों के दौरान राष्ट्रपति से संबंधित कोई निर्देश प्राप्त नहीं किया है।

10. सतर्कता

सीसीआई पीएसयू होने के नाते कंपनी का रिकार्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापीरक्षा के लिए तथा सतर्कता अनुभाग, सीसीआई द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुला है। सीसीआई का सीवीओ की अध्यक्षता में एक सतर्कता विभाग भी है।

11. संप्रेषण के साधन

वार्षिक वित्तीय निष्पादन कंपनी की वेबसाइट www.cciltd.in पर जारी कर दिया गया है। कंपनी समय–समय पर सीसीआई की वेबसाइट पर महत्वपूर्ण निगमीय निर्णयों और गतिविधियों पर सरकारी समाचार प्रायोजित करती है।

12. व्हिस्ल ब्लोअर नीति

अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहात्मक धोखाधड़ी या नीति के अतिक्रमण के बारे में चिंता व्यक्त करने हेतु कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक तंत्र की स्थापना की है। कर्मचारी कंपनी के लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधन निदेशक जोकि कंपनी के व्हिस्ल ब्लोअर नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं तक सीधी पहुंच रखते हैं। व्हिस्ल ब्लोअर नीति कंपनी की सरकारी वेबसाइट www.cciltd.in पर जारी की गई है।

13. अनुपालन प्रमाणपत्र

वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक हिस्से के रूप में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत शर्तों के रूप में निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने वाले पूर्णकालिक अभ्यास में कंपनी सचिव, मैसर्स अमित अग्रवाल एण्ड कंपनी से प्राप्त प्रमाणपत्र, उनकी टिप्पणियां और अवलोकन पर्यवेक्षण का विषय है जो यहां अनुबंध के रूप में संलग्न किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके लिए

ह0 (मनोज मिश्रा) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली तारीखः 12.09.2017



सी एस

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज

कार्यालय: एच- 63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092, भारत

फोन: +91-11-22024525, 43019279, मोबाइल: +91-981272307

ई मेल : amitagcs@gmail.com. amit2kas@yahoo.com

निगमित शासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में, सदस्यगण सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0 नई दिल्ली-110003

- 1. हमने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मई, 2010 में जारी किए गए दिशा—निर्देशों (समय—समय पर यथासंशोधित) में किए गए उल्लेखानुसार 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड , जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर 5, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में है, द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।
- निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके अनुपालन तक ही सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की कोई लेखापरीक्षा है और न ही उन पर व्यक्त किया गया कोई दृष्टिकोण।
- हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर डीपीई के उपर्युक्त दिशानिर्देशों में किए गए उल्लेखों के अनुसार निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया हे:
 - वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।
 - डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक सदस्य के रूप में शामिल होंगे और लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। परंतु कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है।
- हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही ऐसी 4. कोई दक्षता अथवा प्रभावशीलता है, जिसके जरिये प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है।

दिनांक: 04.07.2017

स्थान: दिल्ली

(सी.एस. अमित अग्रवाल) प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव सदस्य संख्या 5311 प्रैक्टिस सर्टिफिकेट संख्या - 3647

ਰ0



प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण

1. सिंहावलोकन और आउटलुक

भारत 7.1% की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर की वृद्धि के साथ एक उज्ज्वल स्थल रहाए मुख्य रूप से अच्छे मानसून और सरकार के सार्वजनिक खर्च कार्यक्रमों द्वारा समर्थित कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के साथए जबिक वित्तीय वर्ष 16—17 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार धीमी बनी रही, इसके फलस्वरूप पिछले वर्ष में 3.4% की तुलना में विश्व स्तर पर आर्थिक विकास की दर घटकर 3.1% हो गई। मार्च 17 के अंत में विदेशी विनिमय मुद्रा भंडार 370 मिलियन अमरीकी डालर रहा। भारत की जीडीपी विकास दर वित्तीय वर्ष 17—18 के दौरान भी स्थिर बनी रहने की उम्मीद है। निवेशक तेजी से आ रहे हैं और बाजार बड़े गतिशील हैं तथा शेयर सूचकांक नए शिखर को प्राप्त कर रहा है। प्रतिस्पर्धा और नवाचार सूचकांक के संदर्भ में भी भारत की वैश्विक रैंकिंग में सुधार हुआ है।

वर्तमान सरकार की विभिन्न पहलों और सुधारों ने आगे बढ़ने के लिए एक मंच का निर्माण किया है। केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाएं उजागर हुई हैं और व्यापक आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ा है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। यह बुनियादी ढांचे के विकास और आवास क्षेत्र में निवेश को गति को बढ़ावा देगा। यदि वर्ष 2017 के दौरान मानसून सामान्य रहता है, तो वित्तीय वर्ष 17—18 के दूसरी छमाही में फिर से जीडीपी में वृद्धि होने की संभावना है। कई राज्य सरकारें भी वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" के सपने को पूरा करने के लिए महत्वाकांक्षी कम लागत वाली आवास योजनाएं शुरू कर चुकी हैं। इस वर्ष में विमुद्रीकरण के माध्यम से बड़े आर्थिक सुधारों को देखा गया इसके फलस्वरूप वित्तीय लेनदेनों में अधिक पारदर्शिता आएगी और यह कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने के लिए एक संक्रमणकाल सिद्ध होगा।

चीन के बाद भारतीय सीमेंट उद्योग दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग है। भारत में सीमेंट उद्योग ने पिछले 15 वर्षों के दौरान सबसे कम मात्रा में वृद्धि दर्ज की है। जबिक वर्ष की शुरूआत पहले छह महीनों के लिए एक सकारात्मक नोट के साथ हुई। लेकिन दूसरी छमाही में आवास खंड से सीमेंट की कमजोर मांग देखी गईए जो कुल सीमेंट खपत के लगभग दो तिहाई के बाराबर है। वित्तीय वर्ष 2016—17 के दौरान कुल सीमेंट की उत्पादन क्षमता में 12 एमटीपीए वृद्धि हुई। जिससे सीमेंट उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता 420 मिलियन टन तक पहुंच गई। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उद्योग की औसत क्षमता का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015—16 में 67% से घटकर 65% हो गया। जबिक उत्तरी मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में सीमेंट प्लांट बेहतर क्षमता का उपयोग करने में सक्षम रहे। जबिक दिक्षण क्षेत्र में उद्योग की अतिरिक्त औसत क्षमता उपयोग घटी है, जिससे उद्योग का क्षमता का औसत सदुपयोग भी घट गया। सीमेंट की कीमतों में पिछले वर्ष के दौरान कोई भी इजाजत नहीं देखा गया है और ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप परिचालन लागत में उच्च वृद्धि हुई है।

आगे आने वाले समय में सरकार द्वारा प्रायोजित किफायती आवास योजनाओंए आवास ऋण ब्याज दरों में कमी बुनियादी सुविधाओं पर लगातार बढ़ रहे खर्च और ग्रामीण आवासों की मांग में फिर से सुधार के साथ सीमेंट की मांग धीरे—धीरे बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि कुल मिलाकर सीमेंट उद्योग के समक्ष वित्तीय वर्ष 17—18 के दौरान अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की चुनौती बनी रहेगी। जिसके फलस्वरूप तीव्र प्रतिस्पर्धा भी बनी रह सकती है। कंपनी अपने तंदूर (तेलंगाना) यूनिट से ईको—फ्रेंडली पोर्टलैंड पॉजोलोना सीमेंट लॉन्च करने की भी सोच रही है।

2. वित्तीय समीक्षा और विश्लेषण

एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के बावजूद भी सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक लाभदायक सीपीएसयू बना हुआ है। हालांकि कॉर्पोरेशन के चालू वर्ष का शुद्ध लाभ वित्तीय वर्ष 15—16 के दौरान ₹ 53.51 करोड़ के शुद्ध लाभ से घटकर ₹ 42.33 करोड़ हो गया है। वर्ष के दौरान सीमेंट की उत्पादन 7.91 लाख मीट्रिक टन थी जबिक 55% क्षमता उपयोग के साथ पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह 9.13 लाख मीट्रिक टन थी।



जोखिम और चिंताएं

जोखिम प्रबंधन को कारोबारी माहौल प्रचालन संबंधी नियंत्रण और अनुपालन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना होता है। जोखिम की पहचान और वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से प्रमुख जोखिमों का आकलन / मूल्यांकन किया जाता है। जोखिम आकलन केवल खतरे के विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे संभावित अवसरों की भी पहचान होती है। कंपनी ने आपके संगठन के लिए निम्नलिखित जोखिमों की पहचान की है।

प्राथमिक कच्चे माल और ऊर्जा की लागत

चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक प्राथमिक कच्चा माल है। सीसीआई की सभी तीनों प्रचालन इकाइयों के पास चूना पत्थर शेल के लिए अपनी कैप्टिव खानें उपलब्ध हैं। लेकिन आर्थिक कीमतों पर कोयला की उपलब्धता ऊर्जा लागत को प्रभावित करती है क्योंकि सीमेंट एक ऊर्जा सघन उद्योग है। वैश्विक मांग परिदृष्य से प्रेरित होने से वर्ष के दौरान ईंधन की कीमतों में वृद्धि जारी रही। हम कोयले की कीमत में बढोतरी के दबाव को कम करने के लिए पेट कोक के मिश्रण का उपयोग करने की प्रक्रिया पर भी विचार कर रहे हैं।

सीसीआई विद्युत की खपत को कम करने के लिए ऊर्जा बचत वाले उपकरणों को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए अन्य उपायों में ऊर्जा कुशल मोटरों द्वारा ऊर्जा अक्षम मोटरों का प्रतिस्थापन अधिकतम मांग के प्रभावी नियंत्रण के लिए मांग नियंत्रकों की स्थापना और प्री–हीटर टॉवर में ऑक्सीजन के प्रतिशत को इष्टतम स्तर पर बनाए रखने के लिए उसके रिसाव को रोकना शामिल हैं। ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों द्वारा पारंपरिक लाइटों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है और ऊर्जा लागत को कम करने और संगठन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सौर संयंत्र की स्थापना भी पाइप लाइन में हैं।

कम मांग और ओवर कैपैसिटी खा.

सीमेंट उद्योग दक्षिणी बाजारों में अधिकता के साथ मांग के संकट से जूझता रहा। इससे सीमेंट की कीमतों पर दबाव बने रहने की संभावना है, जिससे फलस्वरूप निचला तपका प्रभावित हो रहा है।

प्रतिस्पर्धा ग.

सीमेंट बाजार में नई कंपनियों के प्रवेश और मौजूदा कंपनियों द्वारा क्षमता विस्तार के साथ भारतीय सीमेंट बाजार जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग है, में प्रतिस्पर्धा लगातार एक हकीकत बनी हुई है । बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा लाभ के मार्जिन और बाजार शेयरों पर दबाव बना सकती है। सीसीआई उन्नत विपणन गतिविधियों और गुणवत्ता वितरण कार्यक्रम और ग्राहक संतुष्टि के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रयासों के माध्यम से अपनी ब्रांड इक्विटी को बडाना जारी रखता है।

परियोजना निष्पादन

आपकी कंपनी ने देश में सीमेंट की कमी वाले पूर्वीत्तर क्षेत्र में बोकाजन यूनिट का विस्तार किया जा रहा है। इस विस्तार परियोजना में समयावधि के बढ़ने का जोखिम निहित है। किसी भी समय इसके प्रचालन में विलंब से राजस्व और मुनाफा प्रभावित हो सकता है।

मानव संसाधन ड.

कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सतत सेवानिवश्ति के साथ प्रतिस्पर्धी माहौल में मूल्यवर्धन और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनी का महत्व प्रतिभा को आकर्षित बनाए रखने और उनका पालन पोषण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके विपरीत उपयुक्त प्रतिभा की कमी और अनुपलब्धता सीसीआई के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। हम लगातार पूरे उद्योग में पिछली मानव संसाधन प्रथाओं को बेंचमार्किंग करते हैं और बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उनमें आवश्यक सुधार करते हैं।



च. विनियामक और अनुपालन

देश में कभी भी विकसित नियामक ढांचे के साथ अननुपालन और शास्तियों के जोखिम बढ जाते हैं और इसमें प्रतिष्ठात्मक जोखिम भी निहित होते हैं। कंपनी विनियामक रूपरेखा के बारे में किए गए परिवर्तनों की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

सी सी आई CCi

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा टीम आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता की निगरानी करती है तथा लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करती है। प्रचालन प्रक्रियाओं और और नियंत्रण प्रणालियों में सुधार हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा टीम की सिफारिशों को भी लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और व्यवसाय / उद्योग प्रचालन प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु टूल के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं।

5. सीएसआर नीति

कंपनी की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

6. अन्य प्रकटन

केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजिनक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश के अध्याय—7 में प्रावधान किया गया है कि वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में अथवा उसके साथ एक अतिरिक्त संलग्नक के रूप में प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न मामलों पर कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के आधार पर निर्धारित सीमाओं के भीतर चर्चा—परिचर्चा शामिल होती है। जहां तक क्षेत्रवार और उत्पादवार निष्पादन का संबंध है, कंपनी केवल एक क्षेत्र अर्थात सीमेंट के विभिन्न ब्रांडों का व्यवसाय करती है। मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों तथा पर्यावरण संरक्षण और रक्षा, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण जैसे मुद्दों को निदेशकों की रिपोर्ट में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

उपसंहार

सीमेंट उद्योग की वृद्धि की संभावना अर्थव्यवस्था की वृद्धि से जुड़ी हुई है। अल्पकालिक दृष्टिकोण अभी भी चुनौतीपूर्ण ही हैं। तथापि सीमेंट उद्योग के दीर्घावधि चालक अभिन्न अंग ही रहे हैं। मुख्यतः सरकार का मुख्य ध्यान अवसंरचना विकास तथा परिसंपत्तियों के उपयोग पर है।

एहतियाती वक्तव्य

'प्रबंधन के साथ चर्चा एवं विश्लेषण में दिए गए विवरण कंपनी के उद्देश्यों, योजनाओं एवं अनुमानों को दर्शाने वाले प्रगतिशील तथा सुरक्षा के नियमों एवं प्रावधानों से परिपूर्ण कथन हैं। वित्तीय स्थिति, शासकीय नीतियों एवं अन्य प्रभावित करने वाले कारकों के अनुसार वास्तविक परिणाम व्यक्त अथवा इंगित किए गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

तुलन पत्र 31 मार्च 2017 को

						्र(रू लाखों में)
	विवरण	टिप्पणी सं.	वर्तमा	न समीक्षाधीन		ले समीक्षाधीन
			अवधि के 31 मार्च 2017 के अन्त में आँकडे		के उ	31 मार्च 2016 मन्त में ऑंकडे
I.	साम्या और दायित्व					
1)	अंशघारियों की निधियाँ				0.44.44	
	क) शेयर पूंजी	1	8,11,41		8,11,41	
	ख) आरक्षित एवं अधिशेष आवंटन लंबित रहने के दौरान शेयर	2	(8,06,90)		(8,49,23)	
2	आवटन लाबत रहन क दारान शयर आवेदन धन		U	451	0	(3782)
3.	जापदन वन गैर–चालू दायित्व			401		(3702)
J.	क) दीर्घ—कालिक उधार	3	1,72,15		1,87,90	
	ख) अन्य दीर्घ—कालिक दायित्व	4	2,66,88		3,28,34	
	ग) दीर्घ—कालिक प्रावधान	5	80,43		75,79	
				5,19,46	·	5,92,03
4.	चालू दायित्व					
	क) अल्प-कालिक उधार	6	0		0	
	ख) व्यापार देय	7	15,59		11,58	
	ग) अन्य चालू दायित्व	8	63,76		49,82	
	घ) अल्प–कालिक प्रावधान	9	32,00	1,11,35	25,47	86,87
				1,11,33		00,07
	योग			6,35,32		6,41,08
II.	परिसम्पत्तियाँ					
1)	गैर चालू परिसम्पत्तियाँ					
•,	क) स्थायी परिसम्पत्तियाँ					
	i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ	10	1,14,49		1,19,19	
	ii) चालू पूंजी संकर्म	11	67,06		56,25	
	iii) चालू पूंजी संकर्म (विकास अधीन)	11A	0		0	
	ख) गैर—चालू निवेश	12	2,28		2,28	
	ग) दीर्घ—कालिक ऋण और अग्रिम	13	27,52		32,61	
	घ) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	14	41		88	
	ड) अपरिशोधित व्यय	15	18,33	2 20 00	18,11	2 20 22
2)	कुल गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ चालू परिसम्पत्तियाँ			2,30,09		2,29,32
۷)	क) चालू निवेश	16	0		0	
	ख) वस्तु सूचियाँ	17	1,33,52		1,34,95	
	ग) व्यापार प्राप्य	18	12,25		11,39	
	प)	19	2,16,95		2,31,44	
	ड) अल्प–कालिक ऋण और अग्रिम	20	34,15		24,28	
	च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	21	8,36		9,70	
	C			4,05,23		4,11,76
	कुल चालू परिसम्पत्तियाँ			6.25.20		6.44.00
	योग			6,35,32		6,41,08

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (नोट सं. 32) और संलग्नित नोट संख्या 1 से 31, जो की वित्तीय विवरणी के भाग हैं।

मनीष मेहता वित्त प्रमुख

शे. शक्तिमणि निदेशक (वित्त) / सीएफओ

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

मनोज मिश्रा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृते कपूर भूषण एण्ड कं.

सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

> ह0 (सी ए पी. बी. कपूर) भागीदार मेम्बरशिप नं. 010858

दिनांक : 30.06.2017

नई दिल्ली



लाभ हानि विवरण 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का

(र लाखों में)

				(हे लाखा म)
	विवरण	टिप्पणी सं	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
			अवधि के 1 अप्रैल 2016 से	अवधि के 1 अप्रैल 2015 से
			31 मार्च 2017 के लिए आँकडे	31 मार्च 2016 के लिए आँकड़े
आय				
1.	प्रचालनों से राजस्व			
	क) उत्पादों के विक्रय			
	(किलंकर की ब्रिक्री सहित–शून्य (गत वर्ष शून्य)		3,72,54	436,23
	घटाएँ : उत्पाद शुल्क		36,24	43,34
			3,36,30	3,92,89
	ख) अन्य प्रचालन राजस्व		1,14	13
	शुद्ध प्रचालनों से आय		3,37,44	3,93,02
2.	अन्य आय	22	42,28	63,11
3.	कुल आय		3,79,72	4,56,13
	व्यय			
	ज्यप उपभोग की गई सामग्रियों की लागत	23	41,86	50,38
	तैयार माल, व्यापार स्टाक और	20	41,00	30,30
	चालू सकर्म की सूचियों में परिवर्तन	24	3,13	5,78
	कर्मचारी हित व्यय	25	76,90	63,65
	अन्य व्यय	26	2,71,24	2,72,69
	वित्त संबंधी लागत	27	2,25	2,23
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय		6,64	7,89
4.	कुल व्यय		4,02,02	4,02,62
				
5 .	आपवादिक और असाधारण		(22,30)	53,51
	मदों से पूर्व लाम/(हानि)			
6.	आपवादिक मदें	28(क)	64,63	0
7 .	असाधारण मदों से पूर्व लाम		42,33	53,51
8.	असाधारण मदें	28(ग)	0	0
9.	कर से पूर्व लाभ		42,33	53,51
10.	चालू प्रचालनों से कर संबंधी व्यय		0	0
11.	सतत् प्रचालनों से वर्ष के दौरान लाम/(हानि)	00()	16,60	61,38
12.	रोक दिए गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)	28(घ)	25,73	(7,87)
13.	रोक दिए गए प्रचालनों के कर संबंधी व्यय		0	0 (7.07)
14.	कर के पश्चात रोक दिए गए प्रचालनों		25,73	(7,87)
45	से लाभ / (हानि)		42,33	53,51
15. 16.	वर्ष के दौरान लाभ / (हानि) प्रति अर्जित अंश		42,33 (49)	1,17
10.	ત્રાલ બાળલ બરા		(49)	1,17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (नोट सं. 32) और संलग्न नोट संख्या 1 से 31, जो वित्तीय विवरणी के भाग हैं।

मनीष मेहता शे. शक्तिमणि
वित्त प्रमुख निदेशक (वित्त) / सीएफओ
हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार कृते कपूर भूषण एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

ह0 (सी ए पी. बी. कपूर) भागीदार मेम्बरशिप नं. 010858 ह0 मनोज मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली दिनांक : 30.06.2017

नोट सं.—1 शेयर पूजी

		(₹ लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2017 के अन्त में आँकडे	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकडे
<mark>प्राधिकृत</mark> प्रत्येक ₹ 1000 / — के 5,00,00,00 साम्या अंश (गत वर्ष 5,00,00,00)	5,00,00	5,00,00
प्रत्येक ₹ 1000 / — के 4,00,00,00 (गत वर्ष 4,00,00,00) 0.01 % गैर संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश	4,00,00 9,00,00	4,00,00 9,00,00
निर्गमित, अभिदत्त तथा प्रदत्त		
प्रत्येक ₹ 1000 / — के 4,55,97,49 साम्या अंश पूर्ण प्रदत्त (गत वर्ष 4,55,97,49)	4,55,98	4,55,98
प्रत्येक ₹ 1000 / — के 3,55,43,25 (गत वर्ष 3,55,43,25) 0.01 % गैर संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश	3,55,43	3,55,43
योग अवधि के प्रारम्भ और अंत पर बकाया साम्या शेयरों की संख्या का समाधान	8,11,41	8,11,41
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयरों की संख्या जमाः वर्ष के दौरान आवंटित शेयरों की संख्या वर्ष के अंत पर बकाया शेयरों की संख्या	4,55,97,49	4,55,97,49
वष के अंत पर बकाया शयरा का संख्या अवधि के प्रारम्भ और अंत पर बकाया अधिमानी शेयरो की संख्या का समाधान	4,55,97,49	4,55,97,49
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयरों की संख्या जमाः वर्ष के दौरान आवंटित शेयरों की सख्या वर्ष के अंत पर बकाया शेयरों की संख्या	3,55,43,25 0 3,55,43,25	3,55,43,25 0 3,55,43,25
निगम में 5% से अधिक शेयर घारण करने वाले शेयर घारक की विवरणी		
शेयर धारक का नाम एवं शेयर की विवरणी—भारत सरकार		
साम्या अंश अधिमानी अंश	100% 100%	100% 100%



नोट संख्या–2 आरक्षित एवं अधिशेष

		(र् लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
लाम / हानि विवरण में अधिशेष / (कमी)		
पिछले वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार	(8,49,23)	(9,02,74)
घटा : वर्ष के दौरान लाभ	42,33	53,51
स्थाई सम्पत्ति के संदर्भित मूल्यहास	0	0
अंतिम शेष	(8,06,90)	(8,49,23)

नोट संख्या-3 दीर्घ-कालिक उधार

		(₹ लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2017 के अन्त में आँकडे	पिछले समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकडे
अप्रतिभूत ऋण*		
भारत सरकार से ऋण	1,50,90	1,50,90
अन्तर निगमित उधर	21,25	37,00
योग	1,72,15	1,87,90

ऋण एवं अन्तर निर्गमित उधार का ब्यौरा :

(र लाखों में)

क्रम	विवरण	ऋण	कब से	2016	S-17	2015-16		
सं.		राशि	चूक	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज	
1.	मै. गोवा शिपयार्ड लि.	21,25	1995	21,25	0	30,00	47,94	
2.	मै. ओ. एन. जी. सी. लि.	0	1991	0	0	7,00	13,69	
3.	भारत सरकार	1,50,90	1975 से	1,50,90	0	1,50,90	0	
4.	भारत सरकार	0	2011 से	0	1,23,85	0	1,23,85	
	योग	1,72,15		1,72,15	1,23,85	1,87,90	1,85,48	

^{*} मंजूरशुदा योजना के अनुसार, उपरोक्त योजनागत ऋण एवं निगमित उधार का भुगतान, गैर प्रचलन ईकाइयों की बिक्री से किया जाएगा



नोट संख्या–4 अन्य दीर्घ–कालिक दायित्व

		(रू लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
व्यापार देय		
एम.एस.एम.ई.	81	81
अन्य	26,73	27,15
प्रतिभूति एवं पेशगी से प्राप्त राशी	20,53	18,94
ग्राहकों से अग्रिम	6,34	4,25
बिक्री कर देय	6,57	9,19
विद्युत	22,68	24,73
रायल्टी देय	5,07	5,07
भारत सरकार से ऋण पर प्रोदभूत एवं देय ब्याज	1,23,85	1,23,85
अन्य ऋण पर प्रोदभूत एवं ब्याज देय	0	61,63
अन्य देय	54,30	52,72
योग	2,66,88	3,28,34

नोट संख्या-5 दीर्घ-कालिक प्रावधान

(र लाखों में)

		//
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
उपदान (ग्रेच्युटी)	34,64	30,85
निर्माणधीन पूंजीगत कार्य	11	11
अर्जित अवकाश दायित्व	17,32	15,70
अन्य	28,36	29,13
योग	80,43	75,79

नोट संख्या-6 अल्प-कालिक उधार

(रू लाखों में)

	-
वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
0	0
0	0
0	0



सी सी आई CCi

नोट संख्या–7 व्यापार देय

		(₹ लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
व्यापार देय		
एम.एस.एम.ई.	0	0
जमा	3	0
अन्य	15,56	11,58
योग	15,59	11,58

नोट संख्या-8 अन्य चालू दायित्व

वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
अवधि के 31 मार्च 2017 के अन्त में आँकडे	अवधि के 31 मार्च 2016 के अन्त में आँकडे
9,84	7,36
8,99	9,26
5,73	5,63
21,70	6,01
4,61	4,64
2,88	30
10,01	16,62
63,76	49,82
	अवधि के 31 मार्च 2017 के अन्त में आँकडे 9,84 8,99 5,73 21,70 4,61 2,88 10,01

नोट संख्या–9 अल्प–कालिक प्रावधान

		(रू लाखों में)
 विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
- उपदान (ग्रेचुटी)	11,59	9,49
अर्जित अवकाश दायित्व	4,80	4,59
अन्य प्रावधान	15,50	11,17
बोनस	11	22
योग	32,00	25,47

नोट संख्या – 10 : स्थायी परिसम्पत्तियां

(र लाखों में)

			स	कल ब	लाक			मूल्यः	हास		शुद्ध	ब्लाक
विवरण	1 अप्रैल, 2016 को	परिवर्धन/ समायोजन	कटौतियां /बिक्री ३	अन्तरण ग्राया/गया	31 मार्च 2017 को	01 अप्रैल 2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन /निपटान	अन्तरण आया/गया	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
वर्क्स												
फ्री होल्ड भूमि	1293	1	0	0	1294	146	0	0	0	146	1148	1147
पट्टे की भूमि	481	0	0	0	481	158	0	0	0	158	323	323
सड़कें एवं पुलिया	654	0	0	0	654	621	0	0	0	621	33	33
संयंत्र भवन	8884	0	0	0	8884	8008	132	0	0	8140	744	876
गैर संयंत्र भवन	1054	0	0	0	1054	661	22	0	0	683	371	393
जल प्रदाय, मल	1119	0	0	0	1119	968	2	0	0	970	149	151
निकास व व्ययन												
रेलवे साइडिंग	2095	0	0	0	2095	1583	25	0	0	1608	487	512
विद्युत संस्थापन	1980	0	0	0	1980	1889	1	0	0	1890	90	91
संयंत्र एवं मशीनरी	46715	174	0	0	46889	39453	412	0	0	39865	7024	7262
हवाई रज्जु मार्ग	706	0	0	0	706	672	0	0	0	672	34	34
(रोपवे)												
रेलवे रोलिंग स्टॉक	423	0	0	0	423	406	0	0	0	406	17	17
खदान उपकरण	2519	0	0	0	2519	2381	0	0	0	2381	138	138
वाहन	441	0	(13)	0	428	392	4	0	(12)	384	44	49
फर्नीचर, जुड़नार	264	0	0	0	264	253	2	0	0	255	9	11
कार्यालय उपकरण	471	16	0	0	487	422	24	0	0	446	41	49
विविध उपकरण	913	4	0	0	917	778	14	0	0	792	125	135
₹ 5,000 / — लागत	Г 52	1	0	0	53	52	1	0	0	53	0	0
तक प्रभारित परिसम	पत्तियां											
वर्क्स योग	70064	196	(13)	0	70247	58843	639	0	(12)	59470	10777	11221



नोट संख्या – 10 : स्थायी परिसम्पत्तियां

(₹ लाखों में)

			स	कल ब	लाक			मूल्यः	हास		शुद्ध	ब्लाक
विवरण	1 अप्रैल, 2016 को	परिवर्ध न/ समायोजन	कटौतियां /बिक्री उ	अन्तरण गया/गया	31 मार्च 2017 को	01 अप्रैल 2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन /निपटान	अन्तरण आया/गया	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
टाउनशिप												
फ्री होल्ड भूमि	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	19
पट्टे की भूमि	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	29	29
सड़कें एवं पुलिया	39	0	0	0	39	36	0	0	0	36	3	3
आवासीय एव												
कल्याण भवन	1754	0	0	0	1754	1124	24	0	0	1148	606	630
जल प्रदाय, मल												
निकास तथा व्ययन	158	0	0	0	158	152	0	0	0	152	6	6
विद्युत संस्थापन	41	0	0	0	41	40	0	0	0	40	1	1
वाहन	122	0	0	0	122	116	2	0	0	118	4	6
फर्नीचर, जुडनार	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
कार्यालय उपकरण	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0
विविध उपकरण	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
टाउनशिप योग	2205	0	0	0	2205	1507	26	0	0	1533	672	698
वर्क्स एवं टाउनशिप का य	72269 गेग	196	(13)	0	72452	60350	665	0	(12)	61003	11449	11919
गत वर्ष	71754	540	(25)	0	72269	59585	790	0	(25)	60350	11919	12169

प्रभारित मूल्यहास :

		(रू लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
लाभ हानि खाता	6,64	7,89
खदान (नोट सं. 23)	1	1
	6,65	7,90
		



नोट संख्या–11 निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य

(र् लाखों में)

अवधि के उ	ले समीक्षाधीन 11 मार्च 2016 अंत में आंकडे	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीगत	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2017 के अन्त में आंकडे
यांत्रिक परामर्श	1,20	0	0	0	1,20
सिविल इंजीनियरिंग कार्य	20,78	9,20	0	0	29,98
सयंत्र एवं मशीनरी–प्रतिस्थापन के अधीन सहित	31,17	2,64	1	1,02	32,78
संयंत्र एवं मशीनरी प्रतिस्थापन व्यय	1	0	0	0	1
प्रासंगिक व्यय जिनका आवंटन करना है।	1,36	0	0	0	1,36
(संलग्न संर्दर्भित)					
पूँजीगत भंडार	12	0	0	0	12
अन्य	1,64	0	0	0	1,64
योग	56,28	11,84	1	1,02	67,09
प्रावधान : डब्ल्यु. आई. पी.					
सिविल इंजीनियनिंग वर्क्स	3	0	0	0	3
योग	56,25	11,84	1	1,02	67,06

नोट संख्या-11 (क) निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य (अमूर्त सम्पत्ति)

(र् लाखों में)

विवरण अवि	पिछले समीक्षाधीन वें के 31 मार्च 2016 के अंत में आंकडे	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन व	र्ष के दौरान पूंजीगत	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के 31 मार्च 2017 के अन्त में आंकडे
सॉफ्टवेयर विकसित करना	2	0	0	0	2
योग	2	0	0	0	2
घटाए : प्रावधान					
सॉफ्टवेयर विकसित करना	2	0	0	0	2
योग	0	0	0	0	0



नोट संख्या – 11 का संलग्नक : निर्माण काल के दौरान प्रासंगिक व्यय लेखा

		(र लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित सुविधाएं		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	0	0
कुल पारिश्रमिक	B0888888888888888888888888888888888888	3888888888888
विविध व्यय	0	0
विधिक व्यय	0	5
सुरक्षा व्यय	11	10
शुद्ध व्यय	11	15
नयागाँव विस्तार में अंतरित शेष	11	15
वर्ष के दौरान वृद्धि	0	0
आई. ई. डी. सी. खाते का सारांश		
निर्माण काल के दौरान प्रासंगिक व्यय का आरम्भिक शेष	1,36	1,36
वर्ष के दौरान वृद्धि	0	0
घटाएँ:		
वर्ष के दौरान पूजीगत किया गया	0	0
वर्ष के दौरान समायोजन किया गया	0	0
निर्माण काल के दौरान प्रासंगिक व्यय का अन्तिम शेष	1,36	1,36



नोट संख्या— 12 : गैर चालू निवेश

	12 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11				(रु लाखों में)
विवरण	ſ	31 मार्च, 2017 को बाजार मूल्य	31 मार्च, 2017 को खाता मूल्य	31 मार्च, 2016 को बाजार मूल्य	31 मार्च, 2016 को खाता मूल्य
लंबी ३	अवधि के निवेश				
लागत	। पर उद्घरित शेयर (पूर्ण प्रदत्त)				
(i)	आन्ध्र सीमेंट कंपनी लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 31 इक्विटी शेयर @ ₹ 9.00 (गत वर्ष ₹ 8.20)	@	@	@	@
(ii)	ए.सी.सी.लि. के ₹ 10 के प्रत्येक मूल्य के 280 इक्विट शेयर (जिसमें 180 बोनस शेयर सिम्मिलित हैं) जोिक ₹ 100 मूल्य के 28 शेयरों से बदले गये हैं जिनका बाजार मूल्य बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से ₹ 1446.05 प्रति शेयर है। (गत वर्ष ₹ 1380.30)	4	@	4	@
लागत	ा पर अनुद्धरित शेयर (पूर्ण प्रदत)				
(i)	असम बंगाल सीमेंट कंपनी लि. का ₹10 का 1 इक्विटी शेयर *	-	@	-	@
(ii)	जयपुर उद्योग लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 79 इक्विटी शेयर	-	@	-	@
(iii)	सोन वैली सीमेंट कंपनी लि. के ₹ 5 प्रत्येक के 40 इक्विटी शेयर	-	@	-	@
(iv)	आन्ध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन के ₹ 10 मूल्य के 55,31,520 इक्विटी शेयर (23,15,520	3,22	-	3,22	-
	बोनस शेयर सहित) 16,10,680 शेयर बेच दिए	94	-	94	-
	गए, जिसमें 1,34,000 बोनस शेयर सिम्मिलित है। ₹ 10 मूल्य के 39,20,840 शेयर शेष बचे है (21,81,520 बोनस शेयर सहित)		2,28		2,28
	निवेश का योग		2,28		2,28
उद्धरि	त निवेशों का योगफल				
लागत		-	@	-	@
बाजार		4	-	4	-
	रित निवेशों का योगफल		2.20		2.20
लागत			2,28		2,28
	गलू निवेश का योग		2,28		
	1,00,000 / — से कम राशि गम के नाम हस्तांतरण होना बाकी है।				



नोट संख्या-13 दीर्घ-कालिक ऋण और अग्रिम

		(र लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
पूँजीगत अग्रिम		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	61	61
असुरक्षित, उत्तम माने गए	3,79	7,16
संदिग्ध	13	13
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	13	13
उपयोग	4,40	7,77
जमा केन्द्रीय उत्पादक शुल्क	8999899999999999	88060808080808080
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	2,35	1,88
संदिग्ध	28	28
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधन	28	28
उपयोग	***************************************	
उपयाग	2,35	1,88
अन्य जमा		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए 	12,34	11,99
संदिग्ध	25	25
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	25	25 9888888888888
उपयोग	12,34	11,99
ठेकेदार एवम् पूर्तिकर्ता	33483838383838383	
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	48	38
संदिग्ध	2,51	2,51
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	2,51	2,51
उपयोग	48	38
सरकारी विभाग के साथ शेष	3388383838383838383	38803838083838383838
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	2,22	4,61
संदिग्ध	1,74	1,74
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	1,74	1,74
उपयोग	5000050050050050050050 2,22	яниянияния 4,61
	***************************************	7,01
बीमा व अन्य दावे		•
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध	40	43 1 80
सादग्ध घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	1,80 1,80	1,80 1,80
·	***************************************	***************************************
उपयोग	40 ************************************	43



नोट संख्या–13 दीर्घ–कालिक ऋण और अग्रिम (जारी....)

		(₹ लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
कर्मचारियों को अग्रिम व ऋण		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	1	1
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
संदिग्ध	0	0
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	8888888888888888	**************************************
वसूली योग्य दावे-रेलवे	1838883638938388386	338833838383838383
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	8
संदिग्ध	4,02	3,88
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	4,02	3,88
उपयोग	назавазавазазаваза:	398883888888888888888888888888888888888
वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत	183888383888383888388	338883838383838383
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,08	1,08
संदिग्ध	93	93
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	93	93
उपयोग	1,08	1,08
कर्मचारियों से वसूली योग्य	18388838388888888888	33883383883838383
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	6	6
संदिग्ध	8	8
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	8	8
उपयोग	#38883838888888888 6	**************************************
बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य	19399938399393989398	398839388938389393
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	4,18	4,32
संदिग्ध	7,65	7,65
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	7,65	7,65
उपयोग	4,18	33883383883838383 4,32
जाँच होने तक कमियाँ–हानियाँ	19399938389839899898	38883838883838888
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
संदिग्ध	5,90	5,90
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	5,90	5,90
उपयोग उपयोग	**************************************	0
कुल योग	27,52	32,61
27. 31.1	ESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESS	32,01 ************************************



नोट संख्या-14 : अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ

			(₹ लाखा म)
	विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
		अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
		के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
क)	दीर्घ–कालिक व्यापार प्राप्य		
	सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
	असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
	संदिग्ध	15,01	15,02
	घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए	15,01	15,02
	उप योग	0	0
ख)	ऋणों एवं अग्रिमों पर देय व प्रोदभूत		
	ब्याज (असुरक्षित, उत्तम माने गए)	41_	88
	उप योग	41	88
	कुल योग	41	88

				0.10	
नाट	सख्या–	15	व्यय—	अपरिशोधित व	यय

		(र लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
खनन् विकास व्यय		
आरम्भिक शेष	18,11	16,74
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,98	3,96
	20,09	20,70
घटाएः समायोजित / पूंजीगत	1,76	2,59
योग	18,33	18,11

नोट संख्या–16 चालू निवेश

		(रू लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
चालू निवेश		
गैर व्यापार निवेश	0	0
1. कोट किए गए निवेशों से	0	0
2. कोट नहीं किए गए निवेशों से	0	0
योग		0

ची ची आर्ब CCi

नोट संख्या—17 वस्तु सूचियाँ (प्रबंधन द्वारा बनाई गई, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)

	,	(₹ लाखों में)
 विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
क) भंडार व अतिरिक्त पुर्जे		
–स्टाक में	67,33	68,65
–मार्गस्थ में	9	11
उपयोग	67,42	68,76
ख) कार्य प्रगति में		
–स्टाक में	27,93	27,49
–मार्गस्थ में	0	0
उपयोग	27,93	27,49
ग) तैयार माल		
–स्टाक में	8,97	11,74
–मार्गस्थ में	2,09	1,68
उपयोग	11,06	13,42
घ) कच्ची सामग्रियाँ		
–स्टाक में	10,13	10,89
–मार्गस्थ में	7	1
उपयोग	10,20	10,90
ङ) खुले औजार एवं उपकरण		
–स्टाक में	1	1
–मार्गस्थ में	0	0
उपयोग	1	1
च) पैकिंग सामग्री		
–स्टाक में	49	78
–मार्गस्थ में	0	0
उपयोग	49	78
छ) कोयला	40.04	= 0.4
—स्टाक में 	13,61	7,64
–मार्गस्थ में	0	1,94
उपयोग ज) स्क्रैप	13,61	9,58
ज) स्क्रैप –स्टाक में	2.04	4.40
– स्टाक न –मार्गस्थ में	2,91	4,12
-नागस्थ न <mark>उपयोग</mark>	0	0
योग	2,91 1,33,63	4,12 1,35,06
घटाएं: अप्राप्य वस्तु सूची का प्रावधन	11	11
	1,33,52	1,34,95
कुल		



नोट संख्या-18 व्यापार प्राप्य

			(₹ लाखों में)
	विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
		अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
		के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
क)	व्यापार प्राप्य जो छह माह से अधिक की अवधि से		
	बकाया है		
	–सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
	–असुरक्षित, उत्तम माने गए	67	1,71
	–संदिग्ध	0	0
	घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
	योग (क)	67	**************************************
	411 (47)	800800000000000000000000000000000000000	1,7 1
ख)	अन्य व्यापार प्राप्यः		
	–सुरक्षित, उत्तम माने गए	1,35	2,99
	–असुरक्षित उत्तम माने गए	10,23	6,69
	–संदिग्ध	0	0
	घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
		8883838883838883838838383	883838883838888888888888888888888888888
	योग (ख)	11,58	9,68
	स्य गोग (स्थास)		
	कुल योग (क+ख)	12,25	11,39
		AAAAAAAAAAAAAAAA	NOODSCOOD NAMEARARARARA

नोट संख्या-19 नगद और बैंक शेष

		(रू लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
नगद और नगद समतुल्य		
हाथ में नगदी	1	2
चैक / डी.डी. हाथ में	1,58	3,58
बैंक में जमा*	1,91,71	2,12,45
बैंक शेष–चालू खाता	13,59	7,41
योग	2,06,89	2,23,46
अन्य बैंक शेष	800000000000000000000000000000000000000	
बैंक में शेषों को, जो कि मार्जिन मनी		
अथवा प्रतिभूतियों के रूप में धारित किया है		
–प्रतिभृति	7,06	7,98
–साखं पत्र	3,00	0
कुल योग	2,16,95	2,31,44

^{*} बैंकों में जमा राशि में, ₹ 13942.01 लाख (गत वर्ष ₹ 1303.94 लाख) की जमा जिसकी मैच्युरटी तारीख 12 महीनों से ज्यादा है, भी सम्मलित है।



			_4
नाट	सख्या—20	अल्पकालिक ऋण	आर आग्रम

		(र् लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
सरकारी विभागों के साथ शेष		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,64	3,95
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	1,64	3,95
ठेकेदार एवं पूर्तिकर्ता		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	7,47	3,45
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	7,47	3,45
वसूली योग्य दावे—रेलवे		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	7
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	0	7
अन्य जमा		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	4,02	3,82
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	4,02	3,82
बीमा व अन्य दावे		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,02	9
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	1,02	9
कर्मचारियों के ऋण व अग्रिम		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	15	15
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1	5



सी सी आर्र C C i

नोट संख्या-20 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (जारी)

संदिग्ध 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	<i>(₹ लाखों में)</i> पिछले समीक्षाधीन
संदिग्ध 0 प्रयोग 16	19950		
संदिग्ध			
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 16 उत्पाद शुल्क / वैट वसूली योग्य राहत सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए औसुरक्षित, उत्तम माने गए ग्रीदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 1,92 कर्मचारियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए औसुरक्षित, उत्तम माने गए ग्रीदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 40 बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए ग्रीदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 40 असुरक्षित, उत्तम माने गए ग्रीदिग्ध सुरक्षित, उत्तम माने गए ग्रीदिग्ध सुरक्षित, उत्तम माने गए ग्रीदिग्ध चटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 17,52 9			
उपयोग 16 उत्पाद शुल्क / वैट वसूली योग्य राहत पुरक्षित, उत्तम माने गए 0 असुरक्षित, उत्तम माने गए 1,92 2 संदिग्ध 0 उपयोग 30 असुरक्षित, उत्तम माने गए 10 संदिग्ध 0 उपयोग 40 बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए 0 असुरक्षित, उत्तम माने गए 17,52 9 संदिग्ध 0 घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 0 उपयोग 17,52 9		0	0
सुरक्षित, उत्तम माने गए	घटाएः बट्टे खाते और सदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए तर्मिदग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 1,92 2 कर्मचारियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए 10 संदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ	उपयोग	16	20
असुरक्षित, उत्तम माने गए 1,92 2 संदिग्ध 0 घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 0 उपयोग 1,92 2 कर्मचारियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए 30 असुरक्षित, उत्तम माने गए 10 संदिग्ध 0 घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 0 उपयोग 40 बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए 0 असुरक्षित, उत्तम माने गए 17,52 9 संदिग्ध 0 घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 0 उसुरक्षित, उत्तम माने गए 17,52 9 संदिग्ध 0 घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 0 घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 0	उत्पाद शुल्क/वैट वसूली योग्य राहत		
सदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 1,92 2 कर्मचारियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 40 बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए उस्तित, उत्तम माने गए चटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 1,92 2 कर्मचारियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए अधुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 40 असुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए उपयोग 17,52 9 उपयोग 17,52 9 उपयोग 17,52 9		1,92	2,38
उपयोग 1,92 2 कर्मचारियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए 30 असुरक्षित, उत्तम माने गए 10 संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 0 उपयोग 40 बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए 0 असुरक्षित, उत्तम माने गए 17,52 9 संदिग्ध 0 घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 0 उपयोग 17,52 9		0	0
कर्मचारियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध वटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए वटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 17,52 9 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	0	0
सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए विदेश घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 17,52 9 5 5 7 8	उपयोग	1,92	2,38
असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 40 बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए मंदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 17,52 9 37,52 9 17,52 17,53 17,53 17,53 17,53 17,53 17,53 17,53			
संदिग्ध 0 घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 0 असुरक्षित, उत्तम माने गए 0 असुरक्षित, उत्तम माने गए 17,52 9 संदिग्ध 0 घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 0 उपयोग 2	•	30	40
चटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 3पयोग 40 3IEU पार्टियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए मंदिग्ध चटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 3पयोग 17,52 9 3पयोग	•	10	20
उपयोग 40 बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए 0 असुरक्षित, उत्तम माने गए 17,52 9 संदिग्ध 0 यटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 0 उपयोग 17,52 9	-	0	0
बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य सुरक्षित, उत्तम माने गए 0 असुरक्षित, उत्तम माने गए 17,52 9 संदिग्ध 0 घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 0	घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	0	0
पुरक्षित, उत्तम माने गए असुरक्षित, उत्तम माने गए संदिग्ध वटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान 3पयोग 17,52 9	उपयोग	40	60
असुरक्षित, उत्तम माने गए			
संदिग्ध घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान		0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान उपयोग 17,52 9	· ·	17,52	9,72
उपयोग 17,52	-	0	0
	घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	0	0
2445	उपयोग	17,52	9,72
प्रुल याग 34,15 24	कुल योग	34,15	24,28

				_	0	U
नाट	संख्या-21	अन्य	चालू	पारसम्प	गत	या

		(रू लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
मियादी जमा पर प्रोदभूत ब्याज	8,36	9,70
योग	8,36	9,70

नोट संख्या-22 अन्य आय

(₹ लाख		
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि 1 अप्रैल 2016 से	
	31 मार्च 2017 के लिए आँकडे	31 मार्च 2016 के लिए ऑकडे
आय		
सम्पत्ति से किराया	16,01	18,14
कर्मचारियो के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	9	7
टाउनशिप से प्राप्तियाँ	49	45
विगत वर्षों से आय (शुद्ध) (नोट सं. 28 ख)	6	0
अधिक प्रावधान वापसी	2,98	12,40
बैंक ब्याज	17,33	19,02
विविध आय	5,31	13,01
पृथक की गई सम्पत्तियों की बिक्री से आय	1	2
योग	42,28	63,11

नोट संख्या-23 : उपभुक्त कच्चे माल की लागत

(रू लाख)			
 विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन पिछले सर्म		
	अवधि 1 अप्रैल 2016 से	अवधि 1 अप्रैल 2015 से	
	31 मार्च 2017 के लिए आँकडे	31 मार्च 2016 के लिए ऑकडे	
प्रारम्भिक शेष	10,89	9,78	
वर्ष के दौरान अर्जन			
चूना पत्थर की खनन एवं परिवहन (*नीचे दी गई	31,57	35,89	
टिप्पणी को संदर्भित करें)			
अन्य कच्चे माल की खरीद	9,53	15,60	
उप–योग	51,99	61,27	
घटाएं : अंतिम रहतिया	10,13	10,89	
कुल उपभुक्त कच्चा माल	41,86	50,38	
*टिप्पणी–चूना पत्थर की खनन तथा परिवहन			
चूना पत्थर की खनन तथा ठेकेदारों को किया गया भुगतान	6,56	910	
कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा सुविधाएं			
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	4,78	4,67	
उपदान भुगतान	40	1,05	



नोट संख्या-23 : उपभुक्त कच्चे माल की लागत (जारी)

(₹ व				衰 लाखों मे
- विवरण		वर्तमान समीक्षाधीन		
	अवधि १ अप्रैल			
	31 मार्च 2017 के लि	ए ऑकडे	31 मार्च 2016 के ि	लेए ऑकडे
कर्मचारियों को सुविधाएं	0		0	
भविष्य निधि में अंशदान	35		23	
पैंशन निधि में अंशदान	10		8	
छुड़ियों का नकदीकरण	13		29	
चिकित्सा खर्च	25		9	
उपदान के लिए प्रावधान	0		0	
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	0		3	
•		601		6,44
उपभुक्त भण्डार				,
सकल राशि	2,49		4,27	
घटाएं : मरम्मत में सम्मिलित	1,28		2,99	
		121		1,28
विद्युत	58		69	
- ईंधन	30		39	
दर एंव कर	46		26	
संविदा श्रमिकों का भुगतान	2,97		2,36	
रॉयल्टी एवं उपकर	12,17		14,48	
बट्टे खाते में डाला गया खदान विकास व्यय	1,76		2,59	
यात्राा व्यय	2		2	
अन्य व्यय	22		37	
मूल्यह्रास	1		1	
		18,49		21,17
मरम्मत मशीनरी	74		10,7	
भवन	4		0	
अन्य	50		79	
		1,28		1,86
उपयोग		33,55		39,85
घटाएं : खदान विकास व्यय		1,98		3,96
योग	_	31,57		35,89



नोट संख्या-24 : तैयार माल, व्यापार स्टॉक और चालू सकर्म की सूचियों में परिवर्तन

				(र् लाखों में)
 विवरण		वर्तमान समीक्षाधीन		समीक्षाधीन
	अवधि 1 अप्रैल			
	31 मार्च 2017 के लि	ए आँकडे	31 मार्च 2016 के ि	लेए ऑकडे
अर्द्ध तैयार माल				
अंतिम रहतिया	27,93		27,49	
प्रारम्भिक रहतिया	27,49		30,62	
		44		(3, 13)
तैयार माल				
अंतिम रहतिया	8,97		11,74	
प्रारम्भिक रहतिया	11,74		14,40	
		(2,77)		(2,66)
तैयार माल मार्गस्थ				
अंतिम रहतिया	2,09		1,68	
प्रारम्भिक रहतिया	1,68		2,22	
		41		(54)
स्क्रैप रहतिया				
अंतिम रहतिया	2,91		4,12	
प्रारम्भिक रहतिया	4,12		3,57	
		(1,21)		55
योग–उपचय / (अनुपचय)	_	(3,13)	-	(5,78)
			-	

नोट संख्या 25 : कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित लाभ

(₹ ਕ			
 विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन	
	अवधि 1 अप्रैल 2016 से	अवधि 1 अप्रैल 2015 से	
	31 मार्च 2017 के लिए आँकडे	31 मार्च 2016 के लिए ऑकडे	
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	46,04	45,93	
उपदान भुगतान	6,64	4,99	
कर्मचारियों को हितलाभ	9	8	
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	1,96	78	
भविष्य निधि में अंशदान	3,24	2,68	
पैंशन निधि में अंशदान	75	80	
चिकित्सा खर्चे	2,93	3,06	
छुट्टियों का नकदीकरण	4,50	2,49	
उपदान के लिए प्रावधान	8,31	34	
कर्मचारी कल्याण व्यय	2,44	2,50	
योग	76,90	63,65	



नोट संख्या 26: अन्य व्यय

		(₹ लाखों में)	
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन		
	अवधि 1 अप्रैल 2016 से		
	31 मार्च 2017 के लिए आँकडे	31 मार्च 2016 के लिए ऑकर्ड	
विद्युत	77,16	66,83	
कोयला	91,70	1,00,38	
ईंधन तथा तेल	17	16	
किराया	27	18	
उत्पाद शुल्क	1,24	1,62	
दर एवं कर	4,04	4,65	
बीमा	21	20	
	1,74,79	1,74,02	
मरम्मत एवं रख रखाव			
संयंत्र एवं मशीनरी	15,04	14,53	
भवन	1,10	2,10	
अन्य	2,17	2,16	
कुल मरम्मत एवं रख–रखाव	18,31	18,79	
अन्य उत्पादन व्यय	9,13	8,32	
बट्टे खाते में डाले गये औजार एवं उपकरण	1	1	
यात्रा व्यय	1,43	99	
बिक्री व्यय			
सीमेंट का भाड़ा	28,46	29,18	
चढ़ाई–उतराई खर्चे	3,09	3,62	
द्वितीयक परिवहन	0	0	
गोदाम व्यय	1,58	1,02	
बिक्री संवर्धन एवं प्रचार	32	48	
अन्य बिक्री व्यय	5	6	
कुल बिक्री व्यय	33,50	34,36	
वाहनों का परिचालन व्यय	34	72	
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक			
लेखा परीक्षा शुल्क	6	4	
खर्चों की प्रतिपूर्ति	0	0	
अन्य क्षमता में	1	1	
कुल लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	7	 5	
लागत लेखा परीक्षा फीस	1	1	
लागत लेखा परीक्षा व्यय	0	0	
कुल लागत लेखा परीक्षा व्यय	1	1	
सी. आर. आई तथा अन्यों को अंशदान	10	9	
स्थायी सम्पत्ति के निपटान से हानि	0	0	
संचार व्यय	34	33	
राभार भ्य	34	S.	



नोट संख्या 26ः अन्य व्यय (जारी)		
		(₹ लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	
	अवधि 1 अप्रैल 2016 से	अवधि 1 अप्रैल 2015 से
	31 मार्च 2017 के लिए आँकडे	31 मार्च 2016 के लिए ऑकडे
मुद्रण तथा लेखन सामग्री व्यय	36	26
डाटा प्रोसेसिंग पर भाड़ा प्रभार	8	6
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	1,22	89
सुरक्षा व्यय	4,62	4,68
कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण व्यय	10	10
*विविध व्यय	3,03	3,76
संविदा श्रमिकों को भुगतान	6,24	4,88
बन्द योजना पर व्यय	11	15
बटटे खाते का प्रावधान	14	2
विगत वर्षों का व्यय (शुद्ध) (नोट सं. 28 ख के संदर्भित)	1,60	1,51
निगमित समाजिक दयित्व	0	4
उप योग	2,55,53	2,54,04
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे		
सकल राशि	14,69	15,38
घटाएं : मरम्मत तथा रख रखाव के अधीन सिम्मिलित	9,27	8,88
शुद्ध : उपमुक्त भंडार एवं पुर्जे	5,42	6,50
पैकिंग सामग्री	10,29	12,15
योग	2,71,24	2,72,69
*सम्मिलितः		
–मनोरंजन व्यय	0	0
–निदेशक उपस्थिति फीस	1	0



नोट संख्या—27 वित्त संबंधी लागतें

		(रू लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि 1 अप्रैल 2016 से	अवधि 1 अप्रैल 2015 से
	31 मार्च 2017 के लिए आँकडे	31 मार्च 2016 के लिए ऑकडे
ब्याज		
–स्टाकिस्टों से जमा पर	14	13
–अन्य	2,11	2,10
योग	2,25	2,23

नोट संख्या-28 आपवादिक, असाधारण एवं विगत वर्षों से सम्बन्धित समायोजन

नोट संख्या-28 (क) आपवादिक मदें

		(रू लाखों में)
	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि 1 अप्रैल 2016 से	अवधि 1 अप्रैल 2015 से
	31 मार्च 2017 के लिए आँकडे	31 मार्च 2016 के लिए ऑकडे
आपवादिक मदें		
आय		
ब्याज एवं अन्य की छूट	64,63	0
योग : आपवादिक आय	64,63	0
व्यय		
ब्याज	0	0
योग : आपवादिक व्यय	0	0
शुद्ध आपवादिक मदे आय/(व्यय)	64,63	0

नोट संख्या—28 (ख) विगत वर्षों के मद

/	١.	\"
/∓	लाखा	Ŧ
17	CIICII	'/

		(र् लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	
	अवधि 1 अप्रैल 2016 से	
	31 मार्च 2017 के लिए आँकडे	31 मार्च 2016 के लिए ऑकडे
आय		
कर्मचारियों की पारिश्रमिक एवं हितलाभ	0	0
भण्डार एवं पुर्जें	6	4
दर एवं कर	0	0
ब्याज	0	0
पूर्वावधि आय का योग	6	4
व्यय		
कच्चा माल	0	34
भण्डार एवं पैकिंग सामग्री	66	38
कर्मचारियों की पारिश्रमिक एवं हितलाभ	25	4
रॉयल्टी	0	67
विद्युत एवं इंधन	19	0
बिक्रीकर	37	0
अन्य	19	12
पूर्वावधि व्यय का योग (i)	1,66	1,55
शुद्ध पूर्वावधि आय/व्यय (i-ii)	(1,60)	(1,51)

नोट संख्या-28 (ग) असाधारण मदें

		(₹ लाखों में)
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि 1 अप्रैल 2016 से	अवधि 1 अप्रैल 2015 से
	31 मार्च 2017 के लिए आँकडे	31 मार्च 2016 के लिए ऑकडे
आय	0	0
योग असाधारण मदें आय		0
व्यय		
योग असाधारण मदें व्यय	0	0
शुद्ध असाधारण आय/(व्यय)	0	0
		



नोट संख्या – 28 (घ) 31.3.2017 को समाप्त वर्ष का प्रचालन एवं गैर-प्रचालन के आय और व्यय का विवरण

(र् लाखों में)

विवरण		प्रचालित	गैर–	-प्रचालित	य	ोग
	2016-17	2015-16	2016—17	2015-16	2016—17	2015—16
क) आय:–						
बिक्री (शुद्ध)	3,36,30	3,92,89	0	0	3,36,30	3,92,89
अन्य प्रचालित आय	1,14	13	0	0	1,14	13
अर्द्ध तैयार						
तथा तैयारमाल की						
उपचय (अनुपचय)	(3,13)	(5,78)	0	0	(3,13)	(578)
कुल आय	3,34,31	3,87,24	0	0	3,34,31	3,87,24
ख) व्यय:–						
प्रचालित व्यय	3,70,34	3,80,64	26,30	13,97	3,96,64	3,94,61
खराब हानि	0	0	0	0	0	0
कुल व्यय	3,70,34	3,80,64	26,30	13,97	3,96,64	3,94,61
ग) प्रचालन गतिविधियों	(36,03)	6,60	(26,30)	(13,97)	(62,33)	(7,37)
से एवम् ब्याज व कर						
पूर्व लाभ ब्याज खर्च	1,13	1,10	1,12	1,13	2,25	2,23
घ) कर पूर्व लाभ/(हानि)	(37,16)	5,50	(27,42)	(15,10)	(64,58)	(9,60)
, ू , \ , ड) आय कर	0	0	0	0	0	0
७) जाय कर	U	U	U	U	U	U
व) कर पश्चात, प्रचालन	(37,16)	5,50	(27,42)	(15,10)	(64,58)	(9,60)
गतिविधियों से						
लाभ / (हानि)						
छ) अन्य आय	34,57	55,89	7,71	7,22	42,28	63,11
ज) आपवादिक मदें–आय/(व्यय)	19,19	0	45,44	0	64,63	0
झ) आसाधरण मदें–आय / (व्यय)	0	0	0	0	0	0
ञ) परिचालन गतिविधियों	16,60	61,39	25,73	(7,88)	42,33	53,51
से शुद्ध लाभ/(हानि)						



नोट संख्या–29 आकिस्मक दायित्वों और प्रतिबद्धताएँ (उस सीमा तक जिस तक उपबंध नहीं किया है।)

				(₹ लाखों र
	विवर	ण	वर्त्मान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
			अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
			के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
अ)	आव	स्मिक दायित्वः		
	क)	कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें उधार के रूप में अभी स्वीकार नहीं किया गया है		
	1	कर निर्धारण वर्ष 2007—08 के लिए अधिनियम 271 (1)(C) के अन्तर्गत आयकर की मांग	29,61	29,61
	2	तादूर व बोकाजन ईकाई हेतु बिक्रीकर मांग	19,95	29,94
	3	राजबन सर्दर्भित, रेलवे जमीन लाइसेंस शुल्क (अप्रैल 10 से मार्च 15)	0	13,09
	4	मध्यस्था मामला–नोरटन पोलीमर लि.	5,87	5,87
	5	मण्डार एवं अकलतरा हेतु टी.एम.सी.	3,64,49	3,64,49
	6	तादूर हेतु विद्युत व्हीलिंग प्रभार	52,66	37,15
	7	अन्य, विविध मामले	94,80	90,12
	ख)	ऐसे अन्य धन, जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।	0	0
		योग (अ)	5,67,38	5,70,27
ब)	प्रति	बद्धताएँ:—		
	क)	पूँजीगत लेखा निष्पादित किए जाने के लिए शेष सभी सविदाओं की अनुमानित रकम जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया है।	1,57,39	1,58,64
	ख)	अन्य प्रतिबद्धताएं (विनिर्दिष्ट प्रकृति)	0	0
		योग (ब)	1,57,39	1,58,64
		योग (अ+ब)	7,24,77	7,28,91

(क) कर्मचारियों के सेवा मामले आदि के लिए क्षतिपूर्ति / पदोन्नति / दावों के लिए विभिन्न अदालतों में लंबित(अनिर्णीत) मामलों के प्रभाव को खातों में नहीं दिया गया है क्योंकि राशि अभी निश्चित नहीं है।



नोट संख्या-30 : दिनांक 31.3.2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियां

- 1. कॉर्पोरेशन द्वारा दायर किए गए ₹ 7663.19 लाख (गत वर्ष ₹ 7664.86 लाख) के लिए दावे / प्रतिदावे, जो माध्यस्थम के अधीन हैं / न्यायालयों आदि में विचाराधीन हैं और जिनका परिणाम केवल तभी ज्ञात होगा, जब इन पर कोई अधिनिर्णय / डिक्री आदि की घोषणा कर दी जाती है। अतः लेखाओं पर इसके प्रभाव का जिक्र नहीं किया गया है।
- 2. (i) ₹ 220.35 लाख (गत वर्ष ₹ 418.05 लाख) की राशि के लिए तुलन पत्र की तारीख तक फार्म 'सी', 'डी' और 'एफ / बी—।।" आदि प्राप्त न होने के कारण बिक्री कर संबंधी देयता, जिसे अंतिम निराकरण से पहले प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है, को पूरा कर दिया गया है और / अथवा अपीलों पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है, इसलिए प्रावधान नहीं किया गया है।
 - (ii) मूल्यांकन वर्ष 2006—07 और 2007—08 के लिए मूल्यांकनकर्ता अधिकारियों (आयकर विभाग के) के आदेशों के संदर्भ में मूल्यांकनकर्ता अधिकारियों ने क्रमशः ₹ 885,00,87,850 और ₹ 87,98,64,000 की आय का आकलन किया है और इसका समायोजन कंपनी की आगे लाई गई हानियों के साथ किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी की मूल्यांकित हानियां ₹ 972,99,51,850 तक घट गई हैं। कंपनी ने अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष एक अपील फाईल की है। आईटीएटी ने अपने दिनांक 23.12.2016 के आदेश के जिए दोनों मूल्यांकनों को निरस्त कर दिया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकनकर्ता अधिकारी दोनों मूल्यांकन वर्षों के लिए इसका फिर से निर्धारण करेंगे।
- 3. 1.06 एकड़ (मंढार), 0.146 हेक्टेयर (नयागांव), 495.75 एकड़ (अकलतारा), 10.12 एकड़ (भिटेंडा ग्राइंडिंग यूनिट), भूमि के लिए अधिकार विलेख और 155.83 एकड़ (नयागांव) और 58.81 एकड़ (आदिलाबाद) भूमि के लिए पट्टाविलेख अभी निष्पादित किए जाने हैं। डीएचआई ने गैर निष्पादनरत यूनिटों के विनिवेश के लिए निर्देश दिए हैं। डीडीए ने दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट के लिए 20.20 एकड़ भूमि के पट्टाधिकार आवंटित किए थे। इस भूमि का आवंटन डीडीए द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाईल की थी।
 - माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम नं. 12314 / 2015 दिनांक 22.03.17 को वह रिट पेटिशन को आविचारनीय मानते हुए इसे खारिज कर दिया गया।
 - डीडीए के पत्र दिनांक 11.04.2017 द्वारा 14.20 एकड जमीन को सर्वेछित रूप में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को हस्तांत्रित कर दिया है। सीसीआई द्वारा इसके अवज में जमीन /क्षतिपुर्ति के प्रयत्न कर रही है। आज भी 20.20 एकड जमीन का भौतिक हक सीसीआई के पास ही है।
- 4. दिनाकिंत 03.12.2015 के खनिज (सरकारी विभाग द्वारा खनन) नियम 2015 के अनुसार 50 वर्ष की अवधि के लिए सभी सरकारी कम्पनियों के खनन पट्टों को स्वीकृत समझा गया है। तदानुसार सी सी आई के सभी खनन पट्टों को स्वीकृत व मान्य माना गया है।
- 5. सीसीआई, आदिलाबाद टाउनिशप के बाहर सरकारी भूमि का अधिग्रहण और पम्प हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग—7 तक सड़क के रूप में इस्तेमाल की गई 32 गुंता भूमि, जिसके लिए राजस्व विभाग से बिक्री आदेश प्रतीक्षित हैं, इसलिए इस संबंध में लेखाओं में प्रावधान, यदि कोई है, नहीं किया गया है।
- 6. 31 मार्च, 2017 को खित्तयों में पड़े 10290.852 मी. टन (पिछले वर्ष 15753.980 मी. टन) अंतिम रहितये के खुले सीमेंट के संबंध में ₹ 51.28 लाख (पिछले वर्ष ₹ 85.80 लाख) के अदत्त उत्पाद शुल्क की देयता के लिए व्यवस्था कर दी गई है। 31 मार्च, 2017 को 10290.852 मी. टन (पिछले वर्ष 15753.980 मी. टन) सीमेंट के स्टाक के लिए ₹ 0.04 लाख (गत वर्ष ₹ 0.12 लाख) की राशि का उपकर देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है। परंतु इससे कार्पोरेशन के लाभ–हानि लेखे की वास्तविक स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- 7. विभिन्न कम्पनियों के शेयरों (₹ 37.79 लाख का अंकित मूल्य), जिन्हें स्व. श्री आर. के. डालिमया द्वारा धारित किया गया था और जिन्हें उनके द्वारा लिए गए ₹ 214 लाख के ऋण के बदले भूतपूर्व डालिमया दादरी सीमेंट लिमिटेड के पास प्रतिभूति



के रूप में रखा गया है। यद्यपि इन शेयरों का मूल्य ₹ 2.80 लाख था (प्राप्य मूल्य पर) लेकिन इन्हें संदिग्ध माना गया था और तदनुसार इन्हें पूर्व वर्ष में हिसाब में लिया गया था।

- 8. स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली स्थित कार्यालय भवन की ₹ 266.58 लाख की लागत, जिसमें ₹ 5.70 लाख की विद्युत स्थापना लागत शामिल नहीं हैं, को मूल्यहास के जिए अनंतिम रूप से ऋणमोचित किया जा रहा है। एक मानद स्वामी के रूप में मानते हुए, तथापि कॉर्पोरेशन के पक्ष में पट्टाविलेख का क्रियान्वयन अभी लंबित है।
- 9. दिनांक 25.04.1996 के पत्र संख्या एसईसी / 84 /96 /513 के जिरए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (एसपी) अधिनियम, 1985 की धारा 15 (1) के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को एक संदर्भ भेजा गया। कंपनी को दिनांक 08.08.1996 के पत्र संख्या 501 /96 बेंच प्ट एसओएल के जिरए माननीय बीआईएफआर द्वारा कंपनी को एक रुग्ण उद्यम घोषित किया गया। माननीय बीआईएफआर ने अपनी दिनांक 21.03.2006 को आयोजित सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार की गई और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई पुनरुद्धार योजना को अपना अनुमोदन प्रदान किया। स्वीकश्त योजना को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.05.2006 को परिचालित किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ सुरक्षित और असुरक्षित क्रेडिटरों के समाधान और तीन प्रचालनरत प्लांटों के विस्तार/प्रौद्योगीकीय उन्नयन के साथ—साथ शेष 7 गैर प्रचालनरत प्लांटों को बंद करने / उनकी बिक्री की परिकल्पना की गई। स्वीकृत योजना के अनुसार 6 यूनिटों को बंद कर दिया गया है और आदिलाबाद यूनिट, जहां मामला आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, को छोड़कर शेष यूनिटों के कर्मचारियों को वीएसएस योजना के अंतर्गत पश्थक कर दिया गया है। आदिलाबाद यूनिट की कर्मचारी यूनियन ने दिनांक 20.04.2007 के आदेश के जिए यथास्थित बनाए रखने के उद्देश्य से माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2017 के आदेश के जिए कर्मचारी यूनियन द्वारा फाईल की गई रिट याचिका को निरस्त किए जाने के परिणामस्वरूप आदिलाबाद यूनिट को बंद मान लिया गया है। तदनुसार इसे बंद करने का नोटिस दिनांक 20.02.2017 को जारी कर दिया गया है।
- 10. i) लेनदारों / राज्य सरकारों / अन्य सरकारी विभागों / एजेंसियों आदि के संबंध में राहतों और रियायतों पर तब उचित विचार किया जाएगा जब कभी इसके साथ कोई आकस्मिकता न जुड़ी होने के कारण या इसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर जैसे भी मामला हो, ऐसी रियायतें / राहतें देना निश्चित हो जाए।
 - ii) माननीय वी. आई एफ. आर. की दिनाँक 3.5.2006 की मंजूर योजना के अनुसार भारत सरकार के ऋण जिसमें ₹ 150.90 करोड़ (गत वर्ष ₹ 150.90 करोड़) ब्याज रहित ऋण भी सिम्मिलित हैं की अदायगी सात गैर प्रचलनरत ईकाईयों की बिक्री से की जाएगी। जबिक 1.4.2011 से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गैर योजनागत ऋण पर प्रोदभूत ब्याज ₹ 123.85 करोड़ की गणना रोक दी गई है एवं ब्याज की अदायगी गैर प्रचलनरत ईकाईयों की बिक्री से की जाएगी।
- 11. निम्नलिखित इकाईयों का उत्पादन प्रत्येक इकाई के सामने दी गई तिथि से बन्द कर दिया गया है :--

1)	मंडार (छत्तीसगढ़)	_	06.06.1996
2)	चरखीदादरी (हरियाणा)	_	14.08.1996
3)	अकलतारा (छत्तीसगढ़)	_	09.12.1996
4)	नया गांव, नया गांव विस्तार (मध्य प्रदेश)	_	30.06.1997
5)	कुर्कन्टा (कर्नाटक)	_	01.11.1998
6)	अदिलाबाद (तेलंगाना)	_	05.11.1998
7)	क. दिल्ली सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट (दिल्ली)	_	08.02.1999
	ख. भटिंडा ग्राईडिंग यूनिट (पंजाब)	_	चालू नहीं किया गया

आई. एफ. सी. आई. (ओ. ए.) द्वारा तैयार की गई मसौदा पुनर्वास योजना (डी.आर.एस) को माननीय बी.आई.एफ.आर. द्वारा 21.3.06 को हुई अपनी सुनवाई में अनुमोदित किया गया है और मंजूर की गई योजना को 03.05.06 को परिचालित किया गया है। जिसमें प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों का समाधान करने तथा उक्त सात गैर परिचालित इकाईयों को बन्द करने / उनकी



बिक्री करने की परिकल्पना की गई थी। उक्त सात इकाईयों की परिसंम्पत्तियों के बाजार मूल्य उनकी पुस्तक से अधिक है का उल्लेख उक्त योजना में किया गया है। इसी प्रकार बोकाजन, राजबन, व तांदूर ईकाई की परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य, उनकी पुस्तक मूल्य से कही अधिक है। अतः सम्भावित अनर्जक हानि के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अतः अनर्जक हानि के लिए लेखों में कोई प्रावधान करने पर विचार नहीं किया गया है।

- 12. येरागुटंला के बारे एम. ओ. यु. / बिक्री करार के अनुसार एस. बी. आई. कैप्स, मर्चेन्ट बैंकर्स द्वारा नियुक्त विशेष लेखा परिक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, इण्डिया सीमेंट लिमिटेड के साथ लिम्बित (रुका हुआ) मिलान तथा पुष्टीकरण, यद्यपि बिक्री के समय पाई गई जरूरी देयताओं का पहले से ही खातों में समावेश किया जा चुका है।
- 13. पुर्नवास योजना के क्रियान्वन के दौरान, 22.03.2007 को ₹ 355.43 करोड़ की राशि के गैर संचयी अधिमानी शेयर 7 वर्ष के लिए जारी किए थे। प्राथमिकता शेयर को पुनः जारी करने की आगे की कार्यवाई शुरु करने के संबंध में मंत्रिमण्डल / बी. आई. एफ. आर. के निर्देशानुसार, मंत्रालय से अनुमति मांगी है।
- 14. आय कर अधिनियम के तहत अनुमेय अवधि के अन्तर्गत आस्थिगित कर परिसम्पत्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता की अनुपर्थिति में आस्थिगित कर—निर्धारण को मान्यता नहीं दी जाती है।
- 15. चालू देयत्तओं के अन्तर्गत, चालू एवं गैर चालू शेषों को वर्गीकृत करते हुए, मंजूर शुदा योजना में इनकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर समाविष्ट किया गया है।
- 16. निगम की भौगोलिक एवं व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, लेखा मानक 17 के अंतर्गत सेग्मेंट रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
- 17. ₹ 260.28 लाख (गत वर्ष ₹ 717.04 लाख) राशि के असमायोजित / बैदावों (लावारिस) अग्रिमों को जो कि दशकों से अधिक से खातों में है को चालू वर्ष में वापस लिया गया और खातों में (नोट–22) में विविध प्राप्ति में दर्शाया गया है।
- 18. (i) मैसर्स गोवा शिपायार्ड लिमिटेड से लिए गए अंतर्निगमित ऋण की मूलधन की राशि ₹ 30.00 करोड़ का निराकरण एकबारगी समाधान के रूप में सितंबर 2016 से 24 समान मासिक किश्तों में किया जाएगा और ब्याज के रूप में ₹ 47.94 करोड़ की राशि, सहमित के अनुसार, वापिस कर लिया गया है। इसे नोट संख्या 28 (क) में "आपवादिक आय" के रूप में दर्शाया गया है। है।
 - (ii) मैसर्स ओएनजीसी लिमिटेड से लिए गए अंतर्निगमित ऋण की मूलधन की राशि ₹ 7.00 करोड़ का निराकरण एकबारगी समाधान के रूप में मार्च 2017 में ₹ 4.00 करोड़ के रूप में किया गया और मूलधन के रूप में ₹ 3 करोड़, ब्याज के रूप में ₹ 13.69 करोड़ और इस प्रकार कुल ₹ 16.69 करोड़ की राशि को दी गई स्वीकृति के अनुसार को वापिस कर लिया गया है। इसे नोट संख्या 28 (क) में "आपवादिक आय" के रुप में दर्शाया गया है।
- 19. लेखा मानक 29 के अनुसार, प्रावधानों का ब्यौरा नोट 5 व 9 के संदर्भ में

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के आरंभ	ा में शेष	वर्ष के दौरान भुगतान एवं समायोजन		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के अंत में शेष	
वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
उपदान	40.34	42.29	4.04	2.29	9.93	0.34	46.23	40.34
बोनस	0.22	0.00	0.19	0.00	0.08	0.22	0.11	0.22
निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	0.11	0.24	0.00	0.13	0.00	0.00	0.11	0.11
अर्जित अवकाश दायित्व	20.29	19.79	1.23	0.31	3.06	0.81	22.12	20.29
अन्य	40.30	39.39	18.55	99.35	22.11	100.26	43.86	40.30



20. सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम एम. एस. एम. ई. उद्यमों को देय ब्याज का विवरण।

(र लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	गतवर्ष
1.	वर्ष के अंत में विक्रेताओं (पूर्तिकारों) को अप्रदत बकाया मूल्य	81	81
2.	वर्ष के अंत में उस पर अप्रदत बकाया ब्याज	3,11	2,97
3.	विक्रेताओं (पूर्तिकारों) को वर्ष के दौरान, धारा 16 के अन्तर्गत, निश्चित अवधि के उपरान्त राशि सहित, ब्याज का भुगतान	0	0
4.	विलम्ब अवधि के लिये भुगतान योग्य राशि पर देय ब्याज जिसमें नियम के तहत निश्चित ब्याज राशि नहीं छोड़ी गई है। (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान, निश्चित दिवस के बाद किया जा चुका है।)	0	0
5.	वर्ष के दौरान, प्रोदभूत ब्याज और वर्ष के अंत में बकाया अप्रदत ब्याज	14	14
6.	लघु उद्यमों को ब्याज की देय राशि तथा अगले वर्ष में की जाने वाली भुगतान अथवा देय ब्याज का भुगतान उस तिथि तक, धारा 23 के अर्न्तगत अयोग्य राशि का निर्धारण होना बाकी है।	3,11	2,97

21. लेखा मानक 15 के अनुसार कर्मचारी हित

निगम ने लेखा मानक-15 को अपनाया है- कर्मचारी हित निम्नानुसार हैं

(i) भविष्य निधि

निगम पूर्व निधारित दर से, भविष्यनिधि का अंशदान अलग से न्यास (ट्रस्ट) को भुगतान करता है, और न्यास धन को अनुमित प्राप्त प्रतिभूति में निवेश करता है। न्यास (ट्रस्ट) को, सहभागियों के किये गये अंशदान पर न्यूनतम दर से ब्याज भुगतान करना आवश्यक है। यदि भविष्य निधि न्यास को कोई हानि होती है, तो उसे निगम द्वारा सहन किया जाता है।

(ii) उपदान

निगम की एक निश्चित (परिभाषित) योजना है। प्रत्येक कर्मचारी, उपदान नियम के अनुसार, उपदान पाने का हकदार है। उपदान की देयता, मान्यता प्राप्त बीमांकक मूल्यांकनकर्ता के आधार पर की जाती है।

(iii) छुट्टी नकदीकरण

जिन कर्मचारियों की संचित ई.एल. एच.पी.एल. आदि हैं और वह देय छुट्टी नकदीकरण के योग्य है। छुट्टी नकदीकरण की देयता मान्यता प्राप्त बीमांकक मूल्यांकनकर्ता के आधार पर की जाती है।

(iv) अन्य निश्चित सेवानिवृति हित

कर्मचारी के सेवा निवृत होने पर, कर्मचारी व उनके आश्रितों को गृह प्रदेश में व्यवस्थापन हेतु निगम की एक योजना है। बीमांक मूल्यांक के आधार पर लाभ हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

विभिन्न निश्चित हित की संक्षिप्त स्थितियों को, निम्नुसार लाभ हानि खाते व तुलन पत्रा में मान्यता दी जाती है।



(क) लाभ हानि खाते में खर्चों की मान्यता

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुड़ी नकदी करण		सेवा निवृति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016
क	वर्तमान सेवा लागत	151.87	142.92	116.05	84.15	0.92	0.96
ख	व्याज लागत	313.63	329.22	161.19	157.11	2.18	2.30
ग	अवधि में शुद्ध (वृद्धि) हानि की बीमांकक मान्यता	201.03	(54.03)	308.77	119.51	(0.67)	(2.80)
घ	लाभ हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्चे	1305.29	418.11	586.02	360.77	2.42	0.47

(ख) तुलन पत्र में रकम की मान्यता

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016
क	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	4509.66	3920.44	2197.84	2014.92	24.82	27.24
ख	निधि स्थिति / अन्तर	(4509.66)	(3920.44)	(2197.84)	(2014.92)	(24.82)	(27.24)
ग	तुलनपत्र में शुद्ध परिसपंतियों/ (देयताओं) की मान्यता	(4509.66)	(3920.44)	(2197.84)	(2014.92)	(24.82)	(27.24)

(ग) वर्तमान मूल्य की बाध्यता में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

		उप	दान	छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016
क	अवधि के प्रारम्भ में	3920.44	4115.32	2014.92	1963.85	27.24	28.81
	वर्तमान मूल्य बाध्यता						
ख	ब्याज लागत	313.63	329.22	161.19	157.11	2.18	2.30
ग	प्रचलित सेवा लागत	151.87	142.91	116.05	84.15	0.92	0.96
घ	हित भुगतान	(716.07)	(612.98)	(403.10)	(309.70)	(4.84)	(2.02)
ड.	बीमांकक (वृद्धि) हानि पर बाध्यता	201.03	(54.03)	308.77	119.51	(0.67)	(2.80)
च	अवधि के अन्त में वर्तमान	4509.66	3920.44	2197.84	2014.92	24.82	27.24
	मूल्य बाध्यता						

(घ) वर्तमान अवधि के लिए राशि

(र् लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016	31.3.2017	31.3.2016
क	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	4509.66	3920.44	2197.84	2014.92	24.82	27.24
ख	ब्याज लागत	(4509.66)	(3920.44)	(2197.84)	(2014.92)	(24.82)	(27.24)



बीमांकक कल्पना

क्र. सं.	विवरण	31-03-2017 को
क	सेवानिवृति आयु	60 वर्ष
ख	आयु	वापसी दर : %
		30 वर्ष तक — 00.00
		31 वर्ष से 44 वर्ष — 1%
		44 वर्ष से उपर – 1%
ग	स्थिति दर	7.50%
घ	भविष्य वेतन वृद्धि	6%
ड.	योजनागत परिसम्पितियों पर संभावित प्रतिलाभ	0

- अग्रिमों, देनदारों एवं लेनदारों आदि के अन्तर्गत दर्शाई गई बकाया राशि पुष्टि / पुनर्मिलान के अध्यधीन है। इनमें कुछ पुरानी 22. बकाया राशियाँ, लम्बित जाँच और समायोजन शामिल है। इसके पूरे होने पर इनकी आवश्यक गणना की जाएँगी।
- कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार निगमित समाजिक दायित्वों (सी.एस.आर.) के तहत विभिन्न गतिविधियों हेत् किये गए 23. निम्नलिखित व्यय को संक्षिप्त विवरणी व खातों को नोट संख्या 26 में दिखाया गया है।

(र लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(ক)	निगम का पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ हानि	3660	2146
(ख)	निर्धारित सी.एस.आर. व्यय (कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन उपरोक्त का 2%)	73	43
(ग)	नीचे दिये अनुसार वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	0	4
(ঘ)	खर्च नहीं की गई राशि (ख-ग)	73	39

(र लाखों में)

क्रम	विवरण	नग	द	अभी तक	नगद में	जो	ड
सं.				किया गया भुगतान			
		वर्तमान	गतवर्ष	वर्तमान	गतवर्ष	वर्तमान	गतवर्ष
1	किसी भी सम्पत्ति का निमार्ण/अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
	उपरोक्त के अलावा (I) 2 शौचालय—स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत (II) स्वास्थ (मेडिकल) कैम्प	0	4 0	0 0	0	0	4 0

''कम्पनी (लेखा मानक) नियम 2006 में ''सम्बन्धित पार्टी खुलासा'' लेखा मानक 18 के अनुसार प्रबंधन यह प्रमाणित करता 24. है कि वर्ष के दौरान कोई भी सम्बन्धित लेनदेन नहीं हुआ है। संबंधित पार्टी का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम. सं.	मुख्य व्यक्ति का नाम	पद	₹ लाख	
			वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1.	श्री मनोज मिश्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	32.66	28.68
2.	श्री एस. सी. अग्रवाल	भूतपूर्व निदेशक (वित्त) 5.5.15 तक	0.00	5.17
3.	श्री बी.वी.एन. प्रसाद	निदेशक (एच आर)	28.98	5.49
4.	श्री शे. शक्तिमनी	निदेशक (वित्त)	24.97	1.64
5.	श्री अजय कुमार शर्मा	कंपनी सचिव	14.22	12.17
6.	श्री ए. बी. देयासी	एक्स सी. एफ. ओ.	0.00	19.96



CCi

इनके अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को गैर—कार्यालयीन कार्यों के लिए ₹ 2000 / — प्रतिमाह की दर से भुगतान करने पर 1000 कि.मी. प्रतिमाह तक कम्पनी का वाहन उपयोग करने की अनुमति है।

25. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 के अनुसार कम्पनी का प्रतिर्जन शेयर (अंश) निम्नलिखित है।

क्रम.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1.	वर्ष के दौरान बकाया साम्या अंशो की संख्या	4559749	4559749
2.	साम्या अंशों का अंकित मूल्य (₹ में)	1000	1000
3.	वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ (र लाख में)	4233	5351
4.	घटाएँ–गैर संचयी प्रर्वतनीय अंशों पर लाभांश की	4	4
	राशि (र लाखों में)		
5.	अंशधारकों के योग्य कर पश्चात लाभ (र लाख में) (3–4)*	4229	5347
6.	मूल व कम किया हुआ प्रति शेयर अर्जन ₹ में	(49)	117

^{*}असाधारण व अपवादिक को छोड़कर ₹ 6463 लाख (पिछले साल शून्य)

26. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 30.03.2017 की गजट अधिसूचना के जरिए दिए गए निदेश के अनुपालन में दिनांक 08.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान रखे गए और लेन—देन किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विवरण नीचे दिए अनुसार हैं:

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	एसबीएन	अन्य मूल्यवर्ग के नोट	कुल
1.	दिनांक 08.11.2016 की स्थिति के अनुसार नगद रूप में उपलब्ध इतिशेष राशि	103500.00	57364.00	160864.00
2.	जोड़ें : स्वीकश्त प्राप्तियां	0.00	1743574.00	1743574.00
3.	घटाएं : स्वीकश्त भुगतान	500.00	1675861.00	1676361.00
4.	बैंक में जमा राशियां	103000.00	16000.00	119000.00
5.	दिनांक 30.12.2016 की स्थिति के अनुसार	0.00	109077.00	109077.00
	नगद रूप में उपलब्ध इतिशेष राशि			

27. पूर्ववर्ती वर्ष के ऑकड़ों को विभाजित किया गया है और आवश्यकता होने पर चालू वर्ष के आंकड़ों से समरूपता के लिए उन्हें पुनः समूहबद्ध किया गया है।

ह0 **मनीष मेहता** वित्त प्रमुख

ह0 **शे. शक्तिमणि** निदेशक (वित्त) / सीएफओ ह0 **मनोज मिश्रा** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार कृते कपूर भूषण एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

नई दिल्ली दिनांक : 30.06.2017 ह0 (सी ए पी. बी. कपूर) भागीदार मेम्बरशिप नं. 010858

173

नोट संख्या-31 : मात्रात्मक विवरणी

	विवरण	वर्तम	ान वर्ष		गत वर्ष
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
		मी. टन	(₹ लाखों में)	मी. टन	(₹ लाखों में)
1 .	वास्तविक उत्पादन पोर्टलैंड सीमेंट				
	साधारण	705196	मी. टन	799055	मी. टन
	पोजोलाना	85335	मी. टन	113815	मी. टन
	योग	790531	मी. टन	912870	मी. टन
2	विलंकर (सीमेंट तैयार होने से पूर्व की सामग्री न कि अतिरिक्त उत्पादन)	756295	मी. टन	865310	मी. टन
2.1	क्लिंकर क्रय	0	मी. टन	0	मी. टन
3.	सीमेन्ट प्रेषण	798179	मी. टन	914318	मी. टन
4.	आरम्भिक रहतिया				
	कारखाने में रहतिया				
	सीमेंट— साधारण	1,91,11	6,56	2,15,71	8,02
	सीमेंट- पोजोलाना	34,38	1,25	24,26	1,00
	डम्प में रहतिया				
	सीमेंट— साधारण	98,94	3,93	1,11,00	4,60
	सीमेंट— पोजोलाना	0	0	14,21	76
	मार्गस्थ				
	सीमेंट- साधारण	33,85	1,49	43,61	2,00
	सीमेंट— पोजोलाना	4,08	19	4,32	22
	सैट सीमेंट /क्षतिग्रस्त सीमेंट				
	सीमेंट— साधारण	59,93	0	60,32	2
	सीमेंट— पोजोलाना	30,16	0	30,16	
	योग	4,52,45	13,42	5,03,59	16,62
	क्लिंकर • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	13,59,28	21,11	13,68,44	26,68
	क्लींकर (क्रय)	0	300000000000000000000000000000000000000	0	О
	योग	13,59,28	21,11	13,68,44	26,68
5.	बिक्री स्वयं उपभोग/अन्तरण सहित				
	क) सीमेंट — साधारण	71,17,38	3,36,30	80,29,97	3,92,89
	ख) पोजोलाना	8,68,73	0	11,38,84	0
	ग) स्वयं उपभोग – साधारण	83	0	46	0
	घ) – पोजोलाना	37	0	0	0
	ड) सीमेंट – निर्यात	0	0	0	0
	योग	79,87,31	3,36,30	91,69,27	3,92,89
	च) क्लिंकर	0	0	0	0
	योग	0		0	0
		36000000000000000000	юдеосоедеосоедеом	360000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000



सी सी आर्र C C i

नोट संख्या–31 : मात्रात्मक विवरणी (जारी...)

विवरण	व	र्तमान वर्ष	ग	त वर्ष
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	मी. टन	(₹ लाखों में)	मी. टन	(₹ लाखों में)
6. क. अंतिम रहतिया				
कारखाने में रहतिया				
सीमेंट — साधारण	1,26,78	4,73	1,91,11	6,56
सीमेंट — पोजोलाना	22,23	86	34,38	1,25
डम्प में रहतिया				
सीमेंट — साधारण	42,73	3,36	98,94	3,93
सीमेंट — पोजोलाना	0	0	0	0
मार्गस्थ				
सीमेंट — साधारण	87,19	2,07	33,85	1,49
सीमेंट — पोजोलाना	48	2	4,08	19
सैट/क्षतिग्रस्त सीमेंट				
सीमेंट — साधारण	60,38	2	59,93	0
सीमेंट — पोजोलाना	30,16	0	30,16	0
योग	3,69,95	11,06	4,52,45	13,42
ख. अन्तिम रहतिया	888888888888			8888888888888888
विलंकर	13,32,09	21,54	13,59,28	21,11
क्लींकर (खरीद)	0	0	0	0
ग. सीमेंट -परीक्षण, मार्गस्थ में कमी इत्यादि				
परीक्षण में प्रयुक्त	0	0	0	0
इकाई को अन्तरण	0	0	0	0
मार्गस्थ इत्यादि में कमी – पोजोलाना	50	0	2,49	0
गोदाम में कमी (हेंडलिंग एजेंट)	0	0	8,08	0
योग	50	**************************************	**************************************	0
	83838383838383838	838383838383838	18883838883838883	88383888383888
7. क्लिंकर : सीमेंट ग्राइडिंग में प्रयुक्त	75,90,14	2,17,42	86,62,26	2,33,56
8. उपभुक्त कच्चा माल				
चूना पत्थर	1,11,19,04	31,26	1,29,36,38	35,42
लैटराइट ^	1,14,84	49	93,97	32
लौह अयस्क	1,65,35	4,17	2,14,26	6,15
जिप्सम	1,42,04	3,51	2,12,73	5,50
शैल	2,17,70	78	4,70,82	1,67
फ्लाई ऐश	1,52,11	1,24	2,24,86	1,16
जली हुई मिट्टी	2,61,97	41	33,51	16
अन्य	0	0	0	0
उपभुक्त कच्चे माल का योग		41,86		50,38

नोट संख्या-31 : मात्रात्मक विवरणी (जारी...)

विवरण	वर्तमा	न वर्ष	गत वर्ष		
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
	मी. टन	(र लाखों में)	मी. टन	(₹ लाखों में)	
9. आयातित माल का मूल्य जिसको सी.आई.एफ.					
आधार पर गुणित किया गया					
क) कच्चा माल	0	0	0	0	
ख) संघटक एवं अतिरिक्त पुर्जे	0	0	0	0	
ग) पूंजीगत माल	0	0	0	0	
10. वर्ष के दौरान उपभुक्त सभी आयातित					
कच्चे माल अतिरिक्त पुर्जे एवं संघटकों					
का मूल्य तथा इसी प्रकार वर्ष के दौरान					
उपभुक्त सभी देशी कच्चे माल, संघटकों					
का मूल्य तथा प्रत्येक का कुल					
उपभोग का%					
आयातित	0	14	0	0	
स्वदेशी	1,00	62,66	1,00	65,14	
योग	1,00	62,80	1,00	65,14	
					
11. विदेशी मुद्रा का प्रेषण	0	0	0	0	
12. विदेशी मुद्रा में आय	0	0	0	0	

ਵ0 मनीष मेहता वित्त प्रमुख

ਵ0 शे. शक्तिमणि निदेशक (वित्त) / सीएफओ

ह0 मनोज मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार कृते कपूर भूषण एण्ड कं.

> सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

नई दिल्ली दिनांक : 30.06.2017

(सी ए पी. बी. कपूर) भागीदार मेम्बरशिप नं. 010858



CCi

नोट संख्या-32 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार

लेखे प्रोद्भूत आधार अपनाते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर तैयार किये जाते हैं, केवल निम्नलिखित मद ही जो कि नकद आधार पर लेखांकित किये जाते हैं।

- (i) परिसमाप्त क्षतियों / दंड / किये गये दावों रेलवे व बीमा छोड़कर, को वसूल होने पर खातों में लिया जाता है तथा विविध आय में जोड़ा जाता है।
- (ii) स्टोर और कलपूर्जों को अधिशेष/कम प्रचलित/ अप्रचलित वस्तुओं आदि पर हुए, लाभ / हानि यदि कोई है, को केवल उनके निपटान के वर्ष में ही लेखाकृत किया जाता है।

2. राजस्व मान्यता

बिक्री, उत्पाद-शुल्क सहित एवम् बिक्री कर को छोड़कर बताई जाती है। उत्पाद–शुल्क पृथक दिखाया जाता है।

3. भूमि एवं परिशोधन

- (i) राज्य सरकार द्वारा निशुल्क दी गई भूमि को नाममात्रा लागत या इसके अर्जन पर हुए प्रासंगिक व्यय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।
- (ii) खदान के खान-पट्टे के अधीन उन्मुक्त भूम्याधिकार एवं पट्टे की भूमि जो 99 वर्ष से कम पट्टे पर है, 10 वर्ष की अवधि के भीतर संबंधित इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से परिशोधित की जाती है।

4. निवेश

- (i) दीर्घकालीन निवेश को लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है। ऐसे निवेशों के मूल्यों में स्थाई गिरावट को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया जाता है।
- (ii) चालू निवेश को लागत एवं उर्द्धित / उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है।

5. उधार लागत

उधार लागत प्राप्त होने वाली परिसम्पितयों के अर्जन, निर्माण अथवा उत्पादन के योग्य हैं को उधार लागत की तरह परिसम्पितयों के एक भाग को पूँजीगत किया जाता है। ऐसी परिसम्पितयाँ जिनके प्रयोग में आने के लिए काफी समय लगता है उधार लागतों को राजस्व खातें में प्रभारित किया जाता है।

6. वस्तुसूची

क) मूल्यांकन

- (i) सामग्री, कलपुर्जों एवं कच्चा माल केवल (ii) नीचे में दर्शाये गये को छोडकर भारित औसत लागत पर दर्शाया जाता हैं। अप्रचलित / कार्य में न आने योग्य सामग्री एवं कलपूर्जों को जब उनका निर्धारण होता है वसूली योग्य मूल्य पर उन्हें स्क्रेप मान लिया जाता है।
- (ii) क्लिंकर व अन्य अर्द्ध-निर्मित माल को इकाई की भारित औसत लागत अथवा वसूल होने वाले मूल्य वर्कबैक फार्मूले के आधार पर, में से जो भी कम हो, को दर्शाया जाता है किन्तु नकारात्मक मूल्य होने की स्थिति में यह शून्य मूल्य पर लिया जाता है।
- (iii) कारखानों / परियोजनाओं / डम्पों अथवा डम्पों के मार्गस्थ तैयार माल को इकाईयों की भारित औसत लागत अथवा प्राप्य मूल्य में, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है। डम्प तक किये गये बिक्री व्यय में सम्मिलित भाडे को विभिन्न डम्पों के तैयार माल के मूल्य में शामिल किया जाता है।
- (iv) विविध स्क्रैप मदों की कुल मात्राा को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित मदों के लिए नवीनतम बिक्री आदेशों के अनुसार प्राप्त दर पर मृल्यांकित किया जाता है। तथापि जहां यह दर उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि स्क्रैप पहली बार उत्पन्न हुआ है अथवा पहले उसका निपटान नहीं किया गया हो तो ऐसी स्क्रैप मदों के मूल्यांकन के लिए इनके निपटान हेत् तय आरक्षित मूल्य से किया जाता है।

ख) खुले औजार और उपकरण

औजारों एवं उपकरणों को तीन वर्ष की अवधि में प्रभारित किया जाता है।

7. मूल्यहास

(i) वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 में विनिर्दिष्ट पैरा 133 के लेखा मानक के अनुपालन, के साथ पिठत कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम ७ कम्पनी

- (ii) परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास तभी किया जाता है जब कि वे पूरी हो गई है और प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है।
- (iii) वर्ष के दौरान बढ़ाई गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास उन्हें पूंजीगत करने के तिथि के अनुपात में और हटा देना/बिक्री/समाप्त करने की तिथि तक यथानुपात लगाया जाता है।
- (iv) वर्ष के प्रारम्भ में कोई भी अकेली परिसम्पत्ति जिसका हासित मूल्य ₹ 5000 या उससे कम हो, उसे वर्ष के दौरान पूर्ण–हासित कर दिया जाता है। बिना अवशिष्ट कीमत रखे हुए क्योंकि इसे नगण्य माना जाता है।
- (v) वर्ष के दौरान खरीदी गई ₹ 5000 मूल्य तक की अकेली परिसम्पत्ति को सकल ब्लॉक में लेकर उसी वर्ष उन पर पूरा मूल्यहास कर दिया जाता है।

आस्थिगित राजस्व व्यय

- (i) पर्यवेक्षण और बेधन पर हुए व्यय को आस्थिगित राजस्व व्यय माना जाता है और इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद इसे तीन से पांच वर्षों में प्रभारित किया जाता है।
- (ii) खान पर से हटाई गई जालोद मिट्टी आदि के व्यय को, जिसका उपयोग सड़क बिछाने, स्टाकयार्ड, क्रशर रैम्प आदि जैसे पूंजीगत कार्यों के लिए है, को पूंजीगत किया जाता है। जालोद मिट्टी आदि हटाने पर हुए शेष व्यय को प्रारम्भिक रूप से आस्थिगित राजस्व व्यय माना जाता है और उस अवधि तक के लिए प्रभारित किया जाता है जब तक खदान विकास से निकाला गया चूना—पत्थर उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है।
- (iii) किराए के भवनों में किए गए अंदरुनी विभाजन और जुड़नार की लागत को स्थापना के वर्ष में ही सीधा खर्च में दिखाया जाता है। परन्तु यदि यह लागत एक लाख रुपये से अधिक हो तो इसे आस्थिगित राजस्व व्यय माना जाता है और 3 से 5 वर्षों में प्रभारित किया जाता है।
- (iv) इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करने के बाद हाई क्रोम ग्राइडिंग मीडिया के प्रारम्भिक सम्पूर्ण प्रभार को आस्थिगित राजस्व व्यय माना जाता है और तीन वर्ष की अविध के अन्दर प्रभारित किया जाता है। तथापि प्रतिपूर्ति—प्रभार लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

(v) स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना हेतु यदि कोई अप्रयुक्त अनुदान सहायिकी नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए देय डेढ़ माह के वेतन (वेज) के बराबर का भुगतान या शेष सेवा अवधि का बकाया, जो भी कम हो, तथा नोटिस अवधि वेतन को कर्मचारी की बाकी सेवा अवधि या इसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष जो भी कम हो, के लिए आस्थगित एवं प्रभारित किया जाता है। अपितु 01.04.2003 को या उसके बाद में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति / स्वैच्छिक पृथक योजना के मद में किया गया पूरा खर्च जब खर्च हुआ उसी वर्ष में प्रभारित किया जाएगा।

9. पूर्वावधि/असाधारण मदों का समायोजन

वर्ष विशेष से संबंधित व्यय/प्राप्तियां जो खातों के बंद होने के बाद अर्थात् निर्धारित तारीख के बाद ध्यान में आती है और जिनकी धनराशि ₹ 10,000/— से अधिक न हो तो उसे अगले वर्ष में संबंधित व्यय/प्राप्तियों के शीर्षक में अंकित कर दिया जाता है। यदि धनराशि ₹ 10,000/— से अधिक हो तो इसके लेखांकन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ए. एस.—5 में दिए प्रावधानों के अनुसार वर्तमान वर्ष/पूर्वावधि/असाधारण आय/प्राप्तियों के सामान्य/आय प्राप्तियों के सामान्य लेखांशीर्ष में व्यवहृत किया जाता है।

10. विदेशी मुद्रा व्यवहारों का लेखांकन

विदेशी ऋण देयताओं का निर्धारण वर्ष के अंतिम कार्यदिवस पर बंद बाजार विनिमय दर पर किया जाता है। व्यवहार के निपटान पर प्राप्तियां या हानियां (क) परियोजना अविध के दौरान संबंधित उपस्कर लागत में जमा/नामे किया जाता है। जो स्टोर्स एवं सेवाओं से संबंधित है, को आई० ई० डी० सी० में जमा/नामे किया जाता है (ख) परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद प्राप्तियों/हानियों को संबंधित उपस्कर की लागत में डाला जाता है परन्तु जो पुर्जों एवं सेवाओं से संबंधित है उन्हें लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। स्थाई परिसम्पत्तियों पर ऐसे समायोजनों से फलित मूल्यहास भविष्यलक्षी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

11. सरकारी अनुदान / सहायता

(i) विनिर्दिष्ट स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों / सहायता को उन परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य में से घटाकर उनका खाता मूल्य निकाला जाता



53^{के} वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

है। जहाँ विनिर्दिष्ट स्थायी परिसम्पत्ति हेतु अनुदान उस परिसम्पत्ति की लागत के बराबर अथवा लगभग बराबर हो तो उस परिसम्पत्ति का मूल्यांकन नाममात्रा लागत अथवा उसके अधिग्रहण/संस्थापन पर हुए प्रासंगिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

- (ii) स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना हेतु अनुदान, परिवहन सहायता एवं अन्य राजस्व अनुदान संबंधित व्यय में से घटा दिए जाते हैं।
- (iii) केन्द्रीय निवेश जनित सहायता के योजनांतर्गत प्राप्त सरकारी अनुदानों को, जो पिछड़े क्षेत्राों में उद्योगों हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन स्वरूप हों, एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य समरूप अनुदानों को, जिनमें साधारणतः पुनर्भुगतान अपेक्षित नहीं हैं, ऐसे अनुदानों को पूंजीगतसंचिती माना जाता है।
- (iv) उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य पूंजीगत / राजस्व अनुदानों / सहायता को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ए. एस. 12 के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

12. निगम के दावे

- (i) बीमा के दावों को सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर खाते में लेखांकित किया जाता है। और / या जिन दावों का कुछ भुगतान प्राप्त किया जा चुका है उन्हें दावों के दायर करने के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। यद्यपि जहाँ पर, यदि 31 मार्च तक हुई हानियों के मामले की सर्वे रिपोर्ट खाते बंद करने की अवधि से पहले प्राप्त नहीं होती है तो उसके प्रकटीकरण लेखा टिप्पणियों के रूप में किया जाता है।
- (ii) रेलवे के दावे उनके दायर करने पर लेखांकित किए जाते है।

13. जमा कार्य

प्रगतिशील निक्षेप कार्यों को निगम का पूंजीगत प्रगतिशील कार्य समझा जाता है तथा आई. ई. डी. सी. को समानुपात रूप में निक्षेप कार्यों के साथ तब जोड़ा जाता है जब उनका स्वामित्व अंतरित एवं पूंजीगत किया जाता है।

14. कर्मचारी हित सुविधाएं

(i) संदायगी उपदान अधिनियम, 1972 तथा कम्पनी की अपनी उपदान योजना के अधीन उपदान के लिए प्रावधान

प्रत्येक वर्ष एक जनवरी को सेवारत सभी कर्मचारियों के संबंध में एक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

- (ii) अर्जित अवकाश / अर्द्धवेतन अवकाश आदि जो कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर नकदीकरण योग्य होते हैं, का प्रावधान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को सेवारत कर्मचारियों के एक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- (iii) बोनस के लिए देयता का लेखा संदायगी बोनस अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार इकाई के आधार पर किया जाता है न कि सम्पूर्ण निगम के आधार पर। मुख्यालय के लिए बोनस की देयता की व्यवस्था अन्य इकाईयों को देय बोनस की औसत दर के अनुसार की जाती है।

15. ऋण पत्रों के मोचन पर प्रीमियम

ऋण पत्रों के मोचन पर देय प्रीमियम को जिसकी शुरुआत ऋण पत्रों आबंटन के वर्ष ऋण पत्रों की अवधि तक बराबर किश्तों में लाभ तथा हानि खाते/आई.ई.डी.सी. खाते में प्रभारित किया जाता है।

16. पूर्वदत्त-व्यय

प्रत्येक मामले में ₹ 10,000 / — अथवा उससे कम राशि जो आगामी वर्षों के लिए अग्रिम व्यय कर दी गई है उसे चालू वर्ष के व्ययों के रूप में लेखांकित किया जाता है।

17. वसूल न होने वाले एवं संदिग्ध देनदारियां/ ऋणों/अग्रिमों आदि का आलेखन

- (i) संदिग्ध देनदारी / ऋण या अग्रिम यदि वे संदिग्ध हों परन्तु जिनकी वसूली होने की आशा हो, उनके लिए प्रावधान किया जाता है।
- (ii) जब वसूली प्रयास वैधानिक प्रक्रिया से असफल हो जाएं या जहां यह समझा जाता है कि मुकदमेबाजी से वसूली संभव तथा फलदायी नहीं है तब उस रकम को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

18. अंतर-इकाई/अंचल/ मुख्यालय अंतरण

- (i) इकाईयों द्वारा तैयार माल प्रारंभ में प्रेषण योजना दर पर मूल्यांकित किया जाता है तथा बाद में बेची गई मात्रा का वास्तविक वसूली मूल्य, अंचल द्वारा तय किया जाता है।
- (ii) अंतर इकाई/अंचल/मुख्यालय को अंतरित स्थायी

परिसम्पत्ति इत्यादि को लेखा खाता मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।

- (iii) क्लिकर का अंतर इकाई अंतरण उसके वसूली दरों पर (सीमेंट से वर्कबैक पद्धति द्वारा) आलेखित किया जाता है तथा इसकी मार्गस्थ हानियों को माल प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा लागत में आमेलित किया जाता है।
- (iv) अंतर इकाई / अंचल / मुख्यालय के शेषों का नियमित रूप से मिलान किया जाता है तथा उनका पुष्टीकरण प्राप्त किया जाता है।

19. व्यय का वर्गीकरण

- (i) स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत पर किया हुआ व्यय जिसमें सामग्री और कलपुर्जों की कीमत सम्मिलित है, नीचे (ii) में दर्शाये को छोडकर लाभ / हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।
- (ii) स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत पर किया हुआ व्यय जिसमें सामग्री और कलपुर्जों की कीमत सम्मिलित है और जो वर्तमान परिसंपत्ति से भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ में पहले अनुमानित की गई कार्य क्षमता में ज्यादा वृद्धि करता है, पूंजीकृत किया जाना है उदाहरणतः क्षमता में वृद्धि ।

(ііі) वेतन एवं मजदूरी

संयंत्रा एवं मशीनरी, भवनों आदि की मरम्मत और अनुरक्षण की मजदूरी और वेतन को सीधे वेतन और मजदूरी लेखे में प्रभारित किया जाता है।

(iv) अन्य विविध व्यय

पार्कों, वृक्षारोपण और तम्बु एवं तारपोलिन आदि खरीदने पर किया गया व्यय, राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता हैं।

20. विद्यमान संयंत्र के साथ ही विस्तार परियोजनाओं / नई परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय

विद्यमान संयंत्रा द्वारा प्रशासन, पर्यवेक्षण आदि पर किए गए सामान्य व्यय को विस्तार परियोजनाओं / नई परियोजनाओं पर प्रभारित नहीं किया जाता है।

21. निगमित कार्यालय के व्यय का नियतन

प्रबंधन के श्रेष्ठतम मूल्यांकन और निर्णय के अनुसार अनुमानित लाभ के आधार पर या विभिन्न इकाईयों के अनुपात में इकाईयों और निर्माणाधीन परियोजनाओं में निगमित कार्यालय का राजस्व व्यय आबंटित किया जाता है।

ਵ0 मनीष मेहता वित्त प्रमुख

शे. शक्तिमणि निदेशक (वित्त) / सीएफओ हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार कृते कपूर भूषण एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

> (सी ए पी. बी. कपूर) भागीदार मेम्बरशिप नं. 010858

ਵ0 मनोज मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली दिनांक : 30.06.2017



31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरणी

(रु लाखों में)

		ा इकाईयां		लेत इकाईयां		गेग
विवरण	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
प्रचालन गतिविधियों से कैश						
कर के पश्चात निवल लाभ / हानि (–)	16,60	61,38	25,73	(7,87)	42,33	53,51
जमा : मूल्य ह्रास समायोजन के लिए	5,32	6,53	1,33	1,37	6,65	7,90
स्थाई परिसम्पतियों के निपटान से लाभ	(1)	(2)	0	0	(1)	(2)
ऋण व अग्रिमों के बट्टे खाते के लिए प्रावधान के लिए	14	0	0	0	14	0
वित्त लागत	1,13	1,10	1,12	1,13	2,25	2,23
डीआरई समायोजन	1,76	2,59	0	0	1,76	2,59
आस्थगित राजस्व व्यय का समायोजन	(32,09)	(43,71)	(7,20)	(6,98)	(39,29)	(50,69)
घटाएं : आय ब्याज व अन्य प्राप्तियों	(2,47)	(12,16)	(51)	(24)	(2,98)	(12,40)
अन्य अधिक प्रावधान वापसी	(64,63)	0	0	0	(64,63)	0
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले	(74,25)	15,71	20,47	(12,59)	(53,78)	3,12
प्रचालन लाभ कार्यशील पूंजी परिवर्तन						
समायोजन परिचलित सम्पत्ति में कमी / वृद्धि के लिए						
वस्तु सूची	1,43	1,01	0	19	1,43	1,20
व्यापार देय	(86)	(3,78)	0	0	(86)	(3,78)
चालू व गैर चालू ऋण एवं अग्रिम	(4,90)	(3,25)	(2)	79	(4,92)	(2,46)
अन्य चालू सम्पत्ति	(4,30)	(3,23)	0	0	(4,32)	(2,40)
अन्य गैर चालू सम्पत्ति	0	0	0	0	0	0
समायोजन परिचलित देयत्तायों में कमी / वृद्धि के लिए	J	J		O .	·	Ū
व्यापार प्राप्य	3,92	(2,06)	9	0	4,01	(2,06)
अन्य दीर्घ—कालिक चालू देयताएँ	15,86	(15,87)	(1,74)	1,46	14,12	(14,41)
अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रावधान	11,88	1137	12	56	12,00	11,93
अस्थागित राजस्व व्यय (परिवर्धन)	(1,98)	(3,96)	0	0	(1,98)	(3,96)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगदी	(48,90)	(83)	18,92	(9,59)	(29,98)	(10,42)
॥. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो						
अचल परिसम्पत्तियों की खरीद	(1,96)	(3,01)	0	(2,39)	(1,96)	(5,40)
ब्याज एवं अन्य प्राप्तियाँ	33,90	42,38	7,20	7,00	41,10	49,38
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ	1	2	0	0	1	2
कार्य प्रगति पर	(10,81)	1,41	0	0	(10,81)	1,41
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी	(27,76)	39,97	26,12	(4,98)	(1,64)	34,99
III. वित्तीय _् गतिविधियों से कैश						
अंश पूंजी	0	0	0	0	0	0
गैर प्रचलनरत इकाईयों को निधि का अन्तरण	26,19	(4,88)	(26,19)	4,88	0	0
भारत सरकार को ऋण भुगतान	0	0	0	0	0	0
प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत ऋण	(12,75)	0	0	0	(12,75)	0
ब्याज एवं अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0	0
ब्याज भुगतान	(10)	(4)	0	0	(10)	(4)
नगदी एवं समतुल्य नगदी में निवल	(14,42)	35,05	(7)	(10)	(14,49)	34,95
वृद्धि व गिरावट						



31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरणी(जारी)

(र लाखों में)

	प्रचालित	इकाईयां	गैरप्रचालित	इकाईयां	य	ोग
विवरण	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
नगदी एवं समतुल्य नगदी (प्रारम्भिक)	2,31,34	1,96,29	10	20	2,31,44	1,96,49
नगदी एवं समतुल्य नगदी (अंतिम)	2,16,92	2,31,34	3	10	2,16,95	2,31,44
नगदी एवं बैंक का शेष				(₹	् लाखों में)	
		C	वर्तमान वर्ष			गत वर्ष
नगदी हाथ में			1			2
चैक हाथ में			1,58	3,58		
बैंक जमा			1,91,71	2,12,45		
चालू खाता			13,59			7,41
बैंकों में शेष जो कि अधीन है						
–प्रतिभूत			7,06			7,98
–साख पत्र			3,00			0
योग			2,16,95			2,31,44

- 1. जब जब कार्यशील पूँजी की आवश्यकता हुई, स्वयं के संसाधनों से पूर्ति की गई है।
- 2. बैंकों में जमा राशि में ₹ 13942.01 लाख, (गत वर्ष ₹ 1303.94 लाख) जिनकी मेच्यूरटी अवधि 12 महीनों से अधिक है भी सम्मिलित है।

ਵ0 मनीष मेहता वित्त प्रमुख

शे. शक्तिमणि निदेशक (वित्त) / सीएफओ

ह0 मनोज मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार कृते कपूर भूषण एण्ड कं.

> सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

> > ਵ0 (सी ए पी. बी. कपूर) भागीदार मेम्बरशिप नं. 010858

नई दिल्ली

दिनांक: 30.06.2017



सामाजिक अधिशीर्षों पर निवेश एवं व्यय

		(र् लाखों मे
विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन	पिछले समीक्षाधीन
	अवधि के 31 मार्च 2017	अवधि के 31 मार्च 2016
	के अन्त में आँकडे	के अन्त में आँकडे
पूंजीगत निवेश		
टाउनशिप	20,41	20,41
वाहन, फर्नीचर एवं विविध उपकरण	1,64	1,64
कुल निवेश	22,05	22,05
		
सामाजिक अधिशीर्षों पर व्यय		
टाउनशिप का रख–रखाव एवं अनुरक्षण	38	76
मूल्यह्रास	26	26
जलपान गृह सहायिकी (सब्सिडी)	59	59
शिक्षा सहायिकी	69	97
सामाजिक एवं संस्कृतियां गतिविधियों हेतु सहायिकी	9	18
अन्य व्यय	30	28
योग	2,31	3,04
घटाएं : टाउनिशप से प्राप्तियां	49	45
सामाजिक अधिशीर्षों में कुल निवल व्यय	1,82	2,59



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (संशोधित)

सेवा में. सदस्य. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (दी कंपनी) सीआईएन नं.-यू 74899डीएल 1965जीओआई004322 के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण युक्त सूचना का सारांश शामिल हैं। इसमें ग्यारह यूनिटें (मांढार, तान्दूर, चरखी–दादरी, अलकतरा, नयागांव, नयागांव विस्तार और दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, कुर्कुंटा, आडिलावाद, बोकाजन, सिल्चर ग्राइंडिंग यूनिट) जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई और राजबन (हिमाचल प्रदेश), भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट और निगमित कार्यालय, जिनकी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है, शामिल हैं। यह संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सीएजी द्वारा ध्यानार्कषण कराने के पश्चात जारी की गई है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखांकन) नियमावली. 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने, ऐसे निर्णय करने और अनुमान लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल हैं, जो उचित और तत्यपरक हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी इसमें शामिल है, जो

वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किए गए और जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दुष्टिकोण व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के ऐसे प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों पर विचार किया है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही तस्वीर प्रस्तुत करने पर विचार करता है, जो वित्तीय विवरणों की कंपनी द्वारा तैयारी के संबंध में ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने में सहायक होते हैं, जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं और सही तथा स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कपनी के निदेशकों द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

अर्हतापूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार

- क. कंपनी के पक्ष में कुछ यूनिटों की भूमि के अधिकार और पट्टा अभिलेख (लीज डीड) काफी समय से लंबित हैं तथा भूमि संबंधी विवरणों का पुनर्मिलान किया जाना है अर्थात वे पुनर्मिलान के अध्यधीन हैं। इसके अलावा दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट के संदर्भ में 99 वर्ष के लिए पट्टा आधार पर 20.20 एकड़ भूमि का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया है। लिखित दावे को खारिज करते हुए डीडीए ने 14.20 एकड जमीन का 11–04–2017 को साउथ दिल्ली नगर निगम को हस्तान्त्रित कर दिया है लेकिन भौतिक हक अभी भी कार्पोरेशन के पास है। [नोट संख्या 30 का बिंदु सं. 3 देखें]।
- ख. सीसीआई की आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि, जिसका प्रयोग पम्प हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क मार्ग के रूप में किया गया है, के संदर्भ में एलीनेशन आदेश के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली देयता का निर्धारण न करने और उसके लिए प्रावधान न करने के लिए राजस्व विभाग से स्वीकृति प्रतीक्षित है [नोट 30 का बिंदु सं. 5 देखें]।
- ग. पुनर्मिलान लंबित होने के कारण 1998 में बेची गई येर्रागुंतला यूनिट के संदर्भ में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित असंगतताओं के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है [नोट 30 का बिंदू सं. 12 देखें] ।
- घ. व्यापारिक प्राप्तियों, ऋण और अग्रिमों, व्यापारिक देयताओं, पक्षकारों के साथ जमा राशियों और उनसे प्राप्त होने वाली राशियों और अन्य देयताओं की बकाया राशियों की पुष्टि और पुनर्मिलान किया जाना है। पुनर्मिलान न करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है [नोट 30 का बिंदु सं. 22 देखें]।
- ड. कंपनी की 7 फैक्टरियां और दिल्ली में एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां वर्ष 1996 से 1999 के बीच प्रचालन बाधित हो गया था और भटिंडा (पंजाब) में भी कंपनी की एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका, जिसके संदर्भ में नोट 30 के बिंदु संख्या 11 में ध्यान आकर्षित किया गया है। प्रबंधन के दृष्टिकोण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)—28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों के इंपेयरमेंट के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि अपेक्षित

- बाजार मूल्य सामान्यतया परिसंपत्तियों के बही मूल्य की तुलना में अधिक होता है [नोट 30 का बिंदू सं. 11 देखें] ।
- च. कार्पोरेशन ने 22 मार्च 2007 को 07 (सात) वर्ष के लिए ₹355.43 करोड़ मूल्य के प्रत्येक ₹1000 के 3554325 संचयी रिडिमेबल प्राथमिकता शेयर भारत सरकार को जारी किए थे। जारी किए जाने की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त प्राथमिकता शेयरों को 22 मार्च 2014 से पहले रिडीम किया जाना था, जो जारी किए जाने की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं। प्रबंधन ने सूचित किया है कि मंत्रीमंडल / बीआईएफआर के निर्देशानुसार प्राथमिकता शेयर जारी करने के संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए मंत्रालय से अनुमित मांगी गई है [नोट 30 का बिंदु सं. 13 देखें]।
- छ. कंपनी द्वारा विभिन्न पक्षकारों के विरुद्ध दायर किए गए ₹ 76.63 करोड़ के दावों और प्रतिदावों, जो न्यायालयों आदि में लंबित हैं अथवा माध्यस्थों के अधीन हैं, के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया। चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, अतः इस चरण पर इनका आकलन नहीं किया जा सकता है। [नोट 30 का बिंदु सं. 1 देखें]।
- ज. नोट सं. 29 में कंपनी ने अकलतारा और मंधार यूनिटों के सदंर्भ में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को देय न्यूनतम टैरिफ प्रभार के मद में कर्ज के रूप में स्वीकार किए गए कंपनी के विरूद्ध दावों को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत ₹ 364.49 करोड़ की राशि को शामिल किया है। मामला नयायालय के समक्ष विचाराधीन है और इस चरण पर इसके परिणाम की गणना नहीं की जा सकती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त अर्हता दृष्टिकोण वाले पैराग्राफ के लिए आधार में उल्लिखित मामलों के प्रभाव को छोड़कर उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत यथावश्यक सूचना विहित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और नकदी प्रवाह की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

मामला पर जोर

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में संदर्भित निम्नलिखित

मामलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं:

- (क) कंपनी के वित्तीय विवरण जारी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के अनुरूप तैयार किए गए हैं, जबकि :
 - इसे रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 31 के खंड (ओ) के अर्थ में एक रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया है।
 - कार्पोरेशन के पास प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियां संचित हानियों से अधिक हैं।
 - III. बीआईएफआर ने नयागांव विस्तार योजना के अंतर्गत दो यूनिटों सहित कंपनी की 7 फैक्टिरियों की बिक्री के लिए दिनांक 3 मई 2006 के अपने आदेश के अनुक्रम में एक योजना स्वीकृत की है।

कंपनी की एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में प्रचालन बनाए रखने की योग्यता / क्षमता बीआईएफआर पैकेज में यथा परिकल्पित पुनरुद्धार योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर काफी हद तक निर्भर है (नोट 30 का बिंदु संख्या 9 देखें)। वित्तीय विवरणों में रिकॉर्ड की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों की वसूली और वर्गीकरण से संबंधित कोई समायोजन शामिल नहीं किया गया है, जो कंपनी जारी प्रतिष्ठान के रूप में अपना प्रचालन जारी न रख पाने की स्थिति में आवश्यक हो सकती हैं।

- ख्र) मूल्यांकन वर्ष 2006—07 और 2007—08 के लिए मूल्यांकन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 147 के साथ पित धारा 143 (3) के अंतर्गत पूरे किए गए हैं, जिसके पिरणामस्वरूप कुछ भत्तों का नुकसान हुआ है। इसके फलस्वरूप कंपनी की मूल्यांकित और आगे लाई गई हानियों में ₹ 973.00 करोड़ की कमी दर्शाई गई है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने अपील दायर की हैं, जो अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं। अपीलीय अधिकारियों के आदेश संख्या दिनाकं 23.12.2016 के अनुसार दोनों वित्तीय वर्ष के दावों को दोबारा मुल्यांकन करने के आदेश दिए गए हैं। (नोट 30 का बिंदु संख्या 2 (ii) देखें)।
- (ग) बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.05.2006 के आदेश के जिरए अनुमोदित मसौदा पुनर्वास योजना (डीआरएस) को 2 (दो) चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसके पहले चरण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरी वित्तीय सहायता प्रदान की गई, वह चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण को 2007–08 तक पूरा किया जाना था, जिसे 07 (सात) गैर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री से होने वाली आय से कार्यान्वित करने की योजना थी, अब तक इस

दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। जबिक, निति आयोग के आदेशानुसार सभी गैर प्रचलित ईकाईयों के बेचने का कार्य प्रगति पर है। (नोट—30 का बिन्दु संख्या 11 देखें)

(घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के संदर्भ में कंपनी ने वर्ष 2016—17 में निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कोई राशि खर्च नहीं की है। अतः पिछले तीन साल के सकल लाभ के औसत राशि ₹. 73 लाख खर्च नहीं की गई है। (नोट 30 के बिन्दु 23 देखें)

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- 1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के अनुसार यथाआवश्यक और कंपनी के ऐसे रिकॉर्ड और बहियों, जिन्हें हमने जरूरी समझा और उपयुक्त पाया, की जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध 'क' में उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।
- 2. हम कंपनी के ऐसे रिकॉर्ड और बहियों, जिन्हें हमने जरूरी समझा और उपयुक्त पाया, की जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों / उप निदेशों के आधार पर धारा 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट अनुबंध I और अनुबंध II के रूप में संलग्न कर रहे हैं।
- 3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं किः
- (क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;
- (ख) हमारे दृष्टिकोण में और जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई है:
- (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;
- (घ) हमारे दृष्टिकोण में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित



- अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं;
- (ड) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुन, 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुक्रम में भारत सरकार की एक कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप धारा (2) के प्रावधान कार्पोरेशन के लिए लागू नहीं हैं।
- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (च) की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनरत प्रभावशीलता के संदर्भ में कृप्या "अनुबंध – ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।
- हमारे दृष्टिकोण में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें (छ) दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं :

- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरणों पर नोट संख्या 29 देखें;
- ii. कंपनी ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं कीं, जिसके लिए कोई बड़ी दृश्य हानियां हुई हों।
- iii. ऐसी कोई भी निधियां नहीं पाई गईं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता रही हो।
- iv. कम्पनी ने वित्तीय लेखों में 08 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोटों के लेन देन का पुरा विवरण दर्शाया है और सभी कुछ वही खातों में दर्शाया गया है।

कृते कपूर भूषण एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

> ह० (सीए पी. बी. कपूर) भागीदार सदस्यता सं. 010858

स्थानः दिल्ली

तारीख: 02 अगस्त, 2017



सी सी आर्व

CCi

अनुबंध-'क'

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं पर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य कानुनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 देखें।

ऐसी जांच के आधार पर जिन्हें हमने उपयुक्त समझा है और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

इसकी स्थाई परिसंपत्तियों के संदर्भ में :

- (क) कॉर्पोरेशन ने स्थाई परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड तैयार किए हैं।
- (ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन संबंधी चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थाई परिसंपत्तियों (कुछ यूनिटों में छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है जो हमारे दृष्टिकोण से स्थाई परिसंपत्तियों का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन का प्रावधान प्रतीत होता है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सत्यापन में कोई बड़ी त्रुटि नहीं पाई गई।
- (ग) शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार कुछ यूनिटों को छोड़कर अचल परिसंपत्तियों के मालिकाना हक विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं। नोट 30 का बिंदु संख्या 3 देखें,।

इसकी इंवेंटरी के संदर्भ में: 2.

(क) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार फैक्टरी में कच्चा माल, तैयार माल, अर्ध तैयार वस्तुओं और ए तथा बी श्रेणी के स्टोर एवं कलपुर्जों की इनवेंटरी का भौतिक सत्यापन का संबंध है, तो प्रबंधन के पास ऐसी प्रणाली मौजूद है कि ऐसे सभी आइटमों का भौतिक सत्यापन वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा कम से कम एक बार अवश्य किया जाता है। जहां तक कलपुर्जों की श्रेणी 'सी' के अंतर्गत आने वाली इंवेंटरी का संबंध है, तो भौतिक सत्यापन के लिए प्रबंधन के पास ऐसी प्रणाली मौजूद है कि ऐसे सभी आइटमों का भौतिक सत्यापन तीन वर्ष के ब्लॉक में कम से कम एक बार अवश्य किया जाए। तदनुसार ऐसी इनवेंटरी के एक भाग का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान किया गया। ऐसी कोई इंवेंटरी नहीं हैं, जो तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी हों।

- (ख) हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने इनवेंटरी का उचित रिकॉर्ड तैयार किया है और भौतिक सत्यापन पर बही रिकॉर्डों की तुलना में कोई बड़ी त्रुटियां / कमियां नहीं पाई गई।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए 3. गए रजिस्टर में शामिल अन्य कंपनियों / पक्षकारों को स्वीकृत किए गए सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों के संदर्भ में :

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों सीमित देयता भागीदारी अथवा अन्य पक्षकारों को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं स्वीकृत किया है; और इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

- ऋण, निवेश, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का कंपनी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।
- हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की है और न ही उसके पास ऐसी कोई जमा राशियां हैं, जिनके बारे में कोई दावा न किया गया हो। अतः आदेश के खंड 3 (v) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए यथाविहित नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्डी की व्यापक समीक्षा की है और हमारा यह मानना है कि कंपनी ने प्रथम दृष्टया विहित लागत रिकॉर्ड तैयार किए हैं और उन्हें बनाए रखा है। हालांकि हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्डों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे परिशुद्ध अथवा पूर्ण है या नहीं।

7. साविधिक देयताओं के संदर्भ में :

(क) कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः



भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, स्रोत पर कर की कटौती, स्रोत पर संग्रहित कर, व्यवसायिक कर, बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर (वैट), सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उप कर और इसके लिए यथालागू अन्य बड़ी सांविधिक देयताओं सिहत सभी अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संगत प्राधिकारियों को नियमित रूप से किया है। निम्नलिखित अविवादित मामलों में तुलन पत्र की तारीख को भुगतान बकाया राशियों / एरियर के रूप में है जो उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से देय है:

संविधि का स्वरूप	देयता का स्वरूप	राशि (रु लाख में)
स्थानीय बिक्री कर	बिक्री कर	2043.41
निगमित कर	एनएएलए कर	70.05
निगमित कर	संपत्ति कर	769.20
सेवा कर	सेवा कर	2.29
उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	11.20
निगमित कर	रॉयल्टी	960.45
निगमित कर	प्रवेश कर	5.53
आय कर	आयकर के विलंब से भुगतान पर ब्याज	0.22
केंद्रीय बिक्री कर	सीएसटी	9.40
स्थानीय बिक्री कर	अधिभार / अतिरिक्त कर	13.26
उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951	सीमेंट पर उपकर	18.03

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित को छोड़कर आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, उप कर और अन्य बड़ी सांवधिक देयताएं 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार एरियर के रूप में देय / बकाया नहीं हैं, जो भुगतान हेतु उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से देय हैं:

विवरण	देयता का	कहां लंबित है?	राशि
	स्वरुप		(र्लाख में)
बिक्री कर	बिक्री कर	एपीएसटी अधिकरण / वित्त आयुक्त / उपयुक्त पदाधिकारी	1557.96
ईएसआई का अंशदान	संविदा श्रमिकों पर ईएसआई का अंशदान	माननीय बीआईएफआर और क्षेत्रीय निदेशक /ईएसआईसी	72.84
आयकर शास्ति	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 (1) (ग) के अंतर्गत शास्ति	आयकर आयुक्त (अपील)	2961.98
संपत्ति कर	संपत्ति कर	स्थानीय पंचायत	165.24
सेवा कर	जीटीए सेवा	आयुक्त (अपील) केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	38.73
उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	अपीलीय प्राधिकारी	551.64

8. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसी कंपनी ने ऋणों के मूलधन और उस पर संचित ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है, जिसके विवरण नीचे दिए अनुसार हैं:

विवरण	राशि (र लाख में)	चूक की अवधि
अंतर – निगमित ऋण	2125.00	14 वर्ष से अधिक अवधि से
ब्याज सहित भारत सरकार की राशि	27475.00	वर्ष 2011 से

चालू वर्ष में कम्पनी द्वारा मैसर्स ओएनजीसी तथा मैसर्स गोवा शिपयार्ड का ऋण चुकता कर दिया गया है।

(संदर्भ नोट सं. 30 का बिन्दु 18 (i) एवं (ii))

9. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है अथवा वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

- हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और 10. सूचना के अनुसार कॉर्पोरेशन में लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी धोखाधडी नहीं पाई गई अथवा कार्पोरेशन पर कोई बड़ी धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई।
- अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के 11. प्रावधान सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं होते हैं। तद्नुसार आदेश के खंड 3(xi) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है और इसके लिए निधि नियमावली, 2014 लागू नहीं होती हैं, अतः तद्नुसार आदेश के खंड 3 (xii) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- 13. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और कंपनी (लेखाद्ध नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ

- पिटत अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक (एएस - 18) संबंधित पक्षकार प्रकटन के तहत यथावश्यक वित्तीय विवरणों का प्रकटन राज्य के नियंत्रणाधीन निकायों के लिए यथालागू सीमा तक किया गया है।
- कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिवेंचरों का कोई प्राथमिक आबंटन अथवा निजी स्तर पर कोई नियोजन नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के खंड 3 (xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- 15. कंपनी ने इसके निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी लेनदेन नहीं किए हैं। तद्नुसार आदेश के खंड 3 (xv) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
- कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है।

कृते कपूर भूषण एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

> ह० (सीए पी. बी. कपूर) भागीदार सदस्यता सं. 010858

स्थानः दिल्ली

तारीख: 02 अगस्त, 2017



53 वार्षिक रिपोर्ट

2016-17

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम")की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ;"दी कंपनी"द्ध के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ – साथ उसी तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की भी लेखापरीक्षा की हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कॉर्पोरेशन की नीतियों का अनुपालन, कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने; लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार यथावश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना सहित क्रमबद्ध ढंग से और दक्षतापूर्वक इसके व्यापार का संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किए गए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट (द ''गाइडेंस नोट'') और लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत यथाविहित माना गया है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जिस सीमा तक लाग् होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआईद्ध

द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शक नोट के अंगर्तत यह आवश्यक है कि हम सैद्धांतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें अपनी लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन योजना इस प्रकार तैयार करें जिससे कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और उसे बनाए रखा गया तथा सभी मूल संदर्भों में ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, इस बात के जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई बड़ी कमजोरी वस्तुतः मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाईन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता के मूल्यांकन को शामिल किया गया। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों में किसी बडे गलत विवरण के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है, चाहे वे गलत विवरण किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के परिणामस्वरूप क्यों न दिए गए हों।

हमारा मानना है कि हमारे लेखापरीक्षा साक्ष्य, जो हमने प्राप्त किए हैं, हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करते हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु डिजाईन की जाती है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो

ऐसे रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित होते हैं जो कॉर्पोरेशन की परिसंपत्तियों के लेन-देन और जमा आदि के संबंध में पर्याप्त, परिशुद्ध, निष्पक्ष और उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं;

- इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देनों को भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु यथावश्यक ढंग से रिकॉर्ड किया गया है और कॉर्पोरेशन की सभी प्राप्तियां और व्यय केवल और केवल प्रबंधन तथा कॉर्पोरेशन के निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और
- इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिक त अधिग्रहण, इस्तेमाल अथवा निपटान आदि का समय पर पता लगाने और रोकथाम के संबंध में उपाय किए गए हैं, जिनका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर बडा प्रभाव पड सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अथवा सहमति आदि की संभावना, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण कोई बड़ा

गलत विवरण दिए जाने की संभावना शामिल होती है और हो सकता है कि उसका पता भी न चल पाए। इसके अलावा भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन की संभावनाएं और पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन होते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में सभी वास्तविक संदर्भों में पर्याप्त प्रणाली मौजूद है और कंपनी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्त्तीनय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत थे।

> कृते कपूर भूषण एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

> > ह० (सीए पी. बी. कपूर) भागीदार सदस्यता सं. 010858

स्थानः दिल्ली

तारीख : 02 अगस्त, 2017



1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए स्पष्ट अधिकार / पट्टा विलेख (लीज डीड) उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो कृपया ऐसी फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के क्षेत्र का उल्लेख करें, जिसके लिए स्पष्ट अधिकार / पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 30 के बिंदु संख्या 3 में रिपोर्ट की गई भूमि को छोड़कर शेष भूमि के संबंध में स्पष्ट अधिकार / पट्टा विलेख उपलब्ध हैं। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा अपने पक्ष में ऐसी भूमि का स्पष्ट अधिकार प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं।
2.	क्या कर्जों / ऋणों / ब्याज आदि में छूट दिए जाने अथवा उन्हें बट्टे खाते में डाले जाने का कोई मामला प्रकाश में आया है? यदि हां, तो कृपया उसके कारण बताएं और यह भी बताएं कि ऐसे मामलों में कितनी राशि निहित थी ?	चालू वर्ष में कम्पनी द्वारा देय ऋण चुकता करके, ब्याज∕मूलधन की राशि ₹ 64.63 करोड़ को माफ किया।
3.	क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार / अनुदान (अनुदानों) के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों और तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी वस्तुओं (इंवेंटरी) के लिए उचित रिकॉर्ड रखा गया है?	कंपनी में तृतीय पक्षकार के पास कोई इंवेंटरी नहीं है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सरकार और अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्तियां प्राप्त की हैं।

अनुबंध—II

वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 143 (5) के अंतर्गत यथावश्यक उप निदेश

कंपनी के लेखाओं और खाताबही के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों और / अथवा सूचना के बारे में उत्तर निम्नानुसार हैं:

1. कर्मचारी लाभ

कॉर्पोरेशन के लिए सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात ग्रैच्यूटी, छुट्टी संराशिकरण, सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों के संबंध में देयता के लिए प्रावधान करने हेतु आवश्यक सूचना और जानकारी अर्थात कर्मचारियों की संख्या, औसत वेतन, सेवानिवृत्ति की आयु और छूट की दर के संबंध में एक्चुअरी के द्वारा लगाए गए पूर्वानुमानों, भविष्य में बढ़ने वाली लागत, मृत्यु दर आदि के बारे में उपलब्ध करायी गयी सूचना / इनपुट का विधिवत सत्यापन वास्तविक मूल्यांकन के साथ किया गया है और इसे उचित पाया गया है।

2. बीआईएफआर योजना

कंपनी को माननीय बीआईएफआर द्वारा अपने दिनांक 08.08.96 के पत्र संख्या 501 / 96—बेंच प्ट एसओएल के जिए रुग्ण उद्योग घोषित किया गया। माननीय बीआईएफआर ने अपनी दिनांक 21.03.2006 को आयोजित सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार की गई और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई पुनरुद्धार योजना को अपना अनुमोदन प्रदान किया। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.05.2006 को पिरचालित किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ सुरक्षित और असुरक्षित क्रेडिटरों के समााधान और तीन प्रचालनरत प्लांटों के विस्तार / प्रौद्योगीकीय उन्नयन के साथ—साथ शेष ७ गैर प्रचालनरत प्लांटों को बंद करने / उनकी बिक्री की परिकल्पना की गई। स्वीकृत योजना के अनुसार ६ यूनिटों को बंद कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों को वीएसएस के अन्तर्गत अलग कर दिया गया है। कर्मचारी यूनियन, अदिलाबाद एक लिखित याचिका आन्ध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय से मांग की है कि आदेश को ऐसे ही रखा जाए। माननीय उच्च न्यायालय आन्ध्र प्रदेश ने लिखित याचिका खारिज करने के उपरान्त अदिलाबाद यूनिट को बन्द घोषित कर दिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के निदेशकों की रिपोर्ट अनुसार करने के लिए परिशिष्ट

टिप्पणियों के प्रबंधन के उत्तरों लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निर्धारित दिनांक 02-08-2017 के तहत यहां दिए गए हैं:-

क्र	अहर्ताए	प्रबंधन का उत्तर
1.	अहर्तापूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार – क, ख, ग, घ	
	क) कंपनी के पक्ष में कुछ इकाइयों की भूमि के शीर्षक और पट्टे अभिलेख (लीज डीड) काफी समय से लंबित है और भूमि विवरण विवरणों का पुनर्मिलानके अधीन हैं। इसके अलावा, दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट के संबंध में 99 साल के लिए पट्टे आधार पर 20.20 एकड़ जमीन का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया है। लिखित दावों को खारिज करते हुए डीडीए ने 14.20 एकड़ जमीन को 11.04.17 को साउथ दिल्ली नगर निगम को हस्तान्त्रित कर दिया है। लेकिन भौतिक हक अभी भी कम्पनी के पास है।	इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट—30 के संगत बिंदुओ में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।
	[संदर्भ लें नोट–30 के बिंदु–3 देखे,]	
	ख) सीसीआई के आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि जिसका प्रयोग पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग को सड़क मार्ग के रूप में प्रयोग किया गयाहै, के संदर्भ में एलीनेशन आदेश के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने देयता का निर्धारण न करने और उसके प्रावधान ने करने के लिए राजस्व विभाग से स्वीकृति प्रतीक्षित है।	इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट—30 के संगत बिंदुओ में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।
	[संदर्भ लें नोट 30 के बिन्दु संख्या 5,]	
	ग) पुनर्मिलान लंबित होने के कारण 1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उलेखित विसंगतियों के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है	इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट—30 के संगत बिंदुओं में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।
	[संदर्भ लें नोट 30 की बिन्दु संख्या 12]	
	घ) व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिमों, व्यापारिक देयताओं, पक्षकारों के साथ जमा राशियों उनसे प्राप्त होने वाली राशियों पुष्टि और पुनर्मिलान किया जाना है पुनर्मिलान करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।	इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट—30 के संगत बिंदुओं में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।
	[संदर्भ लें नोट 30 बिन्दु संख्या 22]	
2.	अहर्तापूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार —ड)	
	ड) कंपनी के सात इकाई और दिल्ली में एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां वर्ष 1996 से 1999 वर्ष के बीच प्रचालनबाधित हो गया था और भटिंडा (पंजाब) में भी एक ग्राइंडिंग इकाई है जहां उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका, जिसके संदर्भ नोट 30 के बिंदु —11 में ध्यान आकर्षित किया गया है! प्रबंधन के दृष्टिकोण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक —28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों के अनर्जक हानि के लिय कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि अपेक्षित बाजार मूल्य सामान्यतया परिसंपतियों के बही मूल्य की तुलना में अधिक होता है। [संदर्भ लें नोट 30 बिंदु संख्या 11]	गैर संचालन इकाइयों की संपत्ति की अनर्जक हानि से संबंधित स्थिति वितीय विवरणों के भाग के रूप में नोट—30 के बिंदु—11 में विस्तार से स्पष्ट कर दिया गया है।

53 विषिक रिपोर्ट 2016-17

एफ) निगम ने 22 मार्च 2007 तो 7 वर्ष के लिय ₹ 355.43 करोड़ मूल्य के प्रत्येक ₹ 1000 के 3554325 का संचयी मोचन हेतू अधिमानी अंश जारी किए थे। जारी किय जाने के शर्तों के अनुसार, उपयुक्त वरीयता शेयरों को 22 मार्च 2014 से पहले मोचित किया जाना था, जो जारी करने की शर्तों के अनुरूप नहीं है, प्रबंधन ने सूचित किया है की मंत्रिमंडल / बीआईएफआर निर्देशानुसार प्राथमिकता अंश जारी करने के संबंध में आगे के कारवाई शुरू करने के लिये मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। [संदर्भ लें नोट 30 बिन्दु संख्या 13]

अहर्तापूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार - जी, एच

जी) निगम ने विभिन्न पक्षकारों के विरुद्ध दायर किय गए ₹ 76.63 करोड़ के दावो और प्रतिदावों, जो अदालतों में लंबित हैं अथवा मध्यरथों के अधीन हैं, के लिये लेखो में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि मामला अदालत के समक्ष लंबित हैं अतः मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। [संदर्भ लें नोट 30 के बिंदु संख्या—1]

एच) नोट नंबर 29 में, कंपनी ने अकलतरा और मंधार इकाई के संदर्भ में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को देय न्यूनतम टेरिफ प्रभार के मद के रुप में स्वीकार किय गए कंपनी के विरुद दावों को आकसिम्क देयताओं के अंतर्गत ₹ 364.49 करोड़ को शामिल किया है। मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है और इस चरण में इस के परिणाम में की गणना नहीं की जा सकती है।

निगम के दावे / काउंटर का दावा, न्यायाधीन है और इस स्तर पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जिसे वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट 29 और 30 के बिंदू – में विस्तार से स्पष्ट कर दिया गया है।

गेर संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश के

सम्बंध में भारी उद्योग विभाग इस मुद्दे को उठाया गया है जिसे वितीय विवरणों के

भाग के रूप में नोट -30 के बिंदू -13 में

विस्तार से स्पष्ट कर दिया गया है।

निगम के दावे / काउंटर का दावा, न्यायाधीन है और इस स्तर पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जिसे वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट 29 और 30 के बिंद्र –में विस्तार से स्पष्ट कर दिया गया है।

मामले पर जोर

ख) मूल्यांकन २००६–०७ और २००७–०८ के लिए मूल्यांकन आकलन आयकर अधिनियम 1961 के साथ पिठत धारा 143 (3) के अंतर्गत पूरे किये गए है जिसके परिणामस्वरूप कुछ भत्तों का नुकसान हुआ है इसके फलस्वरूप कंपनी के मुल्यांकित और आगे लाई गई हानियों में ₹ 973.00 करोड़ की कमी दिखाई गई है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने अपील दायर की है, जो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं। अपीलीय अधिकारियों के आदेश संख्या दिनाकं 23.12.2016 के अनुसार दोनों वित्तीय वर्ष के दावों को दोबारा मुल्यांकन करने के आदेश दिए गए हैं। [संदर्भ लें बिंदु संख्या 2 (ii) नोट 30]

इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट -30 के बिंदु-2 (ii) में विस्तार रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।

- बीआईएफआर द्वारा दिनाक 03-05-20217 के आदेश के जरिए अनुमोदित मसोदा पुनवार्स योजना (डीआरएस) को 2 दो चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसके पहले चरण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरी वित्तीय सहायता प्रदान के गई है, वह चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण को 2007–08 तक पूरा किया जाना था, जो 07 (सात) गेर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री से पूरा किया जाना था, अब तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। जबिक, निति आयोग के आदेशानुसार सभी गैर प्रचलित ईकाईयों के बेचने का कार्य प्रगति पर है। (नोट-30 का बिन्दु संख्या 11 देखें)
- घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के संदर्भ में कंपनी ने वर्ष 2016-17 में निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कोई राशि खर्च नहीं की है। अतः पिछले तीन साल के सकल लाभ के औसत राशि रू. 73 लाख खर्च नहीं की गई है। (नोट 30 के बिन्दु संख्या 23 देखें)

दिपम / नीति आयोग के निर्देशानुसार गैर प्रचालित ईकाइयों की बिक्री का कार्य प्रगति पर है। सम्पत्तियों का मृल्यांकन करने हेतू, कानून सम्बंधी तथा तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति हो चुकी है।

सीसीआई बीआईएफआर संदर्भित कंपनी है, हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 135 में संदर्भित सीएसआर गतिविधि के कम होने को कानून के अनुपालन के रूप निदेशक रिपोर्ट में विस्तार से बताया जा रहा है।



संख्या / No.: MAGII CADII 1-1/20/दन।
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक वाणिन्यक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II,
नई दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTME
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER,
AUDIT BOARD - II, NEW DELHI

दिनांक / DATE 01 09 2017

सेवा में,

अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया कोर-5 स्कोप काम्प्लेक्स 7 लोधी रोड, नई दिल्ली

विषय- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अधीन 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अधीन 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया, के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

भवदीया,

नि मुटी (नन्दना मुंशी) महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोई-॥ नई दिल्ली

सी सी आई C C i

संलग्नकः- यथोपरि

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अर्न्तगत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन व्यावसायिक निकाय द्वारा विद्धित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों जो धारा 143 (10) के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी दिनांक 2 अगस्त, 2017 की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा यह बताया गया है।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से धारा 143(6) (ए) के अन्तर्गत सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की हैं। पूरक लेखा परीक्षा का निष्पादन सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकरण संबंधी दस्तावेजों को देखे बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों द्वारा की गई पूछताछ और कुछेक लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित हैं। मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मुझे ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली है जिसके आधार पर कम्पनी अधिनियम, के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा जोडी जा सके।

भारत के नियंत्रक एंव लेखा परीक्षक की ओर से

ન મેગી

(नन्दना मुंशी)
महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 01.09.2017



हमारी यूनिटों की प्रमुख विशेष्ताएं:

मंधार (जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़)

यह कार्पोरेशन की पहली यूनिट है, जिसमें जुलाई 1970 में उत्पादन शुरु किया गया। उत्पादन के लिए गीली प्रक्रिया को अपनाया गया और नवम्बर 1978 से स्लैग सीमेंट का उत्पादन शुरू करने के लिए इसका विस्तार किया गया। स्लैग की आवश्यकता को भिलाई स्टील प्लांट से पूरी की जाती है।

	2016—17	2015—16	2014—15	
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	3.80	3.80	3.80	
उत्पादन (लाख टन में)	_	_	_	
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	_	_	_	
लाभ ∕ (हानि) (₹ लाख में)	3,25	(1,40)	(1,55)	
यूनिट के अव्यवहार्य हो जाने के कारण उत्पादन बंद पड़ा हुआ है।				

कुरकुंटा (जिला-गुलबर्ग, कर्नाटक)

यह गीली प्रक्रिया से सीमेंट का उत्पादन करने की दूसरी यूनिट है, जहां उत्पादन 1972 से शुरु किया गया।

	2016—17	2015—16	2014—15
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	_	_	_
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	_	_	_
लाभ ∕ (हानि) (₹ लाख में)	3,67	(1,13)	(1,44)

बोकाजन (जिला-कारबी अंगलोंग, असम)

यह यूनिट असम के कारबी अंगलोंग जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना महज सामान्य आर्थिक लाभ को ध्यान में न रखते हुए आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों को सीमेंट और सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध करने के सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इस यूनिट के लिए 10 किलोमीटर लम्बे रोपवे के माध्यम से चुना—पत्थर लाया जाता है जो दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस यूनिट में 1 अप्रैल 1977 से उत्पादन शुरू किया गया।

	2016—17	2015—16	2014—15
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	0.80	1.03	0.82
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	37,52	44,39	37,55
लाभ ∕ (हानि) (₹ लाख में)	(19,75)	35	(4,61)

राजबन (जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश)

सी सी आई C C i यह पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र में स्थित दुसरी यूनिट है। सामान्य संचार कठिन होने के अलावा इस यूनिट में काफी बड़े पैमाने पर सामग्री के आंतरिक आवागमन और तैयार उत्पाद का बहिर्गमन सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है क्योंकि यूनिट के नजदीक कोई रेल सम्पर्क नहीं है। इस फैक्ट्री के पूरे उत्पादन का वितरण सड़क मार्ग द्वारा ही किया जाता है। पहाड़ों में स्थित खदानों से 9 किलोमीटर लम्बे रोप—वे के माध्यम से चूना पत्थर यहां लाया जाता है। यह यूनिट अप्रैल, 1980 से अपना कमर्शियल उत्पादन कर रही है।

	2016—17	2015—16	2014—15
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	2.48	2.48	2.48
उत्पादन (लाख टन में)	1.69	1.91	1.70
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	90,97	88,83	82,72
लाभ ∕ (हानि) (₹ लाख में)	10,22	11,88	(4,42)

ची ची आर्ग C C i

नया गांव (जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश)

4 लाख टन की वार्षिक संस्थापित क्षमता वाली इस यूनिट में 1 मार्च 1982 से कमर्शियल उत्पादन शुरु किया गया।

	2016—17	2015—16	2014—15
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	_	_	_
उत्पादन का मूल्य (र् लाख में)	_	_	_
लाभ ∕ (हानि) (₹ लाख में)	3,36	(1,18)	(1,46)

स्थल विभाजन अर्थात नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली तथा भटिंडा में क्लिंकर की ग्राइंडिंग की संकल्पना के साथ यूनिट की उत्पादन क्षमता और 10 लाख टन बढ़ाकर परियोजना का विस्तार किया गया। नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली में ग्राइंडिंग यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन 01.05.1990 से शूरू किया गया।

नयागांव यूनिट का विस्तार डीजीयू और बीजीयू सहित

	2016—17	2015—16	2014—15
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	5.00	5.00	5.00
उत्पादन (लाख टन में)	_	_	_
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	_	_	_
लाभ ∕ (हानि) (₹ लाख में)	3,00	25	(1,71)

अकलतरा (जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़)

इस यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 1981 से शुरू किया गया।

	2016—17	2015—16	2014—15
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	_	_	_
उत्पादन का मूल्य (र् लाख में)	_	_	_
लाभ ∕ (हानि) (₹ लाख में)	7.89	2,13	(1,37)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,		

यूनिट के अव्यवहार्य हो जाने के कारण उत्पादन बन्द पड़ा हुआ है।

चरखी दादरी (जिला-भिवानी, हरियाणा)

यह भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई एक रुग्ण यूनिट थी और जून, 1981 में इसे सीसीआई के नियंत्राधीन किया गया। अल्पाविध ा के भीतर पुनरुद्धार के पश्चात सीमेंट की ग्राइंडिंग का कार्य सितम्बर 1981 में शुरु किया गया और तत्पश्चात क्लिंकर उत्पादन शुरू किया गया। दो स्ट्रीम में से केवल एक ही स्ट्रीम इस लायक थी, जिसका पुनरुद्धार किया जा सका।

	2016—17	2015—16	2014-15
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.74	1.74	1.74
उत्पादन (लाख टन में)	_	_	_
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	_	_	_
लाभ ∕ (हानि) (₹ लाख में)	3.60	(1,42)	(1,70)
यूनिट के अव्यवहार्य हो जाने के कारण उत्पादन बन्द पड़ा हुआ है।			

आदिलाबाद (जिला-आदिलाबाद, तेलंगाना)

इस यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल, 1984 से शुरू किया गया।

	2016—17	2015—16	2014—15
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	_	_	_
उत्पादन का मूल्य (क् लाख में)	_	_	_
लाभ / (हानि) (क् लाख में)	98	(5,12)	(4,87)

तांदूर (जिला-के.वी. रंगारेड्डी, तेलंगाना)

इस यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन 1 जुलाई, 1987 से शुरू किया गया।

	2016—17	2015—16	2014—15
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	10.00	10.00	10.00
उत्पादन (लाख टन में)	5.42	6.19	7.00
उत्पादन का मूल्य (र् लाख में)	2,04,68	2,53,88	2,70,83
लाभ ∕ (हानि) (₹ लाख में)	26,11	49,15	63,21




Vision

To emerge as a leading cement company committed to contribute to the economy and to enhance value for the stakeholders.

Mission

To augment the wealth creation for the Company, deliver superior product and sustain market value.



A view of Tandur's Lime Stone Mines







सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) नई दिल्ली

Cement Corporation of India Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)
New Delhi